NOT TO BE ISSUED

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...52...
Date ...23/11/2002

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 29 नवम्बर, 2001/8 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161, 163 और 165	1–53
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 164 और 166 से 180	53–90
अतारांकित प्रश्न संख्या 1805 से 2034	91–343
सभा पटलपर रखे गए पत्र	343–349
याचिका समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	350
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	350
सभा का कार्य	350–355
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)–2001-2002	355
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
अमरीकी हेलीकाप्टर द्वारा 26 नवम्बर, 2001 को चेन्नई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया जाना	355–357
श्री जार्ज फर्नान्डीज	355
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कथित अत्याचारों के बारे में...	358–363
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव की न्यायिक हिरासत में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के बारे में	371–375
कम्पनी संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प – वापस लिया गया और कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक	376–387
विचार करने के लिए प्रस्ताव	376

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	376
डा. नीतिश सेनगुप्ता	378
श्री गिरधारी लाल भार्गव	380
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	381
श्री अरुण जेटली	382
श्री अजय चक्रवर्ती	385
खंड 2 से 4 और 1	386
पारित करने के लिए प्रस्ताव	387
आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश निरसन विधेयक	387–392
विचार करने के लिए प्रस्ताव	387
श्री सीएच. विद्यासागर राव	387
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	388
खंड 2 और 1	392
पारित करने के लिए प्रस्ताव	392
विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक	392–403
विचार करने के लिए प्रस्ताव	392
श्री सीएच. विद्यासागर राव	392
श्री अधीर चौधरी	394
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक	398
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	403–404
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	404–450
(एक) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय की समीक्षा	404–428
श्री मणि शंकर अय्यर	404
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	413
श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी	417

विषय **कालम**

श्री मुरासोली मारन 418

श्री सुनील खां 425

(दो) जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में विधान बनाना 428–450

श्रीमती जसकौर मीणा 428

श्री अधीर चौधरी 435

श्री अनादि साहू 438

श्री वरकला राधाकृष्णन 442

श्री गिरधारी लाल भार्गव 445

श्री रामदास आठवले 448

कार्य मंत्रणा समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन 450

लोक सभा

गुरुवार, 29 नवम्बर, 2001/8 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेलवे जोनों में अनुत्पादक निवेश

*161. +श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सात नए रेलवे जोन परिचालनात्मक दक्षता की तुलना में अनुत्पादक निवेश सिद्ध हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त नए रेलवे जोन बिना कोई विस्तृत जांच किए ही बना दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सात नए जोन अभी चालू होने हैं। इन सात जोनों के सृजन पर अब तक किया गया खर्च रेलों के सामने मौजूद संसाधनों की तंगी को देखते हुए मामूली है। अत: परिचालनिक कुशलता की तुलना में इसके अनुत्पादक निवेश होने का प्रश्न इस समय नहीं उठता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सात नए रेलवे जोनों को बनाए जाने के संबंध में अनुत्पादक निवेश से है। इस कार्य को बिना किसी उचित प्राक्कलन और तैयारी के लागू किया गया है लेकिन अब दिए गए उत्तर में इस बात का उत्तर नहीं है कि क्या इस नए सात जोनों को बनाए जाने के संबंध में कोई उचित तैयारी की गई थी या कोई सर्वेक्षण कराया गया था, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा यह कि इन सात जोनों को बनाए जाने के आदेश 1996 में ही दिए गए थे, आपके शासन के दौरान नहीं। इन पर अनुमानत: 784 करोड़ की लागत आनी थी। इन पर पिछली जनवरी 2000 में कार्य आरम्भ होना था। अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ बल्कि अब तक मात्र 49.53 करोड़ रुपये की राशि ही व्यय की गई है जो यहां तक कि अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत भी नहीं है। यह बहुत कम है।

तीसरा, यह कि रेलवे अभिसमय समिति ने ग्यारहवीं लोक सभा में स्पष्ट रूप से इस बात को रखा था। यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं समिति की रिपोर्ट में से उद्धृत करूंगा। समिति की राय थी कि 'माल-दुलाई और यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि के लिए और अधिक जोनों को बनाए जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने यह कहते हुए इन नए सात जोनों को बनाए जाने पर आपत्ति जताई और आलोचना की है कि जोन रेलवे प्रणाली में एक प्रशासनिक इकाई है और मंडल एक वास्तविक कार्य करने वाली ऐसी इकाई है जिससे यह प्रणाली चलती है। इसलिए, इन सात नए जोनों को बनाने पर अधिक मनन नहीं किया गया। यह पूर्णत: राजनीतिक है। अब यहां एक और समाचार है संसदीय प्रश्न के उत्तर में भी रेल राज्य मंत्री ने कहा है कि इन नए सात रेलवे जोनों के पुनर्गठन की समीक्षा की जा रही है।

सर्वप्रथम मेरा प्रश्न यह है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन सात जोनों के बनाए जाने की पूरी परियोजना ही छोड़ रहे हैं या आप इसे लागू कर रहे हैं। दूसरा यह कि या तो मंत्रालय या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गलत हैं। इन जोनों को बिना किसी तैयारी के बनाया गया है। जब आप पहले से ही वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और आप पर इन परियोजना को छोड़ने का दबाव है तो इन जोनों को किस प्रयोजनार्थ बनाया गया है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। रेलवे अभिसमय समिति की दृष्टिकोण के मद्देनजर, जोनों को बनाने के बजाय क्या आप और अधिक मंडल बनाएंगे जिससे माल दुलाई और यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि के संबंध में रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ेगी?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: जहां तक पार्ट 'बी' का सवाल है, उसका उत्तर 'नो सर' दिया गया है। अगर इसके इतिहास में जायें तो इसका प्रोपर एग्जामिनेशन हुआ था। 1984 में रेलवे रिफार्म्स कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन चार जून के लिए थी। इसके बाद 1994 में गवर्नमेंट ने एक एडवाइजर्स कमेटी एपाइण्ट की। उन लोगों ने भी चार जून की सिफारिश की।

केबिनेट में डिसीजन के लिए प्रपोजल गया, लेकिन वह 1996 में डैफर हो गया। फिर केबिनेट में 1996 में ही चार जोन के अलावा दो और जोन यानी छः जोन बनाने का निर्णय हुआ। फिर 1998 में बिलासपुर में सातवां जोन बनाने का निर्णय हुआ। प्रॉपर एक्जामिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिसोर्सेज क्रंच के चलते जोन बनाने के लिए जितना पैसा दिया जाना चाहिए, वह सम्भव नहीं हो पाया। अभी तक एक भी जोन फंक्शनल नहीं हुआ है। जहां तक कमेटी की आब्जर्वेशन का सवाल है, वह अपनी जगह पर है। अलग-अलग आब्जर्वेशन हैं, अलग-अलग राय हैं। जोन के मामले में हमेशा दो राय रही हैं। जिन राज्यों में पहले से ही दो या तीन जोन हैं, वहां यह होता है कि और जोन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जहां एक भी नहीं है, वहां यह होता है कि जोन बना है तो जल्दी से कार्य करने लगे। हालांकि जोन का फारमेशन कोई स्टेट बाउंड्री के हिसाब से नहीं होता है, आवश्यकता के हिसाब से होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोगों की राय आमतौर पर अलग-अलग होती है। पैसे की कमी के कारण जोन का काम इतनी तेजी से नहीं हो रहा है, जितना लक्ष्य रखा गया था। जहां तक आठ नए डिवीजन क्रिएट किये जाने की बात है, उन पर भी काम चल रहा है। हमारी सरकार का इरादा सात जोन या आठ डिवीजनों में किसी को भी बंद करने का नहीं है। पैसे की कमी है इसलिए प्रोग्रेस स्लो है।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। लेकिन सच यह है कि जोन केवल प्रशासनिक इकाई है। इसकी कार्यकुशलता या माल-ढुलाई या मंत्रियों की आवाजाही में वृद्धि के संबंध में कुछ लेना-देना नहीं है। समिति ने कहा था 'मंडलों के बजाए आप नए जोन क्यों बनाते हैं। मंडल सम्पूर्ण रेलवे की कार्यकुशलता, रेलगाड़ियों को चलाने और माल ढुलाई के संचलन और यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि के लिए प्रमुखत: उत्तरदायी है।

सच यह है कि सरकार द्वारा चार नए जोन बनाए जाने के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया था। इसे पहले ही आस्थगित कर दिया गया था; इसलिए सात जोन बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब चार जोनों को आस्थगित कर दिया गया था तो सात जोनों को बनाने की क्या आवश्यकता थी। इसमें कोई तर्क नहीं है जब इसे आस्थगित कर दिया गया था तो बाद में सात जोन क्यों बनाए गए। इसका उत्तर ठीक से नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या माननीय मंत्री और अधिक मंडल बनाए जाने पर विचार करेंगे क्योंकि विभिन्न राज्यों में जोन के बजाए मंडल बनाए जाने की मांग अधिक है। इन जोनों को समाप्त करके मंडल बनाए जाने पर व्यय किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा पूरक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उनका आधा सुझाव मानने की स्थिति में मैं नहीं हूं। जिसमें कहा गया है कि जोन के काम को बंद कर दिया जाए। यह सम्भव नहीं है। कंसीक्यूटिव गवर्नमेंट्स ने डिसीजन दिया है। उस पर राय जो भी होती रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह मंडलों पर बात कर रहे हैं न कि जोनों पर।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार: जोन के बारे में जो इनकी राय है, सरकार के लिए उसको स्वीकार करना सम्भव नहीं है। जहां तक आठ डिवीजन क्रिएट किए गए हैं, उनके काम को आगे बढ़ाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन गाड्डे: 2 अगस्त, 2001 को प्रश्न के उत्तर में माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि इन जोनों को बनाए जाने के लिए 41.66 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। क्या अब माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जोनों को बनाए जाने के आवंटन का लम्बित परियोजनाओं पर उपयोग किया जाएगा? उदाहरणार्थ विजयवाड़ा में सत्यनारायणपुरम रेलवे लाइन के नवीकरण हेतु एक लम्बित परियोजना विजयवाड़ा में है। क्या माननीय मंत्री इस कार्य को इसी वर्ष रेलवे जोनों के लिए आवंटित राशि से आरम्भ करेंगे? सत्यनारायणपुरम रेलवे लाइन के नवीकरण हेतु 29 करोड़ की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: जोन के क्रिएशन के लिए धन का प्रोविजन नाममात्र का है। जहां तक दूसरी बात है, उसके लिए बातचीत हुई है, हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी सभा जानती है कि रेलवे वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इस गम्भीर स्थिति को देखने के बाद मैं नहीं समझ सका कि मंत्री जी सात जोन बनाए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु क्यों ले गए।

क्या माननीय मंत्री मुझसे सहमत हैं कि इसमें केवल राजनीतिक भावना है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सात जोनों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर लिया था या नहीं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: पीछे की सरकार के कैबिनेट में लिये गये निर्णय के बारे में उनकी ऑबजर्वेशन को हम मान लें या उनको एग्री करें, ऐसा प्रश्न मेरे लिए पैदा नहीं होता, यह मेरे लिए संभव नहीं है। सरकारें एक कंटीनुअस प्रोसैस है। यूनाईटिड फ्रंट सरकार ने 6 जोन्स क्रिएट करने का निर्णय लिया था और इसके बाद एनडीए सरकार ने भी एक जोन बिलासपुर क्रिएट करने का फैसला लिया और जहां तक पार्लियामेंट की सैंक्शन है, पैसे की कमी के कारण इसे आगे बढ़ा पाना संभव नहीं हो पा रहा है लेकिन इस आबजर्वेशन को स्वीकार करना भी मेरे लिए मुश्किल है।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम रेलवे के जोनल मुख्यालय को मुम्बई से अहमदाबाद ले जाने की मांग काफी पुरानी है क्योंकि अहमदाबाद पश्चिम रेलवे का केन्द्र है।

मैं अहमदाबाद में उस नए मंडल को खोले जाने के बारे में जानना चाहता हूं जिसके लिए भूमि का आबंटन किया जा चुका है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कब स्थानान्तरित किया जाएगा और अहमदाबाद में नया मंडल कब खोला जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे तो राम नाईक जी उनको घूरकर देख रहे थे। *...(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि वैस्टर्न रेल हैडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाए। ये ऐसी चीजें हैं जो इमोशनल भी हैं और सब लोग अलग-अलग चाहते हैं लेकिन जहां तक अहमदाबाद डिवीजन का सवाल है, उसका काम आगे बढ़ाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: रेलवे सुधार समिति द्वारा जोनों और डिवीजनों के पुनर्गठन की जांच की गई थी। समिति ने मात्र चार नए जोन बनाए जाने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात सलाहकार समिति—अब उन्हें अतिरिक्त सदस्य कहा जाता है—गठित की गई थी। उसने भी मात्र चार जोनों को बनाए जाने की सिफारिश की थी। मैंने दोनों रिपोर्टें देखी हैं और उन्हें पढ़ा है।

महोदय, 1996 में स्थायी समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जिसके कि श्री राम नायक भी सदस्य थे, में जोनों और डिवीजनों के पुनर्गठन के विरुद्ध सिफारिश की थी क्योंकि यह निर्णय रेलवे के हित में नहीं था, इसलिए दो गलत नीतियों के कारण रेलवे बर्बाद हुआ है—एक 'यूनीगेज' परियोजना जिसमें 14,000 करोड़ रुपये बिना किसी आगम के व्यय किए गए और दूसरा जोन और डिवीजनों का पुनर्गठन है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि निर्णय लेने से पूर्व मंत्रिमंडल ने विस्तृत जांच की है। लेकिन हमने क्या देखा कि छह जोनों को बनाए जाने के लिए प्रस्ताव एकाएक मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया और मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया। इसलिए इस संबंध में कोई विस्तृत जांच नहीं की गई। रेलवे सुधार समिति जिसने कि भारतीय रेल के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया है और चार नए जोन बनाने के लिए सिफारिश की थी।

तत्पश्चात्, सलाहकारों को समिति ने भी चार नए जोनों को बनाए जाने की सिफारिश की थी। रेल मंत्रालय ने संख्या चार से बढ़ाकर सात करने का निर्णय कैसे लिया? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे श्री टी.एम. सेल्वागनपति ने पहले ही पूछ लिया है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, जोनों की संख्या को चार से बढ़ाकर सात करने के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है और माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया है। कई विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किए गए थे और बाद में उनकी श्रेणी को कम कर दिया गया। संसाधन संकट और समय सीमा की सच्चाई के मद्देनजर क्या मंत्रालय इसकी जांच करेगा? महोदय, ये सभी जोन कब कार्य करने लगेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय का विचार इन नए जोनों की समीक्षा करने का है या नहीं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं: अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण दे रहे हैं। यह क्वश्चन ऑवर है या यह भाषण दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, बसुदेव आचार्य जी बहुत सारी बातों से अवगत हैं। ये रेलवे से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और जब यह निर्णय लिया गया था तो उस सरकार का ये समर्थन भी कर रहे थे और अब ये सब बातें यह हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार ने एक बार निर्णय ले लिया है तो आगे आने वाली सरकार उस निर्णय को मानते हुए उसके आगे बढ़ेगी। मैंने पहले ही कह दिया है कि 7 नये जोन्स को फंक्शनल किया जाएगा लेकिन पैसे की तंगी के कारण उसमें पर्याप्त धन का आबंटन नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, विशाखापत्तनम में वालटैयर मंडल में एक विशेष समस्या है। यह मंडल रेलवे के धनी मंडलों में से एक है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मूर्ति, अगले सप्ताह हम रेलवे अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा करेंगे। यदि आपके पास कोई विशेष समस्या है तो आप इसे उस समय उठा सकते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, मैं जोनों के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप जोनों के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, वालटेयर मंडल दक्षिण-पूर्व रेलवे में है। यह दक्षिण-मध्य रेलवे के नजदीक है। दक्षिण-पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। इसी बीच हाल ही में भुवनेश्वर में मुख्यालय वाला एक अन्य रेलवे जोन बनाया गया है। यहां तक मुझे भी उसका नाम याद नहीं है क्योंकि नए जोन कार्य नहीं कर रहे हैं। यह उन सात जोनों में से है। वालटेयर डिविजन को सिकन्दराबाद मुख्यालय युक्त दक्षिण-पूर्व रेलवे में मिलाने की लगातार मांग की जाती रही है। यह मांग बहुत लम्बे समय से की जाती रही है। यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। कई पत्र लिखे गये लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यह मंडल अलग-थलग है। आंचलिक मुख्यालय पहुंचने के लिए हमें एक और जोन को पार करना पड़ता है और जोन के मुख्यालय जाना पड़ता है। वालटेयर उस नए बने जोन में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। इस बात पर सहमति हो गई है।

अब, क्या माननीय मंत्री कृपया वालटेयर मंडल को सिकन्दराबाद स्थित मुख्यालय वाले दक्षिण-मध्य रेलवे के साथ इसकी संसजकता, भौगोलिक नजदीकी और संचलनात्मक कार्यकुशलता के कारण मिलाने पर विचार करेंगे? इस डिविजन को दक्षिण-मध्य रेलवे में शीघ्रता से शामिल किया जाना है। यही मांग की जा रही है। क्या माननीय मंत्री इस मांग पर विचार करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मुझे भी अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह उसी प्रश्न की बात है?

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मुझे भी उसी विषय पर कहना है। कृपया मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए और तब माननीय मंत्री उन्हें मिलाकर उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह प्रक्रिया नहीं है।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: नहीं, नहीं, महोदय यह प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है और उसका उत्तर अलग से दिया जा सकता है। हमें दो उत्तर चाहिए।

श्री खारबेल स्वाइं: मैं भी वही प्रश्न पूछने वाला हूं। प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया था कि वाल्टेयर डिवीजन को ईस्ट-कॉस्ट रेलवे में शामिल किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री खारबेल स्वाइं: माननीय सदस्य यह कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा संकल्प पारित किया जाए कि यह मण्डल दक्षिण-मध्य रेलवे में शामिल किया जाये? रेलवे और केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया था कि वॉलटेयर डिवीजन ईस्ट-कास्ट रेलवे में आएगा ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: नहीं, महोदय। इसका अलग से उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, इसका पहले ही निर्णय ले लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: आप माननीय मंत्री को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, ऐसा किसी और की मांग पर नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय: श्री मूर्तिजी, यह क्या है? माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 7 नये जोन्स में ईस्टकोस्ट रेलवे भी एक जोन है लेकिन इसका ज्यूरिसडिक्शन अभी निर्धारित नहीं हो पाया है और जब उसका अंतिम निर्धारण किया जाएगा तो जो मतभेद हैं, उनको पाटने की कोशिश की जाएगी और सभी सम्बद्ध पक्षों के साथ चर्चा करके इस बारे में फिर कोई निर्णय होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: अध्यक्ष महोदय, यह तो मंत्री जी ने ...*(व्यवधान)* आप देखिए, उस समय भी यह डिक्लेअर हुआ था। ऐसा नहीं है कि इसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं हुआ था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम प्रश्न सं. 162 लेंगे। श्री सवशीभाई मकवाना प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री सवशीभाई मकवाना: अध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फर्नांडीज को मंत्री बनने का अधिकार नहीं है ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहता। ...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: महोदय, आपको इस मुद्दे पर निर्णय करना है। पिछले सप्ताह भी हमने यह प्रश्न पूछा था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मकवाना जी, क्या आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: वह अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: श्री मकवानाजी, क्या आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: नहीं, महोदय, वह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सवशीभाई मकवाना: महोदय, इन्होंने सारी जिन्दगी नैतिकता की बातें की हैं। इसलिए मुझे इनसे प्रश्न नहीं पूछना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मकवाना जी, चूंकि आप अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं इसलिए प्रश्न वापस लिया जाता है।

श्री कमलनाथ: महोदय, पिछली बैठक में आपने कहा था कि आप मामले पर फैसला लेंगे ...*(व्यवधान)* आपने इस बारे में पिछले एक सप्ताह से कुछ नहीं किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न पहले ही वापस ले लिया गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: महोदय, आपने हमारी सूचना का क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मंडल जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर आपका निर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान) *

श्री कमलनाथ: महोदय, पिछले सप्ताह आपने सभा को आश्वासन दिया था और हम आशा कर रहे थे कि आप इसे सरकार के साथ उठायेंगे *...(व्यवधान)* निर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही इस पर विचार कर रहा हूं। कृपया समझने का प्रयास करें।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: क्या आप सभा को आश्वासन दे रहे हैं कि आप इसे सरकार के साथ उठायेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर पहले ही विचार कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अन्य सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं।

श्री कमलनाथ: महोदय आप सभा में नियमों, आचारों तथा सदाचारों के अभिरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप कोई बात उठाना चाहते हैं तो आप 'शून्य काल' में उठा सकते हैं। कृपया अभी नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मंडल जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

तेल पूल खाते में रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

***163. श्री रामजीलाल सुमन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्यन से हमारे पेट्रोलियम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डालर की तुलना में रुपए की बढ़ी हुई कीमत का तेल पूल खाते के घाटे की धनराशि पर भी प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान रुपए के अवमूल्यन के कारण तेल पूल खाते का घाटा कितना बढ़ा है;

(ङ) 2001-2002 के दौरान इसके कितना बढ़ने की संभावना है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्यन से निम्न कारणों की वजह से हमारे पेट्रोलियम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा:

(1) कच्चे तेल की आयात लागत में वृद्धि

(2) परियोजना आयात की लागत में वृद्धि।

(3) तेल पूल खाता घाटे में वृद्धि जिससे खाते से तेल कम्पनियों की प्राप्य राशियों में वृद्धि होगी।

(4) तेल कम्पनियों की तरलता बनाए रखने के लिए उच्चतर जरूरतों के कारण उनके उधारों की लागत में वृद्धि।

(ग) जी, हां।

(घ) रुपए के अवमूल्यन के कारण तेल पूल घाटे में वृद्धि वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमशः लगभग 1,000 करोड़ रुपए और 3,300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) अप्रैल, 2001 से नवम्बर, 2001 की अवधि के दौरान रुपए के अवमूल्यन के कारण तेल पूल घाटे में वृद्धि लगभग 650 करोड़ रुपये है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण तेल पूल घाटे में वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय: कल सब लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन आज हाउस में क्या हो गया।

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, पैट्रोलियम मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 3,300 करोड़ रुपए डालर के मुकाबले रुपए के अवमूल्यन के कारण तेल पूल घाटे में वृद्धि हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थित प्रयास किए हैं? इसके साथ ही क्रूड आयल आयात में कितना मूल्य बढ़ा है और कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा योजना आयात में कितनी वृद्धि हुई है?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, सन् 2000-2001 में लगभग तेल पूल में 12.594 करोड़ रुपए का घाटा था और इसमें से एक्सचेंज वेरिएशन के कारण 3,300 रुपए का घाटा था। वर्ष आगे बढ़ा है। यदि आप प्रश्न के उत्तर के (ङ) भाग में देखेंगे, तो पायेंगे कि अप्रैल, 2001 से नवम्बर, 2001 यानि आठ महीने, एक्सचेंज रेट वेरिएशन के कारण केवल 650 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह माननीय सदस्य के ख्याल में आएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि तुलना में जो एक्सचेंज रेट वेरिएशन का जो रेट था, वह रेट अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2001 तक कम हुआ है। इसलिए इस साल का आयल पूल घाटा वेरिएशन रेट एक्सचेंज के कारण जो बदला है, वह 3,300 करोड़ रुपये से बदलकर, आठ महीने पहले, 650 करोड़ रुपए पर आ गया है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, डालर के मुकाबले रुपए के अवमूल्यन के कारण घाटा हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सरकार ने इस संभावना पर विचार किया कि हम डालर के बदले में रुपए में या सामग्री में भुगतान करें? मैं यह भी जानना चाहता हूं, क्या इस संबंध में किसी निर्यातक देश से विचार हुआ है, और अगर हुआ है, तो उसका क्या ब्यौरा है?

श्री राम नाईक: महोदय, तेल की जो अन्तरराष्ट्रीय मार्केट है, उसमें जो भी लेना-देना होता है, व्यापार होता है, वह केवल डालर के आधार पर ही होता है। बार्टर एक्सचेंज में ईराक के साथ अगेन्स्ट-फूड सीमित मात्रा में है। इसलिए यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल लेना है तो डालर में ही उसका भुगतान करना पड़ेगा और कोई दूसरा बार्टर के सिस्टम में नहीं हो सकता है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उनकी सरकार नियंत्रित मूल्य तंत्र को समाप्त करने पर विचार कर रही है? क्या उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने हमारे समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में तथ्यों का पता लगाया है?

श्री राम नाईक: 1997 में तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल, 2002 के पश्चात् नियंत्रित मूल्य तंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं और उस दिशा में कार्य करते हुए राजसहायता में भी परिवर्तन किया जाएगा। परन्तु हमने कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के हित में निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल, 2002 के पश्चात् भी मिट्टी-तेल पर 33 प्रतिशत तक राजसहायता और रसोई गैस, जो कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग द्वारा उपयोग की जाती है, पर 15 प्रतिशत तक राजसहायता रहेगी। यदि मैं आज उस 15 प्रतिशत को रुपयों में परिवर्तित करूं तो यह राशि लगभग 92 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। स्पष्ट रूप से यह एक बार में नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इसे इस प्रकार समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि निम्न मध्यम वर्ग और निर्धन वर्गों पर भारी बोझ न पड़े; जब हम बजट पेश करेंगे तब राशि के मामले में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में आयल प्राइसेस कम हुए हैं तो उसका लाभ आयल पुल एकाउंट को हुआ है। वह कितना हुआ है और उसका लाभ कॉमन कंज्यूमर को पास-ऑन करने की क्या सरकार की कोई योजना है? इसी के साथ में मेरा एक प्रश्न यह है कि जो प्राइस मेकेनिज्म की बात हुई, उसका पैट्रोल प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्रुड ऑयल के दाम काफी कम हुए हैं। एक समय पर 11 सितम्बर के अमेरिका के हमले के बाद 29 डालर प्रति बैरल तक गया था, उसके बाद कम होते-होते 17-18 डालर प्रति बैरल तक आया है। हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रुड ऑयल परचेज कर रहे हैं, उस समय हमें उसका लाभ हो रहा है और उसका लाभ देश को इस भूमिका में मिल रहा है कि हमारा जो ऑयल पुल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, वह अभी स्थिर हो गया है। पिछले मार्च में 12,900 करोड़ के लगभग डेफिसिट था, बीच में इतने दाम बढ़ने के बाद भी वह लगभग आठ महीने में वहीं पर ही स्थिर हैं। 12,000 करोड़ रुपए पर ही स्थिर हैं, इस दृष्टि से देश को लाभ हुआ है,

लेकिन जनता को इसका लाभ तब दे पाएंगे जब हमारा सारा ऑयल पुल एकाउंट डेफिसिट समाप्त होगा, उसके बाद देंगे। फिर एक अप्रैल के बाद निश्चित ही लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

डा. राम चन्द्र डोम: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार चालू वर्ष में तेल पूल खाते में घाटा पिछले आठ माह में 650 करोड़ रुपए है। मेरा अनुपूरक प्रश्न यही है। घाटा पूरा करने के लिए पिछले माह नियंत्रित मूल्य तंत्र के नाम पर बाजार से कितना धन एकत्र किया गया? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार का तेल पूल खाते के भविष्य के घाटे को पूरा करने के लिए कोई नियंत्रित मूल्य तंत्र बनाने का प्रस्ताव है?

श्री राम नाईक: संभवत: माननीय सदस्य ने 650 करोड़ रुपए की वस्तु को ठीक से नहीं समझा है। यह कुल जमा नहीं है। यह मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण तेल पूल घाटा है। इसलिए, स्थिति यह है। जैसा मैने पहले कहा है कि जब हम नियंत्रित मूल्य तंत्र को समाप्त करने के बारे में अंतिम निर्णय लेंगे तो हम सभी बातों पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

***165. श्री रामशकल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के निवेश और अतिरिक्त क्षमता के संबंध में कोई समीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) दिनांक 1.11.2001 के अनुसार कुल लगभग 42557.5 मेगावाट क्षमता की 80 ताप विद्युत परियोजनाएं और कुल लगभग 12940.65 मेगावाट क्षमता की 47 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

इस समय कुल 9133.4 मेगावाट क्षमता के लिए 23 ताप विद्युत परियोजनाएं और 12665.6 मेगावाट क्षमता के लिए 43 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके ब्यौरे क्रमश: अनुबंध-I और II में दिए गए हैं।

भारत सरकार सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति के जरिए निर्माणाधीन परियोजनाओं की मॉनटरिंग कर रही है। निजी क्षेत्र परियोजना के लिए सरकार ने संकट समाधान दल (सीआरपी) का गठन किया है ताकि अंतिम दौर में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। विद्युत मंत्री सीआरजी की अध्यक्षता करते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अन्य मूल्यांकन एजेंसियों के परामर्श से निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में संशोधित लागत अनुमानों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है।

अनुबंध I

देश में क्रियान्वयनाधीन स्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाएं (1.11.2001 के अनुसार)

परियोजना का नाम, क्रियान्वयक एजेंसी, क्षेत्र और राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	के दौरान क्षमता अभिवृद्धि समकालित		परियोजना करने की संभावित तिथि	ईंधन स्थिति	अनुमानित	लागत
			9वीं योजना के दौरान शेष अवधि	10वीं योजना				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
परियोजना जहां निर्माण कार्य चालू हो गया है								
केन्द्रीय क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश रामागुण्डम टीपीएस-3	यूनिट-7	500	-	500	8/2005	22.8.2001 मुख्य संयंत्र टन की	कोयला	1078-394डी करोड़ रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(एनटीपीसी)						पैकेज के लिए आदेश जारी यू-1 9/2001 में टरबो जनरेटर को बॉक्स अप किया गया।		+164.93 मिलियन अमरीकी डालर 227806 लाख+433.95 अमरीकी डॉलर
सिम्हाद्री टीपीएस(एनटीपीसी)	यूनिट-1	500	500	-	मार्च, 2002			
	यूनिट-2	500	-	500	12/2002			
उड़ीसा	यूनिट-3	500	-	500	11/2003	यू-3 टीजी	कोयला	664883 लाख
तालचेर एसटीपीपी-2	यूनिट-4	500		500		उत्थापन 3/2001		रुपये
(एनटीपीसी)	यूनिट-5	500		500		में शुरू		
	यूनिट-6	500		500	8/2004 5/2005 2/2006	यू-47/2001 में बॉयलर ड्रम उठाया गया। यू-5 8/2001 में बॉयलर उत्थापन शुरू		
तमिलनाडु नैवेली प्रथम विस्तार (एनएलसी)	यूनिट-1 यूनिट-2	210 210	-	210 210	3/2002 8/2002	यू-1 बॉयलर हाइड्रोलिक जांच पूरी। बॉयलर लाइट अप 1/2002 में प्रत्याशित यू-2 12/2001 में कंडेसर उत्थापन प्रत्याशित।	कोयला	1590.58 करोड़ रुपये (3/95 के मूल्य स्तर पर)
उत्तर प्रदेश रिहंद चरण-2 (एनटीपीसी)	यूनिट-3 यूनिट-4	500 500	- -	500 500	8/2005 5/2006	मुख्य संयंत्र के लिए 14.8.2001 को भेल को आदेश जारी	कोयला	433.91 मिलियन अमरीकी डॉलर+220843 लाख रुपए
उपजोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र)	4920-0	710-0	4210.0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली प्रगति सीसीजीटी(डीवीबी)	जीटी-1	104.6	104.6	–	1/2002	जीटी-1 गैस टरबाइन एवं जेनरेटर का समामेलन प्रगति पर है। जीटी-2 गैस टरबाइन भेल में भेज दिया गया है। एसटी—नींव संबंधी काम पूरा।	एनजी/नेप्था	
	जीटी-2	104.6	–	104.6	4/2002			59-888 मिलियन अमरीकी डॉलर+819.30 करोड़ रुपये
	एसटी	121.18	–	11/2002				
गुजरात अकरीमोटा (जीएमडीसीएल)	यूनिट-1	125	–	125	3/2003	यू-1 बॉयलर ड्रम उठाया गया यू-2 नींव संबंधी सभी काम पूरे	लिग्नाइट	47.914 अमरीकी डालर+47.929 डीएम+102215.8 लाख रुपये
	यूनिट-2	125	–	125	9/2003			
हजीरा सीसीपीपी (जीएसइजीएल)	एसटी	52.1	52.1	–	2/2002	10/2001 में गैस टरबाइन यूनिटें स्थापित की गयीं। स्टीम टरबाइन 2/2002 तक स्थापित होने का अनुमान है।	प्राकृतिक गैस/एचएसडी	3.6 मिलियन अमरीकी डॉलर+73.48 सीएचएफ+31005 लाख रुपये (अनुमानित लागत)
कर्नाटक रायचूर टीपीएस (केपीसीएल)	यूनिट-7	210	–	210	4/2003	बॉयलर ड्रम उठाया गया	कोयला	61300 लाख रुपये (अनुमानित लागत)
मणिपुर लीमाखोंग डीजी (मणिपुर सरकार)	डीजी-1	6	6	–	12/2001	यूनिटें स्थापन की उन्नत अवस्था में हैं। ईंधन तेल साइट पर लाया जा रहा है।	हैवी फ्यूल	11355 लाख रुपये
	डीजी-2	6	6	–	12/2001			
	डीजी-3	6	6	–	12/2001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	डीजी-4	6	6	-	12/2001			
	डीजी-5	6	6	-	1/2001			
	डीजी-6	6	6	-	1/2001			
राजस्थान रामगढ़ सीसीजीटी चरण-2 (आरआरयूवीएनएल)	जीटी-2	37.5	-	37.5	11/2002	मुख्य संयंत्र व उपकरणों के लिए उपकरणों के लिए भेल को आदेश दिया गया। गैस टरबाइन का उत्थापन प्रगति पर है।	प्राकृतिक गैस	30010 लाख रुपये (अनुमानित) रुपये (अनुमानित लागत
	एसटी	37.825	-	37.825	5/2003			
सूरतगढ़ टीपीपी चरण-2 (आरआरयूवीएनएल)	यूनिट-4	250	-	250	5/2002	यूनिट-2 माह में स्थापित हो जाने की संभावना है।	कोयला	205762 लाख रु.
सूरतगढ़ टीपीपी चरण-3 (आरआरयूवीएनएल)	यूनिट-5	250	-	250	11/2003	मुख्य संयंत्र एवं उपस्करों के लिए भेल को आदेश दिया गया सिविल कार्य प्रगति पर	कोयला	75273.8 लाख रुपये
तमिलनाडु वलथूर (पेरूंगलम) सीसीजीटी (टीएनईबी)	जीटी+एसटी	95	-	95	6/2002	गैस टरबाइन 8/2001 को उत्थापित होगी डब्ल्यूएचआरबी में ड्रम उत्थापन 12/2000 तक संभव	प्राकृतिक गैस	35000 लाख रुपये
त्रिपुरा बारामूरा जीटी (विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार)	जीटी	21	-	21	9/2002	मुख्य संयंत्र हेतु भेल को आदेश जारी अन्य निर्माण कामों को अंतिम रूप दिया जाना है	प्राकृतिक गैस	9536 लाख रु.
राखिया जीटी विस्तार चरण-2 (त्रिपुरा सरकार)	जीटी-7	21	21	-	2/2002	गैस टरबाइन तथा जेनरेटर	गैस	8517 लाख रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						साइट पर उपलब्ध है। उत्थापन शुरू होना है।		
उप जोड़ (राज्य क्षेत्र)	1590.8	213.7	1377.1					
निजी क्षेत्र								
अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह बम्बूफ्लैट डीजी (सूर्यचक्र पावर)	डीजी-1	5	5	-	मार्च, 2002	सभी 4 इंजनों व वैकल्पिक उपकरणों को जोड़ दिया गया है। उपकरण भी पूरा होने को है।	एचएसडी	6314 लाख रुपये
	डीजी-2	5	5	-	मार्च, 2002			
	डीजी-3	5	5	-	मार्च, 2002			
	डीजी-4	5	5	-	मार्च, 2002			
आंध्र प्रदेश पेद्दापुरम सीसीजीटी (बीएसइएस आंध्र पावर लि.)	जीटी	142	142	-	11/2001	गैस टरबाइन का उत्थापन पूरा स्टीम टरबाइन का उत्थापन प्रगति पर	नेप्था/एनजी	
	एसटी	78	78	-	2/2002 वित्तीय समापन से 33 माह (सीओडी)	टीजी बिल्डिंग, बॉयलर बंकर तथा चिमनी के लिए नींव काम पूरा हो गया है। विवादित क्षेत्रों का समाधान न होने के कारण साइट पर काम रुक गया है।	कोयला	1228.92 करोड़ रुपये+326.8 मिलियन अमरीकी डॉलर (अनुमानित पूरा होने की लागत)
रामागुण्डम टीपीपी (बीपीएल पावर प्रोजेक्ट)	यूनिट-1	260	-	260	वित्तीय समापन से 39 माह (सीओडी)			
कर्नाटक तनीरबावी सीसीजीटी (तनीरबावी पावर कंपनी)	एसटी	50	50	-	11/2001	क्षमता टैस्ट पूरा 12/2001 तक चालू होने की संभावना।	नेप्था	
महाराष्ट्र डाभोल सीसीजीटी-2	ब्लॉक-1	722	-	722	अनिश्चित	एमएसइबी तथा डाभोल पावर कंपनी		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(डाभोल पावर कंपनी)						के बीच विवाद के कारण परियोजना की स्थापना अनिश्चय की स्थिति में।		
	ब्लॉक-2	722	-	722	अनिश्चित			
मध्य प्रदेश रतलाम डीजी (जीवीके पावर लि.)	डीजी	118.632	-	118.632	वित्तीय समापन प्रभावी होने की तिथि से 14/17 माह	आरंभिक सिविल काम आरंभ हो गए हैं किन्तु एमपीइबी द्वारा एसबीआइ को स्थायी अनुदेशों के अभाव में काम रुक गया है।	एलएसएचएस/ फर्नेस आयल	73.88 मिलियन अमरीकी डॉलर+16316.2 लाख रुपये (अनुमानित पूरा होने की लागत)
तमिलनाडु नैवेली जीरो टीपीएस (एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी)	यूनिट-1	250	-	250	8/2001	11/2001 में हाइड्रोलिक टैस्ट प्रत्याशित	लिग्नाइट	1325.11 करोड़ रुपये
उप जोड़ (निजी क्षेत्र)	2622.6	290.0	2332.6					
कुल	9133.4	1213.7	7919.7					

अनुबंध II

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति (1.11.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम/ संस्थापित क्षमता (मे.वा.) मंजूरी की तारीख	लागत (रु. करोड़ में) अद्यतन	आरंभन समय-सीमा अद्यतन	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	नाथपा झाकड़ी (एनजेपीसी) एच.पी./6 × 250 5.4.89	7666.31	2003-04	60.43% कंक्रीटिंग पूरा। एच आर टी हैंडिंग उत्खनन पूरा एवं 98% बेंचिंग उत्खनन पूरा। 41% इन्वर्ट एवं 60% ओवर्ट कंक्रीटिंग पूर्ण। यूनिट-1 से 6 तक के टी जी उपस्करों का उत्थापन विभिन्न चरणों में हैं। जी आई एस-1 एवं 2 का उत्थापन कार्य प्रगति पर है तथा 16 जेनरेटर ट्रांसफार्मरों में तेल भरने के बाद इनका उत्थापन एवं ड्राई-आऊट।

1	2	3	4	5
2.	दुलहस्ती (एनएचपीसी) जम्मू व कश्मीर 3×130 12.7.89 (द्विपक्षीय)	3559.77	2003-04	विपथन सुरंग पूरा। बांध एवं पीएच का उत्खनन एवं कंक्रीटिंग पूरा। डिसिल्टिंग बेसिन, एचआरटी एवं टेल रेस सुरंग के कार्य प्रगति पर हैं तथा यू/एसएचआरटी में 70% उत्खनन पूरा। 130 टी क्षमता के ई ओ टी क्रेन का उत्थापन पूरा। प्रेशर शॉफ्ट, विस्तार गेलरी, सर्ज टैंक एवं ड्राफ्ट ट्यूब का उत्खनन पूरा। जल विद्युत-यांत्रिकी उपस्कर का 79.14% उत्थापन एवं 99.59% आपूर्ति कर दिया गया है।
3.	चमेरा चरण-2 (एनएचपीसी) एचपी/3 × 100 18.5.99	1684.02	2004-05	एचआरटी के एडिट-1 और 2 का उत्खनन पूरा। एचआरटी का 97% तथा टीआरटी का 91% खनन पूरा।
4.	तीस्ता चरण-5 (एनएचपीसी) सिक्किम/3 × 170 11.2.2000	2198.04	2006-07	दोनों विपथन सुरंग पूरे कर लिए गए हैं। बांध के विभिन्न एडिट, एच आर टी एवं विद्युत गृह उत्खनन के अधीन हैं।
5.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी) उ.प्र./4 × 250 2.6.72 (4×250 मे.वा.) पीआईबी-23.01.92 सीसीईए 15.3.94	5690.64	2002-03	जनरेटर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति, 375/75 टी के दो ई ओ टी क्रेन का उत्थापन। यूनिट-4 के लिए स्पाइरल केसिंग का उत्थापन प्रगति पर है तथा यूनिट-3 के ड्राफ्ट ट्यूब एलबोलाइनर का उत्थापन कार्य चल रहा है।
6.	कोटेश्वर बांध एवं विद्युत परियोजना (टीएचडीसी) उ.प्र./4 × 10 10.4.2000	1301.56 (आईडीसी समेत)	2005-06	10.4.2000 को सरकारी मंजूरी दी गई। बुनियादी कार्य प्रगति पर है तथा विपथन सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है। सिविल/जल यांत्रिकी एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य के लिए पूर्व अर्हता निविदा आमंत्रित की गई हैं और ये जांचाधीन हैं।
7.	धौलीगंगा-(एनएचपीसी) उ.प्र./4 × 70 8.4.91	1578.31	2004-05	वन एवं रक्षा भूमि प्राप्त। गैर-सरकारी भूमि प्राप्ति के अधीन है। सभी बड़े कार्य सौंप दिए गए हैं तथा नदी को 21.4.2001 को विपथन सुरंग के माध्यम से विभाजित कर दिया गया है। 54% स्पिल वे उत्खनन पूरा। 37.20% यू/एस (लोट-1)। 14.49 (लोट-2), 28.69% डी/एस (लोट-3) तथा 47.42% डी/एच एच आर टी का एस एस उत्खनन पूरा। 15.21% टेल रेस उत्खनन पूरा।

1	2	3	4	5
8.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी) म.प्र./8 × 125 6.9.89 (एनएचडीसी-51% की संयुक्त क्षेत्र परियोजना	3381.32	2003-06	परियोजना को म.प्र. सरकार एवं एन एच पी सी के एक संयुक्त उद्यम नामशः नर्मदा जल विद्युत विकास निगम द्वारा 1.9.2001 से क्रियान्वित किया जा रहा है।
9.	लोकतक डी/एस (एनएचपीसी) मणिपुर/3 × 30 30.12.99	578.62 (आईडी सी समेत)	2006-07	परियोजना की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास प्रगति पर है। जब तक राज्य सरकार आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती है तब तक कार्य स्थल पर वांछित प्रगति संभव नहीं है। मणिपुर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुसरण में मणिपुर सरकार ने भूमि/फसल हेतु क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन के लिए एक संयुक्त जांच टीम गठित की है जिसमें एनेचपीसी का एक सदस्य भी शामिल है।
10.	रंगानदी (नीपको) एआरपी/3 × 135 4/87 अप्रैल 87 (सीसीईए)	1446.09 (आईडी सी समेत)	2001-02	विपथन सुरंग, बांध, एचआरटी, सर्ज शाफ्ट समेत स्टिल लाइनर पूरा। सिविल कार्य प्रगति पर है तथा यूनिट उत्थापन कार्य चल रहे हैं। स्विचयार्ड में उपस्कर की आपूर्ति एवं उत्थापन प्रगति पर हैं।
11.	तुइरियल (नीपको) मिजोरम/2 × 30 7.7.98 (सीसीईए)	448.19	2005-07	पूर्व निर्माण कार्य, बुनियादी कार्य एवं 132 केवीएससी पारेषण लाइन का निर्माण प्रगति पर है।
12.	कोपिली चरण-2 (नीपको) असम/1 × 25 6.7.99 (सीसीइए)	76.09	2003-04	पूर्व निर्माण एवं बुनियादी कार्य शुरू किए जा रहे हैं तथा पैकेज 1 और 2 आदेश के अंतर्गत कार्य प्रगति पर हैं। पैकेज 3, टी जी सैट के लिए भेल को तथा 100/25 टी इ ओ टी क्रेन का आदेश मै. डब्ल्यु एम आई को, मुंबई को दिए गए हैं। आपूर्ति प्रगति पर है तथा पैकेज 3 के लिए निविदाएं तैयार की जा रही हैं।
राज्य क्षेत्र				
उत्तरी क्षेत्र				
13.	डब्ल्युआईसी-2 हरियाणा/2 × 7.2 4.2.2000 (राज्य सरकार)	94.00	10वीं योजना	स्कीम को के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया पर यमुना नदी के जल विभाजन संबंधी अन्तरराज्यीय

1	2	3	4	5
				विवाद के कारण परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। जहां उक्त विवाद का समाधान 12.5.1994 को किया गया। राज्य सरकार ने उक्त स्कीम को 4.2.2000 को मंजूरी दी। हाथिनीकुंड बांध का कार्य पूरा। पी एफ सी ने एच पी जी सी एल को 56 करोड़ रु. का ऋण मंजूर किया है और सिविल कार्य प्रगति पर हैं। सिल्ट इजेक्टर का उत्खनन पूरा तथा लीन कंक्रीटिंग कार्य सम्पन्न।
14.	लारजी एचपी/3 × 42 14.1.2000 (केविप्रा)	796.98	2003-05	एचपीएसईबी ने इस स्कीम में कुछ परिवर्तन की गुंजाइश का प्रस्ताव किया था और मार्च, 1999 में के.वि.प्रा. के समक्ष संशोधित डी पी आर प्रस्तुत किया गया। के.वि.प्रा. द्वारा 14.1.2000 को पुनः टी ई सी प्रदान की गई है। विपथन सुरंग का उत्खनन पूरा।
15.	ऊपरी सिंध विस्तार जम्मू एवं कश्मीर/1 × 35 26.6.89	42.27	2001-02	पेनस्टॉक के निर्माण एवं उत्थापन का स्थगन आदेश वापस ले लिया गया है और मै. टी एस एल को कार्य सौंपा गया है। जेनरेटर बैरेल की कंक्रीटिंग हो गई है तथा रोटर को सर्विस बे में इकट्ठा कर लिया गया है और यह लोअरिंग के लिए तैयार है। स्टेटर की एसेम्बली प्रगति पर है।
16.	सेवा चरण-3 जम्मू व कश्मीर/3 × 3 (राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत)	60.00	2001-02	सिविल कार्य लगभग पूरे। 16 जून को पी एच जलमग्न हो गया था जिससे ई एंड एम उपस्कर भी डूब गए थे।
17.	लखवर व्यासी उत्तरांचल/3 × 100 + 2 × 60 जनवरी, 1976 परियोजना का कार्य स्थगित है।	1446.00	2004-06	वर्तमान में वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य स्थगित है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच परियोजना को एन एच पी सी एवं यू पी जे वी एन एल द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में पूरा करने के लिए 25.2.2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है तथा सिविल कार्य प्रगति पर हैं।
18.	मनेरी भाली-2 उत्तरांचल 4 × 76 21.2.2000 (टीइसी) परियोजना का कार्य स्थगित है।	1249.18	2003-05	वर्तमान में निधि की समस्या के कारण कार्य लंबित है।

1	2	3	4	5
पश्चिम क्षेत्र				
19.	सरदार सरोवर गुजरात/म.प्र./महाराष्ट्र (6 × 200 + 5 × 50) (गुजरात/म.प्र./महाराष्ट्र का 16:57:27 के अनुपात में संयुक्त परियोजना) 5.10.88	3267.25	10वीं योजना	स्पिलवे ब्लॉक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मुख्य बांध के निर्माण पर उच्चतम न्यायालय की रोक। मुख्य बांध का 82.27% कंक्रीटिंग पूरा। यूनिट-1 और 2 के लिए टी जी सैट की आपूर्ति पूरी और यूनिट-3 टरबाइन घटकों जैसे रनर, शाफ्ट एवं हैड कवर स्थल पर सुमितोमो कारपोरेशन, जापान से प्राप्त। दिसम्बर, 1999 में टी जी सैट के उत्थापन के लिए मै. पी इ एस इंजीनियरी, हैदराबाद को आदेश दिया गया। यूनिट-1 और 2 के अमबैडेड पाइपिंग लोअर ड्राफ्ट ट्यूब का उत्थापन पूरा और दूसरे चरण की कंक्रीटिंग प्रगति पर है।
20.	बनसागर टोन्स, 2 और 3 (म.प्र.) 2×15 + 3 × 20	301.17 / पीएच-1 समेत 966.81 पीएच-1 समेत	1989-91 / पीएच-2 2002-03 पीएच-3 2000-02	बनसागर बांध को क्रेस्ट स्तर तक पूरा कर लिया गया है। सामान्य जल संचालक का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। पीएच-2—पी एच का सिविल कार्य प्रगति पर है। पीएच-3—सिविल कार्य लगभग पूरा होने वाला है। यूनिट-1 और 2 को क्रमशः 18.7.2001 एवं 25.8.2001 को चालू कर दिया गया। यूनिट-3—स्टेटर एसेम्बली लगभग पूरा तथा रोटर एसेम्बली का कार्य जारी है।
21.	बनसागर टोन्स पीएच-4 म.प्र./2 × 10 31.7.92	84.97	2002-03	झीनना हैड रेगुलेटर के कार्य समाप्त। पीएच सिविल कार्य एवं पैनस्टोक के निर्माण एवं उत्थापन हेतु आदेश जारी तथा शैलों का निर्माण शुरू। पीएच पिट एवं टी आर सी का उत्खनन लगभग पूरा तथा शेष कार्य को बनसागर बांध की ऊंचाई में वृद्धि करने के साथ शुरू किया जाएगा (टी बी एल 347 मीटर)

1	2	3	4	5
22.	माड़ीखेड़ा, म.प्र. 2×20+1×20 11.5.2001	177.38	2004-05	राज्य सरकार ने 11.5.2001 को परियोजना को मंजूरी दे दी है तथा इसके आधारिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
23.	घाटघर पीएसएस महाराष्ट्र/2 × 125 11.8.92	830.00	2005-06	टी आर टी का संपर्क सुरंग, संपर्क सुरंग, लिंक सुरंग, जांच सुरंग, एडिट का निर्माण, मशीन हाल एवं ट्रांसफार्मर हाल का केन्द्रीय ड्रिफ्ट कार्य पूरा। टी आर टी का उत्खनन पूरा और तेल सर्ज की उत्खनन प्रगति पर है। ऊपरी इन्टेक संरचना का सिविल कार्य, पावर हाऊस का प्रेशर शाफ्ट मै. पटेल इंजीनियरिंग और पीइएस (संयुक्त उद्यम) 6.6.2000 को सौंपा गया। प्रेशर शाफ्ट का उत्खनन प्रगति पर है।
दक्षिणी क्षेत्र				
24.	श्रीसेलम एलबीपीएच एपी/6 × 150 1.9.86	2482.00	2000-03	यूनिट-1 : 30.3.2001 को शुरू कर 24.4.2001 को चालू किया गया। यूनिट-2: 29.10.2001 को चालू किया गया। यूनिट-3 : स्पाइरल सेगमेंट की एसेम्बली एवं वेलडिंग पूरा तथा स्पाइरल की हाइड्रोलिक जांच 5.10.2001 को तय है और इसे 9.10.2001 को कंक्रीटिंग के लिए जारी किया जाएगा। यूनिट-4 : लोअर डी/टी लाइनर की एसेम्बली एवं वेलडिंग पूर्ण एवं यह कंक्रीटिंग के लिए जारी यूनिट-5 व 6: पीअर नोज लाइनर का उत्थापन पूरा, कंक्रीटिंग प्रगति पर है तथा इनलेट वाल्व स्थापित कर दिए गए हैं।
25.	शरावती टी आर कर्नाटक (4×60 मे.वा.) 6.5.87	420.00	2000-02	यूनिट-1 20.2.2001 को चालू। यूनिट-2 15.5.2001 को चालू। यूनिट-3 को 25.10.2001 को चालू किया जाना था और इसका आरंभन प्रगति पर है। यूनिट-4-सामान्य बैरल की कंक्रीटिंग प्रगति पर है। स्टेटर सेगमेंट को सर्विस बे में भेजा जा रहा है।

1	2	3	4	5
26.	मलंकारा (मोवाथुपुजा) केरल/3 × 3.5 अगस्त, 1986 (1×6 मे.वा. के लिए)	41.57	2002-03	बांध पी डब्ल्यु डी द्वारा निर्मित। पी एच का आंशिक उत्खनन पूरा। भारी वर्षा के कारण रिंग बैंड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इससे पूरा पावर हाउस पिट जलमग्न हो गया है। पानी निकलने के बाद ही अर्थ मैट एवं अन्य क्षति को आंका जा सकता है। 20.7.2001 को टावर क्रेन का उत्थापन पूरा। 3 मुख्य इनलेट वाल्व स्पेयर्स के साथ स्थल पर प्राप्त। शेष मदों की आपूर्ति जारी है।
27.	कुटियाडी टेल रेस केरल/3 × 1.25 (मेवा) मई, 1989 2×1.25 मे.वा. के लिए	12.92	10वीं योजना	चैनल एवं संबद्ध कार्य पूरे। 4 बे, पी एच एवं पैनस्टॉक के कार्य प्रगति पर हैं और 5.9% प्रगति प्राप्त।
28.	पिकारा अल्टीमेट तमिलनाडु/3 × 50 मे.वा. 1.8.88	373.06	10वीं योजना	गेट शाफ्ट, एचआरटी, सर्ज शाफ्ट पूरे, पी एच एवं प्रेशर शाफ्ट कार्य प्रगति पर हैं। टी आर टी पूरा और 96% लाइनिंग पूरा। जनरेटर ट्रांसफार्मर एवं 220 केवी केबल के लिए आदेश जारी। इ ओ टी क्रेन स्थल पर प्राप्त तीन यूनिटों के लिए टीजी उपस्कर प्राप्त।
पूर्वी क्षेत्र				
29.	चांडिल झारखंड/2 × 4 14.4.87	32.49	2001-02	बांध पूरा तथा 13 रेडियल गेट में से 8 का उत्थापन पूरा। पी एच बिल्डिंग लगभग पूरा और पेन स्टॉक के लिए निर्माण एवं उत्थापन पूरा। इस्कोप चैनल एवं क्रास एंड हैड रेगुलेटर गेट का उत्थापन प्रगति पर है।
30.	नार्थ कोयल झारखंड/2 × 12 10.3.84 परियोजना का कार्य स्थगित है।	47.34	10वीं योजना	वर्तमान में अगस्त, 1997 से कानून व्यवस्था समस्या एवं संविदात्मक समस्या के कारण एन पी सी सी द्वारा सिविल कार्य स्थगित कर दिया गया। बांध का क्रेस्ट स्तर तक राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा कार्य पूरा।

1	2	3	4	5
31.	पोटेरू उड़ीसा/1×3+1×3 30.7.84	18.83	2001-02	इनटेक कार्य पूरे। पावर एवं टी आर चैनल का पावर हाऊस 1 और 2 के लिए 70%, 75% एवं 65%, 30% पूरे। लेबीरिन्थ वर्क क्रास ड्रेनेज कार्य 40%, 40% एवं 90%, 100% पीएच 1 और 2 के संबंध में पूरे। दोनों पावर हाऊस के सिविल कार्य पूरे। पीएच-1 और 2 के लिए पेनस्टॉक का उत्थापन पूरा। कानून व्यवस्था समस्या एवं संविदा की असफलता के कारण लेबीरिन्थ वेयर, एच आर सी/टी आर सी तथा क्रास ड्रेनेज के कार्य लंबित हैं।
32.	बालीमेला डैम टी एस उड़ीसा/2 × 30 26.2.77 परियोजना का कार्य स्थगित है।	69.301	10वीं योजना	उड़ीसा सरकार की आपत्ति के कारण पी एच का खखन नवम्बर, 84 से स्थगित। अब आ.प्र. एवं उड़ीसा सरकार ने परियोजना का क्रियान्वयन आइ पी पी के रूप में ओ पी सी एल द्वारा कराने का निर्णय लिया है।
33.	पुरुलिया पीएसएस प. बंगाल/4 × 225 9.2.94	3188.90	2004-06	ओ इ सी एफ ऋण समझौता पर मार्च, 95 में हस्ताक्षर तथा बुनियादी कार्य प्रगति पर है। तकनीकी वाणिज्यिक मूल्यांकन पूरा। जल यांत्रिकी उपस्कर के मूल्य भाग का मूल्यांकन पूरा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
34.	करबी लांगपी (लोअर बोरपनी) असम/2 × 50 मे.वा. 24.9.79	267.27	2003-04	बांध के लिए 85.8% उत्खनन, 19.4% कंक्रीटिंग एवं 97% स्लैश स्वीकृति पूरा। संयुक्त क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के कारण संविदा को रद्द कर दिया गया और असम सरकार ने जनवरी 1999 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार परियोजना को क्रियान्वयन हेतु ए एस इ बी को सौंप दिया परिसंपत्तियों की इनवेंटरी तैयार। शेष कार्यों को अभी शुरू नहीं किया गया है तथा निधियों की व्यवस्था के लिए एएफ सी से वार्ता जारी।

1	2	3	4	5
35.	धनसिरी असम/5 × 3 × 1.33 6.2.85 परियोजना का कार्य स्थगित है।	70.00	2002-03	सिंचाई परियोजना बांध के लिए मुख्य कार्य पूरे असंतोषजनक नकद प्रवाह एवं कानून व्यवस्था समस्या के कारण कार्य अप्रैल, 1996 से स्थगित हैं।
36.	लीकिम-रो नागालैंड/3×8 18.10.89	215.88	2001-02	सिविल कार्य पूरे। यूनिट 1 और 2 12.9.2001 से शुरू किए गए। यूनिट 3 के स्टेटर एवं पी जी को उत्थापन स्थान पर निर्धारित कर दिया गया। रोटर का उत्थापन प्रगति पर है।
निजी क्षेत्र				
37.	बसपा चरण-2 हिमाचल प्रदेश/3×100 29.4.94 (के.वि.प्रा. स्वीकृति) 16.1.98 (टीइसी पुन: मान्य)	949.23	2003-04	बुनियादी एवं सिविल कार्य पूरे। परियोजना के कार्य जो 31 जुलाई/1 अगस्त, 2000 को सतलुज नदी में आई बाढ़ के कारण बंद हो गए थे, 4/2001 से पुन: आरंभ हो गए हैं और जोरों पर हैं। परियोजना को 2003-04 में चालू करने की आशा है।
38.	धामवाड़ी निसुन्डा/हि.प्र./2×35/ 6.7.2001 (टीइसी)	अमेरिकी 10.91 एम+ 393.04 करोड़ डालर	2006-07	हि.प्र. सरकार ने मै. हरजा इंजीनियरिंग कंपनी, अमेरिका के साथ 17.10.96 को आई ए पर हस्ताक्षर किया। बाद में क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसी का नाम बदलकर मै. धामवाड़ी कंपनी लि. रखने का प्रस्ताव हुआ। एफ सी आई प्रतीक्षित। वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है।
39.	नियोगल हि.प्र./2 × 7.5/ 25.10.99 (टीइसी)	91.25	वित्तीय समापन से 54 महीने	एचपीएसईबी द्वारा इस स्कीम को टीईसी 25.10.99 को मै. ओम पावर कंपनी लि., दिल्ली के पक्ष में 6174 लाख रु. की अनुमानित लागत पर प्रदान किया गया। वन स्वीकृति प्राप्त एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित।
40.	विष्णुप्रयाग उत्तरांचल/4 × 100 30.6.97 (टीइसी)	1614.66	10वीं योजना	बुनियादी कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
41.	श्रीनगर उत्तरांचल/4×82.5 14.6.2000 परियोजना का कार्य स्थगित है।	1699.12	2005-06	28.8.92 को विश्व बैंक ऋण रद्द। उ.प्र. सरकार द्वारा मै. डंकन एग्रो के साथ निजी क्षेत्र में इसके क्रियान्वयन के लिए 27.8.94 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। के.वि.प्रा. द्वारा मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि. व 14.6.2000 को टी इ सी प्रदान की गई।
42.	महेश्वर म.प्र./10 × 40 30.12.96 (टीइसी)	1673.00	2003-05	सिविल कार्य मै. सदर्न इंजीनियरिंग वर्क्स लि., हैदराबाद को सौंपे गए। डैम, पी एच, टी आर टी आदि के उत्खनन जारी हैं। बुनियादी सुविधा पहले से उपलब्ध हैं तथा भू अधिग्रहण एवं आर एंड आर कार्य चल रहे हैं।
43.	बुथाथानकेतु केरल/4 × 4 परियोजना का कार्य स्थगित है।	47.26	10वीं योजना	परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मै. मैटलर्जिक लि. के साथ 12/94 में समझौता। सिंचाई विभाग से भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण सिविल कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया।

[हिन्दी]

श्री रामशकल: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि इस समय कुल 9133.4 मेगावाट क्षमता के लिए 23 ताप विद्युत परियोजनाएं और 12665.6 मेगावाट क्षमता के लिए 43 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं के निर्माण में जो जमीन हमारे काश्तकारों या किसानों से ली गयी थी क्या उसका मुआवजा दिया जा चुका है, तथा क्या उनके प्रत्येक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की उनकी कोई योजना है?

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष जी, जो हमारी पुनर्वास और पुनर्निर्माण की नीति है उसके तहत वहां के रहने वाले लोगों की जब जमीन ली जाती है तो उसका मुआवजा भी उन्हें दिया जाता है और साथ ही यदि संभव हो कि उनको नौकरी में सम्मिलित किया जाए तो वह भी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां यह कहना संभव नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य ने अपने सवाल में तो इस बारे में पूछा नहीं था कि क्या उनको नौकरी दी गयी या कितना मुआवजा दिया गया। इसके बारे में कोई जानकारी आपने अपने प्रश्न में नहीं चाही थी। अगर आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिस दिया जा सकता है।

श्री रामशकल: अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय क्षेत्र में एनटीपीसी और यूपीएसईबी की तमाम योजनाएं प्रस्तावित हैं। लेकिन जिन गांवों को उजाड़ दिया गया है उनका उचित मुआवजा नहीं दिया गया है और प्रत्येक परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी भी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वहां के लोग सड़क पर आ गये हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में चाहे वह एनटीपीसी, शक्ति नगर हो या रिहन्द थर्मल पावर हो, जितनी जमीन एक्वायर कराई गयी थी मैं चाहूंगा कि उसका पुनः सर्वे कराकर जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है उनको मुआवजा दिलाया जाए और प्रत्येक परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दिलाने का कष्ट करें।

श्री सुरेश प्रभु: अध्यक्ष जी, यह जो सवाल पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि किन परियोजनाओं की आज देश में

कार्यान्वित होने की संभावना है। इसमें यह तो नहीं पूछा गया कि किस तरह से मुआवजा दिया गया और किस परिवार को नौकरी दी गयी। इसलिए उसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि यह मूल सवाल में नहीं था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस बारे में मंत्री को पत्र लिख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु: जिन परियोजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी चाही है वे परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उनको पूरा हुए काफी साल गुजर चुके हैं। ये नयी परियोजनाएं नहीं हैं। ये परियोजनाएं कम से कम दस वर्ष पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आप अगर अलग से कोई जानकारी चाहते हैं तो पत्र लिखकर पूछ लीजिएगा, मैं जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि नवी नगर सुपर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना जो बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित होनी थी, का क्या हुआ? विशेषकर बिहार के विभाजन के पश्चात हमारे बिहार में कोई परियोजनाएं नहीं रह गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये निकट भविष्य में कब प्रारम्भ की जाएंगी?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, सामान्यतया राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किसी विशेष ताप संयंत्र के स्थान के चयन का निर्णय विभिन्न मानदण्डों पर विचार करके किया जाता है जिनमें कोयले की उपलब्धता, बाजार में इसकी पहुंच, भार का केन्द्र की स्थिति और टैरिफ तथा विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत को खरीदने की संबंधित राज्य सरकारों की योग्यता शामिल हैं। इसके आधार पर एन टी पी सी अगली पंचवर्षीय योजनाओं हेतु सामरिक संदर्शी योजना तैयार करती है।

महोदय, मुझे याद है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह विशेष योजना नहीं थी। इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु संदर्शी योजना में भी शामिल नहीं किया गया था। तथापि, चूंकि इन्होंने मेरा ध्यान केवल अभी नहीं बल्कि पहले भी आकृष्ट किया था इसलिए मैंने पहले ही एन टी पी सी से कहा था कि वे सभी मानदण्ड जिनके आधार पर वे सामान्यतया: किसी स्थान का चयन करते हैं, पूरे करने के पश्चात एक विद्युत केन्द्र स्थापित करने की संभावना पर विचार करें।

श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि हमारे देश में कितने परमाणु विद्युत केन्द्र निर्माणाधीन हैं? सरकार द्वारा विकिरण प्रभावों, यदि कोई हैं, के विरुद्ध किस तरह की सावधानी बरती गई है?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मैंने कई निर्माणाधीन विद्युत संयंत्रों के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें वैसे विद्युत संयंत्र भी शामिल हैं जिनमें नाभिकीय स्रोत का उपयोग किये जाने वाला है। महोदय, यह विषय प्रत्यक्ष रूप से मुझसे संबंधित नहीं है क्योंकि विद्युत परियोजनाओं के संबंध में एक पृथक मंत्रालय है। परन्तु, सरकार की नीति नाभिकीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की है। आज नाभिकीय विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 2500 मेगावाट है। परमाणु विद्युत निगम ने अगले 20 वर्षों में लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की योजना बनाई है। हम उनसे और 18000 मेगावाट की वृद्धि करने के लिए कहने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि कम से कम 2000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का सृजन नाभिकीय स्रोतों से किया जाए। अतएव, वस्तुतः हम ग्यारहवीं योजना एवं उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विद्युत उत्पादन के एक प्रमुख स्रोत के रूप में इस पर भरोसा कर रहे हैं।

तथापि, हमें जिस बात का वस्तुतः ध्यान रखना है, जैसाकि आपने उल्लेख किया है, वह है सुरक्षा दृष्टिकोण। आपको इस तथ्य को समझना चाहिए कि नाभिकीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय परमाणु विद्युत केन्द्र सर्वोत्तम केन्द्रों में से एक है। इनका निरीक्षण न केवल आंतरिक निरीक्षण दल द्वारा बल्कि अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भी किया जाता है जो कभी-कभी यहां का दौरा करते हैं। यहां कोई दुर्घटना अथवा विपत्ति नहीं आई है। हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रणाली विद्यमान है। हमारे परमाणु वैज्ञानिक सक्षम एवं सुयोग्य हैं। इसलिए, हम परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहेंगे क्योंकि ये ग्रीनहाऊस गैसों का भी उत्सर्जन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, विश्व भर में ऐसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर चिन्ता बढ़ रही है जो पर्यावरण को गम्भीर क्षति पहुंचाती हैं। अतएव, हम परमाणु विद्युत केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, देश में जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, उनमें गुजरात में अकरीमोटा और हजीरा में सीसीपीपी विद्युत परियोजनाएं हैं। आप जानते हैं कि गुजरात में बिजली की बहुत कमी है क्योंकि वहां तीन साल से सूखा पड़ा है। वहां फसलें सूख रही हैं और किसान परेशान हैं। कहा गया है कि अकरीमोटा परियोजना मार्च, 2003 तक और हजीरा परियोजना फरवरी, 2002 तक पूरी हो जाएगी। गुजरात की स्थिति को देखते हुए और किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जितनी

जल्दी हो सके इन परियोजनाओं को पूरा करें ताकि किसानों को समय पर बिजली प्राप्त हो सके।

श्री सुरेश प्रभुः अध्यक्ष महोदय, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ आवश्यक काल मर्यादित होता है। आज एन.टी.पी.सी. जिस परियोजना के कार्यान्वयन पर काम कर रही है, वह बहुत कम समय में नई परियोजना बनाने की स्थिति में है। जैसा माननीय सदस्य ने हजीरा की कार्य परियोजना के बारे में पूछा, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह दो महीने में अर्थात् फरवरी, 2002 तक पूरी हो जायेगी। साथ ही दूसरी परियोजनाओं को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कम से कम समय में पूरी की जा सकें।

श्री चन्द्रनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश राज्य की बिजली के संबंध में सबसे ज्यादा खराब हालत है। वहां 50 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं और शहरों में जहां बिजली है, वहां 5-5 दिन बिजली नहीं आती। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उत्तर प्रदेश के लिए बिजली संबंधी कोई विशेष परियोजना लाकर गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में रिहन्द के अलावा कोई बिजली परियोजना नहीं है। पहले सांसदों को 25-25 गांव में विद्युतीकरण करने के लिए कोटा मिला हुआ था जो तीन साल पहले बंद हो गया है।

अध्यक्ष महोदयः आप ऑन-गोइंग प्रोजैक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं?

श्री चन्द्रनाथ सिंहः जी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के लिए विशेष परियोजना लाने का विचार है या नहीं। क्या सांसदों की राय से गांवों में विद्युतीकरण करायेंगे या नहीं?

श्री सुरेश प्रभुः अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से अपने राज्य में बिजली आपूर्ति की जा सकती है लेकिन आप इस बात से वाकिफ हैं कि आज राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं और विद्युत बोर्डों की स्थिति भी अच्छी नहीं जिससे कि वे आने वाले दिनों में अच्छी परियोजनाएं बना सकें। इसलिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है और नई-नई परियोजनायें बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की बढ़ोत्तरी करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है ताकि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण हो एवं उसकी स्थिति में सुधार हो।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति करने का सवाल है, वे जो सुझाव देंगे, उन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जायेगा। मैं इस संबंध में कैबिनेट के सामने एक नोट देने जा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडूः हमारे देश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी क्षमताएं हैं। गैर-पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से हम 5000 मेगावाट से 10000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। परन्तु देश में गैर-पारंपरिक बिजली उत्पादन के लिए कोई सामान्य नीति नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी नीति है। आंध्र प्रदेश इस स्रोत का लाभ उठाते हुए अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य राज्यों में भी क्षमता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस क्षेत्र के लिए कोई सामान्य नीति क्यों नहीं तैयार कर रही है। मैं चाहूंगा कि यदि ऐसी कोई नीति है तो मंत्री महोदय इस सभा को सूचित करें।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रश्न चालू परियोजनाओं से संबंधित है।

श्री के. येरननायडूः चालू बिजली परियोजनाओं का तात्पर्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा, पन-बिजली, सभी चीजों से हैं। मंत्री महोदय इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदयः इसीलिए आप इसका जैसे चाहे विवेचन कर सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभुः काश! मैं गैर-पारंपरिक ऊर्जा विषय से संबंधित होता जो कि एक विशिष्ट मंत्रालय और एक विशेषज्ञ मंत्री के अधीन है। तथापि, सरकार द्वारा तैयार की गई साकल्यवादी नीति के एक भाग के रूप में, हम सौर ऊर्जा, लघु पन बिजली, महासागरीय ऊर्जा एवं जैव-पुंज ऊर्जा जैसे गैर-पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन करना चाहते हैं। हमारे पास इस हेतु एक नीति है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय इस योजना के आधार पर अगले दस वर्षों के दौरान 10000 मेगावाट क्षमता जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं। भारत सरकार ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

श्री शिवराज वि. पाटीलः नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार 48000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता स्थापित करना चाहती है। इस लक्ष्य को 28000 मेगावाट विद्युत तक कम किया गया था। फिर, इस लक्ष्य को 20000 मेगावॉट विद्युत तक कम किया गया था। इसका अर्थ है, हम मूल लक्ष्य को प्राप्त करने

का प्रयास नहीं कर रहे हैं और घटाए गए लक्ष्य को भी प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

और विद्युत एक ऐसी चीज है जो कृषि, उद्योग एवं यातायात जैसे सभी क्षेत्रों में विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। पुनः, यदि यह स्थिति है तो हम अपने देश में विद्युत की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, सरकार यह कैसे सुनिश्चित करना चाहती है कि इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक तत्व को कृषि, उद्योग एवं यातायात के विकास हेतु उपलब्ध कराया जाए है?

श्री सुरेश प्रभुः महोदय, यह माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए संगत एवं वैध मुद्दों में से एक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी हम अपेक्षित स्तर तक क्षमता को जोड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी हम अपने पॉवर कैपेसिटी एडिशन प्रोग्राम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बुरी तरह असफल हुए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, अक्तूबर, 2001 तक क्षमता में लगभग 16833 मेगावाट की वृद्धि की गई है तथा संभवतः कुछ अन्य परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। निश्चय ही, नौवीं पंचवर्षीय योजना मार्च में तो समाप्त होगी ही।

महोदय, आप सही हैं कि हम उस सीमा तक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि कर पाने में समर्थ नहीं हो पाए थे जितना कि हम चाहते थे। ऐसा विभिन्न कारणों से है। उनमें से एक राज्य विद्युत बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति है और इसके परिणामस्वरूप अब राज्य विद्युत बोर्डों के पास उपयोग हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है तथा, इसी तरह निजी क्षेत्र भी सामने नहीं आ रहा है। जब हमने आठवीं एवं नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया था, तब हमने निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का अनुमान लगाया था तथा सार्वजनिक निवेश पर उतना विचार नहीं किया गया था, पर निजी क्षेत्र के लिए विचार नहीं किया गया था। राज्य विद्युत बोर्डों की खस्ता हाल के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र उस हद तक सामने नहीं आया है जितना अपेक्षित था। दसवीं योजना अभी तैयार की जा रही है। हमने वस्तुतः इस पर कार्य करना आरंभ कर दिया है और मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिन्हें दसवीं योजना में 80 प्रतिशत तक शामिल किया जाएगा। कार्य आरंभ हो चुका है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इतना उपक्रमात्मक कार्य किया है जिससे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में कई वर्षों के बाद पहली बार अपने लक्ष्य को पूरी तरह पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। और ऐसा उपक्रमात्मक कार्य के कारण है और इस कारण भी है कि वे विद्युत क्षेत्र में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे विद्युत क्षेत्र में स्वयं ही अच्छा निवेश सुनिश्चित हो सकेगा जो विद्युत क्षेत्र में उत्पादन का दीर्घावधि समाधान है जिसके बारे में आपने उचित रूप से ध्यान दिलाया है।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तरांचल में कितनी विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं और कौन-कौन सी योजनाएं कब तक पूरी होने वाली हैं और टिहरी परियोजना कब तक पूरी होगी और उससे कितनी विद्युत प्राप्त होने की संभावना है।

श्री सुरेश प्रभुः सर, मैंने जो जवाब दिया है उसमें इस बारे में जानकारी दी गई है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 42557 मेगावाट की स्वीकृत परियोजना है जिसे सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और टैक्नो-इकोनोमिक कमेटी आदि ने स्वीकृति दे दी है। ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट में 9000 मेगावाट पर काम शुरू हो गया है, लेकिन इसमें 33 हजार मेगावाट बच गया है। इस पर काम शुरू करने के लिए एक लाख बीस हजार करोड़ रुपए चाहिए। जो स्वीकृत परियोजना है, वह कब शुरू होगी। अभी 42 हजार में से नौ हजार पर हाथ लगाया है, 33 हजार मेगावाट का काम बचा हुआ है। उसी में हमारी मुजफ्फरपुर की एक्सटेंशन है, बाढ़ भी उसी में है। वहां शिलान्यास हो गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इसलिए हम सरकार से स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि जो 33 हजार मेगावाट में हाथ लगाने के लिए एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक चाहिए, उसके लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं और मुजफ्फरपुर, बाढ़, नबीनगर आदि जो पिछड़े हुए हैं और जो बिहार में सरकार की कोल पिट हैड बनाने की नीति है, उसमें उस परियोजना को शुरू करने और द्रुत गति से पूरा करने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करने जा रही है।

श्री सुरेश प्रभुः सर, कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार अपने अवेलेबल फंड से शुरू करती है। उनके बारे में राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त करके दी जा सकती है। लेकिन जहां तक सैन्ट्रल सैक्टर का सवाल है, उसके लिए आज पूरी तरह से धन का प्रावधान है, ताकि राज्यों को यह सुविधा मिले। राज्यों को किस तरह से यह फंड अवेलेबल हो, यह देखने के लिए हमने एक कमेटी का भी गठन किया है। पावर फाइनेन्स कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कोहली उसके अध्यक्ष हैं और पावर फाइनेन्स कारपोरेशन को हमने काफी गंभीरता से यह कहा है कि पावर फंड बनाये जाएं, जिससे पावर फाइनेन्स कारपोरेशन फंड रेज करके राज्यों को देने की स्थिति में आ सके।

बाढ़ का जो सवाल है, उसके काम की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से इंतजाम हो गया है और उसके लिए जो भी परमीशन की जरूरत थी, वह परमीशन भी मिल गई है। सी.ए. का टैक्नो-इकोनोमिक क्लियरेन्स भी मिल गया है और पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी मिल गया है। अब वहां जल्द से जल्द काम शुरू हो जायेगा। इसलिए आप यह चिंता न करें कि हमारा बिहार की तरफ ध्यान नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार का ख्याल रखेंगे यह स्पष्ट बोल देना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि पिछले दस सालों से जैसा अभी इन्होंने कहा कि आठवीं योजना में लगभग 30 हजार मेगावाट का लक्ष्य था, जो केवल 15 हजार के आसपास हुआ। नौवीं योजना में लगभग 40 हजार मेगावाट का लक्ष्य था, जो लगभग 20 हजार मेगावाट हुआ, अर्थात लगभग 50 परसेन्ट आठवीं और नौवीं योजना में हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ। उस समय भी यही कहा गया था कि बड़ी तैयारी हो रही है। विदेशों के लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं, यह सब नक्शा दिखाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अगले दस सालों के लिए जो एक लाख मेगावाट की योजना रखी है, क्या उसके लिए आप केवल विदेशों पर निर्भर हैं या कुछ अपनी रिसोर्सेज भी उसमें लगायेंगे। अभी यह कहा जा रहा है कि लक्ष्य इसलिए कम हुआ है क्योंकि विदेशों में जो हमारे एम.ओ.यू. साइन हुए थे, विदेशों ने जो खर्च करना था, वह खर्च नहीं कर पाये। इसलिए हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। क्या हम अगले दस सालों में केवल विदेशों पर निर्भर हैं या अपने रिसोर्सेज को टैप करके यह काम करना तय किया है, ताकि आप यह एश्योर कर सकें कि आठवीं और नौवीं योजना में जो हमारा हाल हुआ है वह दसवीं और ग्यारहवीं योजना में वह हाल नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है।

श्री सुरेश प्रभु: यह बात सही है कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में निजी क्षेत्र से आने वाले निवेश पर हमारा एक लक्ष्य था कि जिससे हम अपनी योजनाएं पूरी कर सकें। जिस तरह से हम चाहते थे निजी क्षेत्र से वैसे पूंजी नहीं आई है। यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में हम पब्लिक इनवैस्टमैन्ट को ज्यादा बढ़ावा देंगे। पब्लिक इनवैस्टमैन्ट को ही हमें बढ़ावा देना होगा। श्री एन.के. सेनगुप्ता उस समय प्लानिंग कमीशन में थे, उस समय से यह बात कहते आ रहे हैं कि जब तक हम पब्लिक इनवैस्टमैन्ट को स्टैप अप करके पावर सैक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए इसे पब्लिक इनवैस्टमैन्ट से हमें आगे आने वाले समय में स्टैप अप करना होगा। तब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रोग्राम पूरा नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, क्या माननीय मंत्री एक मुद्दे पर सभा को सूचित करने की कृपा करेंगे? दोनों ही बड़े संगठनों, नामतः, राष्ट्रीय पनबिजली निगम एवं नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट कारपोरेशन, जो हिमाचल प्रदेश में है, में एक ही मुख्य प्रबंध निदेशक है। हाल में हम वहां गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप विशेषकर पुरुलिया परियोजना के लिए, जिसका वर्णन सूची में किया गया है, और अधिक पहलों के साथ कार्य के नवीकरण हेतु संस्थानों के मुख्य प्रबंध निदेशक को बदलने जा रहे हैं? यह परियोजना मद संख्या 33 के अंतर्गत पुरुलिया पीएसएस के रूप में 3188.90 करोड़ रुपए की लागत पर सूचीबद्ध की गई है जिसे 2004-2006 में आरंभ किए जाने की संभावना है। उपरोक्त परियोजना की देखभाल हेतु कोई प्रबंध निदेशक भी नियुक्त नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन परियोजनाओं की देखभाल हेतु पर्याप्त रूप से सावधान है और वह अधिकारियों को कब तक प्रतिनियुक्त करने वाली है तथा विशेषकर वर्णित इन परियोजनाएं एवं पुरुलिया पी एस एस हेतु अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं करने वाली है?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, पुरुलिया पनबिजली विकास परियोजना आज के अनुसार राज्य क्षेत्र का विषय है। यह अनुमानित था कि यह परियोजना पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की जाएगी। तथापि, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने भारत सरकार से उक्त परियोजना का अधिग्रहण किए जाने का अनुरोध किया है। हम इन औपचारिकताओं को जल्द ही पूरा करने वाले हैं तथा इस परियोजना का कार्यान्वयन संयुक्त उद्यम के माध्यम से करने हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का समर्थन मिलेगा जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच होगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, बिजली हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिजली से अपने देश को परिपूर्ण बनाने के लिए कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी और यह टारगेट आप अगले दस सालों में पूरा करने वाले हैं या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से वे इसका जवाब दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभु: पॉवर सर्वे रिपोर्ट, जो सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रिलीज की है, उसके मुताबिक एक लाख मेगावाट की जरूरत आने वाले दस सालों में होगी और लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें उतनी बिजली का उत्पादन करने की जरूरत है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकार द्वारा चुनावों का खर्च उठाया जाना

***164. श्री भेरूलाल मीणा:**
श्रीमती प्रेनीत कौर:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनावों का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के संबंध में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा चुनाव सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच कर ली गई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अगले आम चुनावों से पूर्व क्रियान्वित किए जाने वाले चुनाव सुधारों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जी हां। निर्वाचनों के राज्य वित्तपोषण से संबंधित समिति (इन्द्रजीत गुप्त समिति) ने, जिसका गठन सरकार द्वारा 22.5.1998 को हुई राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में स्वर्गीय श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद् सदस्य की अध्यक्षता में किया गया था, 14.1.1999 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी जिसे 25.8.2000 को सदन के पटल पर भी रख दिया गया है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) और (च) जी हां। सरकार निर्वाचन विधियों में सुधार लाने के लिए उपायों और साधनों का निरंतर पता लगा रही है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सरकार के समक्ष दिनेश गोस्वामी समिति, इन्द्रजीत गुप्त समिति, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के विधि आयोग, आदि जैसे विभिन्न निकायों/व्यष्टिकों द्वारा की गई सिफारिशें हैं और उनकी सिफारिशों पर आधारित विभिन्न प्रस्तावों पर समय-समय पर राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और उन्हें ठोस रूप दिया जाता है। सरकार ने पहले ही राज्य सभा के चालू सत्र में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2001 नामक विधेयक के पुर:स्थापन की सूचना दे दी है, जो राज्य सभा के निर्वाचनों में विद्यमान गुप्त मतदान पद्धति के स्थान पर खुली मतदान पद्धति आरंभ करने और राज्य सभा के लिए किसी विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने के लिए उस समय/संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होने की अपेक्षा को समाप्त करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001 के पारित होने के परिणामस्वरूप, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन: समायोजन पर सांविधानिक रोक को वर्ष 2026 तक विस्तारित करने और प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के, जिसके अंतर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र भी हैं, राज्यों को विधायी निकायों में आबंटित स्थानों की संख्या में परिवर्तन किए बिना सुव्यवस्थीकरण करने के लिए हैं और जिसका माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने से पूर्व राज्य विधान सभाओं द्वारा अनुसमर्थन किया जाना शेष है, सरकार एक परिसीमन विधेयक भी लाएगी, जो सरकार को उक्त विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए सशक्त करेगा। तथापि, निर्वाचन विधियों के सुधार की प्रक्रिया एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही कार्यान्वित किया जा सकता है जिसमें काफी समय लग सकता है और इसलिए इस संबंध में किसी समय-सीमा का सुझाव नहीं दिया जा सकता है। तथापि, सरकार का आशय निर्वाचन सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के विभिन्न प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श जारी रखने का है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट

***166. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बैरल 21 डालर के नीचे जाने से भारत की तेल अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे तेल आयात बिल में कमी लाने में सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो इससे तेल के आयात बिल में कितनी कमी आई है; और

(घ) इससे भारतीय तेल पूल घाटे की किस सीमा तक भरपाई हुई है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में कमी से तेल आयात बिल, तेल पूल घाटा और नियंत्रणमुक्त उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों में कमी लाने में सहायता मिलती है।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी का तेल आयात बिल पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। किसी महीने में क्रूड मूल्य में प्रति बैरल एक अमरीकी डालर की कमी से तेल आयात बिल लगभग 260 करोड़ रुपए कम होता है।

(घ) किसी महीने में क्रूड के मूल्य में प्रति बैरल एक अमरीकी डालर की कमी से तेल पूल घाटा लगभग 200 करोड़ रुपए कम होता है।

इन्टिग्रेटिड गैस पाइपलाइन ट्रंक सिस्टम

***167. श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गैस पाइपलाइन ट्रंक सिस्टम के एकीकरण के लिए परियोजनाओं की सूची में तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) इस समय गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों से होते हुए पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु 2760 कि.मी. लम्बी हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एच.बी.जे.) पाइपलाइन सहित विभिन्न क्षमताओं वाला लगभग 4436 कि.मी. लम्बा गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) का पाइपलाइन नेटवर्क है। मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क के अलावा, कोच्चि (केरल) में पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एल.एन.जी. टर्मिनल से प्रतिदिन 10 मिलियन मानक घन मीटर (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) पुनः गैसीफाइड तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के वितरण हेतु गेल की 1787 करोड़ रुपए (लगभग) की अनुमानित लागत से कोच्चि (केरल) से बैंगलूर (कर्नाटक) तक लगभग 849 कि.मी. लम्बी पाइपलाइन स्थापित करने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, यह पाइपलाइन तमिलनाडु में कोयम्बटूर से गुजरेगी। कोच्चि में पुनः गैसीफाइड एल.एन.जी. की उपलब्धता के समकालिक पाइपलाइन परियोजना पूर्ण होगी, जोकि 2005 तक तैयार होने की आशा है।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) को ध्यान में रखते हुए औचित्य नहीं है।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा पूरी की गई परियोजनाएं

***168. श्री बृजलाल खाबरी:**
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. द्वारा विदेशों में पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनसे क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने विदेश में कोई परियोजना निष्पादित नहीं की है। ओ.एन.जी.सी.-विदेश लिमिटेड, जो ओ.एन.जी.सी. की पूर्णतया वित्त पोषित कम्पनी है, ने ऐसी परियोजनाएं विदेशों में निष्पादित की हैं। तथापि, गत 3 वर्षों के दौरान कोई परियोजना पूर्ण नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों में सुरक्षा के उपाय

***169. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध कारखानों से प्राप्त 60 प्रतिशत से अधिक गोला-बारूद का खुले स्थान में भंडारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सैन्य भण्डार हथियारों की सुरक्षित स्थान में संभलाई और भंडारण करने में अक्षम है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी दुर्घटना से बचने हेतु आयुध कारखानों में हाई एलर्ट घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) आयुध निर्माणियां सामान्यत: गोला-बारूद का भण्डारण नहीं करती हैं क्योंकि मंजूर किए जाने पर ये तत्काल मांगकर्ताओं को सुपुर्द कर दिए जाते हैं। तथापि, जब आवश्यकता होती है तो आयुध निर्माणियों के गोला-बारूद का भण्डारण निर्माणी की विनिर्दिष्ट इमारतों में किया जाता है, जो पर्यावरण और विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र द्वारा अनुमोदित की गई हैं।

सेना के लिए गोला-बारूद का भण्डारण सामान्यत: गोला-बारूद डिपुओं में किया जाता है। इस समय, गोला-बारूद का लगभग 75% भाग ढके स्थान में रखा हुआ है और गोला-बारूद के शेष 25% भाग का भण्डारण तिरपाल/अस्थायी ढांचे द्वारा संरक्षित खुले स्थान पर किया गया है। पर्याप्त निधियां मुहैया करवाई गई हैं और विस्फोटक भंडार-गृहों के लिए निर्माण-कार्य शुरू किए गए हैं तथा यह कार्य प्रगति पर है। यह परिकल्पना है कि फिलहाल खुले स्थानों पर भण्डारित सारे गोला-बारूद को वर्ष 2003-2004 तक विस्फोटक भण्डार-गृहों में रख दिया जाएगा।

सेना गोला-बारूद को संभालने और पर्याप्त सुरक्षा के साथ उसका भण्डारण करने में सक्षम है। गोला-बारूद का भण्डार-गृहों में भण्डारण करते समय पर्यावरण और विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र द्वारा भण्डार गृह विनिर्देश, सुरक्षा दूरियों एवं अग्नि संबंधी पूर्वोपायों की जरूरत के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया जा रहा है।

आयुध निर्माणियों और डिपुओं की सुरक्षा रक्षा सुरक्षा कोर के पास है और सुरक्षा अफसर सेना के होते हैं। अतिरिक्त पूर्वोपाय किए जाने के लिए आसूचना एजेंसियों के साथ सतत् विचार-विमर्श किए जाने की एक प्रणाली मौजूद है।

नियंत्रित मूल्य प्रणाली के समाप्त हो जाने के बाद भी मालभाड़े में राज सहायता को जारी रखा जाना

***170. श्री वाई. वी. राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय पेट्रोलियम उत्पादों पर से नियंत्रित मूल्य प्रणाली (ए.सी.एम.) को समाप्त करने के बाद भी मालभाड़े के लिए राजसहायता जारी रखने की रणनीति बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव न होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) नियंत्रित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के सरकार के दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के संकल्प में दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए सप्लाई सहायता प्राप्त शुल्क पर विचार किया गया है जिसे 1.4.2002 से सरकार के राजकोषीय बजट से पूरा किया जाएगा।

(ख) शुल्क सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य दूर-दराज के क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्यों में शुल्क के प्रभाव को कम करना है।

(ग) इससे संबंधित ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है।

विचाराधीन कैदी

***171. श्री जी.जे. जावीया:**
श्री चन्द्र विजय सिंह:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश के बारे में 13 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2822 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कारागारों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या और विचाराधीन मामलों के अधिक समय तक अनिर्णीत पड़े रहने की समस्याओं से निपटने के लिए उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) ऐसे विचाराधीन कैदियों के भरण-पोषण पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(घ) आज की तारीख तक कितने कैदियों के मामलों को निपटाया गया; और

(ङ) शेष मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार बंबई, कलकत्ता, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, पंजाब और हरियाणा तथा सिक्किम के उच्च न्यायालयों ने ऐसे विचाराधीन कैदियों के, जो छोटे-मोटे मामलों में संलिप्त हैं, मामलो पर पूर्विकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, गोवा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त जानकारी के अनुसार संबंधित उच्च न्यायालयों ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या से निपटने के लिए और अधिक समय से लंबित विचारण के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उपाए आरंभ कर दिए हैं। इनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ जेलों में विचारणाधीन कैदियों के मामलों के पुनर्विलोकन के लिए समन्वय समितियों की स्थापना करना भी है।

(ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 1999 के अंत में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 2,04,480 थी, जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने जून, 2000 की अपनी रिपोर्ट में यह अनुमानित किया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक विचारणाधीन कैदी पर प्रतिदिन 55 रुपए की राशि का व्यय किया जा रहा था। यह 410.49 करोड़ रुपए की राशि बनती हैं, जिसे वार्षिक रूप से 2,04,480 विचारणाधीन कैदियों के भरण-पोषण पर खर्च किया जा रहा था।

(घ) विचारणाधीन कैदियों के मामलों के संबंध में कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ङ) लंबित मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है क्योंकि यह न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है।

विवरण

1999 के अंत तक विभिन्न जेलों में बंद विचारणाधीन कैदियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विचारणाधीन कैदियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8557
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	4390
4.	बिहार	39449
5.	गोवा	288
6.	गुजरात	4879
7.	हरियाणा	6015
8.	हिमाचल प्रदेश	392
9.	जम्मू-कश्मीर	1189
10.	कर्नाटक	6780
11.	केरल	3390
12.	मध्य प्रदेश	18501
13.	महाराष्ट्र	13960
14.	मणिपुर	323
15.	मेघालय	574
16.	मिजोरम	486
17.	नागालैंड	775
18.	उड़ीसा	8009
19.	पंजाब	7430
20.	राजस्थान	6772
21.	सिक्किम	85
22.	तमिलनाडु	9289
23.	त्रिपुरा	672
24.	उत्तर प्रदेश	44269
25.	पश्चिमी बंगाल	8529
	कुल (राज्य)	195003
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	211
27	चंडीगढ़	291
28.	दादरा और नागर हवेली	39

1	2	3
29.	दमण और दीव	28
30.	दिल्ली	8776
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	132
	कुल योग (संघ राज्यक्षेत्र)	9477
	कुल योग (संपूर्ण भारत)	2,04,480

स्रोत : वर्ष 1999 में भारत में जेल संबंधी आंकड़े

ओ.एन.जी.सी./जी.ए.आई.एल. द्वारा ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र को गैस की अपर्याप्त आपूर्ति

***172. श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी) और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) से गैस की अपर्याप्त आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी (टी.ई.सी.) और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बीच प्रतिदिन 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति हेतु करार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को वर्तमान करार का पालन करने और गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हेतु निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी (टी.ई.सी) ने मूलत: 5 वर्ष की अवधि के लिए प्राकृतिक गैस की 1.5 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) मात्रा की आपूर्ति के लिए 19 दिसम्बर, 1991 को आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए थे, जो बाद में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को अन्तरित कर दी गई थी। टी.ई.सी. तथा गेल के बीच गैस आपूर्ति करार की समय-समय पर विस्तारित वैधता अवधि 30 सितम्बर, 2001 को समाप्त हो गई थी। ये दोनों पक्षकार एक अनुपूरक-पत्र के माध्यम से इस संविदा को वैधता अवधि का 31 दिसम्बर, 2003 तक विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं।

(घ) उरण से प्राकृतिक गैस की कम उपलब्धता के कारण टी.ई.सी. को वर्ष, 2000-01 में आकलित कार्ययोजना के अनुसार 1.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा के आबंटन के प्रति गैस की लगभग 1 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा की आपूर्ति की जा रही है। उरण से वर्तमान गैस उपलब्धता केवल 9 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है जबकि इस क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए पहले ही वचनबद्ध आबंटन 16.6 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक है।

विदेशों से कल-पुर्जों की खरीद

***173. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना की विदेशों से कल-पुर्जों की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए कोई रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) अतिरिक्त हिस्से पुर्जों की आपूर्ति के लिए विदेशों पर भारतीय वायुसेना की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सदस्य के रूप में भारतीय वायुसेना, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा सैन्य वायु-योग्यता प्रमाणन और महानिदेशक, वैमानिकी गुणता एवं आश्वासन जैसी निरीक्षण तथा प्रमाणन एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे। यह समिति भारतीय वायुसेना के लिए हिस्से-पुर्जों की आवश्यकता और उनका देश में ही विकास किए जाने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी।

भारतीय वायुसेना ने देश के विभिन्न भागों में स्वदेशीकरण संबंधी संगोष्ठियों के आयोजन में भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा उद्योग सोसाइटी और लघु उद्योगों के साथ सहयोग करने की पहल भी की है ताकि अपेक्षित मदों के स्वदेशी

विकास, उत्पादन और आपूर्ति के लिए प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों को शामिल किया जा सके। पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान भारतीय वायुसेना को स्वदेशी मदों की आपूर्ति के लिए विक्रेता बेस 151 से बढ़कर 1500 हो गया है। यद्यपि नट, बोल्ट, स्क्रू, वाशर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मदों और रबड़युक्त मदों आदि जैसी कम मूल्य/प्रमात्रा वाली मदों के मामलों में शुरूआत की जा चुकी है। तथापि, मध्यम/उच्च प्रौद्योगिकी तथा बड़ी मात्रा वाली मदों को शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा जैसे ही नई प्रणालियां शामिल की जाती हैं, स्वदेशीकरण के लिए समानांतर कार्रवाई भी चलती रहती है।

सियाचिन में टेलीफोन सुविधा

***174. डा. एस. वेणुगोपाल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सियाचिन में टेलीफोन सुविधा न होने के बारे में जानकारी है जिसके कारण वहां तैनात सैनिकों को काफी परेशानी होती है क्योंकि देश के शेष भाग से उनका सम्पर्क टूट जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वी.एस.एन.एल. द्वारा वहां पुन: टेलीफोन सुविधा स्थापित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सियाचिन ग्लेशियर में सैन्य टुकड़ियों के कल्याण के लिए सेना ने दूरसंचार विभाग के एसटीडी/पीसीओ की निम्नलिखित स्थानों पर व्यवस्था की है:-

(1)	सियाचिन	-	1
(2)	चालुंका पोस्ट	-	1
(3)	थॉइस	-	1
(4)	खालसार	-	1
(5)	परतापुर	-	3

दूरसंचार विभाग ने सियाचिन सहित लेह, नोबरा तथा कारगिल सेक्टरों में सेना द्वारा चलाई जा रही सभी एसटीडी पीसीओ पर लागू काल प्रभारों पर छूट दी है। परिणामस्वरूप, सभी एसटीडी कालों तथा आईएसडी कालों (केवल नेपाल के लिए) के प्रयोक्ताओं द्वारा वास्तविक प्रभार के केवल 25% का ही भुगतान किया जा रहा है।

मुख्यालय 102 माउंटेन ब्रिगेड में दो सामान्य एसटीडी टेलीफोन चालू थे। चूंकि ये एसटीडी पीसीओ की श्रेणी में नहीं आते थे इसलिए रियायती दरें लागू नहीं थी और प्रयोक्ताओं को वास्तविक एसटीडी प्रभार देने होते थे। इसलिए जून 2001 में दो टेलीफोन वापस कर दिए गए थे। वापस किए गए एसटीडी टेलीफोनों के बदले में परतापुर में रियायती दर वाले दो एसटीडी पीसीओ उपलब्ध कराए गए हैं। अब परतापुर में कुल तीन एसटीडी पीसीओ हो गए हैं।

मौजूदा व्यवस्था के होते हुए सैनिकों को उपलब्ध करवाई गई संचार सुविधाओं में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं है।

पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रित मूल्य प्रणाली समाप्त करना

***175. श्री राम प्रसाद सिंह:**
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय दल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियंत्रित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के बाद उपभोक्ताओं के हितों के किस हद तक सुरक्षित रहने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) नियंत्रित मूल्य प्रणाली (ए पी एम) को समाप्त करने के लिए अंतर-मंत्रालय परामर्श में तेजी लाने के उद्देश्य से वित्त सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (व्यय) और सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में चार उप-ग्रुप बनाए गए थे। ए पी एम को समाप्त करने से संबंधित ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) ए पी एम को समाप्त करने के पश्चात सरकार ने उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखने का वचन दिया है।

[हिन्दी]

पन बिजली उत्पादन

***176. श्री नवल किशोर राय:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पन बिजली क्षेत्र में 60 प्रतिशत संयंत्र-भार कारक पर आधारित एक किलो वाट बिजली के उत्पादन से राज्य सरकारों की वार्षिक आय 1.6 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या आकलन है;

(ग) पन विद्युत क्षेत्र में बिजली उत्पादन से प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी वार्षिक आय होने का अनुमान है; और

(घ) पन बिजली क्षेत्र में अपनी आय बढ़ाने हेतु प्रत्येक राज्य की क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) जल विद्युत परियोजना के विद्युत उत्पादन की लागत परियोजना विशिष्ट है और यह परियोजना की लागत, इसे पूरा करने की तिथि और इसके लिए निर्दिष्ट भार घटक पर निर्भर करती है। देश में प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का औसत भार घटक लगभग 38% है।

60% भार घटक पर एक कि.वा. से वार्षिक उत्पादन 5256 यूनिट होगा। इस ऊर्जा की बिक्री से राजस्व की उत्पत्ति ऊर्जा की बिक्री दर से होती है जो कि राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होती है। वास्तविक आय विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण लागतों तथा टी एंड डी हानियों पर निर्भर करेगी।

(ग) वर्ष 2000-01 के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (यूटिलिटी-वार)संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य यूटिलिटियों के स्वामित्व वाली जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2000-01 के दौरान उर्जा उत्पादन, विद्युत बिक्री की औसत टैरिफ तथा टी एंड डी हानियों पर विचार करते हुए विभिन्न राज्यों/रा.वि.बो. के वार्षिक राजस्व का एक अनुमान संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्तमान में विकासाधीन/अदोहित जल विद्युत शक्यता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इस शक्यता के दोहन से संबंधित राज्यों की आय और बढ़ेगी।

विवरण-I

वर्ष 2000-01 के दौरान देश में जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन

राज्य	विद्युत उत्पादन (मि.यू.)
1	2
केन्द्रीय क्षेत्र	
बीबीएमबी	10424
एनएचपीसी	8771
डीवीसी	282
नीपको	899
जोड़	20376
निजी क्षेत्र	
टाटा हाइड्रो (महाराष्ट्र)	1152
शिवपुर (कर्नाटक)	105
शाहपुर (कर्नाटक)	14
नारायणपुर (कर्नाटक)	
हरनगी (कर्नाटक)	
मन्नियार (कर्नाटक)	31
कुथूंगल (कर्नाटक)	
जोड़ (निजी क्षेत्र)	1302
राज्य क्षेत्र	
जम्मू व कश्मीर	559
एचपीएसइबी	1165
एचएसईबी	244
आरएसईबी	376
पीएसईबी	3141
यूपीएसईबी	5301
जीईबी	439

1	2
एमएसईबी	3661
एमपीएसईबी	1820
एपीएसईबी	7729
केपीसीएल	10536
केईबी	237
केएसईबी	6190
टीएनईबी	5441
बीएसईबी	144
ओएसईबी	4612
डब्ल्यूबीएसईबी	446
सिक्किम	21
मेघालय	658
त्रिपुरा	70
अरुणाचल प्रदेश	13
जोड़ (राज्य क्षेत्र)	52803
जोड़ अखिल भारत	74481

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान जल विद्युत उत्पादन की बिक्री से वार्षिक राजस्व का अनुमान राज्य क्षेत्र की स्कीमें

राज्य/यूटिलिटी	जल विद्युत उत्पादन (मि.यू.)	औसत टैरिफ @ (2000-01) (पैसे/कि.वा.घं.)	टीएंड डी हानियां @	वार्षिक राजस्व का अनुमान (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
जम्मू व कश्मीर	559	194.16	46.5%	5806.65
एचपीएसईबी	1165	203.04	17.3%	19561.99
एचएसईबी	244	214.91	25.0%	3932.85
आरएसईबी	376	195.79	22.0%	5742.13
पीएसईबी	3141	176.42	16.9%	46048.64
यूपीएसईबी	5301	183.35	25.0%	72895.38
जीईबी	439	225.00	19.4%	7961.27
एमएसईबी	3661	231.18	16.7%	70500.95
एमपीएसईबी	1820	166.74	20.5%	24125.61
एपीएसईबी	7729	182.00	31.0%	97060.78
केपीसीएल	10536	252.88	30.0%	186504.06
केईबी	237	252.88	30.0%	4195.28
केएसईबी	6190	236.66	20.8%	116022.09

1	2	3	4	5
टीएनईबी	5441	233.49	16.5%	106079.99
बीएसइबी	144	200.14	22.0%	2247.97
ओएसईबी	4612	157.87	6.0%	68441.07
डब्ल्यूबीएसईबी	446	240.72	28.0%	7730.00
सिक्किम	21	115.18	20.0%	193.20
मेघालय	658	174.18	20.3%	9134.45
त्रिपुरा	70	97.00	28.0%	488.88
अरुणाचल प्रदेश	13	200.00	18.0%	213.20
जोड़ (राज्य क्षेत्र)	52803			854886.44

*राज्य विद्युत बोर्डों एवं विद्युत विभागों के कार्यकरण पर योजना आयोग की जून, 2001 की वार्षिक रिपोर्टन वार्षिक योजना।

विवरण-III

जल विद्युत शक्यता विकास की स्थिति (राज्यवार)

01.11.2001 के अनुसार

राज्य/क्षेत्र	60% भार घटक पर मूल्यांकित शक्यता (मेगावाट)	60% भार घटक पर विकसित शक्यता (मेगावाट)	विकसित %	60% भार घटक पर विकसित की जाने वाली शक्यता (मेगावाट)	अभी विकसित की जाने वाली शक्यता का%
1	2	3	4	5	6
उत्तरी					
जम्मू व कश्मीर	7487.00	508.33	6.79	6978.67	93.21
हिमाचल प्रदेश	11647.00	2036.73	17.49	9610.27	82.51
पंजाब	922.00	656.33	71.19	265.67	28.81
हरियाणा	64.00	51.67	80.73	12.33	19.27
राजस्थान	291.00	192.67	66.21	98.33	33.79
उत्तरांचल	7453.00	831.68	11.16	6621.32	88.84
उत्तर प्रदेश	2291.00	313.65	13.69	1977.35	86.31
उप जोड़ (उ. क्षे.)	30155.00	4591.07	15.22	25563.93	8478

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी					
मध्य प्रदेश	2774.00	600.00	21.63	2174.00	78.37
गुजरात	409.00	138.67	33.90	270.33	66.10
महाराष्ट्र	2460.00	1118.83	45.48	1341.17	54.52
गोवा	36.00	0.00	0.00	36.00	100.00
उप जोड़ (प.क्षे.)	5679.00	1857.50	32.71	3821.50	67.29
दक्षिणी					
आंध्र प्रदेश	2909.00	1402.25	48.20	1506.75	51.80
कर्नाटक	4347.00	2322.83	53.44	2024.17	46.56
केरल	2301.00	1125.50	48.91	1175.50	51.09
तमिलनाडु	1206.00	946.50	78.48	259.50	21.52
उप जोड़ (द.क्षे.)	10763.00	5797.08	53.86	4965.92	46.14
पूर्वी					
झारखण्ड	478.00	75.17	15.73	402.83	84.27
बिहार	60.00	44.78	74.64	15.22	25.36
उड़ीसा	1983.00	1100.50	55.50	882.50	44.50
पश्चिम बंगाल	1786.00	91.33	5.11	1694.67	94.89
सिक्किम	1283.00	57.50	4.48	1225.50	95.52
उप जोड़ (पू.क्षे.)	5590.00	1369.28	24.50	4220.72	75.50
उत्तर-पूर्वी					
मेघालय	1070.00	121.67	11.37	948.33	88.63
त्रिपुरा	9.00	8.50	94.44	0.50	5.56
मणिपुर	1176.00	73.17	6.22	1102.83	93.78
असम	351.00	111.67	31.81	239.33	68.19
नागालैंड	1040.00	56.00	5.38	984.00	94.62
अरुणाचल प्रदेश	26756.00	16.50	0.06	26739.50	99.94
मिजोरम	1455.00	1.00	0.07	1454.00	99.93
उप जोड़ (उ.पू. क्षे.)	31857.00	388.50	1.22	31468.50	98.78
अखिल भारत	84044.00	14003.43	16.66	70040.57	83.34

कोयले की चोरी

*177. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों से गन्तव्य स्थान तक ढुलाई के दौरान चोरी किए जाने वाले कोयले की मात्रा के बारे में किसी भी चरण में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) ऐसी चोरी के क्या कारण हैं;

(घ) कोयले की ऐसी चोरी के कारण हुई क्षति को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इसमें किस सीमा तक रेल कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के कार्मिक शामिल हैं; और

(च) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जी हां, वर्ष 2000-2001 में परिवहन के दौरान 2.13 लाख रु. मूल्य के लगभग 426 टन कोयले की चोरी की सूचना मिली थी।

(ग) मुख्यत: रेलवे लइनों के समीप स्थित गांवों के लोग घरेलू उपयोग और लघु व्यवसाय के लिए कोयले की चोरी करते हैं।

(घ) कोयले की चोरी के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाए किए गए हैं:

1. संवेदनशील खंडों में कोयले की ढुलाई करने वाली गाड़ियों का रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा मार्ग-रक्षण किया जाता है;
2. कुख्यात ग्रामों के समीप रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा रेलपथ की गश्त लगाई जाती है;
3. चोरी का कोयला लेने वालों के विरुद्ध निरंतर छापे मारे जाते हैं;

(ङ) संदर्भाधीन वर्ष के दौरान 5 रेल कर्मचारी गिरफ्तार किए गए थे, इनमें से किसी भी मामले में रेल सुरक्षा बल का कोई कर्मचारी शामिल नहीं था;

(च) सभी 5 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अधीन मुकदमा चलाया गया था;

[अनुवाद]

प्रसार भारती का प्रसारण समय

*178. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिए गए कुल समय के संबंध में प्रसार भारती की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या प्रसार भारती शिक्षा पर अपने प्रसारण समय का केवल 18 प्रतिशत समय ही प्रयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो शिक्षा पर और अधिक समय देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या प्रसार भारती को कार्यक्रमों की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना और विज्ञापनों से भिन्न अन्य माध्यमों से राजस्व बढ़ाने हेतु एक नीति बनाने के लिए कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रसार भारती द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती का मुख्य दायित्व, आम जनता को सूचना प्रदान करने, उन्हें शिक्षित करने तथा उनका मनोरंजन करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को व्यवस्थित करना तथा उनका संचालन करना है। वर्ष 2000 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का औसत प्रतिशत निम्नानुसार था:

सूचना		37%
शिक्षा	:	13%
मनोरंजन (खेलों सहित)		50%

इसके अलावा, जनवरी, 2000 से ''ज्ञान दर्शन'' नामक 24 घंटे का एक विशेष शैक्षिक चैनल भी प्रचालन में है।

(घ) और (ङ) परामर्शी सेवाएं प्रदान करके और इच्छुक पार्टियों को लाइसेंस शुल्क आधार पर आकाशवाणी ट्रांसमीटर एवं टावर किराए पर देकर राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी में एक संसाधन केन्द्र संथापित किया गया है।

आमान परिवर्तन

***179. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः**
डॉ. रामकृष्ण कुसमरियाः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल लाइनों के मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने संबंधी बहुत सारा कार्य अभी पूरा किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन आमान परिवर्तन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) आमान परिवर्तन कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवर्तित किया गया है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां;

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण;

(ग) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है;

(घ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चालू कार्यों की प्रगति आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी;

(ङ) ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है?

विवरण-I

चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति

रेलवे	परियोजना	किमी	राज्य	मार्च, 2001 तक व्यय	बजट परिव्यय 2001-02	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
मरे	मिरज-लातूर	359	महाराष्ट्र	105.3	20	इस कार्य की प्रगति चरणों में की जा रही है। चरण-1 में कुर्डूवाडि से पंढरपुर (52 किमी) आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है और मार्च, 2001 में खोल दिया गया है। चरण-2 में लातूर रोड़ से लातूर तक (33 किमी) में बड़े और छोटे पुलों का कार्य पूरा हो गया है। इस खंड में कार्य में तेजी लाने के प्रयास।
पूर्वोत्तर	काशीपुर-लालकुआं	60	उत्तर प्रदेश	55.43	2	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
पूर्वोत्तर	समस्तीपुर-दरभंगा	37	बिहार	37.88	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
पूर्वोत्तर	छपरा-औड़िहार	169	उत्तर प्रदेश, बिहार	169.91	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
पूर्वोत्तर	मुजफ्फरपुर-रक्सौल (रक्सौल-बीरगंज)	130	बिहार	121.76	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया है।
पूर्वोत्तर	नरकटियागंज-वाल्मीकिनगर	50	बिहार	61.88	5	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
पूर्वोत्तर	मथुरा-अचनेरा	35	उत्तर प्रदेश	0.1	2	यह कार्य कानपुर-कासगंज-मथुरा के साथ करने की योजना है। इसके विस्तृत अनुमानों को अद्यतन किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर	खड्डा-गोरखपुर	86	उत्तर प्रदेश	93.49	9	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर	दौरम-माधेपुर तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित मानसी-सहरसा	176	बिहार	23.51	3	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। यह कार्य आगामी वर्षों में ससाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
पूर्वोत्तर	हाजीपुर-बचवाड़ा	71.45	बिहार	74.33	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
पूर्वोत्तर	इंदारा-फेफना	51	उत्तर प्रदेश	34.48	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
पूर्वोत्तर	गोंडा-गोरखपुर लूप, आनंदनगर नौतनवा सहित	250	उत्तर प्रदेश	0	1	यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
पूर्वोत्तर	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ, चरण-1	60	उत्तर प्रदेश	0	1	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे तथा अनुमानों की तैयारी आरंभ की गई है।
पूर्वोत्तर	कानपुर-कासगंज-मुथुरा-बरेली, बरेली से लालकुआं तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन के साथ	545	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	52.44	26	कार्य चरणों में पूरा किये जाने की योजना है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
पूर्वोत्तर	समस्तीपुर-खगड़िया	86	बिहार	0	5	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे तथा अनुमानों की तैयारी आरंभ की गई है।
पूर्वोत्तर	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज	268	बिहार	8.55	0	जयनगर-दरभंगा और दरभंगा-सीतामढ़ी खंडों में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी।
पूर्वोत्तर	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	233.5	बिहार, उत्तर प्रदेश	0	1.1	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे तथा अनुमानों की तैयारी आरंभ की गई है।
पूसी	न्यू गुवाहाटी-लमडिंग	208.61	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	192.49	1.61	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया है।
पूसी	लमडिंग-डिब्रूगढ़, संबद्ध शाखा लाइनों के साथ	628	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	687.34	2	लमडिंग-तिनसुकिया-डिब्रूगढ़ लीडो और फरकटिंग से मरियानी तक शाखा लाइनों एवं सिमलगुडी-मोरनहाट का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। अमगुरी-तूली और माकुम-डांगरी के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है और 2001-02 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
पूसी	लमडिंग-सिलचर, बदरपुर से भरियाग्राम तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन के साथ	248	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	69.77	40	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भू-तकनीकी छानबीन प्रगति पर है। लुंगतिंग और डितोकचेरा के बीच घाट खंड को छोड़कर लमडिंग-सिलचर खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। घाट खंड में भूमि अधिग्रहण आरंभ किया गया है।
पूसी	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर सहित)	108	बिहार	10	15	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
पूसी	न्यू जलपाईगुडी-सिलगुडी-न्यू बोंगाईगांव	280	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	128.74	80	पूरी लंबाई पर मट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह कार्य मार्च, 2003 तक पूरा किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
पूसी	कटखल-भैराबी	84	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.1	5	लमडिंग-सिलचर के पूरा हो जाने, जो पूरा होने की अग्रिम चरण में है, यह कार्य किया जाएगा।
उरे	भिलडी-समदरी	223	राजस्थान	3.69	4.5	कार्य आरंभ करने की प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।
उरे	फुलेरा-जोधपुर, पिपार रोड़-बिलाडा	41	राजस्थान	0	0.1	फुलेरा-जोधपुर तक कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है बहरहाल, पिपार रोड़-बिलाड़ा को संसाधनों की उपलब्धता के अनु विनियमित किया जा रहा है।
उरे	लूनी-मारवाड़ और जोधपुर-लूणी	100	राजस्थान	111.76	0.6	कार्य पूरा हो गया है।
उरे	श्रीगंगानगर-सरूपसर	116	राजस्थान	0.08	0.1	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह कार्य आरंभ कि जाएगा जिनके लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
उरे	लूणी-बाडमेर-मुनाबाव	297	राजस्थान	42.14	25.4	समूची लंबाई में कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना चरणों में खोले ज की योजना है। पहले चरण में लूणी-समदरी खंड पर तेजी लाई जा र है और इसे 2001-02 के दौरान पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं
उरे	रेवाड़ी-सादूलपुर, सादूलपुर-हिसाब के वस्तुपरक आशोधन के साथ	211	हरियाणा, राजस्थान	0.01	2	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे तथा अनुमानों की तैया आरंभ की गई है।
दमरे	मुदखेड़-अदिलाबाद	167	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश	37.6	20	यह कार्य बोल्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। बहरहाल, ठेकेदार का की प्रगति कर पाने में समर्थ नहीं है। कार्य पूरा करने की अ संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।
दमरे	सिकंदराबाद-द्रोणाचल्लम	331	आंध्र प्रदेश	334.45	0.55	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
दमरे	कटपाडि-पकाला-तिरुपति	104	आंध्र प्रदेश	41.69	20	कार्य प्रगति पर है।
दमरे	गुंतूर-गुंतकल और गुंतकल-कल्लारू नई लाइन पेंदिकल्लू से गूत्ती	471	आंध्र प्रदेश	440.05	20	गुंतूर से गुंतकल पूरा हो गया है। पेंदिकल्लू-गूटी (29 किमी) तक न लाइन हिस्से का कार्य प्रगति पर है और इसे 2001-02 के दौरान पू किए जाने का लक्ष्य है।
दमरे	सोलापुर-गदग	330	महाराष्ट्र, कर्नाटक	130.04	10	यह कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर-होटगी (16 किमी) और होटगी से बीजापुर (94 किमी) पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग के शेष खंड में कार्य प्रगति पर है जो आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
दमरे	सिकंदराबाद-मुदखेड़ और जनकमपेट बोधन	269	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र	35	19.87	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। कार्य में तेजी लाई जा रही है और मुदखेड़-धर्माबाद को 2001-02 के दौरान पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
दमरे	धर्मावरम-पकाला	227	आंध्र प्रदेश	0.1	1	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे तथा अनुमानों की तैयारी आरंभ की गई है।
दमरे	अकोला-पूर्णा	210	महाराष्ट्र	10	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
दपूरे	गोंडिया-चांदाफोर्ट	242	महाराष्ट्र	242.32	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
दपूरे	जबलपुर-गोंडिया, बालाघाट-कटंगी सहित	285	मध्य प्रदेश	16.02	15	चरण-1 में गोंडिया-बालाघाट (42 किमी) खंड पर कार्य आरंभ किया गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। जलपुर-बालाघाट खंड पर चरण-2 कार्य आरंभ करने की योजना बनाई जा रही है।
दपूरे	रांची-लोहारडगा, तोरी तक विस्तार सहित	113	छत्तीसगढ़	15.97	4	रांची-लोहारडगा खंड के बीच तल्प को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है।
दपूरे	रुपसा-बांगरीपोसी	89	उड़ीसा	9.64	4	चरण-1 में रुपसा-बारीपाडा खंड (51 किमी) आमान परिवर्तन करने की योजना है।
दपूरे	नौपाडा-गुनपुर**	90	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा	5.14	0.1	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात यह कार्य आरंभ किया जाएगा जिनके लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
दपूरे	बांकुरा-दामोदर नदी परियोजना, बोवाईचांदी से खना तक नई लाइन के विस्तार के वस्तुपरक आशोधन के साथ	118	पश्चिम बंगाल	42.45	50	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
दरे	बेंगलूरू-हुबली-बिरूर-सिमोगा	630	कर्नाटक	397.66	0.5	बेंगलूरु-हुबली तक लाइन और बिरूर एवं शिमोगा के बीच कार्य पूरा हो गया है। शिमोगा-तालागुप्पा (97 किमी) पर कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
दरे	डिंडीगुल-त्रिची	93	तमिलनाडु	95.85	0.5	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
दरे	चैन्ने बीच-तिरूचिरापल्ली और अरक्कोणम-चेंगलपट्टू	340	तमिलनाडु	409.52	0.5	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
दरे	यलहंका-चिकबल्लापुर और कोलार-बंगारपेट	61.9	कर्नाटक	57.44	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
दरे	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर	236	कर्नाटक	136.38	58.1	अरसीकेरे-हसन-शकलेशपुर पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। कंकनाडि-कबाकापुत्तुरम में ऊपरी (44 किमी) में मिट्टी, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी संग्रहण पूरा हो गया है और अन्य खंडों में प्रगति के विभिन्न चरणों में है।
दरे	यशवंतपुर-सेलम	197	तमिलनाडु कर्नाटक	175.34	0.5	कार्य पूरा हो गया है। बहरहाल, बयाप्पनहल्ली-यशवंतपुर हेब्बल और लिंगाराजपुरम में ऊपरी सड़क पुल के लिए जनता द्वारा आंदोलन के कारण खोला नहीं जा सका है। इसके शीघ्र खोले जाने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है।
दरे	मैसूर-हसन	119	कर्नाटक	184.39	0.5	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
दरे	तिरूचिरापल्ली-नागौर-कैराकल	200	तमिलनाडु	81.23	13	त्रिची से तंजावूर (50 किमी) तक खंड पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर	छपरा-औड़िहार	169	उत्तर प्रदेश, बिहार	169.91	0.1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
दरे	मदुरै-रामेश्वर	161	तमिलनाडु	5.39	10	मदुरै और मनमदुरै के बीच मिट्टी और पुल संबंधी कार्य किया गया है।
दरे	कोल्लम-तिरुनेलवेली-त्रिचांदूर और तेनकासी-विरूदनगर	357	केरल, तमिलनाडु	21.97	20	विरूदनगर-तेनकासी और तिरुनेलवेली-त्रिचांदूर में पुल एवं मिट्टी संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। घाट खंड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
दरे	विषुपुरम-पांडिचेरी	37	तमिलनाडु	0.9	5	कार्य आरंभ करने की आरंभिक व्यवस्था की जा रही है।
दरे	मैसूर-चामराजनगर	148	कर्नाटक	0.01	1	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे तथा अनुमानों की तैयारी आरंभ की गई है।
दरे	तंजावूर-विषुपुरम मुख्य लाइन	192	तमिलनाडु	6.03	10	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। नक्शे तथा अनुमानों की तैयारी आरंभ की गई है।
दरे	कुड्डालूर-सेलम बरास्ता वृधाचेलम	191	तमिलनाडु	1	6	यह कार्य राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी (50:50) के आधार पर किया जा रहा है। वृधाचेलम-वड्डालोर खंड पर कार्य पहले चरण में आरंभ किया जा रहा है।
दरे	विषुपुरम-कटपाडि	161	तमिलनाडु	2.23	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। विस्तृत नक्शों का कार्य आरंभ किया गया है।
दरे	त्रिची-मनमदुरै	150	तमिलनाडु	4	10	विस्तृत नक्शों का कार्य आरंभ किया गया है।
परे	भिलडी (मेहसाण-पाटन)-वीरमगाम	157	गुजरात	15.4	15	पहले चरण में वीरमगाम-मेहसाणा (65 किमी) पर मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।
परे	फुलेरा-मारवाड़ा-अहमदाबाद	572	गुजरात, राजस्थान	618.85	13.5	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
परे	नीमच-रतलाम	135	मध्य प्रदेश	14.81	15	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ किया गया है।
परे	राजकोट-वेरावल, वांसजलिया से जेतलसर तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन के साथ	275	गुजरात	25.58	20	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। राजकोट-वेरावल खंड पर तल्प जून 2002 तक तैयारी हो जाने की आशा है।
परे	आगरा-बांदीकुई	152	उत्तर प्रदेश, राजस्थान	20.6	10	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है।
परे	गांधीधाम-भुज	58	गुजरात	43.32	1	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
परे	वांकानेर-मलिया मियाना	97	गुजरात	88.42	5.5	कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।

	2	3	4	5	6	7
	अमजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़, उदयपुर से उमरा तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन के साथ	311	राजस्थान	19.18	15	पहले चरण में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ (114 किमी) के बीच कार्य प्रगति पर है।
रे	सुरेन्द्रनगर-भावनगर-राजुला-महुआ, पिपावाव तक विस्तार और सिहौर-पलिताना सहित	385	गुजरात	46.66	34.4	पिपावाव तक संपर्क(18 किमी) सहित सुरेंद्रनगर से राजुला तक मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य विशेष प्रयोजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें रेल मंत्रालय तथा मैसर्स जीपीएल शामिल हैं। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति आरंभ की गई है। कार्य 2002-03 में पूरा हो जाने की संभावना है।
परे	ध्रांगध्रा-कुडा साइडिंग	22	गुजरात	0.01	2	यह कार्य लागत में 1/3 भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है जिसमें रेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सह-भागीदार हैं। कार्य 2001-03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
परे	गांधीधाम-पालनपुर	313	गुजरात	0.05	15	गुजरात सरकार ने अन्य लाभार्थियों के साथ लागत में भागीदारी करने की इच्छा व्यक्त की है। इस संबंध में समझौता ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी लाइन में परिवर्तित की गई छोटी लाइनों/मीटर लाइनों का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

1998-99			1999-2000			2000-2001		
खंड/परियोजना का नाम	कि.मी	31-3-01 तक व्यये*	खंड/परियोजना का नाम	कि.मी.	31-3-01 तक व्यय*	खंड/परियोजना का नाम	कि.मी.	31-3-01 तक व्यय*
खड्डा- गोरखपुर परियोजना के भाग के रूप में नरकटियागंज-गोरखपुर	159	252	मिरज-लातूर परियोजना के भाग के रूप में पंधारपुर-कुर्डूवाडि	52	105.3	गुना-इटावा परियोजना के भाग रूप में नैनेरा-भिंड	26	275.33
चेन्नै-त्रिची परियोजना के भाग के रूप में तारंबम-त्रिची	303	409.53	काशीपुर-लालकुंआ	60	55.43	मुजफ्फरपुर-रक्सौल परियोजना के भाग के रूप में रक्सौल-बीरगंज	8	121.76
त्रिची-दिंडीगुल	93	95.84	चेन्नै-त्रिची परियोजना के भाग के रूप में अण्कोणम-चेंगलपट्टू	63	409.53	गाधोधाम-भुज	58	43.32
गोंडिया-चांदाफोर्ट परियोजना के भाग के रूप में बाबूपेट-बल्लारशाह	11	242.32	यशवंतपुर-सेलम परियोजना के भाग के रूप में यलहंका-यशंवतपुर	17	175.34			
सोलापुर-होटगी-गदग परियोजना के भाग के रूप में सोलापुर-होटगी	15	130.04	वांकानेर-मलिया मियाना परियोजना के भाग के रूप में मोरबो से मलिया मियाना और दहिसरा-नवलाखो	68	88.42			
लमडिंग-डिब्रूगढ़ परियोजना के भाग के रूप में मरियानी-जोरहाट और शिवासागर-मोरनहाट	57	687.34						
इंदारा-फेफना	55	33.47						

*सम्पूर्ण परियोजना के लिए प्रत्याशित व्यय उल्लिखित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी प्रस्ताव

*180. श्री टी.टी.वी. दिनाकरनः
श्री राजो सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) क्या बिहार से भी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को दिए गए अनुदान/ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) वर्ष 2000-01 के दौरान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरइसी) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और प्राप्त ऋण सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2000-01 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतगत मुहैया करायी गयी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के भाग के रूप में उत्तर-पूर्वी राज्यों में 165 जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण की स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(घ) 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में 10वीं योजना के अंत अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा करने तथा 11वीं योजना के अंत अर्थात् वर्ष 2012 तक सभी परिवारों को सम्मिलित करने का संकल्प लिया गया है।

विवरण-I

2000-01 के दौरान आरईसी के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं की राज्य-वार स्वीकृति और संवितरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा प्राप्त ऋण
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	272	1133.40	506.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.34	7.54
3.	असम	0	0.00	0
4.	बिहार	0	0.00	0
5.	दिल्ली	2	8.17	0.00
6.	गोवा	2	2.47	1.04
7.	गुजरात	60	702.19	535.72
8.	हरियाणा	100	246.54	92.12
9.	हिमाचल प्रदेश	0	30.00	44.09
10.	जम्मू व कश्मीर	43	165.71	31.33
11.	कर्नाटक	308	670.62	270.86

1	2	3	4	5
12.	केरल	93	611.71	469.82
13.	मध्य प्रदेश	0	0.00	1.31
14.	महाराष्ट्र	193	1187.67	752.23
15.	मणिपुर	8	19.37	4.99
16	मेघालय	0	0.00	0
17.	मिजोरम	0	0.00	5.65
18.	नागालैंड	1	0.64	2.46
19.	उड़ीसा	0	0.00	18.07
20.	पंजाब	28	651.68	589.59
21.	राजस्थान	179	832.01	708.98
22.	सिक्किम	0	0.00	0
23.	तमिलनाडु	0	0.00	9.24
24.	त्रिपुरा	7	12.32	6.43
25.	उत्तर प्रदेश	4	33.25	0
26.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.43
	कुल	1301	6308.09	4058.13

विवरण-II

वर्ष 2000-01 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा मुहैया कराए गए ऋण

क्र.सं.	राज्य	ऋण (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	961.00
2.	असम	2652.00
3.	बिहार	3767.00
4.	हिमाचल प्रदेश	72.00
5.	जम्मू व कश्मीर	77.00
6.	कर्नाटक	7.00
7.	मध्य प्रदेश	549.00
8.	मणिपुर	131.00
9.	मेघालय	1872.00
10.	मिजोरम	16.00
11.	नागालैंड	38.00
12.	उड़ीसा	1133.00
13.	राजस्थान	507.00
14.	त्रिपुरा	14.00
15.	उत्तर प्रदेश	4547.00
16.	पश्चिम बंगाल	1157.00
	कुल	17500.00

175.00 करोड़ रुपये

डी.डी. मैट्रो चैनल के टाइम स्लॉट की नीलामी

1805. श्री अरुण कुमारः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 जून, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "ऑक्शन ऑफ डी.डी. मैट्रो टाइम स्लाट किक्स अप ए रो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रसार भारती ने डी.डी. मैट्रो के 330 मिनट के लंबे समय को तीन वर्ष के लिए निजी निर्माताओं को नीलामी के माध्यम से देने के मामले में मंत्रालय द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करके टाइम स्लॉट नीलाम करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती एक सांविधिक संगठन है और इसे इसके कार्यक्रम प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इसके द्वारा डी डी-मैट्रो चैनल को मौजूदा बाजार स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करने हेतु बोली आधार पर अधिक प्रसारण समय आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। प्रसार भारती ने बताया है कि बाजार से नाकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण अब डी डी मैट्रो पर प्रायोजकता आधार पर स्लॉट प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ए.पी.एम. की समाप्ति

1806. डा. एन. वेंकटस्वामीः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2002 तक "नियंत्रित मूल्य प्रणाली" समाप्त कर दिए जाने के कारण पेट्रोलियम कम्पनियों के बीच ब्रांड-युद्ध छिड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वीडियो कम्प्रैशन प्रणाली का काम न करना

1807. श्री पी. मोहनः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995 में मै. गुजरात कम्युनिकेशन्स एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई तीन करोड़ रुपये मूल्य की 5 चैनल वीडियो कम्प्रैशन प्रणाली ने काम नहीं किया है;

(ख) क्या दूरदर्शन के अनुसंधान और विकास स्कंध ने इस प्रणाली का उन्नयन किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके उन्नयन संबंधी लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 16.52 लाख रुपये मूल्य का परिसमापन शुल्क वसूल नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो फर्म से इस शुल्क को वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ङ) दूरदर्शन के अनुसंधान एवं विकास स्कन्ध की 3.30 करोड़ रु. की लागत वाली प्रयोगात्मक परियोजना हेतु 5 चैनल वीडियो कम्प्रैशन प्रणाली से संबंधित आपूर्ति, प्रतिष्ठापना तथा इसे चालू करने के लिए मैसर्स जी सी ई एल को जनवरी, 1995 में आर्डर दिया गया था। उक्त आर्डर की शर्तों के अनुसार, एम पी ई जी-1 प्रणाली की 15.1.95 तक आपूर्ति की जानी थी और इसे 30.6.95 तक एम पी ई जी-2 प्रणाली के रूप में उन्नयित किया जाना था। फर्म द्वारा एम पी ई जी-1 कम्प्रैशन प्रणाली को 15.1.95 को प्रतिष्ठापित एवं चालू किया गया था तथा बाद में बिना अतिरिक्त लागत के अप्रैल, 2000 में एम पी ई जी-2 प्रणाली के रूप में उन्नयित किया गया था। आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब के लिए आपूर्तिकर्ता पर उपस्कर की लागत के अधिकतम 5% तक दण्ड लगाया जा सकता है। फर्म को किए जाने वाले भुगतान की 10% राशि रोक ली गई है और इसमें से परिसमापन प्रभारों की वसूली की जानी है।

अंडमान और निकोबार में सेना के तीनों अंगों की कमान

1808. श्री सुरेश कुरूप: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेना के तीनों अंगों की कमान, स्थापित की जा रही है और निकोबार द्वीप समूह में एक एयर बेस की स्थापना की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 1.10.2001 को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ की संक्रियात्मक कमान के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दोनों सेनाओं के सभी सैन्य संघटकों और तटरक्षक बल को रखते हुए अंडमान और निकोबार एकीकृत कमान की स्थापना के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

इस कमान ने दिनांक 8.10.2001 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों/संग्रहालयों/स्मारक स्थलों में परिवर्तित करना

1809. श्री रामदास आठवले: क्या **संस्कृति मंत्री** राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों/संग्रहालयों/स्मारक स्थल में परिवर्तित करने के बारे में 9 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2881 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वांछित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वांछित सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा शहरी विकास मंत्रालय से विस्तृत सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। ग्यारह राज्य सरकारों से अभी भी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें अनुस्मारक भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में राव्वा तेल क्षेत्रों में गैस का उत्पादन

1810. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में राव्वा तेल क्षेत्रों में उत्पादित गैस को पाइपों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में गेल (जी.ए.आई.एल.) विडियोकोन पेट्रोलियम और अन्य पेट्रोलियम कम्पनियों के साथ केन्द्र सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य में उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने मौजूदा और नए खोजे गए (सैटेलाइट) क्षेत्र, दोनों से, कुल 1.90 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) गैस के लिए 27.6.1997 और 9.4.2001 को राव्वा क्षेत्र में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, विडियोकॉन पेट्रोलियम, कैरोन एनर्जी इंडिया लिमिटेड तथा राव्वा आयल, सिंगापुर के गैस उत्पादक परिसंघ के साथ दो दीर्घकालीन गैस बिक्री खरीद करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल इस गैस की आपूर्ति आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न गैस आधारित औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वयं कर रहा है।

वाहन अनुसंधान विकास स्थापना

1811. श्री सुनील खां: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की वाहन अनुसंधान विकास स्थापना ने गत दशक में करोड़ों रुपए व्यय करने के बाद प्राथमिक रूप से सेना के लिए पहिये वाले और चक्र-पट्टी वाले वाहनों के अनुसंधान और विकास की 18 परियोजनाएं पूरी की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से अंततः केवल चार परियोजनाओं में ही उत्पादन कार्य शुरू हो पाया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रक्षा क्षेत्र में कुप्रबंधन और अव्यवस्थित नियोजन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। वाहन अनुसंधान विकास स्थापना ने वर्ष 1988-1998 के दौरान सेना के लिए 18 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं जिसमें 9.72 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल था।

(ख) और (ग) जी नहीं। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर हुए व्यय को बेकार नहीं समझा जाता है क्योंकि सभी विकसित प्रौद्योगिकियों और प्राप्त अनुभवों का उपयोग भावी कार्यक्रमों में किया जाता है। वाहन अनुसंधान विकास स्थापना ने सभी 18 परियोजनाएं पूरी की जबकि 1988-1998 के दौरान चार में थोक उत्पादन किया गया, 'आपरेशन थियेटर काम्पलेक्स ऑन व्हील्स' नामक पांचवीं परियोजना में वर्ष 2000 में उत्पादन शुरू हुआ था और किचन लारी नामक एक दूसरी परियोजना में उत्पादन शुरू होने वाला है। तथापि, अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, परियोजना के उद्देश्य तथा प्रयोक्ता की तात्कालिक और भावी आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन करती हैं।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में लंबित परियोजना

1812. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) इन लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इन परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उधमपुर-श्रीनगर-बारमूला परियोजा की शीघ्र प्रगति हेतु अतिरिक्त परियोजना विशिष्ट सहायता मुहैया कराने के लिए सक्षम प्राधिकरण से सम्पर्क किया गया है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर में आंशिक रूप से/पूरी तरह चल रही परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	31.3.2001 तक व्यय	2001-02 के लिए परिव्यय	लक्ष्य तिथि	प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जम्मू उधमपुर (53.6 कि.मी.)	425 करोड़ रु.	346.79 करोड़ रु.	40 करोड़ रु.	31.3.2003	जम्मू तवी से बाजलटा (11.75 किमी.) खंड पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। शेष खंड अर्थात बाजलटा-उधमपुर पर मिट्टी संबंधी, सुरंग संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	उधमपुर-श्रीनगर बारामूला	3244 करोड़ रु.	264.98 करोड़ रु.	100 करोड़ रु.	31.3.2005 उधमपुर-कटरा	कार्य चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में उधमपुर-कटरा (26 किमी.) पर कार्य प्रगति पर है जहां मिट्टी, सुरंग और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। चरण-2 में काजीगुंड-बारामुला खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां भूमि अधिग्रहण, मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिये गये हैं। श्रीनगर स्टेशन इमारत का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	जालंधर-पठानकोट-जम्मू तवी जबलिंग (212 कि.मी)	459.95 करोड़ रु.	5.10 करोड़ रु.	8 करोड़ रु.	अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गयी है। है।

जनहित याचिकाएं

1813. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमिक संगठनों ने न्यायालयों द्वारा हड़तालों के विरुद्ध जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने और श्रमिक विरोधी निर्णय देने पर आपत्ति जताई है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के एक निर्णय में कुछ प्रकार की नौकरियों में ठेका श्रम के उपयोग पर पाबंदी लगाने संबंधी केन्द्र सरकार की 1976 की अधिसूचना को रद्द करते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ठेका श्रम संबंधी कानूनों को शिथिल किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने हेतु इस निर्णय के विरुद्ध कोई पुनर्विचार याचिका दायर करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) न्याय विभाग की जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) ऐसे स्थापनों के, जिनकी बाबत केंद्रीय सरकार 'समुचित सरकार' है, स्वामित्व या अधिभोग वाले भवनों में झाड़-बुहार, सभाई, झाड़-पोंछ और चौकीदारी के कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने वाली केंद्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 9.12.1976 की अधिसूचना को एस.ए.आई.एल. और अन्य बनाम नेशनल यूनियन आफ वाटर फ्रंट वर्कर्स और अन्य के मामलों में उच्चतम न्यायालय की जांच न्यायाधीशों की संविधान न्यायपीठ द्वारा उनके तारीख 30.8.2001 के निर्णय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रम के कार्य करने की दशाओं, मजदूरी, के संदाय और उनके कल्याण तथा स्वास्थ्य से संबंधित अन्य सुख-सुविधाओं के संबंध में उनके हितों की संरक्षा के उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

डीलर चयन बोर्ड द्वारा एस.के.ओ. डीलरों का चयन

1814. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि:

(क) डीजल चयन बोर्ड द्वारा चयनित सूचीबद्ध उम्मीदवारों को एस.के.ओ. डीलरशिप देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या किसी कारणवश पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार को अयोग्य पाए जाने की स्थिति में दूसरे सूचीबद्ध उम्मीदवार को आशय-पत्र जारी किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार की मृत्यु होने की स्थिति में भी दूसरा सूचीबद्ध उम्मीदवार योग्य हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के पास लम्बित ऐसे विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान नीति के अनुसार, एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपों के आबंटन के लिए तेल विपणन कम्पनियों (ओ.एम.सीज.) द्वारा डीलर चयन बोर्डों से योग्यता पैनल की प्राप्ति के बाद, क्षेत्र की जांच रिपोर्ट पूरी करवाई जाती है और यदि क्षेत्र जांच रिपोर्ट (एफ आई आर) सही पाई जाती है तो पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार को आशय-पत्र (एल ओ आई) जारी किया जाता है।

(ख) और (ग) एफ आई आर के बाद अगर पहला सूचीबद्ध उम्मीदवार किसी विशेष कारणवश (जिसमें उसकी मृत्यु सम्मिलित

हो सकती है) उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो संबंधित तेल कम्पनी मामले को संबंधित डीलर चयन बोर्ड के अध्यक्ष को भेजेगी जो दूसरे सूचीबद्ध उम्मीदवार को आशय-पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लेगा।

(घ) ऐसा एक मामला निर्णय के लिए लंबित है।

[हिन्दी]

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम

1815. श्री जयप्रकाश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के केबल आपरेटरों और फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों ने सरकार का ध्यान वर्तमान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की कमियों की ओर आकर्षित कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कमियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रतिलिप्यधिकार के अन्तर्गत सरलीकरण से सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ताकि एक ओर चोरी को नियंत्रित किया जा सके तथा दूसरी ओर प्रतिलिप्यधिकार के स्वामियों की अनुमति से फिल्मों के वैधानिक प्रदर्शन को सरल बनाया जा सके। सरकार ने फिल्म निर्माताओं, बहु-पद्धति प्रचालकों और केबल प्रचालकों के बीच बातचीत की व्यवस्था की है ताकि वे फिल्म की चोरी से सम्बन्धित कुछ जटिल विषयों का निराकरण कर सकें।

[अनुवाद]

मतदाता सूचियों में संशोधन

1816. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों की मतदाता सूचियों में संशोधन का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या सरकार ने देश भर में वोटिंग मशीन प्रणाली शुरू करने के संबंध में भी अंतिम निर्णय ले लिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि इसने पहले ही अर्हता तारीख के रूप में 1.1.2002 के प्रतिनिर्देश से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की, जिसके अतंर्गत नए सृजित छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्य भी हैं, निर्वाचक नामावलियों को पुनरीक्षित करने का निश्चय किया है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नामावलियों का पुनरीक्षण पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है।

(ग) निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि यह संपूर्ण देश में निर्वाचनों में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उत्तरोत्तर प्रयोग आरंभ करने के लिए उपाए करता रहा है। हाल ही में केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और पांडिचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के दौरान इनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। संपूर्ण देश में सभी भावी निर्वाचनों में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के प्रयोग के प्रश्न पर आयोग द्वारा इस विषय के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समुचित समय पर विचार किया जाएगा।

केरल में चल रही परियोजनाएं और सर्वेक्षण कार्य

1817. श्री टी. गोविन्दन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में चल रही परियोजनाओं/सर्वेक्षण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अभी तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं/सर्वेक्षण कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से तटीय रेल मार्ग निर्मित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) केरल में चल रही रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों की स्थिति की गई प्रगति और उनको पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित हैं, संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(घ) जी नहीं। ऐसा कोई अनुरोध हाल में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

केरल में चल रही रेल परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति
नई लाईन				
1.	कुट्टीपुरम-गुरुवायूर	द.रे.	90.00	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
2.	अंगामाली-सबरीमाला	द.रे	550.00	अंगामाली और इरुमेली के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिगृहीत की जा रही है।
3.	कोट्टायम-इरुमेली	द.रे	200.00	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन				
4.	कोल्लम-तिरुनेलवेल्ली-त्रिचेंदूर और तेनकासी-विरूधनगर	द.रे.	327.61	विरुधनगर-तेनकासी और तिरूनेलवेल्ली-त्रिचेंदूर में पुल संबंधी और मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। घाट खण्ड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं।
दोहरीकरण				
5.	कोल्लम-तिरुवनंतपुरम	द.रे.	156.65	यह कार्य पूरा हो गया है और लाइन यातायात के लिए खोल दी गई है।
6.	कट्टीपुरम-कालीकट	द.रे	179.68	पुल और मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है और 16 किमी. खण्ड 2001-02 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
7.	कालीकट-मंगलौर	द.रे.	462.10	221 किमी. में से 136 किमी. लाइन पूरी हो गयी है, शेष 65 किमी. 2001-02 में पूरी कर ली जाएगी।
8.	एर्णाकुलम-एर्णाकुलम विन्यास यार्ड	द.रे	6.42	कार्य प्रगति पर है और 2001-02 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
9.	एर्णाकुलम-मुलन्तुरूत्ती	द.रे.	35.00	बजट 2001-02 में शामिल नया कार्य विस्तृत नक्शे और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
रेलवे विद्युतीकरण				
10.	इरोड-पालघाट एर्णाकुलम	द.रे	220.09	पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य चल रहे हैं।
11.	एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम	द.रे.	161.76	कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2004 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

विवरण-II

केरल में चल रहे सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किमी.	स्थिति
1.	वैकम-वैकम रोड के बीच नई लाइन	10	शीघ्र ही शुरू किया जाना है।
2.	शेरूवण्णूर में बल्ब रेल लाइन	4	पूरा हो गया, रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
3.	मदुरै और कोट्टायम के बीच नई लाइन	285	प्रगति पर है। 31.3.2002 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
4.	एर्णाकुलम-पुन्नलूर-तिरूवनंतपुरम	136	बजट 2001-02 में शामिल नया सर्वेक्षण, 31.12.2002 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।
5.	पुन्नालूर से इरूमेली तक नई लाइन	65	अभी शुरू किया जाना है। 31.12.2002 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

अपारम्परिक स्रोतों से राजस्व उगाहना

1818. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का राजकोष से आबंटन में वृद्धि नहीं होने तथा अपनी योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि न जुटा पाने के कारण अपने योजना निवेश को पूरा करने के लिए राजस्व के अपारम्परिक स्रोत जैसे भूमि, वायु सीमा, वाणिज्यक प्रचार-प्रसार, रोलिंग स्टॉक और रेलवे स्टेशनों के वाणिज्यक दोहन से 1000 करोड़ रुपए जुटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक अपारम्परिक स्रोतों से 1000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कोई रणनीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपारम्परिक स्रोतों से 1000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य पूरा न होने की स्थिति में रेलवे के योजनागत कार्यों को कितना नुकसान होगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) योजना निवेशों के लिए संसाधन सृजित करने के उद्देश्य से रेल बजट 2001-02 अन्य बातों के साथ-साथ गैर-परंपरागत स्रोतों से 1000 करोड़ रु. की आमदनी की परिकल्पना की गई है। इसमें, (1) रेलवे भूमि और उपरी क्षेत्र के वाणिज्यक उपयोग से 200 करोड़ रु.; और (2) वाणिज्यिक प्रचार से 100 करोड़ रु., तथा (3) ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार से 700 करोड़ रु. शामिल है।

अगस्त, 2001 के अंत तक भूमि के विभिन्न उपयोगों से अर्थात् भूमि को पट्टे/लाइसेंस पर देने, शॉपिंग, वृक्षारोपण, मत्स्यपालन आदि से 26 करोड़ रु. को राशि वसूली की गई है। इस संबंध में स्थिति पर गहन नजर रखो जा रही है। वाणिज्यिक प्रचार से अगस्त, 2001 तक 11 करोड़ रु. की आमदनी प्राप्त हुई है। विभिन्न एजेंसियों और प्रौद्योगिक इकाइयो के साथ संपर्क करने के अलावा स्थलों का मूल्य पुनर्निर्धारित करके तथा नए स्थानों की पहचान करके इस स्रोत से होने वाली आमदनी में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मार्गाधिकार के मूल्य में कमी होने और दीर्घकालीन वार्षिक पट्टा आधार पर मार्गाधिकार को पट्टे पर देने से संबंधित रेलों की योजना के कारण ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए मार्गाधिकार से 700 करोड़ रु. की अनुमानित आमदनी के फलीभूत होने की संभावना नहीं है।

बजट राशि की तुलना में वास्तविक वसूली के आधार पर योजना खर्च को विनियमित किया जाना होगा। नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण के अंतर्गत चुनिंदा परियोजनाओं की प्रगति तेज करने के लिए सरकार भी 2001-02

के दौरान 898 करोड़ रु. की अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा परिसंपत्तियों के नवीकरण और बदलाव के बकाया कार्यों को पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने एक स्थाई "विशेष रेल संरक्षा निधि" भी सृजित की है जिसके जरिए चालू वित्त वर्ष में संरक्षा संबंधी कार्यों पर 1400 करोड़ रु. खर्च करने का प्रस्ताव है।

एन.जी.एम.ए. की माल सूची

1819. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट (एन जी एम ए) अपनी परिसम्पत्तियों की माल सूची बना रही है और उसकी अपनी कुछ सम्पतियों को बेचने की योजना है;

(ख) क्या यह सरकार की विनिवेश नीति का एक हिस्सा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्य विनिवेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन सहित माल सूची तैयार करने का कार्य नियमित रूप से किया जाता है और नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट में कुछ कला कृतियों को अंतरित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी विभागों में अपव्यय

1820. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वे इस बात से अवगत हैं कि वित्त मंत्रालय ने कतिपय विभागों की पहचान की है जिनमें सर्वाधिक अपव्यय है.

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनमें पहचान किए अपव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अपव्यय को रोकने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चेन्नई से कांचीपुरम तक रेल मार्ग

1821. **श्री ए.के. मूर्ति:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुन्नमाल्ली, श्रीपेरम्बदूर के रास्ते चेन्नई से कांचीपुरम तक रेल मार्ग उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) पुनामाल्ली, श्रीपेरम्बदूर और कांचीपुरम के रास्ते चेन्नई से काटपाडि तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया है। प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति और चल रहे निर्माण के भारी थ्रो फारवर्ड के कारण परियोजना को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

धरोहर-स्थलों के समीप खनन कार्य

1822. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई धरोहर स्थलों को उनके आस-पास के क्षेत्रों में किए जा रहे बेतरतीब खनन कार्यों के कारण ध्वस्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इडुक्कि जिले (केरल) का "पांडवन पाड़ा" आस पास के क्षेत्रों में ग्रेनाइट के अंधाधुंध खनन से संकट का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) इन स्थलों के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अपने आस-पास की खनन गतिविधियों से खतरे का सामना कर रहे केन्द्रीय संरक्षित स्थलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जिला तिरूवनंतपुरम में स्थल का संरक्षण राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। इस स्थल के आस-पास के क्षेत्र में उत्खनन के लाइसेंस, एक निजी पार्टी को, राज्य खनन और

भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए थे। राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा की गई आपत्ति पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। अब निजी पार्टी ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है।

विवरण

अपने आस-पास के क्षेत्रों में खनन/उत्खनन द्वारा खतरे का सामना कर रहे केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान/राज्य
1.	सप्त मात्रिक गुफाएं	बडोह पठारी, मध्य प्रदेश
2.	जैन मंदिर	बडोह पठारी, मध्य प्रदेश
3.	दसावतार मंदिर	बडोह पठारी, मध्य प्रदेश
4.	आठ प्राकृतिक कन्दराएं	कुलातुर, पुडुक्कोट्टई, तमिलनाडु
5.	इतिहासपूर्व कब्रिस्तान	अम्माचतरम, पुरुकोट्टई, तमिलनाडु
6.	कदम्बरकोइल, नरतामलय (पहाड़ियों के उत्तरी तरफ)	पुडुक्कोटई, तमिलनाडु
7.	शैलकृत शिव और विष्णु मंदिर	मलायादीपट्टी पुडुक्कोटई, तमिलनाडु
8.	सिक्कानाथस्वामी मंदिर	कुदुमियनमलाई, पुडुक्कोटई, तमिलनाडु
9.	शिव मंदिर	तोडियापुर, पुडुक्कोट्टई, तमिलनाडु
10.	उत्खनन स्थल	उदयगिरि जाजपुर, उड़ीसा

कदूर-सकलेशपुर और मैसूर-चमराजनगर रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

1823. श्री विनय कुमार सोराके : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कदूर-सकलेशपुर और मैसूर-चमराजनगर रेल मार्ग को आमान परिवर्तन में शामिल करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान मंगलौर और हासन के बीच चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य हेतु कितना आबंटन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) कादुर से सकलेशपुर तक नई लाइन और मैसूर-चामराजनगर के आमान परिवर्तन का कार्य रेल बजट में पहले से ही शामिल है। कादुर-चिकमगलूर-सकलेशपुर परियोजना पर कादुर-चिकमगलूर के बीच मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। मैसूर-चमराजनगर परियोजना के लिए अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हैं और नक्शे और अनुमान की तैयारी शुरू कर दी गई है।

(ग) 2001-02 के दौरान परिव्यय 58.1 करोड़ रुपए है।

वापी पर नई दिल्ली-मुम्बई सेन्ट्रल राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

1824. श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली-मुम्बई सेन्ट्रल राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी बड़ौदा और मुम्बई के बीच की लगभग 450 कि.मी. की दूरी बिना किसी ठहराव के तय करती है;

(ख) क्या सरकार को संबंधित वर्गों से इस गाड़ी को वापी में रोकने हेतु अभ्यावेदन मिल रहे हैं जिसे सुपर स्टेशन "ए" ग्रेड

घोषित किया गया है तथा यह स्टेशन सुविधाजनक रूप से मुम्बई सेन्ट्रल और बड़ौदा के लगभग मध्य में स्थित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस गाड़ी का ठहराव वापी स्टेशन पर कब तक करने का प्रस्ताव है ताकि दमन-दीव, दादरा और नगर हवेली, बलसाड़ (गुजरात) तथा दहानु संसदीय क्षेत्र के यात्री वर्ग को सुविधा हो सके?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) वड़ोदरा और मुम्बई सेंट्रल के बीच की दूरी 392 किमी. है और 2951/2952 मुम्बई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इस खंड पर नहीं ठहरती है।

(ख) और (ग) 2951/2952 मुम्बई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के वापी में ठहराव के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की गई लेकिन वाणिज्यिक और परिचालनिक व्यवहार्यता न होने और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के विशेष और तीव्र-पारगमन स्वरूप को बनाए रखने के कारण फिलहाल इसे कार्यान्वित करना उचित नहीं है।

उत्तरांचल में जल विद्युत परियोजना

1825. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल राज्य के लिए कोई जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 10वीं योजना के दौरान उत्तरांचल में चालू किए जाने के लिए अभिज्ञात निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं नीचे दी गयी हैं–

केन्द्रीय क्षेत्र	मेगावाट	चालू होने का कार्यक्रम
टिहरी बांध एचपीटी (टीएचडीसी)	1000	2002-04
कोटेश्वर बांध (एचपीपी (टीएचडीसी)	400	2005-06
टिहरी पीएसपी (टीएचडीसी)	1000	2005-07
धौलीगंगा चरण-1 (एनएचपीसी)	280	2004-05
राज्य क्षेत्र		
मनेरी भाली चरण-2	304	2006-07
निजी क्षेत्र		
विष्णुप्रयाग	400	2006-07
श्रीनगर	330	2005-06

[हिन्दी]

तत्काल कार्यान्वयन हेतु विद्युत परियोजनाओं की पहचान

1826. श्री रामपाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तत्काल कार्यान्वयन हेतु कुल विद्युत **परियोजनाओं की पहचान की है;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उत्पादन में होने वाली संभावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 9133.4 मेवा कुल क्षमता के लिए 23 ताप विद्युत

परियोजनाएं और 12665.6 मेवा कुल क्षमता के लिए 43 जल विद्युत परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

10वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने कुल 46939 मेवा क्षमता के लिए परियोजनाओं को अभिज्ञात किया है जिसमें से कुल 5850.68 मेवा क्षमता के लिए परियोजनाओं को 10वीं योजना के प्रथम वर्ष में चालू किया जाना है। कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि 10वीं योजना की परियोजनाओं को चालू करने के लिए 323533 करोड़ रुपये परिव्यय की आवश्यकता है। इसमें 11वीं योजना चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई शामिल है।

[अनुवाद]

इंजन और कल-पुर्जों की खरीद

1827. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कनाडा आधारित डीजल डिवीजन के जनरल मोटर्स के इंजनों और कलपुर्जों की खरीद हेतु भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा उपयोग किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): फरवरी, 1999 से फरवरी, 2001 की अवधि के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम लि. (भा.रे.वि.नि.) ने निर्यात विकास निगम (इ.डी.सी.), कनाडा से 42.4 मिलियन अमरीकी डालरों का निर्यात क्रेडिट प्राप्त किया था, जिसका उपयोग अमरीका की जनरल मोटर्स कारपोरेशन से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित 21 अदद उच्च अश्व शक्ति के डीजल-इलैक्ट्रिक माल इंजन और पुर्जों की खरीद को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था। 9.13 अमेरिकी डालरों का भुगतान निर्यात विकास निगम, कनाडा को कर दिया गया है और 33.28 मिलियन अमरीकी डालर शेष है। भारतीय रेल वित्त निगम ने 20.4 मिलियन अमरीकी डालरों का निर्यात क्रेडिट अमरीका की जनरल मोटर्स कारपोरेशन से 10 अदद उच्च अश्व शक्ति के डीजल-इलैक्ट्रिक माल इंजनों और पुर्जों की खरीद को वित्तपोषित करने के लिए भी प्राप्त किए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पट्टे पर भूमि देना

1828. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं से लगी भूमि एम.टी.डी.सी. को पट्टे पर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भूमि के लिए पट्टे की अवधि क्या है; और

(घ) भारतीय पुरातत्व विभाग की भूमि का कुल कितना क्षेत्र खाली पड़ा है और विभाग के कब्जे में कितने एकड़ भूमि है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अजन्ता में अपने कब्जे वाली किसी भूमि को एम.टी.डी.सी. को पट्टे पर नहीं दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गुफाओं के ऊपर जल प्रबंधन के वास्ते राज्य वन विभाग द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हस्तांतरित 19.24 एकड़ भूमि को छोड़कर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कब्जे में कोई खाली जमीन नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का विक्रय

1829. **श्री तरित बरण तोपदार:**
श्री निखिलानन्द सर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 6.5 करोड़ रुपए की लागत वाले बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को 1.5 करोड़ रुपए में हो बेच दिया है;

(ख) क्या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान 1994-2000 की अवधि में सोलह प्रौद्योगिकियों के अंतरण के संबंध बकाया रायल्टी/लाइसेंस शुल्क का 2.94 करोड़ वसूल करने में भी विफल रहा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) भारत पेट्रोलियम संस्थान (आई आई पी) ने एडिपिक एसिड, आइसोफ्थालिक एसिड, एन एम पी तथा ब्यूटेन्स के डिहाइड्रोनेशन से संबंधित प्रक्रमों पर बौद्धिक संपत्ति अधिकार कुल 5 करोड़ रुपए के मूल्य पर बेचे थे जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए का क्रेता ने पहले ही भुगतान कर दिया है।

(ख) जी, नहीं। आई आई पी को 2.94 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न पक्षकारों को 16 प्रौद्योगिकियों के विषय में जानकारी को अनुज्ञप्तियां प्रदान करने से प्रोद्भूत होनी हैं। यह धनराशि संविदागत करारों के अंतर्गत यथा निर्धारित मील पत्थर एवं उत्पादन हासिल करने की समयावधि में प्रोद्भूत होंगे।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सैनिकों को आतंकवाद से लड़ने के लिए विशेष शक्तियां देना

1830. श्री अनंत गुढे:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए सैनिकों को कोई विशेष शक्तियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंतकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में कितने सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए;

(ङ) क्या सरकार ऐसे हमलों को रोकने के लिए कोई उपयुक्त कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) आतंकवादियों से निबटने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 तथा जम्मू तथा कश्मीर पर लागू सशस्त्र सेना (जम्मू तथा कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के तहत अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को पर्याप्त रूप से विशेष शक्तियां पहले ही प्रदान कर दी गई हैं। सशस्त्र सेनाओं को विशेष शक्तियां प्रदान किए जाने से सकारात्मक परिणाम आए हैं।

(घ) से (च) नवंबर, 1998 तथा अक्तूबर, 2001 के बीच आतंकवादी हमलों के कारण कुल 932 सेना कार्मिकों की मृत्यु हुई है। आतंकवादियों के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं तथा अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ/बाह्य संचरण को रोकने के लिए एक बहुस्तरीय घुसपैठरोधी रुख अख्तियार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए उन राज्यों में सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती तथा सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित उग्रावाद विरोधी संक्रियाओं सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

विज्ञान शहरों की स्थापना

1831. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री कोलूर बसवनागौड़:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक स्थान-वार/राज्य-वार किन-किन विज्ञान शहरों की स्थापना की गई है और प्रत्येक शहर पर कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में और अधिक विज्ञान शहरों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) राज्य-वार और विज्ञान शहर-वार इन पर कितना खर्च किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 73.66 करोड़ रु. की लागत से एक विज्ञान शहर विकसित किया गया था और जुलाई 1997 में इसका उद्घाटन किया गया था।

(ख) सरकार ने जालंधर (पंजाब) में विज्ञान शहर स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

(ग) से (ङ) सरकार को आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात राज्यों से विज्ञान शहर विकसित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें अभी अनुमोदित किया जाना है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों का निर्माण

1832. श्री रामदास रुपला गावीत:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्राथमिकता दी गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) **जी हां, सरकार के पास चार अनुरोध लंबित हैं, जो निम्नानुसार हैं:-**

क्र.सं.	परियोजना	की-गई-कार्रवाई
1.	मनमाड़-मालेगांव-धुले-नरदाना-शिरपुर और इंदौर के बीच नई लाइन का निर्माण	मनमाड-मालेगांव-धुले और धुले-नरदाना-शिरपुर नई लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण किया गया है। यह पाया गया है कि इन लाइनों के निर्माण की लागत क्रमशः 144.50 करोड़ रुपए और 104 करोड़ रुपये होगी और दोनों की प्रतिफल दर ऋणात्मक है। अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका। शिरपुर से महू तक नई लाइन का सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् प्रस्ताव पर आगे विचार संभव होगा। इंदौर-महू पहले ही रेलवे लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है।
2.	बारामती से पंढारपुर तक नई लाइन का निर्माण	बारामती से पंढारपुर तक प्रस्तावित नई लाइन लगभग 110 किमी. लंबी होगी और इसकी लागत 330 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। चालू नई लाइन निर्माण कार्यों के भारी अग्रेषण और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत सुझाई गई नई लाइन के निर्माण पर विचार करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।
3.	कल्याण-मुरबाद बरास्ता मालशेजघर से अहमदनगर नई लाइन का निर्माण	हाल ही में सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ 204 किमी. लंबी इस लाइन की लागत 722 करोड़ रुपए होगी। इस लाइन की सकल अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
4.	बांद्रा-कुर्ला रेल संपर्क	बांद्रा-कुर्ला रेल संपर्क, जो मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-II (एम यू टी पी-2) में शामिल परियोजनाओं में से एक है, पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

मैहर नगर में सड़क उपरिपुल का निर्माण

1833. श्री रामानन्द सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने "बोल्ट" योजना के तहत जबलपुर रेल डिवीजन में मैहर नगर में सड़क उपरिपुल के निर्माण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग "बोल्ट" के तहत उक्त स्थल पर सड़क उपरिपुल का निर्माण करने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त पुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) राज्य सरकार को अभी यह विनिश्चय करना है कि प्रस्तावित ऊपरिसड़क का निर्माण "निक्षेप" शर्तों पर या "बनाओ, परिचालित करो और हस्तांतरित करो" शर्तों पर कराया जाए। बोल्ट योजना के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, "निक्षेप" शर्तों पर रेलवे द्वारा पुल खास (रेलपथ के ऊपर का भाग) के निर्माण के लिए 2.45 करोड़

रुपए का अनुमान चीफ इंजीनियर (रा.रा.) मंडल, लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है लेकिन धनराशि अभी जमा नहीं करायी गयी है। राज्य सरकार के निर्णय लेने और उस पर कार्रवाई करने के पश्चात् ही इस मामले में आगे कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

रूस की सहायता से तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाएं

1834. श्री जे.एस. बराड़:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में और विशेषकर तमिलनाडु के कुडमकुलम में विद्युत संयत्रों की स्थापना करने के लिए विद्युत क्षेत्र में भारत और रूस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) कच्ची सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, संयंत्र की क्षमता कितनी है और इसके शुरू होने की संभावित तारीख क्या है;

(घ) क्या रूस ने ऋण अथवा सहायता प्रदान की है और इस परियोजना में भागीदारी का दावा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने रूस की सहायता से कुडमकुलम, तमिलनाडु में एक न्यूक्लीयर संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजना संबंधी मंजूरी दे दी थी। रूसी संगठन संयंत्र की डिजाइन तैयार करेंगे और इसके लिए सामग्री एवं उपस्कर की आपूर्ति करेंगे। भारतीय पक्ष संयंत्र के अवसंरचना, निर्माण, उत्थापन, आरंभन, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार है। संयंत्र की क्षमता में 1000 मेगावाट की 2 यूनिटें शामिल हैं। परियोजना के पूरा होने की नियत तारीख के मुताबिक यूनिट-1 के लिए दिसम्बर, 2007 है तथा यूनिट-2 के लिए दिसम्बर, 2008 है।

(घ) और (ङ) दीर्घकालिक ऋण के रूप में परियोजना की लागत के लगभग 50% हिस्से के लिए सहमति हो गयी है। रूसी संघ ने परियोजना के पूरा होने पर इसमें हिस्से की मांग नहीं की है।

[हिन्दी]

जेड.आर.यू.सी.सी. और आर.डी.यू.सी.सी. का गठन

1835. श्रीमती कैलाशो देवी:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी जोनों और मंडलों में जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों और मंडल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति और मंडल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति में नामित व्यक्तियों की संख्या क्या है और और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) इनमें से कितने सदस्यों की सिफारिश संसद सदस्यों द्वारा की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों और मंडल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति का कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभिन्न मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में नामित सदस्यों की कुल संख्या तथा इन समितियों में संसद सदस्यों की सिफारिश पर नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है। विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में नामित सदस्यों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया दिया है। क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में संसद सदस्य के नामित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है।

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समितियो तथा मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के विचारार्थ विषयों के संबंध में उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगर्ता परामर्श समितियां तथा मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां 1.1.2001 से 31.12.2001 तक दो साल की अवधि के लिए सभी जोनों तथा मंडलों में कार्य कर रही हैं। इन समितियों के कार्य संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

रेलवे	मंडल	नामित सदस्यों की कुल संख्या	संसद सदस्यों की सिफारिश पर नामित सदस्यों को संख्या
1	2	3	4
मध्य	भोपाल	21	3
	झांसी	36	14
	भुसावल	20	7
	मुम्बई	27	9
	नागपुर	24	8
	जबलपुर	18	6
	शोलापुर	17	2
पूर्व	हावड़ा	46	7
	सियालदह	60	7
	आसनसोल	24	2
	मालदा	14	3
	धनबाद	24	5
	दानापुर	24	7
	मुगलसराय	15	2
उत्तर	मुरादाबाद	25	9
	बीकानेर	22	5
	लखनऊ	26	10
	जोधपुर	22	2
	दिल्ली	49	20
	फिरोजपुर	32	11
	इलाहाबाद	35	13
	अंबाला	27	7
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	17	2
	लखनऊ	43	12
	वाराणसी	25	8
	सोनपुर	20	8
	समस्तीपुर	31	10
पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	33	5
	अलीपुरद्वार	20	3
	लमडिंग	32	8
	तिनसुकिया	17	2
दक्षिण	चेन्नै	41	18
	तिरुच्चिरापल्ली	19	4
	मदुरै	29	10
	पालघाट	28	12
	त्रिवेन्द्रम	32	12
	बेंगलौर	26	11
	मैसूर	17	4
दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद	43	5
	गुंतकल	34	7
	हुबली	22	8
	विजयवाड़ा	28	11
	हैदराबाद	38	14
दक्षिण पूर्व	आद्रा	28	1
	बिलासपुर	38	4
	चक्रधरपुर	19	4
	खड़गपुर	52	6
	खुर्दा रोड	37	11
	संलबलपुर	19	3
	वाल्टेयर	40	9
	नागपुर	18	4

1	2	3	4
पश्चिम	मुम्बई	40	16
	वडोदरा	23	4
	रतलाम	27	5
	कोटा	28	8
	अजमेर	28	4
	जयपुर	26	6
	राजकोट	26	9
	भावनगर	19	1

विवरण-II

रेलवे	नामित किए गए कुल सदस्यों की
मध्य	48
पूर्व	63
उत्तर	83
पूर्वोत्तर	37
पूर्वोत्तर सीमा	67
दक्षिण	62
दक्षिण मध्य	59
दक्षिण पूर्व	77
पश्चिम	71

विवरण-II

1. मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियां (डी आर यू सी सी)

मंडलों में रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियां रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्रों में स्थानीय उपयोगर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और निम्नलिखित मामलों पर विचार करती हैं:

1. उस क्षेत्र में सुख-सुविधाओं की व्यवस्था जिससे समिति संबंधित हो।
2. समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर नए स्टेशनों को खोलने के संबंध में प्रस्ताव।
3. समय सारणियों के बारे में व्यवस्था कराना।
4. रेलवे द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाओं और सेवाओं में सुधार।
5. आम जनता के हितों अथवा जनता की सुविधा अथवा ऐसे मामले जिनसे सेवाओं और सुविधाओं पर असर पड़ता है और वे उपयोगकर्ताओं के अभिवेदन का विषय है, अथवा जिन्हें जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री काउंसिल अथवा प्रशासन द्वारा विचारार्थ भेजा गया है।

2. जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ज़ेड आर यू सी सी)

प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय पर स्थित जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उस क्षेत्र के आम रेल उपयोगकर्ताओं अथवा सम्पूर्ण रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और निम्नलिखित करती है और निम्नलिखित मामलों पर विचार करती है:-

1. सम्पूर्ण जोन के दृष्टिगत ऐसे मामले जिनका उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लेख किया गया है।
2. मंडलीय समितियों की रिपोर्ट से निकलने वाले मामले अथवा उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित विषयों से संबंधित अन्य मामले जिन्हें मंडल समितियों ने विशेष रूप से विचारार्थ भेजा हो; और
3. प्रशासन, रेल मंत्रालय अथवा राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री काउंसिल द्वारा रिपोर्ट किए गए विचारार्थ मामले।

कमीशन में वृद्धि

1836. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के डीलर काफी लम्बे समय से अपने कमीशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) डीलरों के कमीशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए सरकार ने अक्तूबर, 2000 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर, सरकार ने 9/10 नवम्बर, 2001 की मध्य रात्रि से डीलरों के कमीशन में संशोधन कर दिया है।

पुलों का निर्माण और रेल लाइनों का दोहरीकरण

1837. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल रेलवे के तहत इटारसी-कटनी रेल लाइन पर, बागड़ा तबा और घाट पिंडराई बेलखेड़ा खंड पर पुलों का निर्माण करने और रेल लाइनों का दोहरीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या कारण हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। बगरतवा-सोनतलाई और घाट पिंडरई-बेलकेरा के बीच लाइनों के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एकल लाइन वाले खण्ड का दोहरीकरण उनकी वहन क्षमता संतृप्त होने पर किया जाता है। बगरतवा सोनतलाई और घाट पिंडरई-बेलकेरा के बीच खंडों के दोहरीकरण के लिए इस मार्ग पर यानायात का स्तर अभी औचित्य पर नहीं पहुंचा है।

[अनुवाद]

122 एम.एम. ग्रेड के राकेटों का विनिर्माण

1838. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या-7 (रक्षा सेवाएं) में सेना मुख्यालय के संबंध में प्रतिवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि सेना मुख्यालय 25 करोड़ रुपए का माल पड़े रहने के बावजूद 122 एम.एम.ग्रेड के राकेटों आदि का देशी उत्पादन करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लिखित बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी वर्ष 2000 की रिपोर्ट संख्या-7 (रक्षा सेवाएं) में 122 मि.मी. जी आर ए डी राकेट के स्वदेशीकरण के संबंध में प्रश्न उठाए हैं।

(ख) प्रारंभ में भारतीय सेना द्वारा राकेटों सहित 122 मि.मी. जी आर ए डी प्रणाली की खरीद रूस से की गई थी। तत्पश्चात् सेना द्वारा रिवर्स इंजीनियरी से इस रोकेट के स्वदेशीकरण का कार्य रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को दिया गया था। विकास कार्य पूरा किए जाने के बाद सेना द्वारा 1979 और 1982 में आयुध निर्माणियों और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मांग-पत्र भेजे गए थे। 1991 तक कुल मिलाकर 12546 राकेटों का उत्पादन किया गया और उन्हें सेना को भेज दिया गया। तथापि, इन राकेटों द्वारा रूसी रेंज तालिका मापदण्डों की तुलना में होने वाले अधिक परिक्षेपण के कारण सेना द्वारा इनका उत्पादन मार्च 1990 में बंद क दिया गया था।

(ग) इन तथ्यों की जानकारी देते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पहले ही नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत कर दी गई है। उत्पादन बंद किए जाने के समय आयुध निर्माणियों के पास 25 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्री और हिस्से-पुर्जों की सामान-सूची थी। यह सामान्य-सूची उत्पादन योजना के हिस्से के रूप में आवश्यक थी। अन्य उत्पादन क्रिया-कलापों में हिस्से-पुर्जों और सामग्री का उपयोग किए जाने के कारण सामान-सूची लागत घटकर 18.40 करोड़ रुपए रह गई है।

अमरनाथ गुफा के निकट शिव मंदिर की खोज

1839. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा के निकट चन्दनवाड़ी में पन्द्रह सौ वर्ष पुराने ऐतिहासिक शिव गुफा मंदिर परिसर की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो खोज किए गए गुफा परिसर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खोज की गई नई गुफाओं को तीर्थस्थल और पर्यटक आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां, तथापि, इस स्थल की ऐतिहासिकता स्थापित नहीं हुई है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यहां प्राकृतिक रूप में बना गुफा परिसर है जहां पत्थर की दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनकी पहचान भगवान शिव के रूप में की गई है। एक दर्जन से अधिक शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि इन गुफाओं के विद्यमान होने का व्यापक प्रचार किया गया है। उनके अनुसार इस क्षेत्र का आगे विकास, इस स्थल को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

नृविज्ञान/नृजाति विज्ञान के क्षेत्र में कार्यकलाप

1840. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक नृविज्ञान और नृजाति विज्ञान क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च किया गया है; और

(घ) सरकार की इन क्षेत्रों में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हमारे देश के विभिन्न समुदायों में नृविज्ञान तथा नृजाति विज्ञान के क्षेत्र में 9 राष्ट्रीय परियोजनाएं शुरू की हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक दलों ने देश के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) और (ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर 652.82 लाख रुपए व्यय हुए हैं।

नृविज्ञान संबंधी सूचना क्षेत्रीय कार्य द्वारा विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त की गई थी। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण तथा भारत एवं विदेशों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के बीच गई सहयोग परियोजनाएं शुरू की गईं। विचारों के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 12 पुस्तकें तथा 226 विज्ञान संबंधी लेख प्रकाशित किए गए। चालू 9 परियोजनाएं शहरी नृविज्ञान, अनुसूचित जातियों पोषाहार के स्तर, चिकित्सा नृविज्ञान, हमारे सांस्कृति इतिहास के प्रलेखन, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास कार्यक्रम तथा प्रकाशन कार्यक्रम से संबंधित हैं।

(घ) भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण ने दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भारत में नृविज्ञान तथा नृजाति विज्ञान अनुसंधान से संबंधित पांच अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया है। अन्य चालू शैक्षिक कार्यकलापों जैसे नृविज्ञान तथा नृजाति अध्ययनों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों तथा प्रकाशन के साथ सहयोग के अलावा इन परियोजनाओं का मालीक्यूलर स्तर पर प्राचीन कंकाल, अवशेषों के अध्ययन, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, पर्यटन के सांस्कृतिक आयाम, हमारे सांस्कृतिक इतिहास के प्रलेखन तथा प्रचार-प्रसार, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास कार्यक्रम से प्रत्यक्ष संबंध होगा।

[अनुवाद]

राडार निगरानी

1841. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामजी मांझी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकतर भाग राडार निगरानी के अन्तर्गत नहीं हैं जिससे राष्ट्र को सुरक्षा का खतरा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में राडार द्वारा पूरी निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) वायुसेना के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त वायु-क्षेत्र निगरानी क्षमता है। भारतीय वायुसेना और नागर विमानन के संसाधनों का वायु-क्षेत्र निगरानी के लिए कारगर एवं बेहतरीन ढंग से संयोजन किया जा

रहा है। निगरानी क्षमता को बढ़ाने के तरीके पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुधार किया जा रहा है कि देश के संपूर्ण वायु-क्षेत्र की राडार द्वारा निगरानी करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की जरूरत होगी।

(ग) सरकार ने वायु-क्षेत्र की सुरक्षा में सुधार करने के लिए वायु-क्षेत्र प्रबंधन समिति का गठन किया है जो वायु-क्षेत्र निगरानी तथा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। यह समिति सिविल तथा सैन्य राडारों को संयोजित करने की जरूरतों और अतिरिक्त निगरानी उपस्करों की आवश्कताओं का आकलन भी करेगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा नकद भुगतान द्वारा कराये गए कार्य

1842. श्री तिरुनावकरसू:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नकद भुगतान द्वारा कराये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और स्थल-वार और राज्य-वार प्रत्येक कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की ? 1
है;

(ख) प्रत्येक कार्य की स्थिति क्या है;

(ग) क्या नकद भुगतान द्वारा कराये गए कुछ कार्यों को क... में अत्यधिक विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त कार्यों ... कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) ... (ख) असंरक्षित/राज्य संरक्षित संरक्षित स्मारकों के संरक्षण ... संबंधित राज्य सरकार/ स्वायत्त निकायों द्वारा दी गई निधियों ... भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किए गए निक्षेप कार्यों ... संस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यों को शु... करने से पहले, ऐसे मामलों पर कार्रवाई निर्धारित नियम संहिता... निर्दिष्ट औपचारिकताओं का पालन करने और संबंधित परिसर ... स्वामी से यथा-आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद की जा... है।

विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्थान	राज्य	प्राप्त निधियां (लाख रुपयों में)	संस्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कुडालामानिक्कम मंदिर के श्रीकोविल का संरक्षण	इंरिगंलाकुडा	केरल	13.30	अनुमोदित अनुमान
2.	विक्टोरिया मेमोरियल हाल	कोलकता	पश्चिम बंगाल	119.25	कार्य प्रगति पर है।
3.	मंदिर समूह	बोराम	-वही-	29.21	-वही-
4.	मनसा देवी का मंदिर	पंचकुला	हरियाणा	7.47	कार्य पूरा किया गया
5.	किला मुबारक (रनवास भाग)	पटियाला	पंजाब	49.45	कार्य प्रगति पर है।
6.	कचहरी भवन	कपूरथला	-वही-	4.98	-वही-
7.	दरबार हॉल	-वही-	-वही-	4.92	-वही-
8.	सा.का.वि. गेस्ट हाउस	-वही-	-वही-	1.95	-वही-

1	2	3	4	5	6
9.	घंटा मीनार	कपूरथला	पंजाब	3.29	पंजाब सरकार द्वारा जमा की गई निधियां
10.	कोन्नीमरा पुस्तकालय	चेन्नई	तमिलनाडु	121.20	संशोधित अनुमोदित अनुमान
11.	नरसिंह स्वामी मंदिर, नामागिरि तायर बेदी	नमक्कल	-वही-	2.22	कार्य पूरा किया गया
12.	रमपुर रजा पुस्तकालय	रामपुर	उत्तर प्रदेश	10.00	-वही-
13.	संगमेस्वर मंदिर	कुडालासंगम	कर्नाटक	50.00	कार्य प्रगति पर है
14.	बौद्ध मंदिर	बोधगया	बिहार	--	अनुमोदित अनुमान
15.	भोपाल में मौर्य स्तभ को अन्यत्र ले जाना	भोपाल	म.प्र.	1.12	स्थानीय प्रतिरोध के कारण कार्य रोक दिया गया।

हैदराबाद-विजयवाड़ा-वासको-डी-गामा के बीच रेलगाड़ी

1843. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद, विजयवाड़ा वास्को-डी-गामा के बीच रेल सेवा बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से गोवा में रहने वाले आंध्र प्रदेश के निवासियों को सहायता देने के लिए दैनिक आधार पर सेवाएं बहाल करने के लिए बार-बार अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुरोध को मानने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) फिलहाल, विजयवाड़ा और वास्को के बीच 7227/7228 अमरावती एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) उपलब्ध है और सिकंदराबाद और वास्को के बीच 7003/7004 सिकंदराबाद-धर्मावरम एक्सप्रेस और 7227/7228 अमरावती एक्सप्रेस में 4 स्लिप सवारी डिब्बे लगाए जा रहे हैं। इन सेवाओं को न ही कभी बंद किया गया और न ही ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है। परिचालनिक तंगियों के कारण फिलहाल इन सेवाओं को दैनिक आधार पर चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है, विशेष रूप से कैसल रॉक-कुलेम घाट खण्ड पर।

महानिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन (डी जी क्यू ए) द्वारा आयुध कारखाना, चांद का निरीक्षण

1844. श्री रामजी मांझी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने 1999 की अपनी रिपोर्ट संख्या-7 में टिप्पणी की थी कि महाप्रबंधन, आयुध कारखाना, चांद ने वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान (शस्त्र) हेस्टिंग्स द्वारा स्वीकृत 2709 इकाइयों में से 125 एम एम के गोलाबारूद के स्टेबिलाइजर की 1624 इकाइयों को अप्रैल, 1992 और मार्च 1993 के बीच अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि वे ''कंसिस्टेंसी प्रूफ'' और ''रकवरी प्रूफ'' में विफल हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या डी जी क्यू ए के अधिकारियों द्वारा वस्तुओं का दोषपूर्ण निरीक्षण करने के लिए इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने स्टेबिलाइजर यूनिटों का उचित निरीक्षण नहीं किया जिससे 23.17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या मदों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता ने दोषपूर्ण स्टेबिलाइजर बदल दिए; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी वर्ष 2000 की रिपोर्ट-7 में आयुद्ध निर्माणी, चांदा द्वारा 125 मिमी गोला-बारूद के 1624 स्टेबलाइजरों को अस्वीकार किए जाने के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (आर्मामेन्ट) हेस्टिंगस, कोलकाता ने फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गये स्टेबलाइजर यूनिटों का निरीक्षण नमूनों के आधार पर किया। वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना द्वारा किए गए निरीक्षण में स्टेबलाइजर को देखना, परिमाप करना, मजबूती जांचना, भार परीक्षण करना और साल्ट स्प्रे परीक्षण करना शामिल था और संतोषप्रद परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर यूनिटों को क्लियर किया गया था। परेषिती स्थल अर्थात् आयुध निर्माणी, चांदा में उन स्टेबलाइजरों का गोलों सहित तीव्र गोलाबारी करके परीक्षण किया जाता है जिनका हेस्टिंगस में वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना में परीक्षण के दौरान सिमुलेशन नहीं हो पाया हो। इस प्रकार के तीव्र परीक्षणों के दौरान ही स्टेबलाइजरों के साथ लगाई गई प्रणाली विफल हो गई थी। तत्पश्चात् आयुध निर्माणियों द्वारा डमी राउंडों में तथा प्रूफ प्रयोजनों के लिए कुल 1624 स्टेबलाइजरों का उपयोग किया गया है। इससे सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। उसी समय से स्वतंत्र यूनिटों के रूप में स्टेबलाइजरों के लिए परीक्षण प्रक्रियाओं में सुधार किया गया है।

मालभाड़ा सूचना प्रणाली शुरू करना

1845. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री किरीट सोमैया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कम्प्यूटरीकृत माल भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) उक्त प्रणाली इसके उपभोक्ताओं के लिए किस तरीके से लाभदायक होगी; और

(ङ) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर यह प्रणाली स्थापित की जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल ने एक कंप्यूटरीकृत माल परिचालन सूचना प्रणाली चरण-1 की शुरूआत की है जिमें सभी क्षेत्रीय रेलें शामिल हैं। यह रेलों में माल यातायात के संचलन का पता लगाने की प्रणाली है। इस प्रणाली का डिजाइन मिडलवेयर और रिलेशनल डॉटा बेस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हुए नवीनतम ''अति आधुनिक'' क्लायंट सर्वर प्रौद्योगिकी पर तैयार किया गया है।

(ग) तीन चरणों में शामिल कार्य दायरे के लिए कुल परियोजना लागत 426.12 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अभी तक अर्थात 31.3.2001 के अंत तक माल परिचालन सूचना प्रणाली में 234.26 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 26.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) माल यातायात सूचना प्रणाली से माल उपभोक्ता परिवहन में अपने रेकों/परेषणों की मौजूदा स्थिति संबंधी सूचना शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे, यह माल संचलन के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक ऐसी प्रणाली है जो परिसम्पति के इष्टतम उपयोग में प्रबंधकों की सहायता भी करती है।

भारतीय रेल पर माल परिचालनों के प्रमुख कार्यों में एक और उपभोक्ता के आदेश स्वीकार करना, उनका मार्गभिगमन और अनुसूचित, रेकों/माल डिब्बों की सप्लाई, स्टॉक के संचलन की

योजना नियंत्रण और दूसरी ओर लदान, उतराई, सुपुर्दगी, बिलिंग एवं नगदी का लेखा जोखा शामिल हैं।

(ङ) जून, 2001 तक सभी भारतीय रेलों पर 233 रिपोर्टिंग स्थलों (84 नियंत्रण कार्यालयों और 149 अन्य) का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है जिसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। माल परिचालन सूचना प्रणाली के चरण-1 के सुदृढ़ीकरण के पश्चात् अन्य स्थलों तक नेटवर्क के विस्तार पर विचार किया जा जाएगा।

विवरण

एफ.ओ.आई.एस. स्थानों की राज्यवार सूची

स्थान

सिकदराबाद	काकीनाडा
सिकंदराबाद (द.म. मुख्यालय)	गुडूर
भद्राचलम	गुंतकल
सनत नगर	तोर्णगल्लू
काजीपेट	गूती
रामागुंडम	रेनीगुन्टा
दोर्णाकल	सिम्हाचलम
गडचान्दूर	धर्मावरम
हैदराबाद	गुन्टूर
विजयवाडा	वाल्तेरू
विजयवाडा यार्ड	वाल्तेरू यार्ड
राजामुंदरी	विशाखापतनम स्टील
मालेगांव	
लम्डिंग	
न्यू गुवाहाटी	
तिनसुकिया	
दानापुर	गया
गडवारोड़	गोमोह
सोनपुर	डेहरीऑन सोन
समस्तीपुर	नारायणपुर अनन्त
कटिहार	मुजफ्फरपुर
गरहरा	छपरा
झाझा	बरौनी
रायपुर	रायगढ़
बिलासपुर	दल्लीराजरा
बिलासपुर यार्ड	बिजूरी
भिलाई	किरणडूर
भिलाई एक्स यार्ड	डोंगरगढ
कोरबा	
रेलवे बोर्ड	
दिल्ली (उ.रे. मुख्यालय)	
दिल्ली मण्डल	
क्रिस दिल्ली	
तुगलकाबाद	
शकूरबस्ती	
वास्को-द-गामा	
अहमदाबाद	गांधीधाम
अहमदाबाद यार्ड	वलसाड
बडोदरा	करछिया
राजकोट	गोधरा
भावनगर	उधना
अम्बाला	
अम्बाला लॉबी	
रेवाड़ी	
भओली	
धनबाद	चक्रधरपुर
बरकाकाना	टाटानगर
पाथरडीही	आदित्यपुर
रांची	मुरी
बरवाडीह	बोकारो
कटरस	चांडिल

किरीबुरू	गडवारोड़	सोलापुर	इतवारी
कुशुन्डा	पतरातू	गोदिया	
रे	फुसरो	खुर्दा रोड	सम्भलपुर
खल्लारी	चंद्रपुरा	भदरक	बोडामुन्डा
पाकुर	चैनपुर	पलासा	बृजराज नगर
मैसूर	सेटलाइट गुड्स	पारादीप	रायगडा
मैसूर यार्ड	हुगली	तालचेर	झारसूगुडा
मिरज	हास्पेट	टिटलागढ़	बाँसपानी
बेंगलूरू	मंगलोर	डोंगापोसी	
बयाप्पन-हल्ली		फिरोजपुर	लुधियाना लॉबी
तिरूवनंतपुरम		जालंधर	भठिन्डा
ऐर्णाकुलर		ढंटारीकला	भटिन्डा एन एफ एल
पालघाट		लुधियाना	
शोरूवणूर		जयपुर	कोटा लॉबी
कोल्लम		फुलेरा यार्ड	गंगापुर
भोपाल	सतना	बीकानेर	बयाना
बीना	आमला	जोधपुर	अजमेर
इटारसी	रतलाम	कोटा	
निशातपुरा	उज्जैन	चेन्नई डिवीजन	मेतुरधाम
जबलपुर	सहडोंल	चेन्नई (एस आर एच क्यू)	मिल्लावतन
न्यू कटनी		चेन्नई हारकर	झरोड
मुम्बई (म.रे. मुख्यालय)	दौंड	टोंडियारपुर	मदुरई
मुम्बई (प.रे. मुख्यालय)	वाड़ी	जोल्लारपेट्टी	तिरुचिरापल्ली
मुम्बई मण्डल (म.रे)	नागपुर	इलाहाबाद	सहारनपुर
मुम्बई मण्डल (प.रे.)	नांदेड	झांसी	खनालामपुरा
जसईरोड	अजनी	आगरा	टुन्डला
कल्याण	नान्दुरबार	मथुरा (बाद)	कानपुर
भुसावल	गोरखपुरी	बांदा	छिउकी (नैनी)
भुसावल यार्ड	बल्लारशाह	गोंडा	गाजियाबाद
मनमाड़	वसई रोड़	चोपन	गोरखपुर

लखनऊ (न.इ.)	गोरखपुर यार्ड
लखनऊ (न.रे)	मुगलसराय
लखनऊ यार्ड	मुगलसराय यार्ड
मुरादाबाद	पनकी
वाराणसी	मुरादाबाद यार्ड
इज्जतनगर	बनारस क्षेत्र
कोलकाता (पू.रे. मुख्यालय)	जलपाईगुड़ी
कोलकाता (द.पू. मुख्यालय)	अलीपुरद्वार
आसनसोल	खड़कपुर
अण्डाल	नीमपुरा
हवड़ा	अंदुल
बरदवान	आदरा
दानकुनी	भोजूडीह
सियालदह	सालीमार
नेहाटी	अनारा
चितपुर	हल्दिया
बजबज	सीतारामपुर
माल्दा	दुर्गापुर
मालदा यार्ड	मिचेडा

[हिन्दी]

न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

1846. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के लोगों को सस्ती लागत, सरलता से और शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(ख) सरकार द्वारा देश की न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनका क्या परिणाम निकला;

(ग) देश में ''फास्ट ट्रैक न्यायालयों'' और 'लोक अदालतों' की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है और न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्त की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) लोक आदालतों की संस्था को, जो त्वरित न्याय प्रशासन प्रणाली प्रदान करने के लिए बहुत ही लोकप्रिय है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधिनियम द्वारा कानूनी प्रास्थिति दी गई है। लोक आदालतों को कानूनी समर्थन प्रदान किए जाने से गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों के दरवाजे पर न्याय को पहुंचाने तथा शीघ्र न्याय दिलाने और इसे कम खर्चीला बनाने में मदद मिली है।

(ख) देश की न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना भी सम्मिलित है। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 तथा दो प्रस्तावित विधानों अर्थात् सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000 और दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 में अन्य बातों के साथ-साथ विलंबों में कमी करने तथा सिविल और दांडिक कार्यवाहियों के विभिन्न प्रक्रमों पर निश्चित समय-सीमा नियत करने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों को पत्र लिखते रहे हैं। ऐसा अंतिम पत्र फरवरी, 2001 में भेजा गया था। माध्यस्थम, सुलह और लोक अदालतों के माध्यम से मामलों के निपटारे जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को अपनाए जाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 862 त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित/अधिसूचित किए गए हैं। जिनमें से 542 न्यायालयों ने काम करना आरंभ कर दिया है। अब तक इन न्यायालयों को लगभग 57,234 मामले अंतरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,066 मामलों का निपटान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लोक अदालतें देश भर में सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्कीम न्याय विभाग द्वारा 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम में न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए, जिनमें उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय भी आते हैं। आवासीय क्वाटरों का निर्माण किया जाना भी सम्मिलित है। इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार के अंशदान के रूप में 1993-94 से 2000-2001 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 404.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2000-2001 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस मद्दे 834 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए 168.02 करोड़ की राशि जारी की गई है। लोक अदालतों के आयोजन के लिए भी सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ एनटीपीसी परियोजना को स्वीकृति

1847. श्री मंजय लाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बतने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने बिहार में 660 मेगावाट की बाढ़ एनटीपीसी परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को शुरू करने के लिए निर्धारित संभावित समय-सीमा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिहार के पटना जिले में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना (3×660 मेगावाट) की स्थापना किए जाने हेतु दिनांक 28.9.2001 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना को मेगा विद्युत परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत वर्ष 2001 की दूसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर कार्यशील पूंजी मार्जिन और निर्माण के दौरान ब्याज सहित 7947.38 करोड़ रुपये है। परियोजना को निवेश अनुमोदन की तिथि से 80 माह के भीतर निम्नलिखित प्रचालन तिथि के साथ पूरा किए जाने की प्रत्याशा है:

यूनिट-1	-	60 माह
यूनिट-2	-	70 माह
यूनिट-3	-	80 माह

प्रथम यूनिट को 10वीं योजनावधि में लाभ हेतु अभिज्ञात किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पद

1848. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के तहत की गयी व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर विद्युत मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नये रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मंत्रालय (मात्र) की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

क्र.सं.	समूह	बैकलॉग रिक्तियां		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जातियां
1.	क	-	-	-
2.	ख	शून्य	12	27
3.	ग	14	26	52
4.	घ	शून्य	03	शून्य

(ग) गत चार वर्षों के दौरान भरी गयीं रिक्तियां

क्र.सं.	समूह	भरी गयी रिक्तियां		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जातियां
1.	क	-	-	-
2.	ख	एनए*	5	2
3.	ग	10	4	21
4.	घ	एनए*	-	-

* 29.8.1997 के अनुसार समूह ख और घ के लिए कोई बैकलॉग नहीं था।

(घ) सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों में बढ़े हुए नवीनतम रिक्त पद/पद-

क्र.सं.	समूह	29.8.1997 से बढ़े हुए रिक्त पद		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जातियां
1.	क	-	-	-
2.	ख	13	12	7
3.	ग	4	9	21
4.	घ	2	-	-

राज्यों के सूचना मंत्रियों की बैठक

1849. श्री किरीट सोमैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के सूचना मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए विचार-विमर्श और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैठक में केबल टी वी आपरेटरों के संबंध में कोई विचार-विर्मश हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां। 7 नवम्बर, 2001 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ ने राज्यों के सूचना मंत्रियों की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की थी।

(ख) से (घ) उक्त बैठक "उद्योग जगत-सरकार आमने-सामने" के रूप में आयोजित की गई थी जहां उद्योग जगत को राज्यों में सूचना मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखने का अवसर दिया गया था। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी:

(1) फिल्मों के लिए एक-समान मनोरंजन कर

(2) केबल उद्योग के लिए एक-समान मनोरंजन कर

(3) संगठित प्रर्दशन आधारभूत सुविधा तथा कम्प्यूटरीकृत टिकट व्यवस्था।

(4) संगीत उद्योग के लिए बिक्री कर

(5) संगीत उद्योग संबंधी चोरी को रोकना

(6) फिल्मों की चोरी को रोकना।

यह बैठक, स्थल पर ही निर्णय लेने का मंच नहीं थी।

धनबाद में उपरिपुलों का निर्माण

1850. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व रेलवे के अन्तर्गत धनबाद स्टेशन के ऊपर से पुराना बाजार तक रेल उपरिपुल का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पूर्व रेलवे के अन्तर्गत प्रधान खूमटे स्टेशन के उपरिपुल का एक भाग अधूरा रह गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की तंगी और अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जा सका।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं और सर्वेक्षण

1851. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक इन पर कितना व्यय किया गया है और इनकी परियोजना-वार अनुमानित लागत क्या है और इस संबंध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं उनकी प्रगति, मार्च 2001 तक उन पर हुआ खर्च, पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके लिए उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। धीमी प्रगति के कारण, यदि कोई हैं और जहां कहीं लागू होते हैं, परियोजनाओं की स्थिति में दिए गए हैं।

उड़ीसा में चल रहे सर्वेक्षणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में है।

विवरण-I

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

क्र. स.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम प्रत्याशित लागत	1998-1999 के लिए बजटगत परिव्यय	1999-2000 के लिए बजटगत परिव्यय	2000-2001 के लिए बजटगत परिव्यय	2000-01 के अंत तक संभावित परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नई लाइन								
1	कोरापुट-रायगढ़	द.पू.रे	485.00	11.00	2.00	8.00	483.00	कार्य पूरा हो गया है और इससे शुरू कर दिया गया है।
2.	तालचेर-संबलपुर	द.पू.रे.	464.38	14.85	5.00	8.00	450.06	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है। संबलपुर बाईपास का कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।
3.	दैतारी-बांसपानी	द.पू.रे.	585.12	49.06	32.00	39.50	251.27	बांसपानी से जोरुली (11 कि.मी.) तक लाइन 20.10.2000 को पूरी हो गई है और इसे माल यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस लाइन को दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	द.पू.रे.	105.08	2.00	2.00	2.00	15.22	चरण-1 में लांजीगढ़ से भवानीपटना (31 कि.मी.) तक का कार्य शुरू किया गया है।
5.	खोरधा रोड़-बोलनगीर	द.पू.रे.	700.00	2.00	10.00	14.50	22.05	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंप दिए जाने के बाद कार्य कार्य शुरू किया जाएगा।
6.	हरिदासपुर-पारादीप	द.पू.रे.	301.64	2.00	5.00	1.00	14.54	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
7	अंगुल-सुकिंदा रोड	द.पू.रे.	245.58	2.00	2.00	23.00	1.18	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। रेलवे को यह सलाह दी गई है कि यह इस लाइन द्वारा सेवित किए जाने वाले प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों की विस्तृत स्थिति की जांच करे।
आमान परिवर्तन								
8.	रूपसा-बांगरीपोसी	द.पू.रे.	80.00	2.00	14.00	1.00	9.64	चरण-1 में रूपसा-बड़ीपारा (51 कि.मी.) खंड के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू करने की योजना है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
9.	नौपाड़ा-गुनुपुर	द.पु.रे.	66.35	0.001	0.0001	5.10	5.14	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्यवाई शुरू की गई है।
दोहरीकरण								
10.	रघुनाथपुर-राहामा	द.पु.रे.	70.64	16.00	5.00	9.00	70.14	परियोजना पूरी हो गई है और इसे शुरू कर दिया गया है। मौजूदा लाइन की पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसके जून, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
11.	रजतगढ़-नरगुंडी	द.पू.रे.	71.85	5.46	9.00	1.00	69.85	चारबटिया से शालेगांव (5 कि.मी.) तथा रजतगढ़ से चारबटिया (18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								कि.मी.) खंड खोल दिए गए हैं। शालेगांव से निरगुंडी (5 कि.मी.) तक के खंड को 2001-02 तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
12.	तालचेर-कटक पारादीप (महानदी और बीरूपा पर दूसरे पुल)	द.पू.रे.	104.26	17.18	10.00	10.00	14.09	बिरूपापुल के लिए निविदा संबंधी कार्यवाही की गई है। महानदी नदी पर दूसरे पुल के लिए परामर्शदाता ने प्रारंभिक अभिकल्प और आरेखण प्रस्तुत कर दिए हैं और विस्तृत अभिकल्प संबंधी कार्य प्रगति पर है।
13.	नेरगुंडी-कटक रघुनाथपुर	द.पू.रे.	117.24	9.00	33.2055	30.00	55.78	कार्य प्रगति पर है।
14.	रहामा-पारादीप	द.पू.रे.	40.96	9.00	14.00	24.00	16.91	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। पारादीप छोर से अंतिम 4 कि.मी. को छोड़कर भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है।
15.	टिटलागढ़-लांजीगढ़	द.पू.रे.	100.11	13.01	11.9490	15.00	21.40	कंडेल रोड़-नोरला रोड़ और केसिंगा-कंडेल रोड खंड़ो को फरवरी, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
16.	रजतगढ़-बारंग	द.पू.रे.	166.16	–	0.0010	0.10	0.11	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
17.	खोरदा रोड़-पुरी चरण-1 (खोरदा रोड-देलांग)	द.पू.रे.	48.00	–	–	5.00	5.00	खोरदा रोड से 6.5 कि.मी. को कवर करने वाले खंड 1 से संबंधित मिट्टी और छोटे पुलों के कार्य तथा बड़े पुल सं. 17 के लिए ठेके दे दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।
रेल विद्युतीकरण								
18.	पुरूलिया-कोटशिला सहित बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-	द.पू.रे.	269.40	40.00	20.00	25.00	236.80	मार्च, 2001 तक 287 मार्ग कि.मी. विद्युतीकृत किया गया है। ठेकेदारों की विफलता और

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बांडामुंडा-बिमलागढ़-किरीबुरू/बरसुआं							परिणामस्वरूप नई एजेंसियों का पुनर्निर्धारण समूचा कार्य को मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
19.	तालचेर-पारादीप सहित खड़गपुर-भुवनेश्वर	द.पू.रे.	319.19	45.70	50.27	40.05	142.51	मार्च, 2001 तक 94 मार्ग कि.मी. विद्युतीकरण किया गया है। इस कार्य को वर्ष 1995-96 में बोल्ट योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था जो सफल नहीं रहा। अतः फरवरी, 1997 में इस कार्य को रेल वित्त के अंतर्गत निष्पादित करने का विनिश्चय किया गया जिसके बाद कार्य को शुरू किया गया। समूचे कार्य को मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
20.	भुवनेश्वर-कोट्टबलासा	द.पू.रे.	292.27	50.93	47.3000	40.89	239.77	मार्च, 2001 तक 287 मार्ग कि.मी. विद्युतीकृत किया गया है। समूचे कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण-II

उड़ीसा में चल रही रेल परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.	स्थिति
1	2	3	4
नई लाइन			
1.	जयपोर-मलकानगिरी	120	2001-02 के बजट में शामिल नया सर्वेक्षण पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2002 है।
2.	**पोंडुरु-रजाम**	20	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.2001 है।
3.	**कलिंगा नगर/दैतारी और गोपालपुर काम्पलेक्स: प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों के लिए रेल अवसंरचना में वृद्धि**		सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2002 है।

1	2	3	4
4.	तालचेर/हिंजोल रोड से बराहमपुर/गोपालपुर	245	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.06.2002 है।
5.	फुलबनी से बराहमपुर	175	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2002 है।
6.	पदमपुर के रास्ते नवापाडा से बरागढ़ रोड	120	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.2001 है।
7.	जयपोर से नवरंगपुर	45	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.2001 है।
8.	खरतापालन, बलोदा बाजार, बंटगांव और सारंगगढ़ के रास्ते रायपुर-जरसागुड़ा	310	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.3.2002 है।
दोहरीकरण			
9.	खोरदा रोड-पुरी	45	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.2001 है।
10.	य्टिलागढ़-झारसुगुड़ा	231	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.6.2002 है।
11.	आर बी लाइन पर टिटलागढ़-रायपुर खंड	197	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 30.6.2002 है।
12.	चक्रधरपुर-बांडामुंडा: तीसरी लाइन	93	सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्द तिथि 31.3.2002 है।
यातायात सुविधा संबंधी कार्य			
13.	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर अपेक्षित रेल सुविधाएं		सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.6.2002 है।

[अनुवाद]

रोजी पियर और बेदी पोर्ट रेलमार्ग का सर्वेक्षण

1852. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात मैरीटाइम ने रोजी पियर और बेदी पोर्ट तक बड़ी लाइन के अंतिम सर्वेक्षण के लिए आवश्यक प्रभार अदा कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) विंड मिल से बेदी पोर्ट और रोजी पियर तक साइडिंग मुहैया कराने के लिए सर्वेक्षण हेतु गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने 2,94,645/-रुपए जमा करा दिए थे। बहरहाल, चूंकि पश्चिम रेलवे तात्कालिक सर्वेक्षणों के चलने के कारण सर्वेक्षण कराने की स्थिति में नहीं था इसलिए गुजरात मेरीटाइम बोर्ड को मै. रेल इंडिया टेक्नीकल और इकॅनामिक सर्वेक्षण लि. से या पश्चिम रेलवे द्वारा अनुमोदित किसी परामर्शदाता से सर्वेक्षण करवाने के लिए कहा गया था।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत रेल टिकट आरक्षण केन्द्र

1853. श्री महेश्वर सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू या मनाली जिला मुख्यालय में कम्प्यूटरीकृत रेल टिकट आरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस केंद्र की स्थापना नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। अभी तक राज्य सरकार ने मनाली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं कराया है। राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराते ही रेलवे शीघ्र ही यह सुविधा आरम्भ कर देगी।

[अनुवाद]

एयरो इंजिनों की मरम्मत/ओवरहाल सुविधाएं

1854. श्री निखिलानन्द सर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2000 तक 47.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद हेलीकाप्टर इंजीनियरों को एयरो इंजिनों की मरम्मत/ओवरहाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं;

(ख) क्या इस सुविधा का 1992 के अंत तक पूरा हो जाना निर्धारित था, क्योंकि इन हेलीकाप्टरों की सेवाएं 1985/1986 में शुरू की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) हेलीकॉप्टर एयरो इंजन की मरम्मत/ओवरहाल सुविधाएं वहां स्थापित की जाती हैं जहां बेड़ों की क्षमता के लिए इन सुविधाओं को स्थापित करना किफायती रूप से व्यावहारिक होता है।

वर्ष 1985-86 में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए एम आई-17 हेलीकॉप्टरों के टी वी-3 इंजनों की ओवरहाल के लिए सुविधाओं को प्रारंभ में वर्ष 1993-94 तक पूरा कर लिए जाने की योजना थी। तथापि, पूर्व सोवियत संघ के विभाजन के कारण, सुविधाएं स्थापित करने के लिए बाचतीत वर्ष 1996-99 के बीच ही पूरी की जा सकी। तत्पश्चात्, सुविधाओं को कमीशन कर लिया गया है तथा इंजन की ओवरहाल जनवरी, 2001 में शुरू हो गई थी।

चेतक तथा चीता हेलीकाप्टरों के इंजनों के लिए मरम्मत/ओवरहाल सुविधाएं 60 के प्रारंभिक दशक में स्थापित कर ली गई थीं तथा ये सुविधाएं पूर्णतः कार्य कर रही हैं।

पश्चिमी तट पर अमरीका द्वारा नौसैनिक अड्डे की मांग

1855. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत के पश्चिमी तट के तीन नौसैनिक अड्डे को अपने लड़ाकू युद्धपोतों को लंगर डालने और इनमें ईंधन भरने, आदि के बारे में उपलब्ध कराने हेतु मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि सरकार को ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम से संबंधित अमरीका सहित कतिपय मित्र राष्ट्रों से सहायता करने हेतु विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनुरोधों को जो हमारे वायुक्षेत्र के इस्तेमाल तथा विमानों में ईंधन भरने तथा नौसेना जहाजों की बंदरगाह की बंदरगाह जरूरतों से संबंधित हमारे मौजूदा नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, उन्हें मंजूर कर लिया गया है।

क्विलोन-तेनकासी-तिरूनेलवेली रेलमार्ग का आमान-परिवर्तन

1856. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण रेलवे में क्विलोन-तेनकासी-तिरुनेलवेली मीटर लाइन के आमान-परिवर्तन संबंधी कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पर कितना व्यय किया गया है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या क्विलोन-सिहेनगोटेन खंड पर आमान-परिवर्तन का काम शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) विरुधनगर-तेनकासी और तिरूनेलवेल्ली-तिरुचन्दूर पर पुल संबंधी तथा मिट्टी संबंधी कार्य शुरू हो गया है। कोल्लम और तेनकासी के बीच घाट खण्ड में अन्तिम स्थान निर्धारिण सर्वेक्षण हाल ही में पूरा कर लिया गया है।

(ख) परियोजना की प्रत्याशित लागत 327.6 करोड़ रुपए है। मार्च 2001 तक 21.97 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

(ग) और (घ) अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। नक्शे और अनुमानों को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

मंत्री द्वारा विदेशी दौरे

1857. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष के दौरान उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या था; और

(ग) इन पर कितनी राशि खर्च की गई और इससे देश को कितना लाभ हुआ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) और फ्रांस।

(ख) 11-16 मई, 2001 के दौरान वार्षिक भारतीय कारबार सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) और 17-18 अक्तूबर 2001 के दौरान आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता से संबंधित विश्व मंच में भाग लेने के लिए फ्रांस का दौरा किया।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) के दौरे पर 4,67,387 रुपए और फ्रांस के दौरान पर लगभग 2,06,924 रुपए का व्यय हुआ। था। सम्मेलन/संगोष्ठी के महत्व और इन देशों के साथ भारत के संबंध को ध्यान में रखते हुए भारत का प्रतिनिधित्व आवश्यक था।

[अनुवाद]

'गेल' और फ्रांस की कम्पनी का संयुक्त उद्यम

1858. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ("गेल") ने फ्रांस की एक प्रमुख प्राकृतिक गैस कम्पनी के साथ गैस वितरण के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान में गैस अँथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ऐसा कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के बकाया/अग्रेनीत रिक्त पद

1859. **श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाता है।

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में डी ओ पी टी के

कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई 1997 के पैरा 5 में सुनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने अग्रेनीत रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए भरे गए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के विद्युत केन्द्रों/औद्योगिक इकाइयों को गैस आपूर्ति में रुकावट

1860. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंधार में ओ एन जी सी के तेल क्षेत्र में आग लगने की घटना के बाद गुजरात में कम से कम दो विद्युत केन्द्रों और अनेक औद्योगिक इकाइयों को गैस की आपूर्ति में रुकावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप कितना नुकसान हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार जानती है कि 30 अक्तूबर, 2001 को गंधार क्षेत्र के कूप संख्या जी-345 में आग लगने की घटना हुई थी। तथापि, ओ एन जी सी ने सूचित किया है कि घटना से विद्युत स्टेशन और औद्योगिक इकाइयों को गैस आपूर्ति की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है। सरकार ने ओ एन जी सी विदेश लि. के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंद निदेशक (सी एम डी) तथा आयत इंडिया लि. के भूतपूर्व सी एम डी मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.सी.एन. जटार की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा चोरी और आग के विवरण जानने के लिए 16.11.2001 को जांच के आदेस दिए हैं। आग लगने के दौरान तेल और गैस जलने के कारण हानि लगभग 12.50 लाख रुपए प्रतिदिन आंकी गई है। आग नियंत्रित करने पर हुए व्यय और कुएं की पुनरीक्षा के खर्चे सहित कुल हानि लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस में यात्री यातायात

1861. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास सप्ताह में चार दिन चलने वाली इस गाड़ी को दैनिक गाड़ी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पिछले वर्ष तदनुरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान गाड़ी नं. 2429 बैंगलोर-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस और 2430 निजामुद्दीन-बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस में बुक किए गए यात्रियों सख्या में क्रमशः केवल 6% और 10% की वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

हैदराबाद की चारमीनार की मरम्मत

1862. श्री समीक लाहिड़ी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद की ऐतिहासिक चारमीनार में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई मरम्मत से इसको और अधिक क्षति हुई है और इसके बहुत से स्थानों से सजावटी आवरण गिर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐतिहासिक चारमीनार की इमारत को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए संरक्षण कार्य के कारण चारमीनार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक चारमीनार का रखरखाव तथा संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

पत्रकार कल्याण निधि

1863 श्री के. येरननायडू: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक पत्रकार कल्याण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त निधि की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ओर यह कब तक काम करने लगेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) मंत्रालय ने उन पत्रकारों के परिवारों के लिए एक लाख रु. की एकल अनुग्रह सहायता प्रदान करने हेतु एक पत्रकार कल्याण निधि स्थापित की है जो ड्यूटी के दौरान अप्राकृतिक कारणों से अपना जीवन खो बैठते हैं या स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं। पत्रकार कल्याण निधि की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2001-2002 में मंत्रालय के अनुदानों में 4 करोड रु. का प्रावधान किया गया है तथा इस स्कीम के अन्तर्गत पांच मामलों में पहले ही सहायता प्रदान की गई है।

जम्मू-कश्मीर में परोक्ष युद्ध

1864. डा. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित परोक्ष युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी विशिष्ट योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे परोक्ष युद्ध को रोकने के लिए सरकार ने राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा-प्रबन्धन को मजबूत करना, जम्मू-कश्मीर के अन्दर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करना, एकीकृत मुख्यालयों के संक्रिया समूहों और आसूचना समूहों को सभी स्तरों पर एक संस्थानक ढांचे के जरिए बेहतर कार्यात्मक स्वरूप में एकीकृत करना, सशस्त्र सेनाओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, शस्त्र और उपस्कर तथा आंतकवादियों के समर्थकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना शामिल है।

आंतकवादियों का सामना करने के लिए राज्य के एकीकृत मुख्यालयों और विभिन्न स्तरों के संक्रिया समूहों में सामरिक नीतियों, रणनीतियों और गतिशील तैनाती की सतत् समीक्षा, परिमार्जन और मानीटरी की जाती है।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, आंतकवाद निवारण अध्यादेश, 2001 की धारा 18 के अन्तर्गत दिनांक 24.10.2001 से जैश ए मोहम्मद, लश्करे तोइबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, ए. यू. एम. और जे के एल एफ जैसे आतंकवादी गुटों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

लोहारदगा-कोरबा रेलमार्ग हेतु सर्वेक्षण

1865. श्री राम टहल चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोहारदगा और कोरबा के बीच नए रेल मार्ग हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। बड़ी संख्या में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किए गए हैं और उन्हें चरणबद्ध आधार पर

पूरा किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 2002 तक प्राप्त होने की आशा है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क का संग्रहण

1866. श्री अनादि साहू: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की पेट्रोलियम कम्पनियां केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण करती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष संग्रहीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संग्रहीत राशि सरकार को सौंप दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) पेट्रोलियम कम्पनियां केन्द्र सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क एकत्र नहीं करतीं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार द्वारा पेट्रोलियम कम्पनियों से एकत्र किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के पास जमा कराए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम्पनी वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत 3 वर्षों के दौरान एकत्र किए गए केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क का कंपनी वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-00	2000-01
	1	2	3
आई ओ सी	5540	9346	11800
बी पी सी	1879	3706	3926
एच पी सी एल	2215	3309	6038
सी पी सी एल	87	126	172
बी आर पी एल	120	198	159
के आर एल	619	946	936
एन आर एल*	0	0	273
आई बी पी	216	284	311
गेल	69	162	226
ओ आई एल	3	3	5
ओ एन जी	155.52	232.26	271.86

*प्रचालन वर्ष 2000-01 से शुरू हुआ है।

कर्नाटक एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या में वृद्धि

1867. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या कर्नाटक की ओर से बंगलौर और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाने की मांग बार-बार की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास 2001 के अंत तक यह गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) अप्रैल 2001 से अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान पूर्व वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में बुक किए गए यात्रियों की संख्या में गाड़ी संख्या 2627 बेंगलूर-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस और 2628 नई दिल्ली-बेंगलूर कर्नाटक एक्सप्रेस के संबंध में क्रमशः 1% और 5% अनुमानित वृद्धि दर्शायी गयी है। बहरहाल, वर्ष 1999-2000 की तुलना में 2000-01 के दौरान बुक किए गए यात्रियों की संख्या में गाड़ी संख्या 2627 के संबंध में 3% और गाड़ी संख्या 2628 के संबंध में 15% की अनुमानित वृद्धि दर्शायी गयी है।

(ख) से (ङ) इस संबंध में श्री पुट्टास्वामी गौड़ा, संसद सदस्य से अनुरोध प्राप्त हुआ था। शताब्दी एक्सप्रेस सुपर फास्ट इंटरसिटी सेवाएं होती हैं जिसमें केवल बैठने की व्यवस्था होती है।

ये गाड़ियां स्टेशन विशेष से सुबह चलती हैं और शाम को वापस लौटती हैं जिनका चालन समय प्रत्येक दिशा में 8 घंटे तक होता है। अत: दिल्ली और बेंगलूरु जैसे दूरस्थ स्टेशनों के लिए शताब्दी जैसी सेवाएं न तो परिचालनिक दृष्टि से उपयुक्त हैं और न ही व्यावहारिक हैं।

लिंगराज मंदिर से मूर्तियां चोरी

1868. श्री बहादुर सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर से बहुमूल्य वस्तुएं और मूर्तियां चोरी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष रहे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी है कि 5.11.2001 को मंदिर से कुछ चांदी की वस्तुएं, बर्तन और गहने चुरा लिए गए थे।

(ग) और (घ) लिंगराज मंदिर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उक्त मंदिर के न्यासियों के साथ किए गए समझौता के अन्तर्गत नियंत्रित होता है। इस समझौता के अन्तर्गत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल मंदिर के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है; और जबकि बेदी की सुरक्षा सहित अन्य प्रशासनिक मामलों का संबंध मंदिर प्राधिकारियों एवं राज्य सरकार से हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1869. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री ने असम की यात्रा की है और सात पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में विद्युत विकास की रणनीति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में चालू परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की जरूरत पर बल दिया है,

(ख) यदि हां, तो रणनीति और चालू विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है, उनकी अनुमानित लागत कितनी है और अब तक कितना व्यय हुआ है, और

(घ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) जी, हां।

पूर्वोत्तर राज्यों समेत सिक्किम में निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम/संस्थापित क्षमता (मे.वा) मंजूरी की तारीख	लागत (रु. करोड़ में) अद्यतन	आरंभन समय-सीमा अद्यतन	चालू होने का कार्यक्रम/ वास्तविक/अद्यतन	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	रंगानदी (नीपको) एआर.पी./3 × 135. 04/87 अप्रैल 87 (सीसीईए)	312.78 1446.09 (आईडीसी समेत)	1325.91	1994-95 2001-02	विपथन सुरंग, बांध, एचआरटी, सर्ज शाफ्ट समेत स्टिल लाइनर पूरा। सिविल कार्य प्रगति पर हैं। तथा यूनिट उत्थापन कार्य चल रहे हैं। स्विचयार्ड में उपस्कर की आपूर्ति एवं उत्थापन प्रगति पर हैं।
2.	तुइरियल (नीपको) मिजोरम/2 × 30 7.7.98 (सीसीईए)	448.19 448.19	48.00	2005-07 2005-07	पूर्व निर्माण कार्य, बुनियादी कार्य एवं 132 केवी एस सी पारेषण लाइन का निर्माण प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
3.	कोपिली चरण-II (नीपको) असम/1 × 25 6.7.99 (सीसीईए)	76.09 / 76.09	49.71	2001-02 / 2003-04	पूर्व निर्माण एवं बुनियादी कार्य शुरू किए जा रहे हैं तथा पैकेज 1 और 2 आदेश के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर हैं। पैकेज 3, टी जी सैट के लिए भेल को तथा 100/25 टी ई ओ टी क्रेन का आदेश मे. डब्ल्यू एम आई को, मुंबई को दिए गए हैं। आपूर्ति प्रगति पर हैं तथा पैकेज 3 के लिए निविदाएं तैयार की जा रही हैं।
4.	लोकतक डी/एस (एनएचपीसी) मणिपुर/3× 30 30.12.99	578.62 / 578.62 (आई डी सी समेत)	14.87	2006-07 / 2006-07	परियोजना की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास प्रगति पर हैं। जब तक राज्य सरकार आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती है तब तक कार्य स्थल पर वांछित प्रगति संभव नहीं है। मणिपुर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुसरण में मणिपुर सरकार ने भूमि/फसल हेतु क्षतिपूति के मूल्यांकन के लिए एक संयुक्त जांच टीम गठित की है जिसमें एनएचपीसी का एक सदस्य भी शामिल है।
5.	तीस्ता चरण-5 (एनएचपीसी) सिक्किम/3 × 170 11.2.2000	2198-04 / 2198.04	215.79	2006-07 / 2006-07	दोनों विपथन सुरंग पूरे कर लिए गए हैं। बांध के विभिन्न ऐडिट, एच आर टी एवं विद्युत गृह उत्खनन के अधीन हैं।
6.	करबी लांगपी (लोअर बोरपनी) असम/2 × 50 मे.वा. 24.9.79	36.36 / 267.27	134.61 (3/2000 तक)	1985-86 / 2003-04	बांध के लिए 85.8% उत्खनन, 19.4% कंक्रीटिंग एवं 97% स्लैश स्वीकृति पूरा। संयुक्त क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के कारण संविदा को रद्द कर दिया गया और असम सरकार ने जनवरी, 1999 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार परियोजना को क्रियान्वयन हेतु ए एस ई बी को सौंप दिया। परिसंपत्तियों की इनवेंटरी तैयार। शेष कार्यों को अभी शुरू नहीं किया गया

1	2	3	4	5	6
					है तथा निधियों की व्यवस्था के लिए पी एफ सी से वार्ता जारी
7.	धनसिरी असम/5×3×1.33 6.2.85 परियोजना का कार्य स्थगित है।	10.53 / 70.00	39.77(3/2000 तक)	1988-89 / 2002-03	सिंचाई पयोजना बांध के लिए मुख्य कार्य पूरे। असंतोषजनक नकद प्रवाह एवं कानून व्यवस्था समस्या के कारण कार्य अप्रैल, 1996 से स्थगित हैं।
8.	लीकिम-रो नागालैंड/3×8 18.10.89	33.84 / 215.88	191.16(3/2001 तक)	1993-94 / 2001-02	सिविल कार्य पूरे। यूनिट 1 और 2 को 12.9.2001 को शुरू किए गए। यूनिट 3 के स्टेटर एवं पी जी को उपयुक्त स्थान पर निर्धारित कर दिया गया। रोटर का उत्थान प्रगति पर है।
9.	रोलेप-1 सिक्किम 2×3 16.8.97 (राज्य सरकार) (संशोधित क्षमता 2× 4.5 मेगावाट)	35.13 / 45.00 (पीएल-1999)	1.26.(3/2000तक)	2001-02 / 2003-04	निधि के अभाव के कारण कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

*परियोजना का कार्य शुरू किया जाना है।

बाहरी निर्माताओं के कार्यक्रम स्वीकार करना/ संसाधित करना

1870. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय दूरदर्शन के दोनों स्तरों पर बाहरी निर्माताओं से प्राप्त कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रस्तावों को स्वीकार और संसाधित करने के लिए बने दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र स्तरों पर प्राप्त प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र को कौन सी विशिष्ट शक्तियां दी गई है;

(ग) आज तक पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बाहरी निर्माताओं से प्राप्त कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और देश के संबंधित केन्द्रों में वे किस भाषा में प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) निर्माताओं का चयन किस आधार पर किया गया था?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) प्रसार भारती द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, दूरदर्शन में मूल्यांकन समिति द्वारा कार्यक्रम की विषयवस्तु तकनीकी गुणवत्ता आदि के सन्दर्भ में कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद प्रस्तावों को चयन समिति को प्रस्तुत किया जाता है जो कार्यक्रमों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय करती है।

कसीशंड कार्यक्रमों हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रस्तावों का मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है एवं उनकी छंटाई की जाती हैं और उन्हें लागत समिति को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद लागत समिति द्वारा कार्यक्रम की उपयुक्तता/गुणवत्ता

तथा दूरदर्शन की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए अंतिम निर्णय लिया जाता है।

प्रायोजित तथा कमीशंड कार्यक्रमों के संबंध में ये मार्गदर्शी सिद्वान्त दूरदर्शन के केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर लागू होते हैं।

(ख) प्रसार भारती ने बताया है कि केन्द्रों को दूरदर्शन की समग्र नीति के अन्तर्गत संबंधित क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों के मामले में पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. की कम आपूर्ति

1871. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सी एन जी की कम आपूर्ति और सीएनजी वाहनों के सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए सरकार नई प्रौद्योगिकी लाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार का देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वृद्धि करने एवं उसके द्वारा सी एन जी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2004 की शुरूआत से एल एन जी आयात करने का प्रस्ताव है। सुरक्षा मानक अधिसूचित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वचालित वाहन-एल पी जी के उपयोग की अनुमति दे दी है।

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा विवाद

1872. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत-चीन सीमा विवाद के शीघ्र निपटारे का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने इस पर कोई रूचि दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी हां। भारत और चीन शांतिपूर्ण तथा सद्भावनापूर्ण बातचीत के माध्यम से सीमा के मुद्दे का निष्पक्ष, तर्कसंगत तथा दोनों को स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए सहमत हुए हैं।

(ग) भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत-चीन सीमा क्षेत्र में शान्ति और अमन बनाए रखने के संबंध में एक करार पर 1993 में तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों से संबंधित एक अन्य करार पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों करार सीमा क्षेत्र में शांति और अमन बनाए रखने के लिए एक संस्थागत ढांचा मुहैया करवाते हैं। दोनों पक्ष विद्यमान तंत्र के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण से संबंधित प्रक्रिया को तेज करने पर भी सहमत हुए हैं।

आई.ओ.सी.एल. द्वारा एच.एफ.सी. की हल्दिया इकाई का अधिग्रहण

1873. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.ओ.सी.एल. का प्रस्ताव एच.एफ.सी. की हल्दिया इकाई का अधिग्रहण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) का एच एफ सी की हल्दिया इकाई को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आई ओ सी ने नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हल्दिया स्थित आई ओ सी की रिफाइनरी से जुड़ी एच एफ सी की भूमि के अधिग्रहण में रूचि दर्शाई है।

सौर ऊर्जा को प्राथमिकता

1874. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल और ताप विद्युत पर सौर-ऊर्जा को प्राथमिकता देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ताप, जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से ऊर्जा के दोहन का कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सरकार सभी देशीय ऊर्जा संसाधनों, पारम्परिक जैसे पनबिजली और तापीय तथा सौर सहित अपारंपरिक स्रोतों को तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता/व्यवहार्यता के ऊपर निर्भर करते हुए एक दूसरे का पूरक बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित कर रही है। तथापि, सौर ऊर्जा अभी भी बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रतिस्पर्द्धी नहीं है। अत: इसे विशेषकर दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है जहां यह उपयोगी और व्यवहार्य है। 31.03.2001 तक लगभग कुल 3,50,451 सौर लालटेन, 1,52,180 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 41,403 सड़क रोशनी, 4,156 जल पम्प, जल तापन के लिए 5,90,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र, 5,10,000 सौर कुकर और 2.75 मेवा. क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए। चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त 85,000 सौर लालटेन, 35,000 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 3,000 सड़क रोशनी, 800 जल पम्प, जल तापन के लिए 40,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र, 25,000 सौर कुकर और 520 कि.वा. क्षमता के विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पवन, लघु पनबिजली, बायोमास, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट, भू-तापीय और महासागरीय ऊर्जा शामिल है। मंत्रालय और विभिन्न अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए अध्ययनों और अनुमानों से पता चलता है कि देश में पतन से 45,000 मेवा., लघु पनबिजली से 15,000 मेवा., बायोमास से 19,500 मेवा., शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से 1,700 मेवा., भू-तपीय से 10,000 मेवा. और महासागरीय ज्वारों से 15,000 मेवा. उत्पादित करने की संभाव्यता है।

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन का दोहरीकरण

1875. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर-अजमेर होते हुए दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली रेल लाइन के दोहरीकरण का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक आरंभ और पूरी हो जाएगी;

(ग) क्या इस मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फिलहाल, अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की तंगी के कारण इस खण्ड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण पूरा करना

1876. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन चालू रेलवे परियोजनाओं/सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है जो मध्य प्रदेश में प्रगति पर हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में उन रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनका सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ग) उन लाइनों की कुल लंबाई क्या है; और

(घ) उन रेल लाइनों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) मध्य प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में नई लाइनों के लिए किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा, उनकी लम्बाई और स्थिति सहित, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	गुना-इटावा	म.रे.	337.33	गुना-ग्वालियर तथा ग्वालियर-शेवनी खंड पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। शेवनी-भिंड (23.5 कि.मी.) के बीच के कार्य को 2001-02 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5
2.	ललितपुर-सतना और रिवा-सिंगरौली	म.रे.	925.00	यह कार्य चरणों में शुरू किया जा रहा है। ललितपुर-खजुराहो तथा महोबा-खजुराहो से 167 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की गई है।
3.	गोधरा-इंदौरा देवास-मक्सी	प.रे.	597.00	यह कार्य चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। देवास और मक्सी के बीच पहले चरण का कार्य 2001-02 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	रामगंजमंडी-भोपाल	प.रे.	425.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन				
5.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया	द.पू.रे.	386.30	पहले चरण में गोंदिया-बालाघाट (42 कि.मी.) खंड पर कार्य शुरू किया गया है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। चरण 2 में जबलपुर-बालाघाट खंड का कार्य शुरू करने के लिए योजना बनाई जा रही है।
6.	नीमच-रतलाम	प.रे.	116.74	मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
दोहरीकरण				
7.	कालापीपल-फांदा/मक्सी-भोपाल	प.रे.	53.00	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की तंगी को देखते हुए यह कार्य अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
8.	बोलई-कालीसिंध, कालीसिंध-किसोनी, किसोनी-बेड़छा तथा मक्सी-पीरउमरोद	प.रे.	94.39	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में नई लाइन परियोजनाओं के लिए किए गए सर्वेक्षण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.	स्थिति
1.	रामगंज मंडी से भोपाल	262	सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इसे 2000-01 के बजट में शामिल कर लिया गया है।
2.	आगार, सुस्नेर, झालाबाड़ के रास्ते उज्जैन-रामगंज मंडी	190	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका।
3.	इंदौर से बुधनी	258	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका।
4.	बियामा-राजगढ़-बीना	147	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका।
5.	बारण-शिवपुरी	150	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की तंगी के कारण इस शुरू नहीं किया जा सका।

अंडमान और निकोबार के गांवों का विद्युतीकरण

1877. श्री विष्णु पद राय: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी द्वीप समूहों जैसे जिनकेट, लिटल निकोबार, पिल्लो-मिल्लो, कोन्डुल, टेरेसा और चौरा में उपभोक्ताओं को प्रदत्त विद्युत आपूर्ति की अवधि क्या है;

(ख) क्या निकट भविष्य में उन गांवों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है जिनमें विद्युत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त गांवों में इलेक्ट्रिक बिलों के संग्रहण के लिए संग्रहण केन्द्रों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के आदिवासी द्वीपों में उपभोक्ताओं को उपलब्ध विद्युत आपूर्ति समयावधि के ब्यौरे:

क्र.सं.	द्वीपसमूह का नाम	विद्युत आपूर्ति (घंटे) की समयावधि/दिन	आपूर्ति का स्रोत
1.	ट्रिंकेट	12	सोलर फोटो-वाल्टिक विद्युत संयत्रों के जरिए।
2.	लिटिल निकोबार	7	डीजल उत्पादन सेटों के जरिए।
3.	पीलोमीलो	7	
4.	कोन्डुल	7	
5.	टेरेसा	16	
6.	चौरा	16	

(ख) और (ग) 192 गांवों में से 93 अलग-थलग पड़े गांवों और हैमलेट आवास यूनिटों में निकोबार जनपद की कुल जनसंख्या के 7.6% हिस्से को पहले 7वीं व 8वीं योजनाओं के दौरान सौलर फोटो वाल्टिक घरेलू/स्ट्रीट लाइट के जरिए बिजली मिलती थी। इन गांवों में पारंपरिक विद्युत आपूर्ति की सुविधा नहीं है क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है और वे पारेषण तथा वितरण प्रणाली की परिधि से काफी दूर हैं तथा घने जंगलों के कारण अलग-थलग पड़े हुए हैं। अंडमान व निकोबार प्रशासन के अनुसार 10वीं योजना के दौरान इन गांवों का प्रधानमंत्री की ग्रामीण योजना (पीएमजीवाई) योजना स्कीमों, पारंपरिक/गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जाना है। विद्युत बिलिंग के राजस्व प्रभारों को (1) ट्रिंकेट (2) लिटिल निकोबार (3) पिलोमिलो (4) कोर्डुल (5) टेरेस्वा, तथा (6) चौरा, में एकत्र किया जाता है।

[हिन्दी]

सराय रोहिल्ला से अहमदाबाद तक पोरबंदर एक्सप्रैस रेलगाड़ी

1878. श्री राममूर्ती सिंह वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सराय रोहेल्ला रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद जाने वाली पोरबंदर एक्सप्रैस रेलगाड़ी सप्ताह में दो बार चलती है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां, अहमदाबाद के रास्ते दिल्ली सराय रोहिल्ला और पोरबंदर के बीच चलने वाली 9263/9264 एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन चलती है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) परिचालनिक कठिनाई एवं संसाधनों की तंगी।

राज्यों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा

1879. योगी आदित्यनाथ:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के लिए आबंटित मिट्टी के तेल का राज्य-वार कोटा कितना है; और

(ख) कोटा आबंटित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए मिट्टी तेल के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए मिट्टी तेल केन्द्र सरकार द्वारा एक समान मापदंड अपनाते हुए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल का आबंटन 2000-01 के आबंटन की तुलना में अप्रैल से सितम्बर, 2000 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जारी एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कुल अखिल भारतीय आधार पर लगभग 4.5 प्रतिशत कम कर दिया गया है क्योंकि एक ही उपभोक्ता को मिट्टी तेल और एल पी जी दोनों के लिए राजसहायता देने का कोई औचित्य नहीं है।

विवरण

राज्यवार एसकेओ आबंटन - 1998-99 से 2000-01

(आंकड़े एमटी में)

राज्य/सं.रा.क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-01		
	आबंटन	तदर्थ	कुल आबंटन	आबंटन	तदर्थ	कुल आबं.	आबंटन	तदर्थ	कुल आबं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और नीकोबार	7155	0	7155	6736	301	7037	6736	0	6736
आंध्र प्रदेश	675056	3891	678947	679848	0	679848	650596	778	651375
अरुणाचल प्रदेश	10240	0	10240	10295	623	10917	10346	0	10346
असम	271235	0	271235	272623	0	272623	273270	0	273270
बिहार*	863745	0	863745	870036	0	870036	894246	0	984246
चंडीगढ़	21778	0	21778	15408	0	15408	15408	0	15408
दादर नगर हवेली	3237	0	3237	3238	0	3238	3238	0	3238
दमन और दीव	3064	0	3064	2438	0	2438	2438	0	2438
दिल्ली	248325	0	248325	204672	0	204672	204672	0	204672
गोवा	28257	0	28257	28075	0	28075	28075	0	28075
गुजरात	831600	15564	847164	832432	4864	837295	832432	42032	874455
हरियाणा	170563	0	170563	171731	0	171731	175633	0	175633
हिमाचल प्रदेश	60737	0	60737	61067	778	61845	61434	0	61434
जम्मू और कश्मीर	91433	6226	97659	91921	19844	111765	92376	12840	105216
कर्नाटक	528301	0	528301	531167	0	531167	534360	0	534360
केरल	300006	0	300006	302078	0	302078	309149	0	309149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लक्षदीप	919	0	919	921	0	921	921	0	92
मध्य प्रदेश*	661812	0	661812	666632	0	666632	685182	0	685182
महाराष्ट्र	1576298	0	1576298	1577953	0	1577953	1488926	0	1488926
मणिपुर	22670	0	22670	22781	78	22859	22781	0	22781
मेघालय	20847	0	20847	20960	74	21034	21086	0	21086
मिजोरम	8102	0	8102	8146	0	8146	8195	0	8195
नागालैंड	14207	0	14207	14284	78	14362	14370	0	1437
उड़ीसा	316597	0	316597	318903	62793	381696	327777	54475	38225
पांडिचेरी	15342	0	15342	15363	0	15363	15363	0	1536
पंजाब	342376	0	342376	343127	0	343127	343127	0	34312
राजस्थान	440060	0	440060	443265	0	443265	450930	93385	54431
सिक्किम	7885	0	7885	7895	0	7895	7895	0	789
तमिलनाडु	716830	0	716830	720076	12451	732527	720076	12451	73252
त्रिपुरा	32386	0	32386	32562	0	32562	32757	0	3275
उत्तर प्रदेश*	1391123	12167	1403290	1401255	9650	1410905	1440246	16537	145678
पश्चिम बंगाल	808013	3891	811904	812309	7782	820091	816158	15564	83172
अखिल भारत	10490199	41739	10531938	10490199	119316	10609516	10490199	248054	1073825

*नवंबर, 2000 के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल नए राज्य बनाए गए हैं। नए राज्यों के लिए 200 01 के लिए आबंटन का ब्यौरा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित है।

[अनुवाद]

पॉवर टी एंड डी सिस्टम

1880. श्री बी. वेंकटेस्वरलुः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्युत के पारेषण और वितरण प्रणाली के क्षेत्र में कुछ पायलट परियोजनाओं पर आंध्र प्रदेश में निवेश करने जा रही है,

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं, और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य चालू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) भारत सरकार ने उप-पारेषण व वितरण नेटवर्क के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए एक नई स्कीम आरंभ की है। इस परियोजनार्थ आरंभिक रूप से 60 वितरण सर्किलों की पहचान की गई है, जिसमें एचटीएटी अनुपात सुधार के रूप में तकनीकी-वाणिज्यिक हस्तक्षेप, अंतरण क्षमता बढ़ाने, पूर्ण नेटवर्क रिकांडक्टिंग, रेफ्रिजरेशन और चोरी रोकने के उपाए किए जाते हैं। उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए 10वीं योजना के दौरान चरणबद्ध ढंग से देश में शेष वितरण सर्किलों को हाथ

में लेने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी आएगी तथा वोल्टेज व विद्युत गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में एलुरू, तिरूपति तथा वारंगल के तीन अभिनिर्धारित सर्किलों में उप-पारेषण व वितरण प्रणालियों को सुधारने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2000-01 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एपीडीपी के अन्तर्गत निधियां उपलबध कराई गई है।

स्कीम का नाम	परियोजना लागत	प्रस्तावित एपीडीपी मंजूरी		एपीडीपी के अंतर्गत
		अनुदान	ऋण	कुल राशि
एलुरू सर्किल	36.64	9.17	9.17	18.34
तिरूपति सर्किल	33.25	8.31	8.31	16.62
वारांगल सर्किल	29.69	7.42	7.42	14.84
कुल	99.58	24.90	24.90	49.80

निम्नांकित अल्पावधिक स्कीमें वर्ष 2001-02 के दौरान वित्तपोषण के लिए विचाराधीन है।

एलुरू सर्किल में उप-पारेषण व वितरण प्रणाली सुधार के लिए अल्पावधिक परियोजना रिपोर्ट	40.02
वारंगल सर्किल में उप-पारेषण व वितरण प्रणाली सुधार के लिए अल्पावधिक परियोजना रिपोर्ट	40.02
तिरुपति सर्किल में उप-पारेषण व वितरण प्रणाली सुधार के लिए अल्पावधिक परियोजना रिपोर्ट	40.02
मेडक सर्किल में उप-पारेषण व वितरण प्रणाली सुधार के लिए अल्पावधिक परियोजना रिपोर्ट	40.02

आर.टी.पी.पी. को चालू करना

1881. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रायलसीमा ताप विद्युत संयंत्र के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी, हां। राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन किए जाने हेतु रॉयलसीमा तापविद्युत स्टेशन चरण-2 (2×210 मेगावाट) के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति जून, 1993 में प्रदान कर दी गयी थी। वित्तीय कमियों के कारण परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ नहीं किया जा सका। परियोजना की संशोधित लागत, जैसा कि के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित है, 1573 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन (एपीजेनको) द्वारा उपस्कर प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) ठेका अब चीन के झीजियांग मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इम्पोर्ट कारपोरेशन (जेड एमईसी) और चाइना नेशनल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (सीएमईसी) के एक संघ को दिया गया है।

ठेके की शर्तों के अनुसार विद्युत संयंत्र को मै. एपीजेनको द्वारा अग्रिम का भुगतान करने से 43 माह की भीतर चालू करने की प्रत्याशा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1882. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अन्तर्गत 1, जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार, प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां - 10.38% और अनुसूचित जनजातियां 3.21% है और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां - 11.73% और अनुसूचित जनजातियां - 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर सामान्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा कम्प्यूटर की खरीद

1883. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने 27 सितम्बर, 2000 को कम्पेक ब्रांड के 85,000 रुपये की दर से 20 कम्प्यूटर खरीदे हैं;

(ख) क्या इसी ब्रांड और समान संस्थिति के कम्प्यूटर 59,980 रुपये प्रति कम्प्यूटर की दर से सी.वी.सी. को आपूर्ति किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे;

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने सितंबर, 1999 में केन्द्रीय भण्डार से सहायक हिस्से-पुर्जों सहित कम्पेक ब्रांड के डेस्क प्रो इ पी-पी III कम्प्यूटर अधिप्राप्त किए थे जबकि सी.वी.सी. ने केन्द्रीय भण्डार से मार्च, 2000 में कम्पेक 200 प्रिसेरियो पर्सनल कंप्यूटर खरीदे थे। दोनों कम्प्यूटर का संरूप अलग-अलग है। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा केन्द्रीय भण्डार से अधिप्राप्ति मौजूदा अनुदेशों और निर्धारित प्रणाली के अनुसार की गई है।

[हिन्दी]

एडमिरल गोरशखोव वारशिप की खरीद

1884. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के साथ वारशिप 'एडमिरल गोरशखोव' की खरीद के लिए किसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस रूसी वारशिप का मूल्य और क्षमता क्या है; और

(घ) इसके भारत द्वारा कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) 4 अक्तूबर, 2000 को रूसी संघ की सरकार के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रूस से एक विमान वाहक 'एडमिरल गोर्शकोव' की अधिप्राप्ति तथा इसके रिफिट तथा आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है। रूसी पक्ष द्वारा तैयार किए गए एक विस्तृत परियोजना दस्तावेज की इस प्रयोजन के लिए गठित एक समिति ने जांच कर ली है। 'एडमिरल गोर्शकोव' के बारे में निवेश संबंधी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। पोत का मानक विस्थापन भार 34,000 टन है।

[अनुवाद]

प्रायोजकों को अनुचित लाभ

1885. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन के महानिदेशक द्वारा "मैं दिल्ली हूं" और "एक से बढ़कर एक" कार्यक्रमों के प्रायोजकों को अनुचित लाभ दिए जाने के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) लेखा-परीक्षा में टिप्पणी की गई है कि कार्यक्रम "मैं दिल्ली हूं" के लिए वाणिज्यिक शर्तें निर्धारित करने में यथानुपात दर को लागू नहीं किया गया और कार्यक्रम "एक से बढ़कर एक" की न्यूनतम गारंटी को नहीं बढ़ाया गया। दूरदर्शन "एक से बढ़कर एक" के निर्माता के बकाया देयों की वसूली करने में असफल रहा।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इन दोनों मामलों में दूरदर्शन के वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखकर और दूरदर्शन के चैनलों पर अच्छे कार्यक्रमों को चालू रखने के लिए दूरदर्शन द्वारा निर्णय लिया गया था। दूरदर्शन ने लेखा-परीक्षा पैरा की विषय-वस्तु को स्वीकार नहीं किया है।

(च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने "एक से बढ़कर एक" के निर्माता से बकाया देयों की वसूली करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है।

कालाहांडी रेल त्रासदी

1886. प्रो. ए.के. प्रेमाजम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालाहांडी रेलगाड़ी त्रासदी की जांच करने वाले मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) क्या कालाहांडी रेल त्रासदी में घायल और मृतकों के निकट संबंधियों को रेल प्राधिकारियों से मुआवजा मिल गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और समयबद्ध तरीके से मुआवजा देने के लिए प्राधिकारियों को निर्देश देगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। काडालुंडी गाड़ी दुर्घटना के बारे में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने अभी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। बहरहाल, उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उन्होंने इस दुर्घटना को "उपस्कर की विफलता-रेलवे पुल" की श्रेणी में रखा है।

(ग) से (ङ) काडालुंडी गाड़ी दुर्घटना के पीड़ितों की तात्कालिक जरूरतों के दृष्टिगत दुर्घटना के तत्काल बाद संवर्धित अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया था जो कि निम्नलिखित है:-

1. मृत्यु के मामले में	-	प्रत्येक को एक लाख रुपए
2. गंभीर चोट के मामले में	-	प्रत्येक को 25,000 रुपए
3. साधारण चोट लगने पर	-	प्रत्येक को 5,000 रुपए

गाड़ी दुर्घटना के मामले में क्षतिपूर्ति का निर्धारण रेल दावा अधिकरण द्वारा किया जाता है। अब तक रेल दावा अधिकरण, एर्णाकुलम में 69 दावे संबंधी अर्जियां दायर की जा चुकी हैं। अब तक एक मामले का निपटान किया जा चुका है। अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण से इस दुर्घटना से संबंधित दावों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया गया है।

दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:-

1. रेल दावा अधिकरण/एर्णाकुलम में विशेष सहायता कक्ष की स्थापना।
2. क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्रों को दुर्घटना में हुए पीड़ितों एवं उनके परिवारजनों को बांटा जा चुका है।
3. केरल सरकार के समन्वय से निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई गई है।
4. क्षतिपूर्ति दावों के संबंध में अधिसूचना को सभी प्रमुख स्थानीय एवं राष्ट्रीय अखबारों में (अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में छपवा दिया गया है)।
5. वेब-साइट का सृजन किया गया है और क्षतिपूर्ति दावों की प्रक्रिया को साइट पर लगा दिया गया है (www.southernrailway org.com).

6. सभी दावाकर्ताओं को जो फोन के जरिए अथवा अर्जी के जरिए पूछताछ करते हैं, उनको सूचना, दावा संबंधी फार्म मुहैया कराए जा रहे हैं और भरने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इजराइल के सहयोग से तोपों का निर्माण

1887. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर आयुध कारखाने का इजराइल के सहयोग से तोपों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जबलपुर आयुध कारखाने में नई तोपों का निर्माण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। 130 मि.मी. तोप प्रणाली को 155 मि.मी. केलिबर में अपग्रेड करके उसका इजरायल से ली गई प्रौद्योगिकी के आधार पर तोप वाहन निर्माणी, जबलपुर में उत्पादन किया जाएगा।

(ख) प्रारम्भ में तोप वाहन निर्माणी, जबलपुर इजरायल से आयातित किटों से 180 अदद गन प्रणालियों को संयोजित करेगी। तत्पश्चात् 300 अदद गन प्रणालियों का देश में ही निर्माण किया जाएगा।

(ग) तोप वाहन निर्माणी में चालू वर्ष के दौरान आयातित किटों के साथ उत्पादन शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाओं के लिए लक्ष्य

1888. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कर्नाटक में कितनी विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या उनमें से किसी परियोजना के समय सारणी से पहले पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक परियोजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में 8 ताप विद्युत परियोजनाएं और 2 जल-विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन है। क्षमता और परियोजना चालू करने के कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)	चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3
ताप-विद्युत		
रायचूर टीपीपी-यू. 7	210	वित्तीय समापन से 30 माह। वित्तीय समापन अक्टूबर, 2000 में प्राप्त किया गया।
तनिर बावी बाज माउन्टेड सीसीजीटी जीटी 1 से 4	220	जीटी-सभी यूनिटें 8.5.2001 एसटी-12/2001 में चालू किये
एसटी		जाने के लिए संभावित है।
नागार्जुन टीपीपी	1015	वित्तीय समापन से 38 महीने।
यू. 1		वित्तीय समापन से 42 महीने।
यू. 2		
मंगलोर टीपीपी यू 1 से 4	1013.2	प्रथम यूनिट-वित्तीय समापन से 33 महीने और उत्तरवर्ती यूनिटें तत्पश्चात प्रत्येक 3 माह के अंतराल में।

1	2	3
बहुईंधन संयंत्र गिनिगेरा	50.8	वित्तीय समापन से 20 महीने
टुमकुर डीजीपीपी	32.5	–
कनिमिनके सीसीजीटी जीटी 1 और 2, एसटी	107.6	वित्तीय समापन से 19 महीने
बिडाडी सीसीजीटी	200	–
जल-विद्युत		
वृन्दावन	2×6	10वीं योजना
सरावती टीआर	4×60	2000–02

(ग) और (घ) वर्तमान संकेतों के अनुसार रायपुर टीपीपी यूनिट-7 के कार्यकलाप कार्यक्रम से आगे प्रगति पर है और ऐसी संभावना है परियोजना प्रत्याशा से पहले आरंभ की जा सकती है।

सेना के अधिकारियों का कोर्ट मार्शल

1889. श्री अम्बरीश :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पद-वार सेना के वे अधिकारी कौन-कौन से हैं जिनका गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विभिन्न अपराधों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बरखास्त किए गये सेना के अधिकारियों की रैंक-वार और वर्ष-वार संख्या क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

सेना से संबंधित सूचना

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपराधों के लिए सशस्त्र सेनाओं के जिन अफसरों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया उनके बारे में वर्ष-वार तथा रैंक-वार ब्यौरा निम्नवत् है:-

सेना में रैंक	1998	1999	2000
ब्रिगेडियर	–	01	–
कर्नल	04	07	08
लेफ्टिनेंट कर्नल	04	06	15
मेजर	03	11	09
कैप्टन	01	04	09
लेफ्टिनेंट/सैकंड लेफ्टिनेंट	01	02	04

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बर्खास्त किए गए सशस्त्र सेनाओं के अफसरों से संबंधित वर्ष-वार तथा रैंक-वार ब्यौरा निम्नव है:-

सेना में रैंक	1998	1999	2000
ब्रिगेडियर	–	01	–
कर्नल	01	01	03
लेफ्टिनेंट कर्नल	02	01	07
मेजर	03	02	04
कैप्टन	–	02	03
लेफ्टिनेंट/सैकंड लेफ्टिनेंट	–	01	02

विवरण-II

नौसेना से संबंधित सूचना

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपराधों के लिए सशस्त्र सेनाओं के जिन अफसरों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया उनके बारे में वर्ष-वार तथा रैंक-वार ब्यौरा निम्नवत् है:-

नौसेना में रैंक	1998	1999	2000
कैप्टन	01	–	02
कमांडर	01	01	01
लेफ्टिनेंट कमांडर	04	–	06
लेफ्टिनेंट	02	04	07
सब लेफ्टिनेंट	–	–	01

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बर्खास्त किए गए सशस्त्र सेनाओं के अफसरों का वर्ष-वार तथा रैंक-वार ब्यौरा निम्नवत् है:-

नौसेना में रैंक	1998	1999	2000
कमांडर	01	–	–
लेफ्टिनेंट कमांडर	–	–	03
लेफ्टिनेंट	01	01	02
सब लेफ्टिनेंट	–	–	01

विवरण-III

वायुसेना से संबंधित सूचना

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अपराधों के लिए सशस्त्र सेनाओं के जिन अफसरों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया उनके बारे में वर्ष-वार तथा रैंक-वार ब्यौरा निम्नवत् है:-

वायुसेना में रैंक	1998	1999	2000
1	2	3	4
ग्रुप कैप्टन	–	–	01

1	2	3	4
विंग कमांडर	–	04	02
स्क्वाड्रन लीडर	02	07	07
फ्लाइट लेफ्टिनेंट	–	03	01
फ्लाइंग अफसर	01	02	02

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बर्खास्त किए गए सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के बारे में वर्ष-वार तथा रैंक-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वायुसेना में रैंक	1998	1999	2000
ग्रुप कैप्टन	–	–	01
विंग कमांडर	–	02	–
स्क्वाड्रन लीडर	–	01	–
फ्लाइट लेफ्टिनेंट	–	–	–
फ्लाइंग अफसर	–	–	02

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

1890. श्री राजैया मल्याला : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र' स्कूली बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे अभी तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र अपने सामुदायिक तथा विस्तार सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करता है जिनमें स्मारकों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, शिल्प केन्द्रों, चिड़ियाघरों तथा उद्यानों के शैक्षणिक दौरे, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर कार्यशालाएं तथा शिविर, स्थानीय उपलब्ध कम-लागत के संसाधनों का उपयोग करके शिल्पों का अध्ययन, कलाकारों तथा शिल्पकारों द्वारा व्याख्यान और प्रदर्शन, क्लासरूप में अध्ययन के पूरक के रूप में स्लाइड व्याख्यान आदि शामिल हैं।

वर्ष 1996-97 से 2000-2001 की अवधि के दौरान सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र में 391 कार्यशालाएं, 306 शैक्षणिक दौरे तथा 53 अन्य शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 81325 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र लगभग 200 कार्यशालाएं, 40 शैक्षणिक दौरे तथा 30 अन्य शैक्षिक कार्यकलाप आयोजित करेगा जिनमें लगभग 20,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

अनु. जा./अनु. जन. जा. के पद

1891. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी (वर्ग क) में अनु. जातियों और अनु. जन जातियों का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित 22.5% कोटा (15% अनु. जातियों के लिए और 7.5% अनु. जनजातियों के लिए) के मुकाबले केवल 13.59% (अनु. जातियों के लिए 10.38% और 2.68% अनु. जनजातियों के लिए) था;

(ख) यदि हां, तो रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी (वर्ग क) और द्वितीय श्रेणी (वर्ग ख) तथा उनके समकक्ष पदों की संख्या कितनी है; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. का.ज्ञा. संख्या 36012/2/96-स्था. (आर.) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अन्तर्गत यथा अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसरण में पता लगाये गये सामान्य, अनु. जा. , अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति कार्यरत थे और ऐसे पदों पर उनका प्रतिशत कितना-कितना था?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक में रेल अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास

1892. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने कर्नाटक राज्य में रेल अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए कर्नाटक रेल विकास निगम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक रेल विकास विभाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक रेल विकास निगम द्वारा विकास के लिए चयन की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) रेल अवसंरचना विकास कम्पनी (कर्नाटक) लि. (के. राइड) को कर्नाटक सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार की भागीदारी के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस कम्पनी में रेल मंत्रालय की समान भागीदारी विचार तथा अनुमोदन की प्रक्रिया में है। निम्नलिखित परियोजनाओं की के-राइड के माध्यम से निष्पादन के लिए पहचान की गयी है:-

1. हुबली	–	अंकोला नई लाइन
2. सोलापुर	–	गदग आमान परिवर्तन
3. हसन	–	मंगलौर आमान परिवर्तन
4. गुंतकल	–	होसपेट दोहरीकरण

प्रत्येक परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा परियोजना के विकास तथा के-राइड द्वारा संसाधन जुटाने पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों को रेल सुविधायें

1893. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों के लिए रेलवे सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कोई रिंग रेलवे है जो यात्रियों को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए प्रात: कालीन आगरा-हजरत निजामुद्दीन इन्टरसिटी एक्सप्रेस को जोड़ती है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मुम्बई, सेन्ट्रल से अमृतसर के बीच चलने वाले पश्चिम एक्सप्रेस, मथुरा जंक्शन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक तीन घंटों से भी अधिक समय लेती है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) रेल गाड़ियों के आवागमन को समयबद्ध करने तथा सुचारू बनाने एवं आगरा-मथुरा-नई दिल्ली मार्ग पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच दैनिक यात्रियों की यात्रा के विकास की योजना तैयार की है। रेल मंत्रालय इस योजना की 1/3 लागत की हिस्सेदारी वहन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। प्रथम चरण में निम्नलिखित तीन गलियारों की पहचान की गई है:-

1. शाहदरा-साहिबाबाद-गाजियाबाद
2. मिंटो ब्रिज-तिलक ब्रिज-साहिबाबाद
3. दयाबस्ती (पटेल नगर)-बिजवासन-गुड़गांव

(ग) और (घ) नई दिल्ली की ओर कोई भी परिक्रमा रेलवे गाड़ी आगरा-निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस को नहीं जोड़ती है। लेकिन नई दिल्ली की ओर जाने के लिए जीडीपी-1 पलवल-गाजियाबाद ईएमयू निजामुद्दीन में इंटरसिटी एक्सप्रेस से मेल उपलब्ध कराती है।

(ङ) जी हां।

(च) परिचालनिक कारणों से।

(छ) सामान्यत: और विशेषरूप से आगरा-मथुरा-नई दिल्ली मार्ग पर गाड़ियों के समयपालन चौबीसों घंटे मंडल, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तरों पर गहन निगरानी रखी जाती है। आगरा-दिल्ली मार्ग पर संतृप्त लाइन क्षमता के अधिक उपयोग और गाड़ियों के अनुरक्षण के लिए नई दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल संबंधी कठिनाइयों के कारण नई गाड़ियों की शुरुआत बाधित होती है। बहरहाल, यह एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो, संसाधन उपलब्ध हों और यातायात का औचित्य मौजूद हो।

[हिन्दी]

मनमाड़-धुले रेल लाइन का पूरा किया जाना

1894. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनमाड़-धुले नरगप्पा रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उसके लिए कितनी निधियां प्रदान की गई हैं;

(ग) 31 अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार कार्य प्रगति किस सीमा तक हुई है; और

(घ) शेष कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) मनमाड़-मालेगांव-धुले और धुले नारदाना-शिरपुर से नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराया गया है। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अजन्ता और एलोरा गुफाओं का संरक्षण

1895. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अजन्ता और एलोरा गुफाओं के संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है ताकि और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अजन्ता गुफाओं में कुछ महत्वपूर्ण भित्ति चित्र लगातार धूमिल पड़ते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं/किए जाने का प्रस्ताव है एवं उस पर कितना व्यय हुआ है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अजन्ता और एलौरा गुफाओं के परिरक्षण और संरक्षण का प्रकम सतत आधार पर किया जाता है। समुद्र पार आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी.एफ.) जिसका नाम अब जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक (जे.बी.आई.सी.) है, द्वारा वित्त-पोषित एक कार्यक्रम के अन्तर्गत, संलग्न विवरण में दर्शाई गई कार्यों की मदों को पूरा कर लिया गया है।

(ग) से (ङ) अजन्ता भित्ति चित्र टेम्परा शैली में बनाए गए हैं जिनमें मिट्टी के पलस्तर के आधार पर, सृजन के माध्यम के रूप में मुख्य रूप से मृत्तिका रंगों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि, भित्ति चित्र मलिन नहीं पड़ रहे हैं, फिर भी निलम्बित कण द्रव्य तथा अन्य सहवर्धक निक्षेप के प्रभाव से इनका रंग रूप हल्का सा फीका पड़ जाता है। भित्ति चित्रों को परिरक्षित करने के लिए, आगन्तुकों के प्रवेश को नियंत्रित किया गया है तथा गुफाओं के भीतर फोटोग्राफी करने के लिए फ्लैश लाइट की अनुमति नहीं है।

अजन्ता तथा एलौरा गुफाओं के संरचनात्मक संरक्षण तथा रासायनिक परिरक्षण पर पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय नीचे दिया गया है:-

वर्ष	अजन्ता	एलौरा
1998-1999	42,28,731/- रुपये	36,88,173/- रुपये
1999-2000	20,77,462/- रुपये	10,75,448/- रुपये
2000-2001	14,42,095/- रुपये	6,85,622/- रुपये

विवरण

अजन्ता गुफाएं

1. टिकट घर से गुफा संख्या 1 के बीच रास्ते को चौड़ा करना तथा सुरक्षा रुकावटों को लगाना।
2. भूतल जल प्रबंध के लिए अपेक्षित सभी नालों का निर्माण करना।

एलौरा गुफाएं

3. गुफा सं. 5 से 15 तक रुकावटों के साथ पुश्ता दीवार।

[अनुवाद]

शिपयार्डों का आधुनिकीकरण

1896. श्री अनन्त नायक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ शिपयार्डों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु किन-किन शिपयार्डों का चयन किया गया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय के अधीन तीन शिपयार्ड हैं अर्थात् मुम्बई में माझगांव डाक लिमिटेड, कोलकाता में गार्ड रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये शिपयार्ड, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए अपने संसाधन स्वयं जुटाते हैं।

रक्षा शिपयार्डों की पोत-निर्माण तथा पोत-परम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है तथा उनकी जरूरत होने पर युद्धपोतों के उत्पादन और उच्च प्रौद्योगिकीयों को अपनाने के लिए जरूरत के आधार पर आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया जाता है। सिविल निर्माण-कार्यों, मशीनों की क्षमताओं, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटरयुक्त डिजाइन/कंप्यूटरयुक्त मशीनी क्षमताओं, वेल्डिंग प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय तथा तकनीकी दक्षताओं आदि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा प्रि-आउटफिटिंग के लिए मॉडयूलर तकनीकों को अपनाने, आधुनिक तथा उच्च क्षमता वाली सामग्री सार-संभाल उपस्कर के अधिग्रहण तथा स्लिप वेज के विकास तथा नवीकरण आदि की भी योजना है तथा ये कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं।

नौवीं योजना अवधि के दौरान इन तीनों शिपयार्डों ने आधुनिकीकरण-कार्य पर लगभग 60 करोड़ रुपये निवेश किए हैं।

रसोई गैस कनेक्शन जारी करना

1897. डा. वी. सरोजा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार चालू वर्ष के दौरान 1.3 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 2001 की तिथि के अनुसार कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ग) क्या साल के अंत तक उक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार द्वारा वर्तमान कलेन्डर वर्ष के दौरान देश भर में 1.3 करोड़ नए एल.पी.जी. (घरेलू) कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य नियत किया गया है। इस लक्ष्य की तुलना में जनवरी-सितम्बर, 2001 की अवधि के दौरान लगभग 48 लाख कनेक्शन जारी किए गए हैं।

चूंकि ये कनेक्शन सभी विद्यमान बाजारों के अंतर्गत मांग पर उपलब्ध हैं, इसलिए 1.3 करोड़ एल.पी.जी. (घरेलू) कनेक्शन जारी किए जाने के लक्ष्य की उपलब्धि विभिन्न बाजारों के अंतर्गत ग्राहकों की मांग से जुड़ी हुई है।

टी-72 टैंकों के लिए 770 बैरलों का निर्माण

1898. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट संख्या 7 में कहा है कि 67.73 करोड़ रुपये की लागत वाले टी-72 टैंकों हेतु विनिर्मित 770 बैरलों का मौलिक ढांचा तैयार करने वाले से परामर्श लिए बगैर 'क्रीटिकल हीट ट्रीटमेंट सेडमूल' से वंचित कर दिया गया जिसके कारण त्रुटिपूर्ण बैरलों का विनिर्माण हुआ;

(ख) क्या जून, 1999 की स्थिति के अनुसार 44 करोड़ रुपये मूल्य के 454 बैरल भण्डार में रखे हुए थे और टैंकों में लगा दिए गए शेष 305 बैरलों की जांच प्रक्रिया चल रही थी;

(ग) क्या गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान ने कम तापमान पर उनमें दोष उत्पन्न होने के बावजूद इन बैरलों को स्वीकृति प्रदान कर दी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या 'हीट ट्रीटमेंट' न दिए जाने के कारण करोड़ों रुपये के घाटे एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कई बार गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय प्रतिष्ठान द्वारा अपना कार्य उचित ढंग से करने में असफल रहने संबधी गंभीर टिप्पणी करने के मामले की जांच की गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी 2000 की रिपोर्ट संख्या 7 (रक्षा सेवाएं) में मूल डिजाइनकर्ता, के साथ परामर्श किए बिना विनिर्माण तकनीकों (महत्वपूर्ण, ताप उपचार कार्यक्रम से) से विचलन के बारे में उल्लेख किया है जिसके परिणास्वरूप टी-72 टैंकों के लिए विनिर्मित बैरलों का दोषपूर्ण, विनिर्माण हुआ। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि टी-72 टैंकों की 125 मि.मी. तोप नालों का स्वदेशी विनिर्माण सहयोगकर्ताओं (तत्कालीन सोवियत संघ) के प्रौद्योगिकी युग के अनुसार और सहयोगकर्ताओं के विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में आयुध निर्माणियों में स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण ताप उपचार कार्यक्रम में सहयोगकर्त्ताओं के साथ परामर्श करके और उनके अनुमोदन से परिवर्तन किए थे और उन्हें आयुध निर्माणी बोर्ड और सहयोगकर्ताओं के बीच एक नयाचार के रूप में अभिलेखबद्ध किया गया था। गुणता आश्वासन महानिदेशालय की स्थापना ने इन बैरलों को परिवर्तित ताप उपचार कार्यक्रम के साथ स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसे सहयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया गया था जैसाकि ऊपर बताया गया है। अत: गुणता आश्वासन महानिदेशालय की स्थापना ने अपनी कार्य-प्रणाली में कोई चूक नहीं बरती थी।

कुछ बैरलों के विफल होने के परिणामस्वरूप रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से जांच की गई थी जिस पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करके आगे और जांच-पड़ताल की जा रही है। इस समिति में गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, आयुध निर्माणी बोर्ड तथा मिश्र धातु निगम लिमिटेड के विशेषज्ञ हैं, जो गहन अध्ययन कर रहे हैं। परिणामत:, बेहतर विनिर्माण प्रक्रिया और धातुकर्मीय संघटन अपनाने के बाद बैरलों की गुणता में सुधार लाया जा चुका है। सक्रिय इस्तेमाल से हटाई गई 559 बैरलों न कि 759 बैरलों (परिवर्तित ताप उपचार प्रक्रिया से विनिर्मित) का सामान निकालने संबंधी उपायों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

1899. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत बहाली हेतु सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विशुद्ध अनुदान था या ऋण और किस प्रयोजनार्थ यह राशि व्यय की गयी;

(ग) यदि हां, तो ऋण को किस अवधि तक वापस किया जाना है और उस पर ब्याज दर क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा में अक्तूबर 1999 में आए महाचक्रवात के बाद प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत बहाली हेतु उड़ीसा या ग्रिड कारपोरेशन को धनराशि स्वीकृत की है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण (आरईसी) ने गुजरात विद्युत बोर्ड के लिए 100 करोड़ रु. की तदर्थ वित्तीय सहायता मंजूर की है ताकि गुजरात में विनाशकारी भूकंप के पश्चात क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक वितरण प्रणाली का पुन:स्थापित किया जा सके।

(ग) गुजरात विद्युत बोर्ड ने ऋण अदायगी के लिए 12.5% ब्याज दर से 15 माह के विकल्प को स्वीकार किया है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा सरकार अथवा ग्रिडको ने राज्य में सुपर साइक्लोन से प्रभावित गांवों में विद्युत आपूर्ति संस्थापना के लिए आरईसी से कोई ऋण नहीं लिया है।

विश्व धरोहर सूची में शहरों को शामिल किया जाना

1900. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''यूनेस्को'' द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र, राजस्थान, आन्ध प्रदेश और अन्य राज्यों के किसी भारतीय शहर का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारत सरकार ने महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश अथवा अन्य राज्यों में किन्हीं भारतीय नगरों का, उन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की विश्वदाय सूची में शामिल किए जाने के प्रयोजन से, मूल्यांकन नहीं किया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियां

1901. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की उपलब्धियों का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय राजकोष में सर्वाधिक लाभांश दिया है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कारोबार, कर पश्चात लाभ और दिए गए लाभांश के संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए)

कम्पनी का नाम	1999-2000			2000-2001		
	कारोबार	निवल लाभ	दिया गया लाभांश	कारोबार	निवल लाभ	दिया गया लाभांश
ओ एन जी सी	2009357	362947	92685	2364032	522878	156853
आई ओ सी	9569917	244340	58401	11823812	272033	73974
गेल	771017	86127	25370	919745	112617	33826
एच पी सी एल	3383087	105741	28498	4856684	108801	33933
बी पी सी एल	3338468	70163	18750	4593207	83266	22500
ओ आई एल	184250	40979	10700	197568	46736	14267
ई आई एल	44414	13023	3555	97282	12568	3763
सी पी सी एल	552069	14314	4413	713262	12243	3705
के आर एल	576833	23621	11443	713575	10946	2902
आई बी पी	662974	4171	1019	861981	5422	2215
एन आर एल	-	-	-	82220	2160	*
बी आर पी एल	129152	3224	967	125530	-5744	-
बीको लारी	7705	18	-	6348	-867	-
बामर लारी	69396	1432	407	74418	601	244

*एन आर एल में भारत संघ की कोई शेयरधारिता नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्मारकों का संरक्षण

1902. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1997 के बाद घोषित राष्ट्रीय स्मारकों में नये स्मारक/स्थल/मंदिर शामिल किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों/मंदिरों/स्थलों के संरक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध पर विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 3606 स्मारक/स्थल पहले ही केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित हैं। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, संरक्षण के लिए प्राप्त प्रस्ताव ऐसे स्मारक/स्थल होने चाहिए जो एक सौ वर्ष से अधिक अवधि के हैं और जिनका असाधारण वास्तु-शिल्पीय, ऐतिहासिक तथा कलात्मक महत्व है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1997 के बाद, राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों/स्थलों/मंदिरों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल/मंदिर का नाम	स्थान/जिला/राज्य	संरक्षण का वर्ष
1.	शेख मुहम्मद इब्राहिम जौक की मजार	चिन्नाई बस्ती (कदम शैरिफ) नबी करीम, पहाड़गंज, दिल्ली	2000
2.	प्राचीन स्थल एवं बौद्ध स्तूप	संघोल, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब	1998
3.	श्री अपतसहायेस्वर मंदिर एवं अश्वों वाला द्वार	संतमंगलम, उलुदुरपेट तालुक, विल्लुपुरम, जिला तमिलनाडु	2000
4.	सुवर्णेस्वर मंदिर	हल्शी, खानपुर तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	2000
5.	रामलिंगेस्वर मंदिर	हल्शी, खानपुर तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	2000
6.	भू-वराह मंदिर	हल्शी, खानपुर तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	2000
7.	कालमेस्वर मंदिर	हल्शी, खानपुर तालुक, बेलगाम जिला, कनर्राटक	2000
8.	जरासंध के किला के नाम से प्रसिद्ध कुषाण स्तूप	करनाल जिला, हरियाणा	1998
9.	लोथल का प्राचीन स्थल	जिला अहमदाबाद, गुजरात	1999
10.	मुहम्मद खान बंगश नवाब	जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	1999

5.56 एम.एम. की 'इनसैस' राइफलों का उत्पादन

1903. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध कारखानों ने 5.56 एमएम. की 'इनसैस' राइफलें विकसित की हैं जो सटीकता एवं घातकता की दृष्टि से ए.के. के हथियारों से बेहतर हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं जिनकी वजह से सरकार ने बढ़े हुए पैमाने पर ए.के. राइफलों के आयात हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित की;

(ग) क्या आयुध कारखाने पूर्वोत्तर क्षेत्र और कश्मीर में कार्यरत सुरक्षा बलों की मांग की पूर्ति करने के लिए 'इनसैस' राइफलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) एके-47 राइफल के आयात के लिए प्रस्ताव की शुरूआत आयुध निर्माणियों द्वारा 5.56 मि.मी. 'इनसास' राइफलों की नियमित आपूर्ति शुरू करने से पहले वर्ष 1993 में की गई थी। यह आयात वर्ष, 1995 में फलित हुआ था। तदन्तर 3600 अण्डर बैरल ग्रेनेड लॉचर प्रणाली की अधिप्राप्ति की गई थी जो ए के-47 राइफलों के अनुरूप थी। वर्ष, 1995 से ए के-47 राइफलों की अधिप्राप्ति के लिए अलग से कोई विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) आयुध निर्माणियां सेनाओं और अर्ध सैन्य बलों को इनकी आवश्यकतानुसार 5.56 मि.मी. 'इनसास' राइफलों की आपूर्ति कर रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन द्वारा अपनी दर्शक संख्या का पता लगाया जाना

1904. श्री सुबोध मोहिते: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले राजस्व के निजी चैनलों को चले जाने से होने वाले नुकसान का एक कारण सुमचित अनुसंधान का अभाव भी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय दूरदर्शन द्वारा अपनी दर्शक संख्या का पता लगाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शुनु सेन समिति ने अनुसंधान के लिए अपनायी जाने वाली प्रणाली के बारे में सिफारिशें की थीं।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों में दूरदर्शन का राजस्व बढ़ा है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय वे दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर दर्शकों की प्रतिक्रिया का एक मासिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को विज्ञापनदाताओं और प्रायोजित कार्यक्रमों के निर्माताओं को उपलब्ध कराया जाता है और इन निष्कर्षों पर कार्यक्रम समीक्षा और योजना बैठकों में चर्चा की जाती है।

(ग) से (ङ) इस बारे में शुनु सेन गुप्ता समिति रिपोर्ट में मुख्य जोर इस बात पर दिया गया था कि दर्शकों के आकार और संघटन को निर्धारित करने के लिए बाजार अनुसंधान का उपयोग किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विज्ञापन निर्णय ऐसी सूचना पर आधारित होते हैं।

तिरूपति-कटपाड़ी-पकाला रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1905. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से तिरूपति-कटपाडी-पकाला रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त निधियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 2002-2003 मे पूरी हो जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में सौर ऊर्जा संयंत्र

1906. श्री भीम दाहाल: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में और ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) मंत्रालय ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सौर उर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया है। हाल ही के वर्षों में मंजूर की गई परियोजनाओं में शामिल हैं:

अरुणाचल प्रदेश: 9.2 किवा.पी. समग्र क्षमता के 3 सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों की स्थापना।

असम: कच्छार जिले में 36 गांवों का सौर विद्युतीकरण, सोनितपुर जिले में बोडो जनजातीय बुनकर परिवारों के घरों में 400 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों की स्थापना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी में 4.5 किवा. पी. समग्र क्षमता के 3 विद्युत संयंत्रों और सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना।

मेघालय: 14 जनजातीय गांवो का सौर विद्युतीकरण।

मिजोरम: एजोल, सेथवान और जुआंगटुई में प्रत्येक 25 किवा पी. क्षमता के 4 एसपीवी विद्युत संयंत्रों की स्थापना।

नागालैंड: राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक पर 300 लीटर क्षमता की 9 सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना।

त्रिपुरा: कबीराजतोला और विवेकनगर में 3 और जल तापकों की स्थापना।

इसके अलावा वर्ष 2001-02 के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों को लक्ष्य आवंटित किए गए और केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी एफ ए) रिलीज की गई (विवरण)

(ग) उपरोक्त में से अधिकांश परियोजनाएं वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मंजूर की गई और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इन विद्युत संयंत्र परियोजनाओं को पूरा होने के लिए, उनकी मंजूरी की तारीख से 12-18 माह का समय दिया गया है।, सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम 2001-2002 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 31 मार्च, 2002 तक संस्थापित/वितरित किए जाने आवश्यक हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	एजेंसी	सौर लालटेन (सं.)	घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.)	सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.)	अनुमानित सीएफए (लाख रु. में)	रिलीज की गई अग्रिम सीएफए (लाख रु. में)
1.	मेघालय	एमएनआरईडीए	500	200	–	35.90	–
2.	मिजोरम	जेडा	1,000	100	–	41.20	19.95
3.	सिक्किम	एसआरईडीए	300	100	–	19.50	10.00
4.	त्रिपुरा	टीआरईडीए	3,200	600	300	220.40	112.40
		कुल	5,000	1,000	300	317.00	142.35

सीएफए: केन्द्रीय वित्तीय सहायता।

कर्नाटक के कोलार जिले में ढहे टावर की जांच के लिए पीजीसीआई द्वारा विशेषज्ञ दल का गठन

1907. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया ने 24 अगस्त, 2001 को सात लोगों की जान लेने वाले कर्नाटक के कोलार जिले में निर्माणाधीन 100 फुट ऊंचे टावर के ढ़हने के सही कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) कर्नाटक में दिनांक 23.8.2001 को कोलर-अरकोनम 400 केवी एस/सी पारेषण लाईन पर कोलर सब-स्टेशन के पास टावर उत्थापन के दौरान एक दुर्घटना हुई, जिसमें टावर नष्ट हो गया तथा ठेकेदार के 7 कामगारों की मृत्यु हो गयी। मेसर्स हुन्डई इंजीनियरिंग व कांस्ट्रक्शन कंपनी लि. पावर ग्रिड ने दुर्घटना की जांच के लिए 24.8.2001 को जांच समिति गठित कर दी। जांच समिति ने पावर ग्रिड के संबंध को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति का विचार है कि ठेकेदार के कामगारों द्वारा टावर उत्थापन की सही प्रक्रिया न अपनाने के कारण ही 22.8.2001 को दुर्घटना हुई है क्योंकि कामगार शीघ्रातिशीघ्र कार्य समाप्ति के लिए उत्सुक थे ताकि वे गणेश चतुर्थी उत्सव मना सकें।

समिति ने मत व्यक्त किया कि अनुबंधकर्त्ता एजेंसियों द्वारा अपने कामगारों को सुरक्षित तरीके से कार्य निष्पादन के प्रशिक्षण के अभाव व इस कार्य के महत्व को न समझने और प्रभावी पर्यवेक्षण का अनुपलब्धता के कारण ही दुर्घटना को रोका नहीं जा सका और मुख्यतः वहीं दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है। पावरग्रिड को सभी सहायता उपलब्ध कराने, प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और ठेकेदारों की पर्यवेक्षण प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने की सलाह दी गई है ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

[हिन्दी]

रेल-सम्पत्ति की चोरी

1908. श्री राजो सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार स्थित बरौनी और गड़हरा में रेल-संपत्ति की चोरी को रोकने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) बुक किए गए परेषणों सहित रेलवे संपत्ति की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं।

1. यार्डों और अन्य नाजुक क्षेत्रों/खण्डों में गहन गश्त,
2. अपराधियों और चोरी शुदा संपत्ति प्राप्त करने वाले के अड्डों पर छापे मारना ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके,
3. नाजुक खंडों में जहां तक संभव होता है रे.सु.ब. की सशस्त्र पिकेट तैनात किए जाते हैं,
4. चोरी आदि की संभाव्यता वाले ढोए जा रहे परेषणों के माल डिब्बों/सील की स्थिति की जांच करने के लिए अंतर्बदए बिंदुओं पर संयुक्त जांच,
5. अपराधियों को पता लगाने की दृष्टि से अपराध आसूचना एकत्रित करने के लिए सादी वर्दी में रे.सु.ब. कार्मिक तैनात किए जाते हैं,
6. श्वान दस्तों की उपलब्धता के अनुसार इन्हें याड़ों और नाजुक क्षेत्रों में गश्त करने के लिए तैनात किया जाता हैं,
7. अपराधों और चोरीशुदा रेल संपत्ति प्राप्त करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए रे.सु.ब. रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय कायम रखा जाता है,
8. संदेहास्पद कर्मचारियों पर निगरानी रखी जाती है और कदाचारियों को निकाल दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी.एल. द्वारा कर्नाटक में निवेश

1909. श्री जी.एस. बसवराज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने अगले दो वर्षों के दौरान कर्नाटक में अब संरचना और आपूर्ति तंत्र के विस्तार के उद्देश्य से वहां 275 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इससे कर्नाटक के गुलबर्गा, बेलगाम, बेलगारी और सहन जिलों में ईंधन की कमी की पूर्ति करने में कहां तक सहायता मिलेगी;

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना से कर्नाटक राज्य को लाभ होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इससे राज्य की जनता को किस हद तक लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) ने कर्नाटक राज्य में पी ओ एल की बुनियादी सुविधाओं और आपूर्ति नेटवर्क में वृद्धि करने के लिए 135 करोड़ रुपए (बेल्लारी के अलावा) की एक महत्वाकांक्षी योजना पहले से ही तैयार की है। कर्नाटक राज्य में विशेष रूप से गुलबर्गा, बेलगांव और हसन जिलों में पेट्रोलियम भण्डारण सुविधाओं के विकास से इन स्थानों में पेट्रोलियम उत्पादों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा शिमोगा और मांडवा में दो नए भरण संयंत्रों के निर्माण से कर्नाटक राज्य और विशेष रूप से शिमोगा और मांडवा के आसपास एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

(ग) कर्नाटक राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की साज-संभाल करने हेतु बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आई ओ सी एल द्वारा निम्न परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है:

क्र.सं.	स्थान	परियोजना
1.	गलबर्गा	8911 कि.ली. टैंकेज और सहायक सुविधाओं के साथ गुलबर्गा डिपो का स्थान परिवर्तन
2.	बेलगांव	14210 कि.ली. टैकेज और सहायक सुविधाओं के साथ बेलगांव डिपो का स्थान परिवर्तन
3.	हसन	15775 कि.ली. और सहायक सुविधाओं के साथ मंगलौर हसन-बंगलौर पाइपलाइन पर नए पाइपलाइन टर्मिनल का निर्माण
4.	शिमोगा	44 टी एम टी पी ए क्षमता के नए भरण संयंत्र का निर्माण
5.	मांड्या	22 टीएम टी पी ए क्षमता के नए भरण संयंत्र का निर्माण

(घ) और (ङ) राज्य में पेट्रोलियम भंडारण और एल पी जी भरण सुविधाओं के विकास से कर्नाटक राज्य में विभिन्न वितरण केन्द्रों पर पेट्रोलियम उत्पादों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कर्नाटक राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और एल पी जी का कारगर और सतत उपलब्धता से राज्य के लोगों का बिना किसी समस्या के पेट्रोलियम उत्पादों की उनकी आवश्यकता को पूरा करते हुए लाभ होगा।

तिरूवेल्लूर में उपरि-पुलों का निर्माण

1910. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार की तिरूवेल्लूर (एल सी-18) में सड़क उपरि पुल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त पुलों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) वर्ष 1999-2000 मे तिरूवेल्लूर (समपार सं.-18) पर लागत में भागीदारी के आधार पर एक ऊपरि सड़क पुल स्वीकृत किया गया था। ऊपरि सड़क पुल की लागत 11.36 करोड़ रुपए है जिसमें रेलवे का हिस्सा 5.69 करोड़ रुपए है। रेलवे के भाग वाले कार्य पर प्रगति 40% है। राज्य सरकार को पहुंच मार्गों पर अभी कार्य शुरू करना है।

भारतीय वायुसेना की आपात योजना

1911. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में हुए आतंकवादी हमलों और तत्पश्चात् अफगानिस्तान में तालिबान शासक के विरूद्ध अमरीकी सैन्य-कार्यवाही के बाद बने विश्व-परिदृश्य के मुद्देनजर सशस्त्र सेनाओं, विशेषकर भारतीय वायुसेना ने विभिन्न आपात योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन से सतर्कता उपाए किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) संयुवत राज्य अमरीका में 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले

के बाद भारतीय वायुसेना की हवाई योजना की समीक्षा की गई है। इसकी संक्रियात्मक तैयारी और सुरक्षा उपायों में वृद्धि की गई हैं। तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए इस बारे में ब्यौरा नहीं दिए जा सकते।

अकादमियों को सहायता

1912. श्री टी. गोविन्दन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न अकादमियों के संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक अकादमी को मुहैया कराई गई इस प्रकार की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अकादमियों द्वारा प्रयुक्त धनराशि पर लेखा-परीक्षा की कोई आपत्ति है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) अकादमियों की आवश्यकताओं तथा विभाग के बजटीय आबंटन को ध्यान में रखते हुए, मुहैया कराई गई धनराशि का विवरण संलग्न हैं।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के लिए अकादमियों को उपलब्ध कराई गई धनराशि तथा चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान

अकादमी का नाम	वर्ष	योजना के अन्तर्गत मुहैया कराई गई धनराशि (लाख रु. में)	गैर-योजना के अन्तर्गत मुहैया कराई गई धन राशि (लाख-रु. में)
संगीत नाटक अकादमी	1998-99	358.51	250.73
	1999-00	440.00	364.73
	2000-01	520.00	391.00
	2001-02*	520.00	410.00
साहित्य अकादमी	1998-99	462.50	204.00
	1999.00	398.20	208.07
	2000.01	415.00	250.10
	2001-02*	415.00	274.00
ललित कला अकादमी	1998-99	199.00	173.00
	1999-00	165.00	156.00
	2000-01	250.00	200.00
	2001-02*	250.00	222.00

*चालू वर्ष के लिए दर्शाई गई धनराशि बजट आबंटन हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

1913. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ विभागों में, पिछले तीन वर्षों के दौरान नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने पद आरक्षित रहे हैं और कितने रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों पर उक्त वर्गों के कितने लोगों की नियुक्ति की गई; और

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है-

वर्ष-1998

क्र.सं.	पद	समूह	पदों की संख्या								
			अभिज्ञात			तैनात			रिक्त		
			वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच
1.	पीए	ख	–	–	2	–	–	–	–	–	2
2.	अ.श्रे.लि.	ग	1	1	2	–	–	2	1	1	–
3.	आशुलिपिक घ	ग	2	–	2	–	–	3	2	–	+1
4.	उ.श्रे.लि.	ग	–	2	2	–	–	4	–	2	+2
5.	समूह घ	घ	1	–	1	1	–	1	–	–	–
6.	सहायक निदेशक	क	–	1	1	–	–	–	–	1	1

वर्ष-1999

क्र.सं.	पद	समूह	पदों की संख्या								
			अभिज्ञात			तैनात			रिक्त		
			वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पीए	ख	–	–	2	–	–	–	–	–	2
2.	अ.श्रे.लि.	ग	1	1	2	–	–	2	1	1	–
3.	आशुलिपिक घ	ग	2	–	2	–	–	3	2	–	+1
4.	उ.श्रे.लि.	ग	–	2	2	–	–	4	–	2	+2
5.	समूह घ	घ	1	–	1	1	–	1	–	–	–
6.	सहायक निदेशक	क	–	1	1	–	–	–	–	1	1

वर्ष-2000

क्र.सं.	पद	समूह	पदों की संख्या								
			अभिज्ञात			तैनात			रिक्त		
			वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच
1.	पीए	ख	–	–	2	–	–	–	–	–	2
2.	अ.श्रे.लि.	ग	1	1	2	–	–	2	1	1	1
3.	आशुलिपिक घ	ग	2	–	2	–	–	3	2	–	–
4.	उ.श्रे.लि.	ग	–	2	2	–	–	5	–	2	+3
5.	समूह घ	घ	1	–	2	1	–	1	–	–	1
6.	सहायक निदेशक	क	–	1	1	–	–	–	–	1	1

(ग) मंत्रालय द्वारा उपरोक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित कदम उठाए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से इस संबंध में उपयुक्त उम्मीदवारों को नामित करने का आग्रह किया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग की बकाया रिक्तियां

1914. श्री ए. नरेन्द्र: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की प्राप्ति पर रक्षा मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने अग्रेनीत रिक्त पद भरे गए और कितने रिक्त रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान 'पद आधारित रोस्टर' के अनुसार, सभी पद-श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बंगलौर-हैदराबाद और बंगलौर-चेन्नै के बीच तीव्रगति रेल परिवहन कॉरिडोर

1915. श्री विनय कुमार सोराके: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बंगलौर-हैदराबाद और बंगलौर-चेन्नै के बीच तीव्रगति रेल परिवहन कारिडोर विकसित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वित्तपोषण की पद्धति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाकिस्तान टोही विमानों की गतिविधियां

1916. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान के जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट पाकिस्तानी टोही विमानों की बढ़ती गतिविधियों की जानकारी है जैसा 14 नवम्बर, 2001 के हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' का समाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) उपर्युक्त समाचार में यथा उल्लिखित ऐसी किसी प्रकार की गतिविधियां ध्यान में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आयातित रेल-डिब्बों को पुनः प्रयोग में लाना

1917. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 2001 के 'द हिन्दू' समाचार पत्र में "इम्पोर्टेड कोचेज रेडी टु हिट द ट्रैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन आयातित रेल-डिब्बों को पूर्व में हटा लिये जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इन डिब्बों को पुनः प्रयोग में लाये जाने के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) आयातित सवारी डिब्बों के रेक इन सवारी डिब्बों में प्रयुक्त सेंटर बफर कप्लर के नए अभिकल्प में आरम्भिक कठिनाई के कारण अस्थायी रूप से हटा लिए गए थे। इस समस्या का विनिर्माता के साथ अब विस्तार से अध्ययन किया गया है और आवश्यक आशोधन कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इन सवारी डिब्बों के चालन के लिए रेल संरक्षा आयुक्त (सी.आर.एस.) का प्रमाण पत्र मई 2001 में उनकी शुरूआत करने से पूर्व प्राप्त किया गया था। बहरहाल, पर्याप्त सावधानी के तौर पर इन नए किस्म के सवारी डिब्बों को पुनः शुरू करने से पूर्व सी.आर.एस. की पुनः स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। पुनः शुरू करने के लिए स्वीकृति जारी करने हेतु सी.आर.एस. की संतुष्टि के लिए आवश्यक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति शीघ्र ही मिल जाने की आशा है।

पी.टी.वी. पर प्रतिबन्ध

1918. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में 'पाकिस्तान टेलीविजन' के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

देश में विद्युत का उत्पादन

1919. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत-उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) इस प्रकार की ईंधन-सामग्री पर आधारित निर्माणाधीन विद्युत-परियोजनाओं की उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(ग) उक्त प्रत्येक प्रकार की परियोजना से विद्युत-उत्पादन की अधिकतम तथा न्यूनतम अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) वर्तमान में प्रत्येक श्रेणी की निर्माणाधीन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) देश में विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाने

वाली सामग्री को कोयला (लिग्नाइट समेत), गैस और तरल ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध जल का इस्तेमाल करते है उन्हें विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) 9वीं योजना और 10वीं योजना की शेष अवधि के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं की ईंधनवार विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नवत है:-

ईंधन के प्रकार	नौवीं योजना की शेष अवधि में निर्माणाधीन क्षमता	10वीं योजना के लिए निर्माणाधीन क्षमता (मेवा)
कोयला (लिग्नाइट सहित)	710	5440.00
गैस	397.7	1861.105
तरल ईंधन	106	118.632

(ग) ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विद्युत उत्पादन की लागत स्थरीकृत टैरिफ के रूप में लिया जाता है। स्थरीकृत टैरिफ 68.5% पी.एल.एफ., 12% छूट दर प्रवर्तकों/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अनंतिम वित्तीय पैकेज (टी.ई.सी. के समय) पर विचार करते हुए भारत सरकार के मानदण्डों पर आधारित हैं। विभिन्न ईंधन सामग्रियों के आधार पर ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में अधिकतम और न्यूनतम स्थरीकृत टैरिफ निम्नवत प्रस्तुत है:-

ईंधन	अधिकतम स्तरीय टैरिफ (रु./कि.वा.घं.)	न्यूनतम स्तरीय टैरिफ (रु./कि.वा.घं. प्रति रु.)
कोयला	3.46	1.63
गैस	3.06	1.88
तरल ईंधन	3.99	2.43

(घ) वर्तमान में निर्माणाधीन कोयला, गैस और तरल ईंधन आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रति मे.वा. औसत अनुमानित लागत निम्नलिखित सीमा में है।

कोयला आधारित परियोजना	2.92 करोड़ रु. से 5.35 करोड़ रु.
गैस	3.26 करोड़ रु. से 4.54 करोड़ रु.
तरल ईंधन	3.16 करोड़ रु. से 3.8 करोड़ रु.

हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में जल विद्युत-उत्पादन

1920. श्री भेरूलाल मीणा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल समेत देश में विद्यमान जल-विद्युत उत्पादन की विपुल संभावनाओं के दोहन के लिये विद्युत कोष बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जल विद्युत-उत्पादन की विपुल संभावना वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से प्रभावी उपाय किये गये है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में देश आर्थिक दृष्टि से दोहन योग्य 148700 मेगावाट मूल्यांकित व्यवहार्य जल विद्युत शक्यता से सम्पन्न है तथापि इस शक्यता के 16.6% का ही दोहन किया गया है। 6.3% विकास की विभिन्न अवस्थाओं में है और 2.73% के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। जल विद्युत शक्यता का अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश (18820 मेगावाट), उत्तरांचल (17000 मेगावाट) और उत्तर-पूर्वी राज्यों में मौजूद हैं।

भारत सरकार देश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उत्तरांचल (2400 मेगावाट) में टिहरी जल विद्युत परियोजना और हिमाचल प्रदेश (1500 मेगावाट) में नाथपा-झाकरी परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए क्रमश: उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ संयुक्त प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने अभी तक और दसवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए 16338 मेगावाट क्षमता और ग्यारहवीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए 25254 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं का अनंतिम रूप से पता लगाया है। तथापि इन योजनाओं में लाभ के लिए अभिज्ञात की गयी क्षमता अभिवृद्धि सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने और आवश्यक निधियां सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता गत चार वर्षों में 1265 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2082 करोड़ रुपये कर दी गयी है। भारत सरकार पावर फाइनेंस कारपोरेशन से ऋणों के जरिए राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं को भी सहायता प्रदान कर रही है। जल विद्युत स्टेशनों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण कार्यों के लिए विशेष त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगने वाले अतिरिक्त समय व लागत में कमी करने की दृष्टि से केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं का विकास तीन चरणों में करना आरंभ किया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी और गैर-तकनीकी मानदण्डों के आधार पर देश के सभी नदी बेसिनों में शक्यता वाले जल विद्युत स्थलों की प्रारंभिक रैंकिंग का कार्य भी पूरा कर लिया है।

भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में घोषित की गयी जल विद्युत विकास नीति में राष्ट्रीय विद्युत विकास निधि बनाने का प्रावधान किया गया है। एनएचपीसी द्वारा अपने विद्युत उत्पादन स्टेशनों से उत्पादन विद्युत पर बस-बार पर उपलब्ध ऊर्जा पर अधिभार वसूलने के संबंध में दर्ज याचिका पर सीईआरसी ने एनएचपीसी को, अनुमति प्रदान की है कि वे क्षेत्र में जल विद्युत विकास के लिए प्रयुक्त किया जाने हेतु बिलिंग धनराशि क्षमता और उर्जा प्रभार पर 5% दर पर विकास अधिभार वसूल कर सकती है।

[अनुवाद]

रसोई गैस वितरकों की ग्राहक-संख्या को युक्तिसंगत बनाना

1921. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नये रसोई गैस वितरकों को अपर्याप्त ग्राहक संख्या की वजह से परेशानी हो रही है जबकि पुराने वितरकों के पास अत्यधिक ग्राहक हैं; और

(ख) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र में कार्य-संचालित कर रहे विभिन्न तेल कंपनियों के वितरकों के बीच ग्राहक संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों को भिन्न-भिन्न बाजारों के लिए व्यवहार्यता मानकों के आधार पर पृथक बाजारों की पुनरर्संरचना करने तथा ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुसार शिकायत मुक्त एवं कुशल सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

प्रक्षेपास्त्र-कार्यक्रम के लिए निधि

1922. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 अगस्त, 2001 के 'स्टेट्समैन' समाचार पत्र में 'फंड्स फॉर त्रिशूल, आकाश नॉट यूटिलाइज्ड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा विकसित जमीन से हवा में मार करने वाले 'आकाश' और 'त्रिशूल' प्रक्षेपास्त्रों के लिए रखी गयी धनराशि का उपयोग नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस धनराशि का समुचित उपयोग करने और इससे किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन दोनों परियोजनाओं में कमान गाइडेंस और इन्टीग्रेटेड रैम राकेट प्रोपल्शन सिस्टम से जुड़ी कुछ प्रौद्योगिकी विकास संबंधी समस्याएं सामने आई हैं, इसके कारण निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है।

(घ) वर्ष 2003 तक प्रौद्योगिकी को स्थापित करने और निधियों को उपयोग में लाने के सभी प्रयास जारी हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लंबित मामले

1923. श्री जी.जे. जावीया: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालयों/उच्च न्यायालयों ने वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों आदि के दीर्घावधि से लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामलों को जल्द सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी गई;

(घ) क्या अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले जल्द सुनवाई के लिए लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) वरिष्ठ नागरिकों के मामलों के शीघ्र निपटान के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क), (ग), (घ) और (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को ऐसे मामलों की, जिनमें 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अंतवर्लित हैं, पहचान करने और उन्हें पूर्विकता के आधार पर निपटाने के लिए पत्र लिखे थे।

(च) न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निदेशों के अधीन कार्य करते हैं। तथापि, सरकार समय-समय पर ज्येष्ठ नागरिकों के निपटान के बारे में उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगती रहती है।

मिरज-लातूर रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

1924. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिरज-लातूर रेल मार्ग (लंबाई 374 कि.मी.) आमान-परिवर्तन परियोजना का शेष कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्यावधि निर्धारित की गई है;

(ग) दीर्घावधि से लम्बित मिरज-लातूर परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण है और इसके कार्य पालन में हुए असाधारण विलम्ब की वजह से इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) धनराशि के आबंटन, इसके उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है। इसकी स्वीकृति से इस कार्य के लिए 2000-01 तक अभी तक आवंटित कुल निधियां 105.30 करोड़ रुपए हैं। 2001-02 के दौरान 20 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

तेल पूल घाटे में कमी

1925. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तेल पूल घाटे को कम करने के उद्देश्य से लोक लेखा निधि में जमा 4429 करोड़ रु. की धनराशि जिले 2001-2002 के दौरान व्यय किया जाना है - के आहरण के संबंध में वित्त मंत्रालय को अभ्यावेदित किया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि के कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि तेल समन्वय समिति (ओसीसी) को 4429 करोड़ रुपए की अपनी जमाराशि लोक लेखे से वापस लेने के लिए अनुमति दी जाए।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आईओसीएल की निवेश योजना

1926. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने निवेश की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विदेशी कंपनियों के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम परियोजनाएं शुरू की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी) की कोर सेक्टर के साथ अन्वेषण एवं उत्पादन, पेट्रोरसायन, एलएनजी/गैस तथा विद्युत क्षेत्रों समेत हाइड्रोर्जन वेल्यू चेन में निवेश करने की योजना है। नौंवी योजना के दौरान आईओसी के लिए संभावित परियोजना व्यय 12,977 करोड़ रुपए है। प्रमुख परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) विदेशी कंपनियों के साथ सहयोजन में आरंभ की गई आईओसी की संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. की प्रमुख परियोजनाओं की सूची

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख/ अनुमोदित लागत	प्रत्याशित लागत	श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	बरौनी रिफाइनरी का 6 एमएमटीपीए तक कम लागत विस्तार	फरवरी, 1999/ 1803	1963	क्षमता वृद्धि
2.	डिग्बोई में विलायक डिवेक्सिंग/ डिआयलिंग	फरवरी, 1999/ 419	419	निकासी एवं मूल्य वृद्धि
3.	गुवाहाटी मे कोकर स्ट्रीम्स का जलोपचार	फरवरी, 1999/497	522	गुणवत्ता सुधार
4.	डिग्बोई में जलोपचार	फरवरी, 1999/343	343	गुणवत्ता सुधार
5.	पानीपत में पीएक्स/पीटीए	जून, 1999/4228	5104	पेट्रोरसायन
6.	पूर्वी भारत में ग्रास रूट रिफाइनरी	अगस्त, 99/8312	11596	क्षमता वृद्धि
7.	पानीपत रिफाइनरी का 6 एमएमटीपीए तक क्षमता विस्तार	अगस्त, 99/3365	4000	क्षमता वृद्धि
8.	गुजरात में अवशेष उन्नयन सुविधा (गुजरात रिफाइनरी के 18 एमएमटीपीए तक क्षमता विस्तार समेत)	अक्तूबर, 99/4392	4392	निकासी एवं मूल्य वृद्धि
9.	हल्दिया में केटेलिटिक हाइड्रो डिवेक्सिंग द्वारा ल्यूब गुणवत्ता का सुधार	जुलाई, 99/422	360	गुणवत्ता सुधार
10.	गुजरात में (एलएबी) लाइनियर अल्काइल बेन्जीन का उत्पादन (बोर्ड द्वारा सिद्धांतया स्वीकृत)	मई, 2000/1140	1248	पेट्रोरसायन
11.	हिल्दया-बरौनी क्रूड पाइपलाइन का 7.5 एमएमटीपीए तक क्षमता विस्तार	फरवरी, 99/472	290	पाइपलाइन विस्तार

1	2	3	4	5
12.	गुजरात, मथुरा तथा पानीपत रिफाइनरी क्षमता विस्तार के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति हेतु एसएमपीएल प्रणाली का विस्तार	अप्रैल, 2000/1734	1734	क्रूड के लिए पाइप लाइन विस्तार
13.	पूर्वी क्षेत्र रिफाइनरी के लिए विपणन टर्मिनल तथा एलपीजी सुविधाएं	अक्तूबर, 99/790	790	निष्क्रमण/प्राप्ति के लिए विपणन टर्मिनल

विवरण-II

इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा विदेशी कंपनियों के साथ सहयोजन में आरंभ की गई संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	प्रवर्तक	कार्य व्यापार
1.	पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल)	आईओसी, गेल, ओएनजीसी तथा बीपीसीएल/ पीएलएल के निदेशक मंडल ने गैस डी फ्रांस, फ्रांस, रास गैस, कतर, गुजरात सरकार के नामिती तथा वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभागिता को अनुमोदित कर दिया है।	दहेज, गुजरात तथा कोच्चि केरल में एलएनजी टर्मिनल का विकास
2.	इंडियन आयल पानीपत पावर कंसोरटियम लि.	आईओसी तथा मारूबेनी कार्पोरेशन, जापान	विद्युत
3.	इंडो मोबिल लि.	आईओसी तथा मोबिल पेट्रोलियम कंपनी इंक, यूएसए	मोबिल ब्रान्ड स्नेहकों का आयात, मिश्रण तथा विपणन करना
4.	एवी आयल इंडिया लि.	आईओसी, बामर लारी, नाइको एसए, फ्रांस	विमानन स्नेहक
5	इंडियन आयल टैंकिंग लि.	आईओसी, आईबीपी तथा आयल टैंकिंग जीएमपीएच,जर्मनी	पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास
6.	लुब्रीझाल इंडिया लि.	आईओसी तथा लुब्रीझाल कार्पोरेशन, यूएसए	ल्यूब योगज
7.	इंडियन आयल पेट्रोनास लि. (आईपीएल)	आईओसी तथा पेट्रोनास मलेशिया	हल्दिया में एलपीजी आयाज सुविधा की स्थापना

[अनुवाद]

पुराने उपस्करों की आपूर्ति

1927. श्री सुरेश कुरूप: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिग-स्तरोन्नयन कार्यक्रम के मार्च, 1996 में समाप्त अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह विर्निदिष्ट किया गया था कि शस्त्रास्त्र और उनसे संबद्ध उपस्कर नये, अप्रयुक्त और वर्तमान उत्पादन से होंगे;

(ख) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1998 में 7.06 करोड़ रुपए कीमत के जिन 2000 युद्धकों की आपूर्ति की गई, वे मई 1986 में निर्मित थे और इनका प्रणोदक 11 वर्ष पुराना था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन शस्त्रास्त्र के स्थान पर नये अस्त्र लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) मई, 1996 में विनिर्मित कुछेक शस्त्रास्त्र मदों की आपूर्ति 1988 में विनिर्मित प्रणोदकों के साथ की गई थी।

(ग) विनिर्माता ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने प्रणोदकों का परीक्षण किया था और उनकी गुणवत्ता अच्छी पाई गई थी।

(घ) विनिर्माता से मदें बदलने के लिए कहा गया है। इनके लिए भुगतान नहीं किया गया है।

उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियारों पर से प्रतिबंध उठाना

1928. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका से उच्च प्रौद्योगिकी वाले हथियारों की बिक्री पर से प्रतिबंध उठाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अमरीका के साथ रक्षा सहयोग के लिये किन अन्य क्षेत्रों की पहचान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते।

रेलवे समपारों पर बढ़ती दुर्घटनायें

1929. श्री रामजी मांझी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे समपारों पर दुर्घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) गया संसदीय क्षेत्र में रेलवे समपारों पर कितने उपरिपुलों का निर्माण किया जाना है; और

(घ) इन पुलों के कब तक निर्मित किये जाने तथा कब तक इन पर आवाजाही होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पिछले तीन वर्षों में रेलवे समपारों पर हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	चौकीदार वाले समपार	बिना चौकीदार वाले समपार	कुल
1999-2000	26	67	93
2000-01	11	73	84
2001-02* (अक्तूबर, 2001 तक)	5	43	48

*आंकड़े अनंतिम हैं।

चौकीदार वाले समपारों पर गाड़ी दुर्घटनाओं में कमी आई हैं जबकि बिना चौकीदारी वाले समपारों पर इनमें वृद्धि हुई हैं। बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं मुख्यत: सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं।

(ख) समपार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. समपारों के लिए पहुंच मार्गों पर उपयुक्त सड़क चिह्नों की व्यवस्था की गई हैं ताकि सड़क वाहन ड्राइवर मौजूदा समपार फाटक के बारे में सावधान हो सके।
2. समपार फाटकों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधों/गड़गड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन चालकों की अपनी गति कम करने का स्मरण हो सके।
3. समपारों के पहुंच मार्गों पर रेलपथ के साथ-साथ सीटी बोर्डों की व्यवस्था की जाती है। सड़क उपयोगकर्त्ताओं को गाड़ी के पहुंचने के बारे में सूचित करने के उद्देश्य से गाड़ी ड्राइवर को सीटी बोर्ड से गाड़ी के द्वारा समपार पार करने तक सीटी बजाना आवश्यक है। क्या ड्राइवर वास्तव में ऐसे सीटी बोर्डों से सीटी बजाते हैं, इसकी जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं।

4. बिना चौकीदार वाले समपार फाटकों पर संरक्षा में सुधार करने के लिए कुछ चुने हुए समपार फाटकों पर प्रोटो टाइप इलैक्ट्रोनिक श्रव्य-दृश्य चेतावनी उपकरणों की स्थापना की गई है।

5. सड़क उपयोगकर्त्ताओं को उच्चतम गति को मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की गति का सही-अनुमान नहीं रहता है। 90 कि.मी. प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक यात्री गाड़ी 25 मीटर एक सेकेण्ड में तय करती है। इसलिए हालांकि सड़क उपयोगकर्त्ताओं को गाड़ी 150 मीटर दूर नजर आती है परन्तु समय की दृष्टि से वह केवल 6 सेकेण्ड दूर होती है। यह संदेश विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा उन्हें उत्तरोत्तर पहुंचाया जा रहा है।

6. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों यथा टेलीविजन पर लघु फिल्मों, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियों वार्ता, अखबारों में विज्ञापनों तथा नुक्कड़ नाटकों के जरिए आवधिक प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

7. चूंकि बिना चौकीदारी वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं, इसलिए राज्य सरकारें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय कड़ी जांच की प्रक्रिया अपनाकर मदद भी कर सकती है, विशेष रूप से ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय, सभी मुख्य सचिवों को सड़क उपयोगर्त्ताओं को शिक्षित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी वाहन चालकों के पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

9. अत्यधिक यातायात घनत्व समपारों को योजनाबद्ध आधार पर सिगनलों के साथ उत्तरोत्तर अंतर्पाशित किया जा रहा है।

10. समपार पाटकों को अंतर्पाशित करने के अलावा सभी चौकीदारी वाले समपार फाटकों पर टेलीफोनों की भी धीरे-धीरे व्यवस्था की जा रही है।

11. चौकीदारों की सावधानी की जांच करने के लिए नियमित रूप से अचानक जांच और रात्रि कालीन निरीक्षण किए जाते हैं।

(ग) और (घ) एक लाख या उससे अधिक गाड़ी वाहन इकाई (गाड़ी वाहन इकाई=24 घंटों में समपार से गुजरने वाले गाड़ियों की संख्या से सड़क वाहन की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त इकाई) यातायात घनत्व वाले समपारों पर लागत में भागीदारी के आधार पर अथवा निक्षेप शर्तों/बोट (निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण) के आधार पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों से बदला जाता है। दोनों मामलों में प्रस्ताव मौजूदा नियमों के अनुसार अपेक्षित कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने अपेक्षित होते हैं। इस प्रकार स्वीकृति कार्यों को तदनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। ऊपर उल्लिखित कार्यों से संबंधित आकंड़े रेलवे जोनवार रखे जाते हैं न कि संसदीय क्षेत्रवार।

घटिया स्तर के गोला-बारूद का उत्पादन

1930. **श्री चन्द्रविजय सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी-72 टैंकों, ग्रेड रॉकिटों तथा 105 एम एम टैंक रोधी गोला बारूदों के बैरलों की विकास संबंधी घटिया गुणवत्ता और निर्माण के कारण इनको निरस्त करना पड़ा और 131 करोड़ रुपये के माल स्टाक का घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके खराब उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ)

टी-72 टैंक बैरलों का विकास और विनिर्माण

टी-72 टैंकों के लिए विनिर्मित बैरलों में दोष देखे गए हैं, यद्यपि सहयोगियों (पूर्व सोवियत संघ) की प्रौद्योगिकी प्रणाली के अनुसार तथा उनके विशेषज्ञों की देखरेख में टी-72 टैंकों के लिए 125 मि.मी. के गन बैरलों की स्वदेश में विनिर्माण सुविधा आयुध निर्माणियों में स्थापित की गई है। सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करके और उनकी मंजूरी से महत्वपूर्ण हीट ट्रीटमेंट शेड्यूल में परिवर्तन किए गए थे तथा उनको आयुध निर्माणी बोर्ड और सहयोगियों के बीच प्रोटोकाल के रूप में रिकार्ड किया गया।

कुछ बैरलों के विफल हो जाने के पश्चात रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से तहकीकात की गई थी जिसे महानिदेशक गुणता आश्वासन,

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, आयुध निर्माणी बोर्ड तथा मिश्र धातु निगम लिमिटेड के विशेषज्ञों को लेकर बनी एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसे आगे जारी रखा जा रहा है और यह समिति गहन अध्ययन कर रही हैं। सक्रिय इस्तेमाल से वापस लिए गए 559 बैरलों (जिनका विनिर्माण डेविएटिड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से किया गया) के बचाव संबंधी उपायों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

122 मि.मी. के ग्राड राकेटों का विकास एवं विनिर्माण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्टोर का विकसित किया गया डिजाइन नाकाफी साबित हुआ है तथा ऐसी स्थिति में उत्पादन को निलंबित करना पड़ा था जिससे 18 करोड़ रुपए की इनवेंटरी ब्लॉक हो गई थी। इस संबंध में ब्यौरा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को मुहैया करा दिया गया है जो जांच कर रहा है और उपलब्ध इनवेंटरी का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने के लिए परीक्षण कर रहा है, लेकिन ये परीक्षण निर्णायक नहीं हैं।

ब्लॉक हुई इनवेंटरी के संबंध में आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा गठित आंतरिक जांच बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि:

(क) इन मदों को स्टाक करने के पूर्व तथा उत्पादन को निलंबित किए जाने के बाद इनवेंटरी में और वृद्धि होने से बचने के लिए निर्माणियों ने समुचित सावधानी बरती थी।

(ख) सेना द्वारा गुणात्मक आवश्यकताओं में अचानक कठोर परिवर्तन की मांग किए जाने के कारण मौजूदा इनवेंटरी का इस्तेमाल नहीं हो पाया है।

105 मि.मी. के एफ एस ए पी डी एस गोलाबारूद का विकास और विनिर्माण

इस गोलाबारूद का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया था तथा सफल प्रयोक्ता परीक्षणों के बाद ही उत्पादन आरंभ किया गया था। मार्जिनल डिजाइन की वजह से अनुमत्य सीमा से भी अधिक अस्वीकरण हुए थे। ब्लॉक हुई इनवेंटरी 22.98 करोड़ रुपए तक की है, हाई अलॉय पेनेट्रेटिंग प्रोजेक्ट, त्रिची, 125 मि.मी. के एफ एस ए पी डी एस के लिए अल्युमिनियम अलॉय लॉटों के इस्तेमाल की संभावना का पता लगा रहा है ताकि वित्तीय हानि को कम किया जा सके।

बोकारो-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस

1931. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान बोकारो-हावड़ा एक्सप्रेस में कितने प्रतिशत सीटें भरीं;

(ख) क्या सम्भ्रान्त वर्गों की सुविधा वाली ये वातानुकूलित रेल गाड़ियां राजकोष पर बोझ हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सेवा को समाप्त करने और इसके बदले सामान्य लोगों की सहायता के लिए सामान्य रेलगाड़ी चलाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) अक्तूबर, 2000 से सितंबर, 2001 तक के पिछले 12 महीनों के दौरान गाड़ी सं. 2019/2020 हावड़ा-बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस का औसत स्थान उपयोग लगभग 64% रहा है।

(ख) गाड़ीवार व्यय, आमदनी और लाभप्रदता के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए विशेष जांच

1932. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के विशेष उड़न दस्तों ने बिना वैध टिकटों के यात्रा कर रहे यात्रियों और बिना उचित बुकिंग के सामान ले जा रहे लोगों को पकड़ने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया है;

(ख) जनवरी, 1998 से आज तक बिना टिकट यात्रा करने वाले अथवा बगैर बुकिंग के माल ले जाने वाले कितने यात्री पकड़े गये;

(ग) बिना टिकट के यात्रा करने वालों की जांच के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इस संबंध में अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। रेलों के विशेष टिकट जांच दल ने यह जांच की है।

(ख) जनवरी, 1998 से सितंबर, 2001 की अवधि के दौरान नियमित टिकट जांच दलों तथा विशेष जांच दलों द्वारा नियमित तथा आकस्मिक जांचों के दौरान बिना टिकट यात्रा, अनुचित टिकट तथा बिना बुकिंग के सामान ले जाने के मामलों में कुल 615.01 लाख मामले पकड़े गए। विशेष टिकट जांच दलों द्वारा किए गए जांचों के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) नियमित टिकट जांच संबंधी गतिविधियों पर जोर देने के अलावा क्षेत्रीय रेलें विशिष्ट अवधियों के दौरान कुछ चुनिंदा स्थानों पर जहां अनियमित यात्रा की अधिक संभावना होती है, जांच कराती हैं ताकि इस समस्या को समाप्त करने में मदद मिले। समय-समय पर रेलवे मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता भी ली जाती है।

(घ) रेलों के अधिकारी वास्तविक जांच तथा टिकट जांच संबंधी गतिविधियों की मानीटरिंग दोनों में ही शामिल रहते हैं।

हिमाचल प्रदेश से सशस्त्र बलों में भर्ती

1933. श्री महेश्वर सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए जनसंख्या को मानदण्ड बनाने के बाद सशस्त्र बलों में हिमाचल प्रदेश के युवाओं की भर्ती में कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश से युवाओं की भर्ती का प्रतिशत बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या नीति को अपनाने के बाद सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की भर्ती की प्रतिशतता में गिरावट नहीं आई है।

(ख) जी, नहीं। परंतु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से हिमालयन रेजिमेंट खड़ी करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ था। केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में माननीय मुख्यमंत्री को सूचि[त] किया था कि पहाड़ी राज्यों सहित विभिन्न राज्यों के लिए भर्ती कोटा निश्चित है। अत: हिमालय रेजिमेंट के खड़े किए जाने [से] हिमाचल प्रदेश अथवा अन्य पहाड़ी राज्यों में रोजगार की स्थि[ति] में सुधार होने की संभावना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों के साथ विद्युत मंत्री द्वारा समझौता

1934. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्री ने विदेशों की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किस समझौते पर हस्ताक्षर किये है; और

(ग) उक्त विदेश यात्राओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई और देश को हुये लाभों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) विद्युत मंत्री ने वर्ष 2001 के दौरान आस्ट्रिया, कनाडा, चीन एवं ब्राजील का इनकी सरकारों के आमंत्रण पर दौरा किया।

कनाडा एवं आस्ट्रिया का दौरा वर्ष 2000 में तत्कालीन विद्युत मंत्री श्री पी.आर. कुमारमंगलम द्वारा किया जाना था जो नहीं हो सका। 2001 में आस्ट्रिया एवं कनाडा के दौरे के दौरान भारत में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए इन देशों का सहयोग एवं संभाव्य प्रतिभागिता विचार-विमर्शों में मुख्य बिन्दु रहा।

सितंबर, 2001 में विद्युत मंत्री ने चीन सरकार के आमंत्रण पर चीन का दौरा किया और संभाव्य सहयोग वाले क्षेत्रों समेत अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। विद्युत मंत्री ने इस दौरे के दौरान इस बात की भी जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार चीन अपने विद्युत क्षेत्र का विकास कर रहे हैं जिससे वे प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मेवा क्षमता अभिवृद्धि के लिए संसाधन जुटा रहे हैं, नई परियोजनाओं के लागत में नियंत्रण रख रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का कुशल विस्तार करते हुए पारेषण एवं वितरण हानियों को भी नियंत्रित कर रहे हैं। मंत्री ने 3 गारजेस जल विद्युत परियोजना का भी मुआयना किया जो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है।

अक्टूबर, 2001 में मंत्री ने ब्राजील सरकार के आमंत्रण पर ब्राजील का दौरा किया। दौरे के दौरान निजी निवेश, विद्युत क्षेत्र सुधार एवं जल विद्युत विकास विचार विमर्श के मुख्य बिन्दु थे।

विद्युत मंत्री ने मई, 2001 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी बैठक में उपस्थित होने के लिए फ्रांस का दौरा किया तथा अक्टूबर

2001 में विश्व ऊर्जा परिषद में शामिल होने के लिए अर्जेन्टीना गये।

इन दौरों के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर का विचार नहीं था।

इन दौरों पर किया गया अनुमानित खर्च 11.48 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

पन्ना-मुक्ता, ताप्ती क्षेत्र में 'एनरॉन' कंपनी का अंश 'ब्रिटिश गैस' द्वारा ले लिया जाना

1935. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.जी. इंडिया (ब्रिटिश गैस) ने 3 अक्तूबर, 2001 को घोषणा की थी कि उसने अपतटीय ताप्ती गैस फील्ड, पन्ना मुक्ता, आयल एंड गैस फील्ड्स तथा ब्लाक सी.बी.ओ. एस./1 में तेल, खोज के लिये एनरान का अंश प्राप्त करने हेतु 388 मिलियन में एक सौदा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस सौदे पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) मैसर्स ब्रिटिश गेस (बीजी) इंग्लैंड ने एनरान आयल एंड गैस इंडिया लि. (ईओजीआईएल), जो एनरान, अमरीका की विदेशी सहायक कंपनी है, को अधिग्रहीत करने के संबंध में अपनी मंशा सूचित की है। ईओजीआईएल, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) और रिलांयस इंडिया लि. (आरआईएल) के साथ परिसंघ सदस्य है और पन्ना मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों तथा सीबी- ओएस/1 नामक अन्वेषण ब्लाक के लिए प्रचालक हैं। बीजी और ईओजीआईएल के बीच प्रस्तावित वाणिज्यिक लेन-देन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार इन दोनों खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लाक के लिए उत्पादन हिस्सेदारी प्रावधानों के तहत मामले में कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

भारत के संविधान की उपलब्धता

1936. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत का संविधान अंतिम बार किस तिथि को प्रकाशित किया गया था;

(ख) क्या तब से संविधान में कुछ संशोधन किये गये हैं लेकिन संविधान का अद्यतन संस्करण आम आदमी को उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आम आदमी के पास सभी संशोधनों वाले संविधान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारत का संविधान अंतिम बार 1.1.2000 को प्रकाशित किया गया था।

(ख) जी, हां, द्विभाषी संस्करण की 22,500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी जो जनसाधारण में विक्रय के लिए प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन, दिल्ली के पास उपलब्ध हैं।

(ग) साधारणतया पुनरीक्षित संस्करण के प्रकाशन के बारे में तभी विचार किया जाता है जब वर्तमान संस्करण की प्रतियां बिक जाती हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली मे सीएनजी स्टेशन

1937. डा. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां मोटर वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन चालू किये जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशनों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पहले से स्थापित 87 सीएनजी स्टेशनों के अलावा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की मार्च, 2002 तक 7 और स्टेशन स्थापित करने की योजना है जिसके तहत पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में सेवा प्रदान की जाएगी।

प्रसार भारती बोर्ड का गठन

1938. श्री अरुण कुमार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रसार भारती अधिनियम के क्रियान्वयन और 15 सदस्यीय बोर्ड के गठन पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड गठित न किये जाने के क्या कारण हैं और उसके कब तक गठित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या समुचित बोर्ड के अभाव में ठेकों के आवंटन में अनियमितता संबंधी मामले जानकारी में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक जानकारी में आयी ऐसी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती बोर्ड का गठन 23.11.1997 को किया गया था और यह वर्तमान में एक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्यों एक कार्यकारी सदस्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक प्रतिनिधि सहित कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कोई अनियमिमतता ध्यान में नहीं है जिसे कि संभाग पूर्व बोर्ड का गठन न किए जाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।

ताप विद्युत संयंत्रों के लिए राजस्थान से प्रस्ताव

1939. श्री बहादुर सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) कोटा ताप विद्युत स्टेशन यूनिट-6 चरण-4 (1×195 मे. वा) की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु जून, 2001 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) में प्राप्त हो गई हैं। केविप्रा द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु स्कीम पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता और वित्तपोषण व्यवस्थायें जैसे आवश्यक निवेश को राज्य प्राधिकरियों द्वारा अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है।

आकाशवाणी और टेलीविजन के बीच प्रतिस्पर्धा

1940. श्री भर्तृहरि महताब: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रृव्य-दृश्य लाभ के कारण टेलीविजन के मुकाबले आकाशवाणी का आधार कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/जा रहे हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी को और लोकप्रिय बनाने के लिए इसके कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी कलाकारों और तकनीशियनों के अपर्याप्त शुल्क ढांचे के कारण प्रतिभाशाली आकाशवाणी कर्मी सेवा को छोड़कर जाने के लिए आकर्षित होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) आकाशवाणी का श्रोता अनुसंधान एकक आकाशवाणी केन्द्रों के श्रोताओं और उनके कार्यक्रमों का समय-समय पर सर्वेक्षण करता है। जैसाकि पिछले दो वर्ष के दौरान किए गए सर्वेक्षण के आकंड़ों में यथा दर्शाया गया है, आकाशवाणी के समग्र वास्तविक श्रोताओं की संख्या में कोई कमी नहीं आयी है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। आकाशवाणी प्रतिस्पर्धात्मक मीडिया वातावरण को ध्यान में रखकर साफ्टवेयर की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष जोर देने के साथ उच्चतम व्यावसायिक मानदण्डों को बनाए रखने के लिए सतत् रूप से प्रयास करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एफ.एम. बैंड वाले आकाशवाणी केन्द्र

1941. श्री वाई.जी. महाजनः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां एफ.एम. बैंड सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या सरकार का इरादा कुछ और आकाशवाणी केन्द्रों पर एफ.एम. बैंड सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जलगांव आकाशवाणी केन्द्र में यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) देश में एफ.एम. बैण्ड सुविधा वाले आकाशवाणी केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) एफ एम सुविधा का विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह पारस्परिक प्राथमिकताओं, निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध रूप से किया जाता है। जलगांव नौंवी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित प्राथमिकता वाली परियोजना की सूची में शामिल नहीं है।

विवरण-I

आकाशवाणी

विद्यमान एफ एम ट्रांसमीटर

क्र.सं.	स्थान	कि.वा. में शक्ति	राज्य
1	2	3	4
1.	अनन्तपुर	6	आन्ध्र प्रदेश
2.	काठगोदाम	6	आन्ध्र प्रदेश
3.	कुर्नूल	6	आन्ध्र प्रदेश
4.	मार्कापुरम	6	आन्ध्र प्रदेश
5.	निजामबाद	6	आन्ध्र प्रदेश
6.	तिरूपति	10	आन्ध्र प्रदेश
7.	तिरूपति	3	आन्ध्र प्रदेश
8.	वारंगल	10	आन्ध्र प्रदेश
9.	हैदराबाद	6	आन्ध्र प्रदेश
10.	विशाखापटनम	10	आन्ध्र प्रदेश
11.	हॉफलांग	6	असम
12.	जोरहाट	10	असम
13.	नौगांग	6	असम
14.	धुबरी	6	असम
15.	गुवाहाटी	10	असम
16.	पुरूलिया	6	बिहार
17.	सासाराम	6	बिहार
18.	पटना	6	बिहार
19.	बिलासपुर	6	छत्तीसगढ़
20.	रायगढ़	6	छत्तीसगढ़
21.	दिल्ली	5	दिल्ली
22.	दिल्ली	10	दिल्ली
23.	पणजी	6	गोवा
24.	गोधरा	6	गुजरात
25.	अहमदाबाद	10	गुजरात
26.	सूरत	6	गुजरात
27.	राजकोट	10	गुजरात
28.	हिसार	6	हरियाणा
29.	कुरूक्षेत्र	6	हरियाणा
30.	हमीरपुर	6	हिमाचल प्रदेश
31.	धर्मशाला	10	हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4
32.	कसौली	10	हिमाचल प्रदेश
33.	कुल्लू	6	हिमाचल प्रदेश
34.	जम्मू	3	जम्मू और कश्मीर
35.	कथुआ	6	जम्मू और कश्मीर
36.	पुंछ	6	जम्मू और कश्मीर
37.	जम्मू	10	जम्मू और कश्मीर
38.	श्रीनगर	10	जम्मू और कश्मीर
39.	चैबासा	6	झारखण्ड
40.	हजारीबाग	6	झारखण्ड
41.	डाल्टनगंज	10	झारखण्ड
42.	जमशेदपुर	6	झारखण्ड
43.	रांची	6	झारखण्ड
44.	बीजापुर	6	कर्नाटक
45.	चित्रदुर्ग	6	कर्नाटक
46.	हासपेट	10	कर्नाटक
47.	करवर	10	कर्नाटक
48.	रायचूर	3	कर्नाटक
49.	हासन	6	कर्नाटक
50.	मेरकारा	6	कर्नाटक
51.	बंगलौर	10	कर्नाटक
52.	बंगलौर	10	कर्नाटक
53.	कोचीन	6	केरल
54.	कन्नानोर	6	केरल
55.	इडुक्की	6	केरल
56.	कोचीन (सीबीएस)	10	केरल
57.	त्रिवेन्द्रम	10	केरल
58.	बालाघाट	6	मध्य प्रदेश
59.	बेतूल	6	मध्य प्रदेश
60.	छिन्दवाड़ा	6	मध्य प्रदेश
61.	गुना	6	मध्य प्रदेश
62.	खण्डवा	6	मध्य प्रदेश
63.	सागर	6	मध्य प्रदेश
64.	शहडोल	6	मध्य प्रदेश
65.	शिवपुरी	6	मध्य प्रदेश
66.	भोपाल	6	मध्य प्रदेश
67.	इन्दौर	6	मध्य प्रदेश
68.	जबलपुर	10	मध्य प्रदेश
69.	मुम्बई	5	महाराष्ट्र
70.	अहमदनगर	6	महाराष्ट्र
71.	अकोला	6	महाराष्ट्र
72.	बीड़	6	महाराष्ट्र
73.	चन्द्रपुर	6	महाराष्ट्र
74.	धुले	6	महाराष्ट्र
75.	नांदेड़	6	महाराष्ट्र
76.	नासिक	6	महाराष्ट्र
77.	उस्मानाबाद	6	महाराष्ट्र
78.	सतारा	6	महाराष्ट्र
79.	यवत्तमल	6	महाराष्ट्र
80.	कोल्हापुर	6	महाराष्ट्र
81.	मुम्बई	10	महाराष्ट्र
82.	नागपुर	6	महाराष्ट्र
83.	पुणे	6	महाराष्ट्र
84.	जवई	6	मेघालय
85.	लुंगलेई	6	मेघालय

1	2	3	4
86	मोकोकचुंग	6	नागालैंड
87.	बहरामपुर	6	उड़ीसा
88.	बोलंगीर	6	उड़ीसा
89.	पुरी	3	उड़ीसा
90.	राउरकेला	6	उड़ीसा
91.	कटक	6	उड़ीसा
92.	भटिण्डा	6	पंजाब
93.	पटियाला	6	पंजाब
94.	जालंधर	10	पंजाब
95.	अलवर	6	राजस्थान
96.	बंसवारा	6	राजस्थान
97.	चितौडगढ़	6	राजस्थान
98.	झालावार	6	राजस्थान
99.	नागौर	6	राजस्थान
100.	सवाई माधोपुर	6	राजस्थान
101	चरू	6	राजस्थान
102.	जैसलमेर	10	राजस्थान
103.	माउण्ट आबू	6	राजस्थान
104.	जोधपुर	6	राजस्थान
105.	चैन्नई	5	तमिलनाडु
106.	चैन्नई	10	तमिलनाडु
107.	नागरकोइल	10	तमिलनाडु
108.	कोडईकनाल	10	तमिलनाडु
109.	कोयम्बटूर	10	तमिलनाडु
110.	तिरूचिरापल्ली	10	तमिलनाडु
111.	बेलोनिया	6	त्रिपुरा
112.	कैलाशहर	6	त्रिपुरा
113.	दमन	3	संघ शासित क्षेत्र
114.	कराइकल	6	संघ शासित क्षेत्र
115.	चण्डीगढ़	6	संघ शासित क्षेत्र
116.	बरेली	6	उत्तर प्रदेश
117.	फैजाबाद	6	उत्तर प्रदेश
118.	झांसी	6	उत्तर प्रदेश
119.	ओबरा	6	उत्तर प्रदेश
120.	अलीगढ़	6	उत्तर प्रदेश
121.	लखनऊ	10	उत्तर प्रदेश
122.	इलाहाबाद	10	उत्तर प्रदेश
123.	मंसूरी	10	उत्तरांचल
124.	कोलकाता	5	पश्चिम बंगाल
125.	मुर्शिदाबाद	6	पश्चिम बंगाल
126.	आसनसोल	6	पश्चिम बंगाल
127.	कोलकाता	10	पश्चिम बंगाल
128.	सिलीगुडी	10	पश्चिम बंगाल

विवरण-III

आकाशवाणी

कार्यान्वयनाधीन एफ एम परियोजनाएं

(23.11.2001. की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	स्थान	कि.वा में शक्ति	राज्य
1	2	3	4
1.	मचेरला	3	आन्ध्र प्रदेश
2.	चांगलांग	1	अरुणाचल प्रदेश
3.	खोंसा	1	अरुणाचल प्रदेश
4.	सरायपल्ली	1	छत्तीसगढ़
5.	वड़ोदरा	10	गुजरात

1	2	3	4
6.	भदरवाह	6	जम्मू एवं कश्मीर
7.	राजौरी	10	जम्मू एवं कश्मीर
8.	धारवाड़	10	कर्नाटक
9.	मंगलौर	10	कर्नाटक
10.	मैसूर	10	कर्नाटक
11.	मंजेरी	3	केरल
12.	कालीकट	10	केरल
13.	मंडला	1	मध्य प्रदेश
14.	राजगढ़	3	मध्य प्रदेश
15.	चुराचांदपुर	6	मणिपुर
16.	इम्फाल	10	मणिपुर
17.	शिलांग	10	मेघालय
18.	चेम्फाई	1	मिजोरम
19.	आइजोल	6	मिजोरम
20.	फेक	1	नागालैंड
21.	जयपुर	6	राजस्थान
22.	धर्मापुरी	10	तमिलनाडु
23.	नूतन बाजार	1	त्रिपुरा
24.	लांगथेराई	6	त्रिपुरा
25.	अगरतला	10	त्रिपुरा
26.	कानपुर	10	उत्तर प्रदेश
27.	शांति निकेतन	3	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

हल्दिया पेट्रो रसायन में आईओसीएल की भागीदारी

1942. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हल्दिया पेट्रो रसायन में आईओसीएल की सहभागिता का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) अपनी वित्तीय पुनरसंरचना तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा समांशता प्रतिभागिता के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार तथा हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एचपीएल) के साथ विचार-विमर्श कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को 9.10.2001 को प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में आईओसी ने प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ पुनरसंरचित एचपीएल के अंतर्गत 26 प्रतिशत समांशता साझेदारी रखने के लिए प्रस्ताव किया है।

पन बिजली परियोजनाओं के लिए संयुक्त वित्त आयोग

1943. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आस्ट्रिया पन बिजली परियोजना के लिये संयुक्त वित्त आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) आस्ट्रिया सरकार ने भारत में जल विद्युत शक्यता विकास में अपनी तकनीकी विशिष्टता बांटने की इच्छा व्यक्त की है। केन्द्रीय विद्युत मंत्री की आस्ट्रिया कार्य व श्रम मंत्री के साथ दिनांक 21.5.2001 को हुई बैठक में इस बात पर दोनों पक्षों की सहमति हुई कि आपसी सहयोग के क्षेत्रों में ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्र में भारत-आस्ट्रिया से संबंधित मामलों के लिए इण्डो-आस्ट्रियन संयुक्त आर्थिक आयोग के ढांचे के तहत् संयुक्त कार्यदल का गठन किया जाए।

[हिन्दी]

विद्युत विकास में विदेशी सहायता

1944. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के विकास के संबंध में प्राप्त विदेशी सहायता का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना विदेशी ऋण और सहायता प्राप्त की गई और प्रयुक्त की गई;

(ग) क्या सरकार प्राप्त धन के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) भारतीय विद्युत सेक्टर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और द्विपक्षीय ऋण दाताओं के जरिए रियायती ऋण (ऋण तथा अनुदान) प्राप्त करता है।

विगत 3 वर्षों के दौरान देश में विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता उपयोग के ब्यौरे निम्नानुसार है,

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु.)	संशोधित अनुमान (करोड़ रु.)	वास्तविक उपयोग (करोड़ रु.)
1998-99	4397.06	4004.00	4012.09
1999-2000	3673.51	3138.58	3242.94
2000-2001	3505.00	3530.35	3550.26

विदेश सहायता उपयोग में गिरावट के प्रमुख कारण ये हैं: बाढ़ के कारण संयंत्र और उपकरणों का क्षतिग्रस्त होना, अनुबंध में विलंब, ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति में विलंब, निष्पादन गारंटी परीक्षण, मुकदमा संबंधी समस्याएं आदि।

केन्द्रीय व राज्य क्षेत्रों में विदेशी सहायता प्राप्त निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय में एक पृथक परियोजना मानोटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। विशिष्ट समस्या वाले क्षेत्रों और बाधाओं के लिए इस प्रकोष्ठ द्वारा दिए जाने वाले निवेशों के आधार पर व्यापक आवधिक समीक्षा की जाती है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

निकोबार के गांवों का विद्युतीकरण

1945. श्री विष्णुपद राय : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए आठवीं और **नौवीं योजनाओं में ऋणकेत**, लिटिल निकोबार में 2 × 24 किलोवाट के दो विद्युत गृह, पीलूमिलू और कोंडुल में 2×32 किलोवाट के दो और विद्युत गृह तथा तेरेसा और चोरा में 2 ×128 किलोवाट के दो विद्युतगृह एवं चैपियन द्वीप समूह में 3×65 किलोवाट और निकोबार के आदिवासी जिले के कमोटा द्वीपसमूह में 3×256 किलोवाट के विद्युतगृह का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो परिव्यय और प्रत्येक पर आने वाला वास्तविक व्यय कितना होगा;

(ग) अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और कब तक प्रशासनिक मंजूरी दिये जाने की संभावना है;

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार सृजित और भरे गये पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू विद्युतगृहों की संख्या कितनी है और वर्ष-वार कितने डी.जी. सेट्स खरीद गये?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) निकोबार के आदिवासी जनपद में निम्नांकित पावर हाउसों को नौंवी योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था। इन पावर हाउसों के बारे में कुल परिव्यय, व्यय, अनुमानित लागत तथा प्रशासनिक अनुमोदन की तारीख निम्नानुसार है:

आदिवासी क्षेत्र	9वीं योजना के दौरान अनुमोदित डीजी क्षमता संवृद्धि कि.वा.	9वीं योजना के दौरान कुल परिव्यय	नौवीं योजना के दौरान कुल व्यय	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	प्रशासनिक अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6
ट्रिंकेट	2×24	53.30	43.32	12.38	12.01.1995

1	2	3	4	5	6
लिटिल निकोबार	2×24	52.40	43.94	12.34	12.01.1994
पिलोमिलो	2×32	42.70	50.22	318.75	07.08.2000
कोडुल	2×32	45.20	47.64	34.594	04.08.2000
टिरेसा	2×128	143.50	145.08	134.18	30.07.2001
चौरा	2×128	109.50	121.49	67.691	15.06.2001
चैम्पियन आइलेंड	3×65	29.0	25.95	154.155	10.10.2000
कमोरटा*	3×256	187.25	320.71	82.86	21.04.1986

*सातवीं योजना के दौरान अनुमोदन किया गया और 8वीं योजना के दौरान सेट स्थापित किए गए। पर्यावरण व वन मंत्रालय की स्वीकृति में देरों के कारण विलंब हुआ।

(घ) और (ङ) सृजित व भरे गए पदों (संख्या) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

आदिवासी क्षेत्र	7वीं योजना	8वीं योजना	9वीं योजना
ट्रिंकेट	-	3	-
लिटिल निकोबार	5	-	4
पिलोमिलो	7	-	-
कोडुल	8	-	-
टिरेसा	26	-	-
चौरा	21	-	-
चैम्पियन आइलेंड	19	-	-
कमोरटा*	33	1	-

ट्रिंकेट, जहां एसपीवी विद्युत संयंत्र चल रहा है, को छोड़कर सभी पावर-हाउस प्रचालनात्मक है। 9वीं योजना डीजी सेटों के लिए उपार्जन कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्री

1946. श्री राममूर्ती सिंह वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लंबी दूरी को रेलगाड़ियों में आरक्षित द्वितीय श्रेणी में आरक्षण के बिना यात्रा करने के कोई सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कम दूरी के यात्रियों को आरक्षित डिब्बों में आरक्षित टिकट के बिना यात्रा करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृति को रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं इस संबंध में ट्रेन टिकट परीक्षकों (टी.टी.ई.एस) को क्या निर्देश दिये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। बहरहाल, ऐसे अनेक खण्ड हैं जहां कम दूरी के यात्रियों द्वारा ऐसी गाड़ियों में यात्रा के लिए अत्यधिक मांग है जिनमें लंबी दूरी की गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों का पर्याप्त उपयोग नहीं होता है। ऐसे यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे कुछ विशेष खण्डों पर दिन के समय कुछ नामित शयनयान सवारी डिब्बों को अनारक्षित डिब्बों के रूप में चलाएं ताकि अनारक्षित शयनयान श्रेणी के टिकट धारक उनमें यात्रा कर सके।

(ग) गाड़ी टिकट परीक्षक (टी टी ई) को आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रा की जांच करने तथा ऐसे यात्रियों को दंडित करने के अनुदेश है। आरक्षित सवारी डिब्बों में टिकट जांच कर्मचारियों की तैनाती के अलावा रेलों द्वारा पुलिस की सहायता से आरक्षित डिब्बों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए गहन अभियान भी चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पार्वती जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत का बंटवारा

1947. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान की ओर से 20 अक्तूबर, 1992 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य को प्राप्त होने वाली विद्युत का हिस्सा यथावत बनाये रखने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समझौता ज्ञापन में पार्वती जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होने वाली विद्युत के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच बंटवारे की बात की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या 16 सितम्बर, 1998 को चंडीगढ़ में उक्त परियोजना पर हुई चर्चा के दौरान यह निर्णय किया गया था कि इस परियोजना के कार्यपालक का भार एनएचपीसी को दे दिया जायेगा और राज्यों के हिस्से को समझौता ज्ञापन में यथानिर्दिष्टानुसार बनाये रखा जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश ने इस परियोजना के कार्यपालन के लिए 20 नवम्बर, 1998 को एनएचपीसी के साथ एकपक्षीय रूप से एक नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये किन्तु 1992 के उक्त समझौता ज्ञापन में यथानिर्दिष्ट विद्युत के बंटवारे को सम्मिलित नहीं किया;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को उक्त समझौता ज्ञापन में यथानिदिष्टानुसार, विद्युत के चार राज्यों के बीच प्रतिशतांश बंटवारे को सम्मिलित करने के लिए निदेशित किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (छ) पार्वती जल विद्युत परियोजना (2051 मे.वा.) के जांच कार्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच 20.10.1992 को तैयार किया गया समझौता ज्ञापन में इक्विटी भागीदारी निम्नानुसार परिकल्पित की गई है

(1)	राजस्थान	40%
(2)	हरियाणा	25%
(3)	गुजरात	15%
(4)	दिल्ली	15%
(5)	हिमाचल प्रदेश	5%

समझौता ज्ञापन में यह भी व्यवस्था है कि परियोजना से उत्पादित ऊर्जा का 12% हिमाचल प्रदेश को निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। और शेष 88% ऊर्जा को राज्यों के बीच उनकी इक्विटी भागीदारी के अनुपात में बांटा जाएगा। समझौता ज्ञापन प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अन्य भागीदार राज्य के शेयर में कटौती करके अपना लाभ 5% से 25% तक बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

तदनन्तर हिमाचल प्रदेश ने पार्वती एचई परियोजना को एनएचपीसी के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र में निष्पादित करने का निर्णय लिया। तदनुसार हिमाचल प्रदेश तथा एनएचपीसी के बीच 20.11.1988 को परियोजना निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्थान समेत अन्य राज्यों को स्पष्ट किया कि नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के परिणामतः 1992 का समझौता ज्ञापन स्वतः ही निरस्त हो गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परियोजना से प्राप्त लाभों में हिस्सेदारी केन्द्रीय क्षेत्र हाइड्रो स्टेशनों के लिए लागू शेयरिंग फार्मूले को ध्यान में रखकर की जाएगी।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा अर्जित लाभ

1948. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान अधिक लाभ अर्जित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने वर्ष 2000-01 के दौरान कर पश्चात 5228.78 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है।

(ख) जी हां।

(ग) ओएनजीसी द्वारा गत दो वर्षो के दौरान अर्जित किया गया लाभ निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़
2000-2001	5228.78
1999-2000	3629.47

[अनुवाद]

आईआरएफसी रेलवे को बकाया देयताएं

1949. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे आईआरएफसी के माध्यम से लिए गए ऋण के नवीकरण/बदलाव का बकाया नहीं चुका पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआरएफसी द्वारा जुटाई गई निधियों का न केवल मालडिब्बों की खरीद के लिए अपितु सवारी डिब्बों तथा इंजनों की खरीद के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे हानि पहुंचाने वाले परिचालनों को जारी रखने के लिए उच्च लागत वाले बाजार ऋण का उपयोग कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा रेलों में वित्तीय अनुशासन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) भारतीय रेल वित्त निगम के जरिए बाजार से प्राप्त ऋण का उपयोग केवल चल स्टॉक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए किया जाता है परन्तु अन्य गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण/परिवर्तन के लिए वित्तपोषण रेलवे के आंतरिक संसाधनों से ही किया जाता है। अपर्याप्त मात्रा में आंतरिक सृजन के कारण नवीकरण/परिवर्तन मांग के अनुरूप नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप यह बकाया रह गया।

नवीकरण/परिवर्तन का बकाया निम्नलिखित हैं:

* रेलपथ नवीकरण में बकाया — 17500 कि.मी.
* जीर्ण-शीर्ण पुल — 515
* गतायु सिगनल संबंधी उपकरण — 2188 स्टेशनों पर
* गतायु सवारी डिब्बे — 2513
* गतायु सवारी डिब्बे (चौपहिया इकाइयां) — 27105

(ग) जी हां। भा.रे.वि.नि. द्वारा सृजित धनराशि का उपयोग मालडिब्बों तथा रेल इंजनों तथा सवारी डिब्बों की खरीद के लिए किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। भा.रे.वि.नि. से उपलब्ध होने वाली ऋण सेवा का उपयोग केवल चल स्टॉक की खरीद के लिए ही किया जाता है जिससे राजस्व सृजित होता है और जो औचित्यपूर्ण होता है। निधियों का उपयोग घाटे वाले परिचालनों के लिए नहीं किया जा रहा है। संसाधनों की उपलब्धता, परिचालनिक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को देखते हुए सभी खर्चों की रेलवे द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

मनोरंजन कर की दर में भिन्नता

1950. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में मनोरंजन कर की दरों में बहुत भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश भर में एकरूपता लाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ मनोरंजन कर की सीमा में एकरूपता लाने तथा इस विषय को समवर्ती सूची में लाने के बारे में कोई आम सहमति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फिल्म उद्योग के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ मनोरंजन कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का अनुरोध किया गया था ताकि देश में एकसमान ढांचा बना रहे। इस उद्देश्य से सिनेमा विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने संबंधी मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था। तथापि, इस मामले में आम सहमति नहीं बन पाई। दिनांक 21.1.2001 को नई दिल्ली में हुए राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के सूचना मंत्रियों के 24वें सम्मेलन में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ था। इस सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में मनोरंजन क्षेत्र के विकास तथा इस क्षेत्र की शक्यता का निर्धारण करने हेतु केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर नीतिगत ढांचा सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति में चर्चा किए गए मुद्दों में से एक मुद्दा मनोरंजन कर संबंधी दरों को तर्कसंगत बनाने के बारे में था। समिति में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप यह सिफारिश करने का निर्णय किया गया है कि सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा मनोरंजन कर पर 60 प्रतिशत की सीमा लगाई जाए।

[हिन्दी]

कमीशन किए गए धारावाहिकों का प्रसारण

1951. श्री राम शकल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन नेटवर्क पर कमीशन किए गए धारावाहिकों के प्रसारण तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु स्वीकृति कमीशन किए गए धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन धारावाहिकों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितने धारावाहिक पूरे किए गए और कितने धारावाहिक दूरदर्शन के पास लम्बित हैं;

(ङ) उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे धारावाहिकों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र

1952. श्री राजैया मल्याला: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र के निवासियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। अपर्याप्त जल आपूर्ति, सफाई-सेवाओं, समुचित जल-निकास सुविधा, सड़कों की खराब हालत और स्ट्रीट लाइट आदि ठीक न होने जैसी नागरिक सुविधाओं की कमियों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड ने छावनी क्षेत्र में अति आवश्यक सारी नागरिक जरुरतों के संबंध में कार्रवाई करने हेतु एक विकास योजना तैयार की है और इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

उड़ीसा में एलपीजी नेटवर्क का विस्तार

1953. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तटवर्ती जिलों में विशेषकर केन्द्रपाड़ा में विद्यमान एलपीजी नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव था जिसके लिए उड़ीसा में विभिन्न मंचों द्वारा मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने की सभावना है; और

(ग) चक्रवात से उजड़े जिलों में नए एलपीजी बिक्री केन्द्र खोलने के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत उड़ीसा के तटीय जिलों में 43 नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने की योजना बनाई है। स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उड़ीसा के तटीय जिलों में विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत लंबित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले	स्थान
1.	बालासोर	बालैपाई, जालेश्वर, नीलगुरी
2.	कटक	बानवी, बारामबा, महांगा, कटक (4), नीसकीनैकोली, अथागढ़ और नैली
3.	धेनकनाल	कमाक्ष्या नगर
4.	गंजम	कविसुर्यानगर, बुगुदा, हिंजीली, कोदला, सोरदा, कासीनगर, पोलासोर, पुरूसोत्तमपुर और गंजम
5.	जयपुर	सुकीनदा, दसरथपुर, जयपुर रोड (कलिंगा नगर) और रसुलपुर ब्लाक
6.	जगतसिंहपुरा	कुजांगा, बिंदी
7.	खुर्दा	बुबनेश्वर, बानापुर
8.	केन्द्रपारा	राजनगर, महाकालपुरा ब्लाक, पतमुंदै
9.	पुरी	कोनार्क, पीपली, देलंग, करूशना प्रसाद ब्लाक, पुरी (2) और नीमापुरा

सघन क्षेत्रों से पेट्रोल पंपों को हटाया जाना

1954. प्रो. आई.जी. सनदी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सघन क्षेत्रों यथा कनाट प्लेस, नई दिल्ली में विद्यमान पेट्रोल पंपों का होना सुरक्षा तथा यातायात के लिए खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पेट्रोल पंपों के मालिकों ने अपने पेट्रोल पंप सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) कनाट प्लेस सहित पूरे देश के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र वैध विस्फोटक लाइसेंसों के साथ और संपूर्ण अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रचालन करते हैं। जहां कहीं ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र सुरक्षा/यातायात के लिए खतरा बन जाते हैं या जब संबंधित डीलरों से स्थान परिवर्तन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं तो सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने के प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पत्रकारों को मान्यता देना

1955. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्र सूचना कार्यालय द्वारा पत्रकारों को मान्यता दिए जाने संबंधी नियमों में कुछ संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार कुल कितने पत्रकारों को मान्यता प्रदान की गई;

(घ) क्या मान्यता प्राप्त अवेदन करने संबंधी कुछ आवेदन गत एक वर्ष से लम्बित रखे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन नियम, 1999 के अनुसार भारत के मुख्यालयों में प्रत्यायन केवल उन्ही प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों को प्रदान किया जाता है जो दिल्ली में अथवा इसकी परिधि में रहते हैं। इसमें दिल्ली के उन समाचार पत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं जिन्हें दिल्ली से प्रकाशित किया जा रहा है अथवा जिन मीडिया संगठनों के मुख्यालय देश के अन्य भागों में स्थित हैं। राज्यों में उनके अधिकार-क्षेत्र में स्थित समाचार मीडिया प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करना राज्य सरकारों का कार्य है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों की संख्या निम्न प्रकार से हैं:

	संवाददाता	कैमरामैन	योग
1999	1032	235	1267
2000	1077	250	1327
2001	1037	273	1310

(घ) जी, नहीं। उपलब्ध पूर्ण आवेदनों को केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति की शीघ्रातिशीघ्र होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोत प्रांगणों का निजीकरण

1956. श्री अनन्त नायक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोत प्रांगणों के निजीकरण के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार ने गोवा के पोत प्रांगण में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले शिपयार्डों के निजीकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटिश रक्षा मंत्री का दौरा

1957. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में हाल ही में उनके तथा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ख) दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों ने लम्बे समय से लंबित हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स (एजेटी) सौदे के बारे में भी बातचीत की;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में ब्रिटिश रक्षा मंत्री के क्या विचार हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) यू.के. के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार डिफेंस श्री ज्योफ्री हून रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करने के लिए 13 नवंबर, 2001 को भारत आए। उनके बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के व्यापक मसले शामिल थे। बातचीत में आतंकवाद का मामला और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श भी शामिल था। भारत और यू.के. के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संबंध बढ़ाने पर भी चर्चा की गई थी। यू.के. से उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयान हॉक की अधिप्राप्ति के मामले पर बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने यू.के. सरकार से यह आश्वासन देने के लिए अनुरोध किया था कि यदि संविदा कर ली जाती है तो उसके बाद भी यह उन्नत जेट प्रशिक्षक के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों एवं उत्पाद सहायता की आपूर्ति जारी रखेगा। लंबित निर्यात लाइसेंसों संबंधी स्वीकृति दिए जाने समेत भारतीय सशस्त्र बलों के पास इस समय उपलब्ध उपस्करों के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों एवं उत्पाद सहायता की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई थी। दोनों देशों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

1958. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में जनवरी, 2000 से अब तक सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मृतकों के उन निकटतम संबंधियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) रक्षा मंत्रालय के पास अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ मामलों में उनके मंत्रालय ने सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों के बायो-डाटा (जीवन-वृत्त) परिचालित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) ऐसे अभ्यर्थियों को कब तक रोजगार प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अंशधारकों को लाभांश न देने वाली कंपनियों

1959. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनकी आशंका के अनुसार लाभार्जन करने वाली 80 प्रतिशत कम्पनियां अपने अंशधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी स्तर पर अंशधारकों को लाभांश का भुगतान सुनिश्चित कराए जाने के लिए किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) लगातार तीन वर्षों से अंशधारकों को लाभांश न देने वाली लाभार्जन करने वाली प्रमुख कम्पनियां कौन-कौन सी हैं; और

(घ) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) यदि कोई कंपनी अपने लाभांश की घोषणा के बाद इसके भुगतान में असफल रहती है तो कम्पनी और इसके निदेशकों पर कम्पनी कार्य विभाग द्वारा विभाग के नोटिस में आने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क और 207 के अन्तर्गत अभियोजन दायर किया जा सकता है।

एचआईवी रोगियों के लिए अलग बिस्तरों की व्यवस्था

1960. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में एचआईवी रोगियों के लिए विशेष और अलग बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिए रेलवे द्वारा क्या सुरक्षा अपनाई जाएगी;

(ग) क्या मुम्बई के निकट कल्याण स्थित केन्द्रीय रेलवे अस्पताल में एचआईवी का उपचार उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भर्ती किए गए 1000 मरीजों में से 699 मरीज एचआईवी ग्रस्त पाए गए हैं

(ङ) क्या रेलवे में एचआईवी एड्स के लिए कोई जागरूकता अभियान कार्यक्रम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया जाता है और दूसरे रोगियों की भांति उनका उपचार किया जाता है। अत: यह उल्लेखनीय है कि रेलवे अस्पतालों में एच आई वी संक्रमित रोगियों के लिए कोई विशेष और पृथक बिस्तर नहीं है।

(ख) रेलें सार्वभौम किस्म की सावधानियां बरत रही हैं, खून और खून उत्पादों की बारीकी से स्क्रीनिंग करती है। अस्पताल के कचरे आदि का सही तरीके से निपटान करती है। चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा सावधानियों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

1958. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में जनवरी, 2000 से अब तक सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मृतकों के उन निकटतम संबंधियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) रक्षा मंत्रालय के पास अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ मामलों में उनके मंत्रालय ने सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों के बायो-डाटा (जीवन-वृत्त) परिचालित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) ऐसे अभ्यर्थियों को कब तक रोजगार प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अंशधारकों को लाभांश न देने वाली कंपनियों

1959. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनकी आशंका के अनुसार लाभार्जन करने वाली 80 प्रतिशत कम्पनियां अपने अंशधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी स्तर पर अंशधारकों को लाभांश का भुगतान सुनिश्चित कराए जाने के लिए किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) लगातार तीन वर्षों से अंशधारकों को लाभांश न देने वाली लाभार्जन करने वाली प्रमुख कम्पनियां कौन-कौन सी हैं; और

(घ) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) यदि कोई कंपनी अपने लाभांश की घोषणा के बाद इसके भुगतान में असफल रहती है तो कम्पनी और इसके निदेशकों पर कम्पनी कार्य विभाग द्वारा विभाग के नोटिस में आने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क और 207 के अन्तर्गत अभियोजन दायर किया जा सकता है।

एचआईवी रोगियों के लिए अलग बिस्तरों की व्यवस्था

1960. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में एचआईवी रोगियों के लिए विशेष और अलग बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिए रेलवे द्वारा क्या सुरक्षा अपनाई जाएगी;

(ग) क्या मुम्बई के निकट कल्याण स्थित केन्द्रीय रेलवे अस्पताल में एचआईवी का उपचार उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भर्ती किए गए 1000 मरीजों में से 699 मरीज एचआईवी ग्रस्त पाए गए हैं

(ङ) क्या रेलवे में एचआईवी एड्स के लिए कोई जागरूकता अभियान कार्यक्रम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया जाता है और दूसरे रोगियों की भांति उनका उपचार किया जाता है। अत: यह उल्लेखनीय है कि रेलवे अस्पतालों में एच आई वी संक्रमित रोगियों के लिए कोई विशेष और पृथक बिस्तर नहीं है।

(ख) रेलें सार्वभौम किस्म की सावधानियां बरत रही हैं, खून और खून उत्पादों की बारीकी से स्क्रीनिंग करती है। अस्पताल के कचरे आदि का सही तरीके से निपटान करती है। चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा सावधानियों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(ग) कल्याण अस्पताल एक मंडल अस्पताल है और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार इस देश में एण्टी रिट्रोवायरल ड्रग्स का उपयोग नहीं किया जाता है। बहरहाल, एन ए सी ओ के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यकता के अनुसार समयानुवर्ती संक्रमण के लिए उनका उपचार किया जाता है।

(घ) जी नहीं। अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों के एच आई वी के लिए नेमी जांच नहीं की जाती है और ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

(ङ) रेल कार्मिकों में जागरुकता पैदा करने के लिए निरंतर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। रेलवे ऐसे अभियान शुरू करने वाला पहले के संगठनों में से एक है।

(च) चिकित्सा अधिकारियों, परा-चिकित्सा कार्मिकों, जनता, ग्रसित व्यक्तियों, उनके परिवारजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एक सतत् कार्यक्रम है और ये सभी रेलवे जोनों में एन ए सी ओ दिशानिर्देशों के अनुसार निरंतर चलाए जाते हैं।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को पदच्युत करने के संबंध में निर्णय

1961. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पदच्युत करने संबंधी अपने नवीनतम निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ किसी ऐसे व्यक्ति, जो कि विधायिका का सदस्य नहीं है, की मंत्री अथवा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान में भ्रम की स्थिति को सूचीबद्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के प्रकाश में इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के मामले

1962. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके पति-पत्नियों/आश्रितों की संख्या कितनी है तथा ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनकी वर्षों से जासूसी सहित विभिन्न कारणों से पेंशन प्राप्तकर्ता की आयु को दरकिनार करते हुए पेंशन निलंबित कर दी गई है;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उनकी वृद्धावस्था तथा विपन्नता के बावजूद पेंशन निलम्बित कर दी गई है;

(ग) उनका कोई भी दोष न होने के कारण उन्हें माफ किए जाने के बाद भी संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही न करने अथवा कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी निर्दयतापूर्ण चूक तथा विलंब की निगरानी करने तथा उन पर नजर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सेना पेंशन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि किसी पेंशनभोगी को किसी आपराधिक कृत्य के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसकी पेंशन उसके कारावास की तारीख से निरस्त कर दी जाती है। सक्षम प्राधिकारी निरस्त पेंशन को पुनः बहाल करने की कार्रवाई केवल तभी करता है जब पेंशनभोगी कारावास से रिहा होने पर पेंशन के लिए अनुरोध करता है। ऐसे जिन पेंशनभोगियों की पेंशन निरस्त कर दी गई है उनकी वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

1963. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 2001 के 'दि हिंदू' दिल्ली में 'वार विडो येट टू रिसीव पेंशन', शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा 'आपरेशन विजय' के नायकों की विधवाओं को पेंशन प्रदान करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) कथित समाचार में उल्लिखित मामला युद्ध में हताहतों से संबंधित नहीं है। उसके पति को एक झगड़े में उसी के साथी ने मार दिया था। तदनुसार, उसे साधारण परिवार पेंशन मंजूर की गई थी। तत्पश्चात् उसने अवार्ड के विरूद्ध एक अपील दायर की थी तथा पुनरीक्षा के आधार पर उसे विशेष परिवार पेंशन मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। इस आशय के आदेश पहले ही जारी कर दिये गए हैं।

(ग) न्यायालय में एक मामला विचाराधीन होने के अलावा 'संक्रिया विजय' के दिवंगत शूरवीरों की पत्नियों को पेंशन मंजूर किए जाने का कोई मामला नहीं है।

महाप्रबंधकों को वित्तीय शक्तियां

1964. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जोनल रेलवे तथा उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी हां। शक्तियों का प्रत्यायोजन एक सतत् प्रक्रिया है और क्षेत्रीय रेलों एवं अन्य फील्ड कार्यालयों की विशिष्ट जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महाप्रबंधकों को शक्तियों प्रत्यायोजित करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। हाल ही में जिन प्रमुख क्षेत्रों में महाप्रबंधकों को वित्तीय शक्तियों का इजाफा किया गया है, वे संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र/मद	पूर्ववर्ती शक्तियां	वर्तमान शक्तियां
1.	विस्तृत अनुमान की स्वीकृत	प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपये तक	प्रत्येक मामले में 20 करोड़ रुपये तक
2.	ठेका देना	प्रत्येक मामले में 8 करोड़ रुपये तक	प्रत्येक मामले में 15 करोड़ रुपये तक
3.	बाहरी निकायों से परामर्श सेवाएं लेना/नियुक्त करना	75 लाख रुपये की वार्षिक सीमा तक प्रत्येक मामले में 15 लाख रुपये तक	(क) संपदा विकास परियोजनाओं से संबंधित परामर्श सेवाएं - 2.5 करोड़ रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपये तक (ख) अन्य मामलों में 75 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक मामले में 15 लाख रुपये तक।
4.	उन कार्यों पर व्यय करना जो स्वीकृत बजट में शामिल नहीं है		
	(क) मशीन एवं संयंत्र	प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये तक	प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये तक
	(ख) (1) लाइन क्षमता संबंधी कार्य (2) अन्य कार्य	प्रत्येक मामले में 30 लाख रुपये तक	प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपये तक
	(ग) यात्री सुविधा संबंधी कार्य	प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये तक प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये तक एक वित्त वर्ष में 3 करोड़ रुपये की बजटीय सीमा के अध्याधीन	प्रत्येक मामले में 30 लाख रुपये तक प्रत्येक मामले में 30 लाख रुपये तक एक वित्त वर्ष में 6 करोड़ रुपये की बजटीय सीमा के अध्यधीन।

[हिन्दी]

गया से हावड़ा के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी

1965. श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवादा, शेखपुरा और किऊल के रास्ते गया से हावड़ा तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दीक्षा रेलगाड़ी

1966. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल तथा कटनी होकर सप्ताह में कम से कम तीन दिन दीक्षा रेलगाड़ी चलाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उत्तरी भारत के प्रयाग, काशी, बोधगया, बैजनाथ धाम और अन्य तीर्थस्थलों की यात्रा करने वाले हजारों तीर्थयात्री इन स्थानों के लिए सीधी रेल सेवा के अभाव में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में जनहित में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्तमान में दुर्ग-बिलासपुर-शहडोल-कटनी खंड के इलाहाबाद (प्रयाग) और वाराणसी (काशी) जाने वाले यात्रियों के लिए भिलाई रायपुर, बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, इलाहाबाद और वाराणसी के रास्ते 5159/5160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस उपलब्ध है। इसके अलावा, जसीडीह (बैद्यनाथधाम से 7 कि.मी.) के रास्ते चल रही पटना-टाटानगर-बिलासपुर लिंक एक्सप्रेस 2.11.2001 से रायपुर-भिलाई के रास्ते सप्ताह में तीन दिन दुर्ग तक बढ़ा दी गई है। बहरहाल, हमारे जैसे बड़े देश में सभी महत्वपूर्ण स्थानों की सीधी गाड़ी सेवाओं से जोड़ना हमेशा संभव नहीं होता है। सीधी सेवाओं से न जुड़े स्थानों के बीच यात्रा के इच्छुक यात्रियों को मार्ग में गाड़ी बदलनी ही पड़ती है। भारतीय रेलों पर गाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात के औचित्य पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में अवैध कब्जे को हटाना

1967. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के बंगलौर शहर में बनासवाड़ी में भारतीय रेल की सम्पत्ति पर बनाए गए कई अनधिकृत ढांचों को रेलवे द्वारा नष्ट कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक में रेलवे भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन अवैध कब्जों वाली भूमि के उपयोग हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। दक्षिण रेलवे के यशवंतपुर-सेलम खण्ड पर बनासवाड़ी रेलवे स्टेशन के सामने से 59 अतिक्रमण को हटा दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) अतिक्रमण वाली रेलवे भूमि का उपयोग रेलों की भावी विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। रेलों पर ऐसा उत्तरोत्तर विकास एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

रेल सुरक्षा कोष

1968. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री भीम दाहाल :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
प्रो. ए.के. प्रेमाजम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कितना अव्यपगत रेल सुरक्षा कोष जुटाया गया है;

(ख) क्या रेलवे ने 1 अक्तूबर, 2001 से रेलवे सुरक्षा हेतु धन जुटाने के लिए यात्री किराये में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इससे अव्यपगत रेल सुरक्षा कोष में कितना अंशदान होगा;

(ङ) रेल सुरक्षा कोष में से पटरी नवीकरण, सिग्नल उपकरणों, पुराने पुलों को बदले जाने और सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए नियत धनराशि का प्रतिशत कितना है;

(च) रेलवे द्वारा किस सीमा तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी; और

(छ) कोष में धन देने के लिए किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) चालू वित्त वर्ष में विशेष रेलवे संरक्षा निधि में 1400 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इसमें से वित्त मंत्रालय द्वारा 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके लिए संसद से पूरक अनुदान की मांग की जा रही है। शेष 400 करोड़ रुपए 1.10.2001 से प्रभावी यात्री किरायों पर संरक्षा अधिभार लगाकर प्राप्त किये जाने की आशा है। आज की तारीख में संरक्षा अधिभार से एकत्रित धनराशि के सही आंकड़ें देना समय से पहले होगा।

(ख) से (घ) संरक्षा अधिभार, जिसे 1.10.2001 से रेल यात्रियों पर लगाया गया है, एक तरह का अधिभार है न कि किराए में बढ़ोत्तरी। विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिभार की दर तथा इस निधि के लिए अनुमानित सृजन नीचे दिया गया है:–

यात्रा की श्रेणी	प्रति यात्री अधिभार की दर (रुपए में)	
	500 कि.मी. तक दूरी	500 कि.मी. से अधिक की दूरी
एकल यात्रा टिकटें		
दूसरा (साधारण)	1	1
दूसरा (मेल/एक्सप्रेस)	2	2
शयनयान	10	20
वातानुकूल कुर्सीयान	20	40
प्रथम	20	40
वातानुकूल 3 टियर शयनयान	30	60
वातानुकूल 2 टियर शयनयान	40	80
वातानुकूल प्रथम/एक्जीक्यूटिव	50	100
मासिक सीजन टिकट (एम.एस.टी.)		
प्रथम श्रेणी	20	लागू नहीं
द्वितीय श्रेणी	10	लागू नहीं
तिमाही सीजन टिकट (क्यू.एस.टी.)		
प्रथम श्रेणी	60	लागू नहीं
द्वितीय श्रेणी	30	लागू नहीं

उपर्युक्त अधिभार की संपूर्ण धनराशि अपव्यगत रेल संरक्षा निधि में लगाई जाएगी। इस अधिभार से 6 वित्त वर्षों में लगभग 5000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। रेल संरक्षा निधि की शेष 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा दिए जाने की आशा है।

(ङ) परिसंपत्तियों के नवीकरण के लिए निर्धारित धनराशि के प्रतिशत का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है।

रेलपथ नवीकरण	45%
पुल	10%
सिगनल और दूरसंचार संबंधी कार्य	18%
चल स्टाक	20%
संरक्षा संवर्धन	7%

(च) इस विशेष रेल संरक्षा निधि का उपयोग महत्वपूर्ण रेल उपस्करों के नवीकरण के लिए किया जाएगा तो गतायु हो चुके हैं और अक्सर दुर्घटना का कारण बनते हैं। इनके बदलाव से गाड़ी के परिचालन में ज्यादा सुरक्षा आएगी। विशेष रेल संरक्षा निधि का उपयोग अन्य उपायों जैसे रेलपथ परिपथन तथा दुर्घटना राहत उपस्कर के उन्नयन में किया जाएगा जिससे गाड़ी के परिचालन में बेहतर संरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को अधिक संरक्षा मिल सकेगी।

(छ) विशेष रेल संरक्षा निधि का वित्तपोषण अक्तूबर, 2001 से लागू यात्री किरायों पर लगे संरक्षा अधिभार से और केंद्रीय सरकार के अनुदान से होगा।

[अनुवाद]

रक्षा खरीद में पारदर्शिता

1969. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
डा. डी.वी.जी. शंकर राव :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री के. येरननायडू :
श्री जी.एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथियार खरीद में पारदर्शिता लाने के लिये रक्षा खरीद परिषद/खरीद बोर्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक की अलग-अलग क्या मुख्य विशेषतायें हैं;

(ग) क्या रक्षा खरीद परिषद् हाल में गठित किये गये रक्षा खरीद बोर्ड के अन्तर्गत काम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रक्षा खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में परिषद/बोर्ड से किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार ने समग्र नई नियोजन प्रक्रिया पर निर्णय लेने में रक्षा मंत्री की सहायता के लिए एक रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घकालीन संदर्शी योजना में पूंजीगत अधिग्रहणों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करना, पंचवर्षीय रक्षा योजना में शामिल की गई प्रत्येक पूंजीगत अधिग्रहण परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करना और प्रमुख परियोजनाओं आदि की प्रगति की मानीटरी करना शामिल है। रक्षा मंत्री रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष हैं तथा इसका गठन दो रक्षा राज्य मंत्रियों, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा सचिव, सचिव, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति, सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, सचिव, रक्षा (वित्त), सेनाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाक प्रमुख (सी.आई.एस.सी.) तथा विशेष सचिव (अधिग्रहण) को मिलाकर किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद के निर्णयों को तीनों बोर्डों अर्थात् रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड, जिसके अध्यक्ष रक्षा सचिव हैं, रक्षा उत्पादन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष सचिव (रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति) हैं तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड, जिसके अध्यक्ष सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास हैं, द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड को रक्षा विभाग में पूंजीगत खाते में से अर्जन करने का दायित्व सौंपा गया है।

(घ) इस नवीन ढांचे से तीनों सेनाओं के लिए अर्जन करने के मामले में समेकित तरीके से शीघ्र निर्णय करने में सहायता मिलेगी तथा इससे रक्षा अर्जन प्रक्रिया में उच्च स्तरीय पारदर्शिता, ईमानदारी एवं लागत प्रभावकारिता भी आएगी।

कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट

1970. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री अधीर चौधरी:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी के कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी कच्चे तेल के बड़े भंडार, ज्यादा अपकर्षण और ज्यादा उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करती रही है;

(घ) यदि हां, तो ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का दावा किस सीमा तक सही है; और

(ङ) देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) और (ख) 1998-99 में उत्पादन की तुलना में 1999-2000 के दौरान ओएनजीसी की कच्चे तेल के उत्पादन में थोड़ी कमी हुई। तथापि वर्ष 2000-2001 में यह कमी रोक ली गई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	तेल उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में)
1998-99	26.385
1999-2000	24.648
2000-2001	25.057

(ग) भंडार वृद्धि और उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित संभाव्यता के अनुसार हैं। तथापि प्रक्रिया से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण वास्तविक उपलब्धियां आकलित अनुमानों से अलग हो सकती हैं।

किसी क्षेत्र का तेल निकासी घटक तेल का वह अनुमानित प्रतिशत है जो उसमें मौजूदा कुल तेल मात्रा से उत्पादित किया जा सकता है। निकासी घटक अन्य बातों के साथ-साथ रिजर्वायर के भूगर्भ और रिजवार्यर के प्रकार, ड्राईव मैकेनिज्म, पेट्रो-भौतिकीय गुणों और तेल की विशेषताओं जैसे आन्तरिक घटकों और प्रयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकियों, किए गए निवेश और लागू राजकोषीय व्यवस्था जैसे अन्य घटकों पर निर्भर करता है। जबकि भारत में क्षेत्रों के लिए सामान्य तेल का अनुमानित औसत निकासी घटक वर्तमान में लगभग 28 प्रतिशत है, वहीं आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) क्षेत्रों के लिए तेल निकासी घटक 15 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में कच्चे तेल के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मिलियन मीट्रिक टन

	1998-99	1999-2000	2000-01
समझौता ज्ञापन लक्ष्य	28.100	25.800	24.600
वास्तविक	26.385	24.648	25.057
उपलब्धि का प्रतिशत	93.9	95.5	101.9

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 1999-2000 की तुलना में 2000-01 में उत्पादन में सुधार हुआ है और उसने 2000-01 के समझौता ज्ञापन लक्ष्य को पार कर लिया है।

(ङ) तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) विशेष रूप से आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) के क्रियान्वयन द्वारा मौजूदा बड़े तेल क्षेत्रों से निकासी घटक सुधारने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्रों को चुना है, इससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) द्वारा अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन.ई.एल.पी. के प्रथम तौर के तहत 24 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सी.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें कार्य चल रहा है। इसके अलावा, एन.ई.एल.पी. के दूसरे दौर के तहत, 23 ब्लाकों के लिए दिनांक 17.7.2001 को पी.एस.सी. पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश को आकृष्ट करने के लिए, भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघों के साथ दिनांक 23.2.2001 को 8 गुजरात में तथा 1 असम राज्य सहित कुल 9 खोजे गए क्षेत्रों के लिए पी.एस.सी. पर हस्ताक्षर किए गए।

(4) विशेषत: गहन जल और कठिन सीमांत क्षेत्रों में नए क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए, साथ ही उत्पादक क्षेत्रों की गहन परतों तक अन्वेषण करना।

(5) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास तथा उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर उद्दीपन कार्यों, कूप वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को अपनाना।

(6) विदेश में रकबों का अर्जन।

पुराने लड़ाकू विमानों और यात्री विमानों को हटाया जाना

1971. श्री जी.जे. जावीया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायु सेना के पुराने लड़ाकू विमानों और यात्री विमानों को हटाने संबंधी नीति क्या है;

(ख) अब तक की स्थिति के अनुसार भारतीय वायु सेना के पास ऐसे विमानों की संख्या कितनी है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इनमें से दुर्घटनाग्रस्त अथवा नष्ट हो गए विमानों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन विमानों को बेच कर इनसे अर्जित हुए धन से भारतीय वायु सेना को सुदृढ़ करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के पुराने (अधिशेष) लड़ाकू और यात्री विमानों के निपटान संबंधी नीति यह है कि पुराने अधिशेष विमान विदेशी मित्र देशों को बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं। प्रदर्शनी/प्रदर्शन/शिक्षा संबंधी प्रयोजन से ये देश की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को भी उपहार में दिए जाते हैं। ऐसे अधिशेष और पुराने विमानों, जिनका निपटान नहीं किया जा सकता अथवा जिन्हें उपहार में नहीं दिया जा सकता, में से मौजूदा इस्तेमाल के लिए उपयुक्त उपयोज्य संघटक निकालकर उसे स्क्रैप बना दिया जाता है और उसका "जहां है जैसा है" स्थिति में निपटान कर दिया जाता है।

(ग) पिछले एक वर्ष में, 18 लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं में नष्ट हो गए।

(घ) और (ङ) यह बात लागू नहीं होती क्योंकि स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि बहुत थोड़ी होती है।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की प्रसारण गुणवत्ता

1972. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एवं विदेशी टी.वी. चैनलों के मुकाबले दूरदर्शन के कार्यक्रमों की प्रसारण गुणवत्ता, नियंत्रण और प्रस्तुति के क्षेत्रों में गंभीर खामियां हैं;

(ख) क्या प्रसार भारती ने खामियों का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता में डिजीटल टेरेसटेरियल ट्रांसमिशनस् स्थापित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे इसकी प्रसारण की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार हुआ है; और

(च) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) दूरदर्शन प्रसारण की तकनीकी गुणवत्ता को संतोषजनक माना गया लेकिन प्रसारण, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यक्रम विषय-वस्तु में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। किसी चैनलों के मुकाबले नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ गुणवत्ता वाले प्रोमोज कैप्सूलों का प्रयोग करके कार्यक्रमों की प्रस्तुति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम प्रस्तुति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से दूरदर्शन कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) से (च) एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में डिजिटल स्थलीय प्रसारण सेवा शुरू की जा रही है। हालांकि दिल्ली सेवा को 2001-02 के दौरान स्थापित किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है तथापि, शेष तीन में सेवा 2002-03 के दौरान शुरू किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इससे वर्धित गुणवत्ता वाले प्रसारण, बहु चैनल प्रचालन, कम विद्युत मांग और बढ़िया तथा एक समान गुणवत्ता वाले अभिग्रहण आदि की सुविधा प्राप्त होगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन

1973. श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों ने अपने एलपीजी वितरकों को एलपीजी कनेक्शन और केवल 30 कि.मी. क्षेत्रों के भीतर उपभोक्ताओं को परवर्ती सेवा देने के लिए कोई निर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने छोटे गांव और कस्बे हैं जो किसी तेल कंपनी के किसी एलपीजी वितरक के सेवा क्षेत्र में नहीं आते हैं न ही 30 कि.मी. के क्षेत्र की उक्त सीमा के भीतर आते हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसे गांवों/कस्बों के उपभोक्ताओं के लिए कुछ अंतरिम व्यवस्था करने का विचार कर रही है, जब तक कि उनके लिए कुछ स्थाई एलपीजी वितरकों को सेवा प्रदान नहीं की जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इस समय, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों

(ओएमसीज) के अव्यवहार्य एलपीजी वितरकों को मैदानी क्षेत्रों में 30 कि.मी. तक और पहाड़ी क्षेत्रों में 75 कि.मी. तक विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति है। छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ओएमसीज ने विपणन योजना 1996-98 और 1999-2000 के अंतर्गत 2900 से अधिक नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना बनाई है जिनमें से 1200 से अधिक केवल ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 1400 से अधिक शहरी/ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं।

हरियाणा में एल.पी.जी. एजेंसियां/पेट्रोल पंप

1974. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय हरियाणा में कार्यरत पेट्रोल पंपों तथा एलपीजी एजेंसियों की स्थान-वार कुल संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान हरियाणा में खोले जाने वाले प्रस्तावित पेट्रोल पंपों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में 629 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 203 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थी।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 9 स्थान विपणन योजना 1999-2000 में शामिल किए गये हैं।

ब्लाक स्तर पर एल.पी.जी. एजेंसियां

1975. श्री हरिभाई चौधरी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी कुछ वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक ब्लाक में स्थापित की जाने वाली एल.पी.जी. एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों ने विपणन योजना 1999-2000 के अंतर्गत 1247 स्थान केवल ग्रामीण क्षेत्र में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए शामिल किए हैं। इनमें से लगभग 700 स्थान प्रखंड/तहसील मंडल स्तर पर पहचाने गए हैं। इन स्थानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एल.पी.जी. विपणन योजना स्थानों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें
1	2
आंध्र प्रदेश	284
अरुणाचल प्रदेश	8
असम	35
बिहार	97
छत्तीसगढ़	29
दिल्ली	0
गोवा	12
गुजरात	60
हरियाणा	13
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू और कश्मीर	3
झारखंड	8
कर्नाटक	23
केरल	86
मध्य प्रदेश	42
महाराष्ट्र	69
मणिपुर	5
मेघालय	5
मिजोरम	4
नागालैंड	2
उड़ीसा	22
पंजाब	44
राजस्थान	43

1	2
तमिलनाडु	91
त्रिपुरा	.4
उत्तर प्रदेश	158
उत्तरांचल	13
पश्चिम बंगाल	64
सिक्किम	0
अंडमान और निकोबार	7
चंडीगढ़	0
दादरा और नगर हवेली	0
दमन और दीव	0
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	1

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

1976. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों में निशक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की वर्ष-वार/पद-वार संख्या क्या है;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार निशक्त/शारीरिक रूप के विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पड़े आरक्षित पदों की वर्ष-वार/पद-वार संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे पदों पर नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार संख्या क्या है जिन्हें रोजगार दिया गया है; और

(घ) रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस वितरकों का ग्राहक वर्ग

1977. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में कितनी रसोई गैस एजेंसियां चल रही हैं और उनमें से प्रत्येक का कितना ग्राहक वर्ग है;

(ख) क्या रसोई गैस एजेंसियों के कर्मचारी रसोई गैस के चूल्हे की जांच करने के लिए उपभोक्ताओं के घरों में अक्सर जाते हैं और 25 रुपये से 250 रुपये तक का शुल्क लेते हैं और इन्कार करने पर वे सिलेंडरों की आपूर्ति बंद कर देते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नियम निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) दिल्ली में 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के लगभग 33 लाख उपभोक्ताओं के साथ 301 एल.पी.जी. वितरण केन्द्र प्रचालन में हैं।

(ख) और (ग) एल.पी.जी. वितरकों को सुरक्षा की दृष्टि से दो वर्षों में एक बार ग्राहक के आवास पर एल.पी.जी. उपकरणों की अनिवार्यत: जांच करने के निर्देश ओ.एम.सी. द्वारा दिए गए हैं। इस उद्देश्य हेतु, वे निरीक्षण प्रभार के रूप में 25 रुपए प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं। ओ.एम.सी. को ग्राहकों से इस संबंध में अधिक राशि वसूल करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिन ग्राहकों ने ऐसी जांच से इन्कार किया है उनके विरुद्ध रिफिल आपूर्ति रोकने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

[अनुवाद]

एन्थ्रैक्स विषाणु की जांच

1978. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन्थ्रैक्स विषाणु के मामलों की जांच रक्षा अनुसंधान केन्द्र में की गई;

(ख) यदि हां, तो रक्षा अनुसंधान केन्द्र में अब तक ऐसे कितने मामलों की जांच की गई;

(ग) कितने मामलों में रोग के विषाणु पाए गए; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना, ग्वालियर में 36 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। इनमें दिल्ली, मुम्बई, ग्वालियर, भिंड, रतलाम और छिंदवाड़ा से प्राप्त नमूने शामिल हैं।

(ग) शून्य।

(घ) जैविक आतंकवाद की समस्या से निबटने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने प्रारंभ कर दिए हैं। इस विषय पर सरकार ने केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अस्पतालों के स्वास्थ्य विभागों के सभी संबंधित प्राधिकारियों को सामान्य अनुदेश परिचालित किए हैं। इन अनुदेशों में जैविकीय और रासायनिक एजेंटों के विकीर्णन, उद्भवन अवधि, घातकता, वेक्सीन्स की उपलब्धता, सूक्ष्मजीवरोधी थिरेपी और उपचार के संभावित तरीके भी शामिल हैं। अन्य उपायों में जागरूकता कार्यशालाएं चलाना, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार और नियमित रूप से स्थिति की पुनरीक्षा करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों को मताधिकार

1979. श्री पी.सी. थामस : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को भारत में सामान्य अधिकारों के उपयोग का अवसर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी नहीं। व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अनिवायी भारतीयों को मताधिकार दिए जाने के प्रस्ताव को साध्य नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

1980. श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में असाधारण विलंब के कारण उच्च न्यायालयों के समक्ष मामलों का अंबार तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु इस संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायालय में लंबित पुराने मामलों को निपटा लिए जाने का लक्षित वर्ष क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उच्च न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने के अनेक कारण हैं, जिनमें न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियां भी हैं। अन्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण उनकी ओर से अधिक मामले संस्थित किया जाना, जनसंख्या में वृद्धि होना, स्थगन मंजूर करना, देश में औद्योगिक विकास का होना, व्यापार और वाणिज्य तथा सामाजिक-आर्थिक उपायों में वृद्धि होना, सभी स्तरों पर नागरिकों के जीवन से संबंधित विधायी और प्रशासनिक पहलू, मुकदमा लड़ने वालों की प्रवृत्ति, वकीलों की हड़ताल भी है।

21 नवंबर, 2001 को उच्च न्यायालयों में 170 रिक्त पद हैं, जिसके अंतर्गत 47 नए पद भी हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और किसी न्यायाधीश का, जिसके अंतर्गत मुख्य न्यायमूर्ति भी है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के ही 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय में विहित किया गया है। सरकार रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरने की दृष्टि से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को समय-समय पर

उनसे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करते हुए, पत्र लिखती रही है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री समय-समय पर उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायमूर्तियों से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव चलाएं।

मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अनेक उपाए अपनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत मामलों का वर्गीकरण और उन्हें समूहबद्ध करना, उच्च न्यायालयों में अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समान मुद्दे पर अंतिम रूप से दिए गए निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों का पता लगाना और उन्हें सूचीबद्ध करना भी है।

(घ) पुराने मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है क्योंकि यह न्यायपालिका के स्वायत कार्य से संबंधित है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	निम्नलिखित को यथाविद्यमान
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	67,536	6/2001
2.	आंध्र प्रदेश	16,622	6/2001
3.	बंबई	22,457	12/2000
4.	कलकत्ता	16,764	3/2001
5.	दिल्ली	13,769	12/2000
6.	गुवाहाटी	1,926	3/2000
7.	गुजरात	9,957	9/2001
8.	हिमाचल प्रदेश	1,383	3/2001
9.	जम्मू-कश्मीर	3,567	6/2001
10.	कर्नाटक	5,827	6/2001
11.	केरल	45,631	6/2001
12.	मध्य प्रदेश	12,404	6/2001
13.	मद्रास	21,924	12/2000
14.	उड़ीसा	28,406	6/2001
15.	पटना	4,028	6/2001
16.	पंजाब और हरियाणा	18,012	6/2001
17.	राजस्थान	14,531	12/2000
18.	सिक्किम	16	9/2001
19.	छत्तीसगढ़	(नया सृजित उच्च न्यायालय)	–
20.	झारखंड	(नया सृजित उच्च न्यायालय)	–
21.	उत्तरांचल	(नया सृजित उच्च न्यायालय)	–
	कुल योग	3,04,760	

पहचान पत्रों का उपयोग

1981. श्री अधीर चौधरी :
श्री मंजय लाल :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग का विचार सभी राज्यों में अगले आम चुनाव से पहचान पत्रों का उपयोग अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सभी नागरिकों को फोटो पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है और उन नागरिकों का प्रतिशत क्या है जिन्हें फोटो पहचान पत्र प्रदान कर दिए गए हैं; और

(घ) पहचान पत्र का उपयोग अनिवार्य कर दिये जाने के बाद जाली मतदान के किस हद तक रूक जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (घ) भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार यह आशा की

जाती है कि विभिन्न विधान सभाओं के पिछले साधारण निर्वाचनों के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, आगामी निर्धारण निर्वाचनों के दौरान पहचान के कतिपय वैकल्पिक साधनों के साथ फोटो पहचान पत्रों के अनिवार्य प्रयोग से वह बड़ी मात्रा में बोगस मतदान को रोकने में समर्थ होगा।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि देश में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जहां स्कीम को विस्तारित नहीं किया गया है) पात्र मतदाताओं के 63.5% का प्रतिनिधित्व करने वाले उनतालीस करोड़ से अधिक निर्वाचकों को फोटो पहचानपत्र प्रदान कर दिए गए हैं। तथापि निर्वाचकों को फोटो पहचानपत्र जारी करने की स्कीम कोई परियोजना नहीं है, अपितु एक कार्यक्रम है, जिसको पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है क्योंकि निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामनिर्देशन फाइल करने के लिए अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने की तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र बन जाने के कारण और निर्वाचकों के संचलन के कारण भी एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

रायपुर के लिए तीव्र गति की रेलगाड़ी की सुविधा

1982. डा. चरणदास महंत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तथा राज्य के अन्य प्रमुख शहरों यथा-कोरबा के लिए तीव्र गति की रेलगाड़ी की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तथा संसाधन तंगी के कारण।

सीमावर्ती क्षेत्रों में एच.पी.टी. की स्थापना

1983. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान सीमा से लगे नगरों में स्थान-वार उच्च शक्ति के कितने ट्रांसमीटर लगाए गए हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्ति के और अधिक ट्रांसमीटर लगाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में अन्य सीमा क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) पाकिस्तान सीमा के निकटवर्ती जिलों में 10 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। कवरेज को और सुदृढ़ करने के लिए 15 अन्य उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। उपरोक्त ट्रांसमीटरों के स्थान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। वर्तमान में देश के अन्य सीमावर्ती जिलों में 20 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं और कवरेज को और सुदृढ़ करने के लिए 8 और उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। उपरोक्त ट्रांसमीटरों के स्थान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (सिक्किम सहित) और आइलैण्ड प्रदेश में टी.वी. कवरेज के विस्तार के लिए स्कीमों का एक विशेष पैकेज सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित भी कर दिया है। यह पैकेज 10वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है।

विवरण-I

पाकिस्तान के सीमावर्ती ज़िलों में दूरदर्शन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य	जिला	मौजूदा ट्रांसमीटर	कार्यान्वयनाधीन परियोजाएं
1	2	3	4
गुजरात			
	कच्छ	**उ.श.ट्रां. भुज (स्थायी)**	

1	2	3	4
जम्मू एवं कश्मीर			
	बारामुल्ला		उ.श.ट्रां. गुरेज
			उ.श.ट्रां. (गुरेज (डी.डी.-2)
	जम्मू	उ.श.ट्रां. जम्मू	उ.श.ट्रां. साम्बा
		उ.श.ट्रां. जम्मू (डीडी-2)	उ.श.ट्रां. साम्बा (डीडी-2)
	कथुआ	उ.श.ट्रां. कथुआ	
	कुपवाड़ा		उ.श.ट्रां. कुपवाड़ा
			उ.श.ट्रां. कुपवाड़ा (डीडी-2)
			उ.श.ट्रां. टिथवाल
			उ.श.ट्रां. टिथवाल (डीडी-2)
	पूंछ	उ.श.ट्रां. पुंछ	उ.श.ट्रां. पुंछ (डीडी-2) (स्थायी)
		उ.श.ट्रां. पुंछ (डीडी-2) (अन्त.)	
	राजौरी		उ.श.ट्रां. नौशेरा
			उ.श.ट्रां. नौशेरा (डीडी-2)
पंजाब			
	अमृतसर	उ.श.ट्रां. अमृतसर (20 कि.वा.) (स्थायी)	उ.श.ट्रां. अमृतसर (डीडी-2)
			उ.श.ट्रां. अमृतसर (20 किवा) (स्थायी)
	फिरोजपुर	उ.श.ट्रां. फाजिल्का (अन्त.)	उ.श.ट्रां. फाजिल्का (स्थायी)
राजस्थान			
	बाड़मेर	उ.श.ट्रां. बाड़मेर (अन्त.)	उ.श.ट्रां. बाड़मेर (स्थायी)
	जैसलमेर	उ.श.ट्रां. जैसलमेर	

विवरण-II

अन्य सीमावर्ती जिलों में दूरदर्शन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

राज्य	जिला	मौजूदा ट्रांसमीटर	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश			
	लोअर सुबानसिरि	उ.श.ट्रां. ईटानगर	उ.श.ट्रां. ईटानगर (डीडी-2)

1	2	3	4
असम			
	कच्छार	उ.श.ट्रां. सिलचर	
		उ.श.ट्रां. सिलचर (डीडी-2)	
	कामरूप	उ.श.ट्रां. गुवाहाटी	
		उ.श.ट्रां. गुवाहाटी (डीडी-2)	
मणिपुर			
	चुड़ाचांदपुर	उ.श.ट्रां. चुड़ाचांदपुर	
मेघालय			
	पूर्वी सासी हिल्स	उ.श.ट्रां. शिलांग	उ.श.ट्रां. शिलांग (डीडी-2)
	पश्चिमी गारो हिल्स	उ.श.ट्रां. तुरा	
		उ.श.ट्रां. तुरा (डीडी-2)	
मिजोरम			
	प्जवाल	उ.श.ट्रां. प्जवाल	उ.श.ट्रां. प्जवाल (डीडी-2)
	लुंगलेई	उ.श.ट्रां. लुंगलेई	
सिक्किम			
	पूर्वी जिला	उ.श.ट्रां. गंगटोक	उ.श.ट्रां. गंगटोक (डीडी-2)
तमिलनाडु			
	रामनाथपुरम	उ.श.ट्रां. रामनाथपुरम	
	तंजावूर	उ.श.ट्रां. कुम्बकोणम (अन्त.)	उ.श.ट्रां. कम्बकोणम (स्थायी)
त्रिपुरा			
	पश्चिमी त्रिपुरा	उ.श.ट्रां. अगरतला	
		उ.श.ट्रां. अगरतला (डीडी-2)	
उत्तर प्रदेश			
	खेड़ी		उ.श.ट्रां. लखीमपुर
पश्चिम बंगाल			

विद्युत उत्पादन

1984. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के विचार से 22 परियोजनाओं के प्रस्ताव मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास भेजे गए है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 12 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है परन्तु 10 परियोजनाएं अभी भी सरकार के पास लंबित पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी और आज तक उनके लंबित रहने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) आज की तिथिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मध्य प्रदेश से प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृतियों की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त-16 परियोजनाएं

(2) केविप्रा में जांचाधीन डीपीआर-1 परियोजना

(3) निवेश/स्वीकृति के अभाव में लौटाई गई डीपीआर-28 परियोजनाएं

जो स्कीमें परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दी गई है उन्हें तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लंबित आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित कर लेने के शीघ्र पश्चात् किया जायेगा।

निःशुल्क विधिक सहायता

1985. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निःशुल्क विधिक सहायता को एक मौलिक अधिकार बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

द्वारकाजी, सोमनाथ और अहमदाबाद को जोड़ने वाली तीव्रगति की रेलगाड़ियों को चलाया जाना

1986. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार द्वारकाजी और सोमनाथ को अहमदाबाद और मुम्बई से राजधानी एक्सप्रेस जैसी तीव्रगति की रेलगाड़ियों को चलाकर जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या अहमदाबाद और द्वारकाजी/सोमनाथ और मुम्बई-द्वारकाजी/सोमनाथ के बीच यातायात में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों का चयन

1987. सरदार बूटा सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्वा. (आरक्षण) के व्याख्यात्मक विवरण के पैरा 11 के अन्तर्गत योग्यता के आधार पर चयनित अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दर्शाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो विभिन्न सेवा-श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती/पदोन्नत हुए और उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई है; और

(ग) ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनके अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन तो योग्यता के आधार पर किया गया परन्तु उन्हें अपने समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष दर्शाया/समायोजित किया गया और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था. (आर.) से संबंधित व्याख्यात्मक नोट के पैरा '11' में उल्लेख किया गया है कि रोस्टर तैयार करते समय उस समुदाय के व्यक्ति जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है और आरक्षण का लाभ नहीं लेता है, को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वे अनारक्षित कोटे में आएंगे।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क

1988. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक तकनीकी विशेषज्ञ ग्रुप ने कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर देय उत्पाद शुल्क की दर के निर्धारण के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थों के लिए सिफारिश की गई उत्पाद शुल्क की दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दरों को मार्च, 2002 के बाद लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में लागू उत्पाद शुल्क की दरें क्या हैं?

(क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) विशेषज्ञ तकनीकी दल ने पेट्रोलियम उत्पादों पर देय उत्पाद शुल्क की दरों के विषय में अपनी सिफारिशें दे दी थीं। उत्पाद शुल्क के विषय में इस दल के द्वारा अनुमानित दरों तथा वर्तमान प्रचलित दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। मार्च, 2002 के बाद की उत्पाद शुल्क दरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(प्रतिशत)

मद का नाम	विशेषज्ञ तकनीकी दल द्वारा संस्तुत शुल्क	वर्तमान शुल्क दरें जो 1 मार्च, 2001 से अस्तित्व में हैं।
हाई स्पीड डीजल	15	16*
मोटर स्पिरिट	165**	32*
एविएशन टर्बाइन फ्यूल	40	16
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	10	8
मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.)	10	8
भट्टी तेल/लो स्लफर हैवी स्टाक (सामान्य प्रयोग)	15	16
नाफ्था (सामान्य प्रयोग)	15	16
बिटूमन/अन्य पेट्रोलियम उत्पाद	15	16

*प्रति लीटर 1 रुपया अतिरिक्त शुल्क भी वसूल किया जाता है।
**इसमें अधिभार शामिल है।

[अनुवाद]

जगुआर बेड़ा

1989. श्री सुबोध राय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 32 जगुआर बेड़े को एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक युद्ध उपस्कर स्वयं सुरक्षा जैमर से सुसज्जित करने की वायुसेना की योजना 184 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी अधर में लटक गई है, जिससे वायुसेना की संपूर्ण संचालनात्मक क्षमता पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सुपर एक्सप्रैस रेलों का ठहराव

1990. श्री के. करुणाकरन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुरला एक्सप्रैस, अलेप्पी-बोकारो स्टील सिटी एक्सप्रैस और पालघाट-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रैस जैसी एक्सप्रैस रेलों के नए ठहरावों हेतु अनुमति देने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन रेलों को अंगामाली में ठहराव देने का है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। अंगामाली में एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें एक अभ्यावेदन सांसद श्री के. करुणाकरन का भी है।

(ग) जी नहीं।

जिला स्तरीय लोक अदालतें

1991. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नगरपालिका और अन्य सेवाओं संबंधी उपभोक्ता मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये देश भर में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जिलास्तरीय लोक अदालतों के गठन का है; और

(ख) यदि हां, तो इन अदालतों के कब तक कार्यशील बनाये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी और अविच्छिन्न लोक अदालतों की स्थापना की गई हैं। ऐसी स्थायी और अविच्छिन्न लोक अदालतें नगरपालिका से संबंधित मुद्दों से संबंद्ध उपभोक्ता मामलों सहित ऐसे सभी मामलों और सेवा उन्मुख मामलों में कार्यवाही करने के लिए सशक्त हैं, जिनके लिए विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन संज्ञान लिया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) में ऐसी लोक अदालतों की अध्यक्षता करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किए जाने के लिए उपबंध है और जहां व्यावहारिक तथा आवश्यक समझा जाता है उनकी सेवाएं ली जा रही हैं।

व्यस्त मार्गों से रेलों को हटाना

1992. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यस्त मार्गों से हटाए गए और अपनी आयु पूरी कर चुकी रेल पटरियों को पुनर्चक्रित कर उन्हें कम व्यस्त मार्गों पर बिछाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर, 2001 को दिल्ली-जोधपुर मंदौर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने का कारण यही पुनर्चक्रित रेल पटरियां थीं जिसके कारण बहुत से व्यक्ति मारे गए थे;

(ग) यदि हां, तो व्यस्त मार्गों से हटाए गए और अपनी आयु पूरी कर चुकी रेल पटरियों को अनुपयोगी करार न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) व्यस्त लाइनों से हटाई गई पटरियों को शेष आयु वाली पटरियों को पुरानी उपयोगी पटरियों तथा स्क्रैप पटरियों के रूप में विभाजित किया जाता है। हल्के यातायात वाले मार्गों के नवीकरण के लिए उनका उपयोग करने से पहले हटाई गई उपयोगी पटरियों की पराश्रव्य जांच की जाती है। फुलेरा-देगाना मीटर लाइन खण्डों का नवीकरण 1947 में निर्मित पुरानी 90 आर पटरियों तथा बड़ी लाइन खंड से विनिर्मुक्त पटरियों से 1987 में किया गया था। आमान परिवर्तन के समय उन्हीं पटरियों का उपयोग किया गया था। दिल्ली-मंडौर एक्सप्रेस के अक्टूबर, 2001 को पटरी से उतरने की घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के व्यक्ति

1993. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत प्रथम श्रेणी (समूह क) वर्ग और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) व उनके समकक्ष कुल कितने पद हैं; और

(ख) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के अंतर्गत तथा अंतर्विष्ट अनुदेशों के मद्देनजर पता लगाए गए इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में उनका संबंधित प्रतिशत कितना-कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) श्रेणी I (वर्ग क) की श्रेणी II (वर्ग ख) के पदों की संख्या क्रमश: 34 और 95 है।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 (वर्ग क) पदों में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती। वर्ग ख पदों में सामान्य, अनु.जा. और अ.पि.व. श्रेणियों से संबद्ध व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत क्रमश: 68 (71.57%), 17 (17.89%) और 'शून्य' है।

राजस्थान में तेल की खोज

1994. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल गवेषण करने वाली ब्रिटिश कंपनी की सहायता से हाल में राजस्थान में तेल की खोज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उससे व्यावसायिक उत्पादन कब तक आरंभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) स्काटलैण्ड की कंपनी कैर्न इनर्जी इंडिया प्राइवेट लि., तथा नीदरलैण्ड की कंपनी शेल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी.वी., के परिसंघ द्वारा राजस्थान के अंतर्गत ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 में कूप आरजे-एच-1 के दो क्षेत्रों के अंतर्गत हाल ही में तेज की खोज हुई है। इन दो क्षेत्रों ने क्रमश: 620 बैरल प्रतिदिन तथा 1455 बैरल प्रतिदिन की दर से तेल का उत्पादन किया।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत, खोज के विषय में जारी मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

मुम्बई से मनमाड़ के लिए नई रेल शुरू करना

1995. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को दौंड़-अहमदनगर के रास्ते मुम्बई से मनमाड़ तक नई रेल शुरू करने के संबंध में एक प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस नई रेल को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच की गई परन्तु परिचालनिक तथा संसाधन तंगियों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रेल टिकट दलालों के विरुद्ध कार्यवाही

1996. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय रेल टिकट दलालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन दलालों को रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों का संरक्षण मिला हुआ है जिससे वे रेलवे स्टेशनों की पार्किंग और आरक्षण कार्यालयों के निकट सक्रिय रहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) अप्राधिकृत आरक्षण में संलिप्त दलालों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों के आरक्षण कार्यालयों में तथा उनके आस-पास वाणिज्यिक, सतर्कता और पुलिस विभागों द्वारा नियमित और आकस्मिक जांचें आयोजित की जाती हैं। भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान इन जांचों को तेज कर दिया जाता है। ऐसे दलालों को पकड़ा जाता है और कानून के संगत प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। इस कदाचार में संलिप्त पाए गए किसी भी रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी नहीं।

कुलियों के खिलाफ शिकायत

1997. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर कुली स्टेशन पर खड़ी रेल गाड़ियों की सीटों पर कब्जा कर लेते हैं और बाद में यात्रियों से उसके लिए राशि वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की जोन-वार संख्या क्या है और इन मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) कुलियों द्वारा सीटों के हथियाने की कुछ ऐसी घटनाएं ध्यान में आई हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या की रेलवे वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इस बुराई को रोकने के उद्देश्य से कुलियों और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा सीटों को हथियाने को रोकने के लिए पुलिस के सहयोग से वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों द्वारा नियमित जांचें की जाती हैं। इस गति-विधि में शामिल पाए गए कुलियों के लाइसेंस रद्द/समाप्त करके उन्हें दंडित किया जाता है, इसके अलावा यात्रियों को अनारक्षित सवारी डिब्बों में सीटों को हथियाने को रोकने के लिए लाइन प्रणाली का अनुसरण करने को कहा गया है।

विवरण

कुलियों द्वारा सीटों के हथियाने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की रेलवे-वार संख्या

रेलवे	वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2	3
मध्य	1997-1998	17
	1998-1999	05
	1999-2000	04
पूर्व	1997-1998	01
	1998-1999	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं
उत्तर	1997-1998	37
	1998-1999	72
	1999-2000	40
पूर्वोत्तर	1997-1998	कुछ नहीं
	1998-1999	कुछ नहीं
	1999-2000	01
पू.सी.	1997-1998	कुछ नहीं
	1998-1999	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं
दक्षिण	1997-1998	कुछ नहीं
	1998-1999	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं
दक्षिण मध्य	1997-1998	02
	1998-1999	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं
दक्षिण पूर्व	1997-1998	कुछ नहीं
	1998-1999	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं

1	2	3
पश्चिम	1997-1998	03
	1998-1999	04
	1999-2000	03

लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र

1998. डा. अशोक पटेल : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचाराधीन लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और इन अदालतों के निर्णयों को अन्य अदालतों के समान मान्यता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) इस समय इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19(5) के अधीन लोक अदालतों की अधिकारिता बहुत व्यापक है और इसका विस्तार किसी विधि के अधीन शमनीय न होने वाले किसी अपराध से संबंधित मामलों के सिवाए सभी मामलों (पूर्व मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी वाले) तक है। इसके अतिरिक्त लोक अदालतों के निर्णयों को अन्य न्यायालयों की तरह समान मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 21 के अधीन लोक अदालत के प्रत्येक आदेश को पहले से ही, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का कोई आदेश समझा जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान न करना

1999. श्री नरेश पुगलिया : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लाभ कमाने वाली लगभग 80 प्रतिशत कंपनियां अपने शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि कम से कम लाभ कमाने वाली कंपनियां अपने शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान करें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) यदि कोई कम्पनी अपने लाभांश की घोषणा के बाद इसके भुगतान में असफल रहती है, तो कम्पनी और इसके निदेशकों पर कम्पनी कार्य विभाग द्वारा विभाग के नोटिस में आने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क और 207 के अन्तर्गत अभियोजन दायर किया जा सकता है।

पब्लिक लिमिटेड कंपनियां

2000. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार देश में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की संख्या और प्रतिशत क्या है जिन्होंने वर्ष 2000-2001 के दौरान लाभ अर्जित किया लेकिन लाभांश का भुगतान नहीं किया; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी पब्लिक कंपनियों को घाटा हुआ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 31.3.2001 को देश में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की कुल संख्या 76,260 थी।

(ख) और (ग) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

सूरत में अहमदाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

2001. श्री दिन्शा पटेल : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के लोगों की सहायता के लिए अहमदाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ सूरत में स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सितंबर, 2000 में यह बताया था कि राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि गुजरात उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ की स्थापना की जाए। इस विषय की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से समीक्षा की गई थी जिन्होंने यह सूचित किया कि सूरत में सर्किट न्यायपीठ को होना संस्था के हित में नहीं होगा। तद्नुसार मई, 2001 में गुजरात के मुख्य मंत्री को यह सूचना दे दी गई थी। इसके पश्चात् गुजरात सरकार से सूरत में गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्टोर आइटमों का आयात

2002. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कम्पार्टमेन्टों के लिए बल्ब सहित सभी स्टोर आइटमों का आयात करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष आयात की गई आइटमों का देश-वार और आइटमवार ब्यौरा क्या है और इनकी कीमत क्या है;

(ग) इन आइटमों को देश में ही बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) दिल्ली और रेलवे स्टेशनों पर रेलवे/भवनों में उपयोग की जाने वाली ट्यूबलाइटों और जीएलएस बल्बों की खरीद के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और इन्हें किस दर पर खरीदा जा रहा है और इन्हें एन.सी.सी.एफ. तथा केन्द्रीय भंडार से नहीं खरीदे जाने के क्या कारण हैं जबकि यहां ये आइटम डीजीएस और डीआरसी मूल्य से कम कीमत पर मिलती हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। रेलें सवारी डिब्बों में काम में आने वाले बल्ब आदि जैसी स्टोर मदों का आयात नहीं करती हैं क्योंकि ये मदें स्वदेशी स्रोतों से ही प्राप्त की जा सकती हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकारी नियमों के अनुसार डी.जी.एस. एंड डी. ठेका दर पर उपलब्ध मदों की खरीद ठेका दर पर ही की जानी होती है। ठेका दर पर मूल्य कभी कभार एन.सी.सी.एफ./केन्द्रीय भंडारों की दरों से विशिष्टियों, निरीक्षण, सुपुर्दगी और भुगतान उपबन्धों आदि जैसे विभिन्न कारणों से भिन्न हो सकती हैं। बहरहाल, रेलें एनसीसीएफ और केन्द्रीय भंडारों से कम कीमत की वस्तुओं की खरीद करने के लिए अधिकृत हैं।

दिल्ली की रेलवे इमारतों और रेलवे स्टेशनों में उपयोग के लिए ट्यूब लाइटें और जीएलएस बल्बों की खरीद निम्नलिखित प्रति यूनिट दर (वर्ष 2001 के लिए) डीजीएस एंड डी ठेका दर के माध्यम से की जाती है:-

(1) ट्यूब लाइट 40 वाट - 34.11 रुपए + बिक्री दर

(2) ट्यूब लाइट 36 वाट - 32.81 रुपए + बिक्री कर

(3) जीएलएस बल्ब 60 वाट - 7.10 रुपए + बिक्री कर

(4) जीएलएस बल्ब 100 वाट - 7.31 रुपए + बिक्री कर

सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार इन मदों की खरीद आपरेटिंग डीजीएस एंड डी दर ठेके पर की जानी होती है। डीजीएस एंड डी दर ठेके पर खरीदी गई मदों का निरीक्षण सुपुर्दगी से पूर्व निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही जल विद्युत परियोजनाएं

2003. श्री भीम दाहाल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाये गये है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में स्वीकृति प्राप्त चल रही विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता, क्रियान्वयन एजेंसियों, लागत अनुमानों, खर्च की गयी राशि और चालू करने का कार्यक्रम आदि के ब्यौरों को दर्शाते हुए एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं के शुरू होने में विलम्ब के कारण ये हैं, भूमि अधिग्रहण व पर्यावरणीय मुद्दे, भू-विज्ञान संबंधी समस्याएं, कानून व्यवस्था/उपद्रव, कमजोर अवस्थापना, पत्र-व्यवहार सम्पर्क, काम का समय अपेक्षाकृत कम होना तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुभव किए जा रहे संसाधन संबंधी दबाव आदि।

विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय ने जून, 2001 में केन्द्रीय क्षेत्र में नयी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए त्रिस्तरीय प्रक्रिया आरंभ की। चरण-1 के अंतर्गत सर्वेक्षण तथा जांच और पूर्व शक्यता रिपोर्ट से संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं। जबकि विस्तृत जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी, निर्माण पूर्व कार्यकलाप और अवस्थापनागत विकास से संबंधित कार्यकलापों को चरण-2 में कवर किया जाता है। सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन के पश्चात् वास्तविक परियोजना निष्पादन का चरण-3 में कवर किया जाता है।

विद्युत मंत्रालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम में राज्य सरकारों के लिए संसाधनों के गैर-समाप्य पूल से निधियां जारी करने की सिफारिश करता है ताकि इन राज्य सरकारों की संसाधन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।

विवरण

उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में स्वीकृति प्राप्त और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य/क्रियान्वयक एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अभी तक/अक्तूबर, 2001 तक किए गए व्यय (करोड़ रुपये)	चालू होने की तिथि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	रंगानदी अरूणाचल प्रदेश नीपको	3×135= 405	1455.45	1347.10	2001-02	-
2.	तुरियल मिजोरम नीपको	2×30=60	368.72	51.48	1/2006 7/2006	-
3.	कोपिली चरण-2 असम नीपको	1×25=25	76.09	52.61	7/2003	-
4.	लोकतक डी/एस मणिपुर एनएचपीसी	3×30=90	578.62	15.04	6/2006	
5.	तीस्ता-5 सिक्किम एनएचपीसी	510	2108.04	228.93	2/2007	-

1	2	3	4	5	6	7
	राज्य क्षेत्र					
6.	कारबी लांग्पी असम एएसईबी	2×50= 100	267.27	134.61 (मार्च, 2000 तक)	2003-04	निधियों की कमी
7.	जनश्री असम एएसईबी	15×1.33 =20	70.00	39.77 (मार्च, 2001 तक)	2002-03	निधियों की कमी
8.	लिकिम रो जागालैंड विद्युत विभाग	3×8=24	215.88	191.16 मार्च, 2001 तक)	2001-02	यूनिट-1 और 2 को रोल कर ली गयी हैं
9.	रोलेप चरण-1 सिक्किम विद्युत विभाग	2×4.5=9	45.00	1.26 (मार्च, 2000 तक)	2003-04	

कम्प्यूटरीकृत टिकट आरक्षण प्रणाली

2004. श्री ए.के. मूर्ति : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में राज्यवार ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं जहां कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण प्रणाली की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्या निकट भविष्य में शेष रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 15.11.2001 की स्थिति के अनुसार 670 स्थलों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र कार्य कर रहे थे। इनमें स्टेशनों, शहर के भीतर सैटेलाइट स्थल और बाहर स्थित गैर-रेल शीर्ष स्थल शामिल हैं।

(ख) से (घ) कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है। धन की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक स्टेशनों पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिन 670 स्थलों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके अलावा, 99 अतिरिक्त स्टेशनों पर भी इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

ताराघर (प्लैनिटेरियम) की स्थापना

2005. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से देश में ताराघरों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) देश में इस समय स्थान-वार कितने ताराघर हैं; और

(घ) प्रतिवर्ष अनुमानित कितने विदेशी और स्वदेशी पर्यटक इन ताराघरों को देखने आते हैं और ताराधर-वार इनसे कितनी वार्षिक आय होती है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, मुख्यत: विज्ञान संग्रहालयों तथा विज्ञान केन्द्रों आदि जैसे व्यापक कार्यकलापों के माध्यम से विशेषत: विद्यार्थियों तथा सामान्यत: नागरिकों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने का कार्य करता है। इस समय देश में और कोई

तारामंडल स्थापित करने का कई प्रस्ताव नहीं है। देश में 29 विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र हैं और नागपुर तथा कालीकट स्थित विज्ञान केन्द्रों में ही विज्ञान संग्रहालय के भाग के रूप में तारामंडल हैं। राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं तथा निजी उद्यमियों/न्यासों ने भी तारामंडल स्थापित किए हैं। ये तारामंडल विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए स्थापित नहीं किए गए हैं। जहां तक नागपुर और कालीकट स्थित विज्ञान केन्द्रों का संबंध है, वर्ष 2000-2001 के दौरान विदेशियों सहित 3.27 लाख दर्शक नागपुर और कालीकट स्थित इन विज्ञान केन्द्रों को देखने आए जिनसे 26.75 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ।

पतरातू-चांडिल रेल लाइन का निर्माण

2006. श्री राम टहल चौधरी :
प्रो. दुखा भगत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बरकाकाना के रास्ते पत्तरातू और चांडिल के बीच नई रेल लाइन बिछाने के बारे में कोई कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन-कौन से कार्य किए गए हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं। पतरातू इकहरी लाइन से बरकाकाना के रास्ते चांडिल से पहले से ही जुड़ा है। बहरहाल, इस लाइन के दोहरीकरण के लिए एक सर्वेक्षण रेल बजट 2001-2002 में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही परियोजना पर आगे कार्रवाई करना संभव होगा।

समान नागरिक संहिता

2007. श्री बृजलाल खाबरी :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक समान सिविल संहिता बनाने के लिए संविधान में अधिकथित निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के प्रश्न में आवश्यक रूप से अल्पसंख्यकों की स्वीय विधियों में परिवर्तन किया जाना अंतर्ग्रस्त है। सरकार की यह नीति है कि इन विधियों में कोई परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक कि उन समुदायों से उसके लिए कोई पहल नहीं की जाती है। तथापि, स्वीय विधियों में सुधार इन पहलों के आधार पर किए जाते हैं। सरकार ने हाल ही में इस दिशा में अनेक उपाय किए हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 2001 का अधिनियमन और प्रवर्तन तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 का संशोधन करने के लिए विधेयक का पुरःस्थापन भी है।

एलपीजी बोटलिंग संयंत्र की क्षमता

2008. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एलपीजी की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एलपीजी बोटलिंग की क्षमता से संतुष्ट है;

(ग) यदि हां, तो एलपीजी की जितनी मांग है उसकी तुलना में एलपीजी बोटलिंग की क्षमता कहां तक कम है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) स्वदेशी उत्पादन आयातों, जिनमें समानांतर विपणन प्रणाली (पीएमएस) के तहत निजी पक्षकारों से हुई उपलब्धता शामिल है, के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान एलपीजी उपलब्धता लगभग 7941 टीएमटी होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों ने देश में डिब्बा बंद एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त एलपीजी भरण क्षमता स्थापित कर ली है तथा भविष्यगत डिब्बा बंद एलपीजी की मांग को पूरा करने के लिए भरण क्षमता में वृद्धि करने हेतु योजनायें तैयार कर ली हैं।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2009. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 650 मेगावाट वाली नाफ्था आधारित हैदराबाद मेट्रो सीसीपीपी परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अनुदेश देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने नाफ्था की अधिक लागत को देखते हुए इस परियोजना के लिए वैकल्पिक ईंधन की आपूर्ति हेतु भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) हैदराबाद मैट्रो संयुक्त साइकिल परियोजना (650 मेगावाट) को प्रारंभ में मुख्य ईंधन नेप्था के साथ परिकल्पित किया गया था। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तदनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी थी। तथापि, नेप्था् की लागत उच्च होने के कारण परियोजना प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। एनटीपीसी ने इन परियोजनाओं के उपयोग हेतु विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों का आंतरिक अध्ययन भी कर लिया था। अध्ययन कार्य से यह उजागर हुआ है कि ईंधन के रूप में नेप्था/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस प्रस्तावित संयंत्र के लिए व्यवहार नहीं है क्योंकि विद्युत उत्पादन की लागत 4 रुपये/यूनिट से अधिक होने की संभावना होगी जिससे इस प्रकार के विद्युत संयंत्र से टैरिफ खर्चीली हो जाएगी।

इस परियोजना के लिए कृष्णा-गोदावरी बेसिन से घरेलू गैस अत्यधिक मितव्ययी ईंधन होगा लेकिन इस स्रोत से लिंकेज प्राप्त करने की संभावना बहुत कम तथा अनिश्चित है। घरेलू स्रोतों से गैस के कुछ विकल्प जैसे कोल बेड मीथेन और गैस हाइड्रेट की जांच की गयी थी लेकिन वर्तमान में इन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों की मांगें

2010. श्री पी.सी. थामस : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों की ओर से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और उनके संगठनों की मांगों पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिक संगठनों से उनकी विभिन्न मांगों के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन मांगों पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठकों, सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि और रक्षा मंत्री की समिति में चर्चा की जाती है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायत को दूर करने के लिए प्रत्येक मामले में यथापेक्षित कार्रवाई की जाती है।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में बड़ी मात्रा में और भारी पार्सलों की बुकिंग

2011. श्री मंजय लाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने लम्बी दूरी की एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की कुछेक "ब्रेक वेन" को मैग्जीन दरों पर बुक करने की अनुमति दी है जो बहुत कम दर पर दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन ब्रेक वैनों में मैग्जीन की बुकिंग की बजाए, बड़ी मात्रा में और भारी अन्य पार्सलों की बुकिंग दिल्ली मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत से की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या ब्रेक वैनों में निर्धारित क्षमता से अधिक भार लादा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। एस.एल.आर. को पट्टे पर देने की योजना के अन्तर्गत पट्टेधारक

को यह अधिकार होता है कि वह पट्टे पर दिए गए स्थान का कैसे भी उपयोग करे और सभी प्रकार के पार्सलों का लदान कर सके। बड़ी मात्रा में तथा भारी पैकेजों के लदान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः मिलीभगत का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ब्रेकवैनों में अधिक लदान का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय रेलों तथा सतर्कता विभाग द्वारा नियमित जांचें की जा रही हैं। अक्तूबर, 2001 तक 61 जांचें की गईं जिसमें पट्टाधारकों से अधिक लदान के लिए मालभाड़ा जुर्माने के रूप में 3.17 लाख रुपए वसूल किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विधि शिक्षा

2012. श्री निखिलानन्द सर: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व भर में नई प्रवृत्तियों से उत्पन्न बढ़ती हुई चुनौतियों के मद्देनजर देश में सतत और सुव्यवस्थित विधि शिक्षा देने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने 24 और 25 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के संबंध में अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा रखे गए सुझाव पर विचार किया था। परिषद् की यह राय थी कि इस विचार को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया जाए और वकीलों के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के बारे में उपायों का पता लगाया जाए।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् पूर्व में विधिक शिक्षा के मानकों में सुधार करने का प्रयास करती रही है। परिषद् ने हाल ही में एल.एल.बी. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए विहित पाठ्यचर्या को, इसे पूरी तरह पुनरीक्षित करते हुए और अनेक ऐसे नए विषयों को, जो सुसंगत और उपयोगी हैं, आरंभ करते हुए पुनरीक्षित किया था। पूर्वोत्तर पाठ्यक्रम को लगभग दो दशक पूर्व तैयार किया गया था और परिषद् ने यह महसूस किया कि हो रहे वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए यह बदलते परिवेश के अनुरूप नहीं है।

एल.एल.बी. के लिए आरंभ की गई पाठ्यचर्या विधिक शिक्षा के व्यावहारिक प्रशिक्षण के पहलुओं को अधिक महत्व देती है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की स्कीम परिषद् द्वारा ऐसी रीति में बनाई गई है कि यह विधि छात्रों को पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के दौरान, जो वे करते हैं, अत्यंत आवश्यक वृत्तिक प्रशिक्षण देती है।

बंगलौर के चारों ओर मेट्रो रेल

2013. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एशिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहर बंगलौर के चारों ओर मैट्रो रेल के निर्माण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए 950 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार

2014. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999, 2000 और 2001 के दौरान आज तक देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के कुछ और भंडारों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लि. (ओ.आई.एल.) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा नई हाइड्रोकार्बन खोजों का स्थान-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

ओएनजीसी/ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा वर्ष 1999, 2000, 2001 (आज तक) के दौरान हाइड्रोकार्बन खोजें

क्र.सं.	खोज का नाम	बेसिन	राज्य
1	2	3	4
	ओएनजीसी		
1.	उत्तरी सरभान	कैम्बे	गुजरात
2.	अखोलजुनी	कैम्बे	गुजरात
3.	नामबर	ऊपरी असम	असम
4.	सफराई	ऊपरी असम	असम
5.	बी-105	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
	2000		
6.	श्रीगत्तापल्ले	केजी	आंध्र प्रदेश
7.	लक्ष्मेश्वरम	केजी	आंध्र प्रदेश
8.	सुर्यारावपेटा	केजी	आंध्र प्रदेश
9.	गोपावरम	केजी	आध्र प्रदेश
10.	सदरा	कैम्बे	गुजरात
11.	टीपी	एएएफबी	त्रिपुरा
12.	तिचना	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
13.	डब्ल्यूओ-24	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
14.	बीआरसी	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
15.	जीके-39	कच्छ अपतट	पश्चिमी तट
16.	ईडी-4	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
17.	बी-14	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
18.	केडी-1	केजी-अपतट	पूर्वी तट
	2001		
19.	कंजीरंगुडी	कावेरी	तमिलनाडु
20.	पीबीएस	कावेरी	तमिलनाडु
21.	पेनडूरू	केजी	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4
22.	कतपुर*	कैम्बे	गुजरात
23.	चकलसी*	कैम्बे	गुजरात
24.	पानीडिहिंग	ऊपरी असम	असम
25	नजीरा-2*	ऊपरी असम	असम
26.	डो-31	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
27.	जीडी-1*	केजी अपतट	पूर्वी तट
28.	बोएसई-2	मुंबई अपतट	पश्चिमी तट
	ओआईएल		
	1999		
1.	मोरन दक्षिणी	ऊपरी असम	असम
2.	उत्तरी तमुलीखाट	ऊपरी असम	असम
	2000		
3.	बालीजान	ऊपरी असम	असम
4.	कुहैबारी	ऊपरी असम	असम
	2001		
5.	मोरन उत्तरी	ऊपरी असम	असम
6.	शलमारी इओसीन	ऊपरी असम	असम
7.	उरयामगुडी	ऊपरी असम	असम
	निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	1999		
1.	राव्वा उपग्रह गैस खोजें	कृष्णा गोदावरी अपतट	पूर्वी तट
2.	गुडा-2	राजस्थान	राजस्थान
	2000		
3	लक्ष्मी	कैम्बे अपतट	पश्चिमी तट
4.	अम्बे	कैम्बे अपतट	पश्चिमी तट
5.	गौरी	कैम्बे अपतट	पश्चिमी तट

*मूल्यांकनाधीन खोजें

1	2	3	4
	2001		
6.	संभावना 'एच'	राजस्थान	राजस्थान
7.	अन्नापूर्णा (संभावना आर)	कृष्णा गोदावरी अपतट	पूर्वी तट
8.	संभावना 'पी'	कृष्णा गोदावरी अपतट	पूर्वी तट
9.	संभावना 'एम'	कृष्णा गोदावरी अपतट	पूर्वी तट
10.	पार्वती	कैम्बे अपतट	पश्चिमी तट

[हिन्दी]

विधि आयोग की सिफारिश

2015. श्री रामदास आठवले : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश में न्यायाधीशों और जनसंख्या का अनुपात क्या है;

(ख) क्या विधि आयोग ने देश में एक लाख जनसंख्या पर कम से कम 50 न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) इस समय देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर 13.08 न्यायाधीश हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। ग्यारहवें विधि आयोग ने जुलाई, 1987 में ''मेनपॉवर प्लानिंग इन जुडिशियरी : ए ब्लू प्रिंट'' पर अपनी 120वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह संप्रेक्षण किया था कि भारत में न्यायिक अधिकारियों की पद-संख्या कतिपय अन्य देशों में उनकी पद-संख्या की तुलना में बहुत कम है। आयोग ने यह सिफारिश की कि प्रति दस लाख जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीशों की वर्तमान पद-संख्या को चरणबद्ध रीति में बढ़ाकर प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश किया जाए।

जिला/अधीनस्थ न्यायालयों ने न्यायाधीशों की पद-संख्या संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा नियत किए गए मानदंडों के आधार पर निकाली जाती है। सहायक कर्मचारिवृंद सहित न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों का सृजन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन पदों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/उच्च न्यायालयों द्वारा उनके नियमों और प्रक्रिया के अनुसार भरा भी जाता है। विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि किए जाने की सिफारिश की गई थी, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/उच्च न्यायालयों को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित कर दी गई थी।

[अनुवाद]

कारपोरेट उत्कृष्टता केन्द्र

2016. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित एक कार्य बल ने देश में 'कारपोरेट उत्कृष्टता केन्द्र' की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हैदराबाद में इस केन्द्र की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को आन्ध्र प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों से उनके राज्यों में इस केन्द्र के गठन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस मामले में अभी तक कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

2017. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुजा बंधुओं ने आंध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस परियोजना में राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) मैसर्स हिंदुजा नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएनपीसीएल) द्वारा आंध्र प्रदेश में प्रवर्तित की जा रही विशाखापट्नम ताप विद्युत परियोजना (1040 मेवा) को 943.75 मिलियन अमेरिकी डालर + 1324.993 करोड़ रुपये (एक अमेरीकी डालर = 35 रुपये की दर से) की अनुमानित संपूर्ण लागत पर 25 जुलाई, 1996 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सरकार ने दिनांक 16.5.1998 को एक संशोधित पद्धति के जरिये इस परियोजना को प्रति गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया है। भारत सरकार की प्रति गारंटी परियोजना को 19 अगस्त, 1998 को जारी कर दी गई है। प्रतिगारंटी प्रदान करते समय आन्ध्र प्रदेश सरकार को सलाह प्रदान की गई है कि ताकि भारत सरकार द्वारा विद्युत खरीद समझौते की आगे जांच नहीं की जाएगी इसलिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय समापन से पूर्व टैरिफ की युक्तिसंगतता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा। मैसर्स एचएनपीसीएल ने आंध्र प्रदेश सरकार/आन्ध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन को सुनिश्चित वित्तीय पैकेज दो भागों में नवम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह और दिसम्बर, 1999 की दूसरे सप्ताह में प्रस्तुत कर दिया है। सुनिश्चित वित्तीय पैकेज, जो कि वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश सरकार/आन्ध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन के जांचाधीन है, को आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशों के साथ केविप्रा को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे परियोजना की पूंजीगत लागत में कमी करने, जैसा कि प्रतिगारंटी प्रदान करने हेतु संशोधित पद्धति के अंतर्गत अपेक्षित है, के लिए समझौता वार्ता कर रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में रसोई गैस डीलरों/वितरण केन्द्रों के खिलाफ शिकायतें

2018. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन शिकायतों के आधार पर कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के वितरण अधिकार निरस्त किये गये?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां, गत 3 वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 58 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 3676 एलपीजी वितरकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं और डीलरशिप करार/विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार चूककर्ता डीलरों/एलपीजी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान, प्राप्त शिकायतों के आधार पर एक खुदरा बिक्री केन्द्र और 2 एलपीजी वितरक केन्द्रों को रद्द किया गया था।

डीलर चयन बोर्ड

2019. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री सुरेन्द्र सिंह बरवाला :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री राजो सिंह :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने डीलर चयन बोर्ड हैं;

(ख) उन्हें निर्दिष्ट मार्गदर्शी-सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीलर चयन बोर्डों का कार्यकरण अंतिम रूप से रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी डीलर चयन बोर्डों द्वारा अपना कामकाज कब से शुरू कर देने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) देश में डीलर चयन बोर्डों (डीएसबीज) की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों/एसकेओ-एलडीओ डीलरों के चयन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

तेल कंपनियां विपणन योजनाओं में सम्मिलित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए स्थानों के संबंध में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन देती हैं। आवेदन पत्रों की जांच के बाद डीलर चयन बोर्ड पात्र उम्मीदवारों का योग्यता पर चयन के लिए साक्षात्कार लेते हैं। उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गये हैं:-

(क) व्यक्तित्व, कार्य व्यापार और विक्रय कला योग्यता

(ख) वित्त जुटाने की क्षमता

(ग) शैक्षिक योग्यता और बुद्धिमत्ता का सामान्य स्तर

(घ) बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं (भूमि, गोदाम, प्रदर्शन कक्ष आदि) प्रदान करने की योग्यता

(ङ) सामान्य मूल्यांकन

दिशानिर्देशों के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आरक्षण निम्नवत होगा:

(1) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अ.जा./अ.ज.जा.)	25%
(2) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (शा.वि.व्य.)	5%
(3) अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (अ.पु.स.)	8%
(4) रक्षा कार्मिक (र.का.)	8%
(5) स्वतंत्रता सेनानी (स्व.से.)	2%
(6) उत्कृष्ट खिलाड़ी (उ.खि.)	2%
(7) सामान्य (सा.)	50%

उपर्युक्त श्रेणी में 33 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उस श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

(ग) से (ङ) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच पूरी होने तक जम्मू और कश्मीर, इलाहाबाद-1, लखनऊ-1, आगरा-1, आगरा-2, हिमाचल प्रदेश, भोपाल-1, भोपाल-2, जबलपुर-1, जबलपुर-2, रायपुर, पटना-4 और गोवा में डीलर चयन बोर्डों द्वारा चयन प्रक्रिया मार्च/अप्रैल, 2001 में निलंबित कर दी गई।

डीलर चयन बोर्ड चेन्नई-1, चेन्नई-2, कोयम्बटूर और मदुरई द्वारा लिए गए सारे साक्षात्कार अस्थायी रूप से स्थगित रखे गए हैं।

डीलर चयन बोर्ड इलाहाबाद-1 और पटना-4 द्वारा चयन की प्रक्रिया क्रमश: 22.9.2001 और 26.9.2001 से आरंभ कर दी गई है। इन डीलर चयन बोर्डों को चयन प्रक्रिया दोबारा आरंभ करने के लिए समर्थ बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

देश में डीलर चयन बोर्डों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डीलर चयन बोर्डों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम और मणिपुर	1
3.	बिहार	5
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात, दमन और द्वीप और दादरा और नगर हवेली	2
8.	हरियाणा	3
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	1
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	2
13.	केरल और लक्षद्वीप	2
14.	मध्य प्रदेश	4
15.	महाराष्ट्र	4

1	2	3
16.	नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय	1
17.	उड़ीसा	2
18.	पंजाब और चंडीगढ़	2
19.	राजस्थान	3
20.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	4
21.	उत्तरांचल	1
22.	उत्तर प्रदेश	9
23.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
	योग	59

सुरक्षा का दायित्व आर.पी.एफ. को सौंपना

2020. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेलगाड़ियों और स्टेशन के प्लेटफार्मों पर यात्रियों की सुरक्षा के दायित्व को राजकीय रेल पुलिस के स्थान पर रेल सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का कानून में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, सरकार भेद्य क्षेत्रों में पैसेंजर गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा प्लेटफार्मों पर अधिक नियंत्रण तथा सामान्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेल पुलिस बल को अधिक जिम्मेदारी सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जी हां। लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि विभिन्न-मंत्रालय/विभागों के साथ परामर्श के पश्चात् ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

[अनुवाद]

विद्युत-प्रशुल्क के संबंध में प्रभाकरन समिति की रिपोर्ट

2021. श्री नरेश पुगलिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत-प्रशुल्क संबंधी प्रभाकरन समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक समान विद्युत-प्रशुल्क नीति लागू करने का निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी घोषणा कब तक किये जाने का अनुमान है और इसे कब लागू किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कुटुम्ब न्यायालय

2022. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या विधि, न्याय और **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को और अधिक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) वर्तमान में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने कुटुम्ब न्यायालय हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार आवधिक रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से और अधिक कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का अनुरोध करती रही है। हाल ही में, न्याय विभाग में 30.12.2001 को हुई सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विधि/गृह सचिवों के सम्मेलन में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से और अधिक कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) अब तक 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह रिपोर्ट किया है कि कुटुम्ब संबंधी विवादों पर कार्यवाही करने के लिए उनके पास अपने रूढ़िजन्य न्यायालय हैं जिनमें अधिक मुकदमें नहीं है। अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दादरा और नगर हवेली जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए अपेक्षित जनसंख्या नहीं है और कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त संख्या में मामले नहीं हैं। त्रिपुरा में उपखंडों के सक्षम न्यायालय विवाह-विषयक और कुटुम्ब संबंधों वाले मामलों का विचारण करने के लिए सशक्त हैं। छत्तीसगढ़ में अपर न्यायाधीशों के न्यायालयों को इस प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर पृथक रूप से पदाभिहित किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में कुछ और कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना किए जाने की संभावना है।

(घ) अभी तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 85 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार् है:

आंध्र प्रदेश - 7; असम - 1; बिहार - 1; गुजरात - 4; झारखंड - 4; जम्मू-कश्मीर - 1; कर्नाटक - 9; केरल - 7; महाराष्ट्र - 16; मणिपुर - 1; उड़ीसा - 2; राजस्थान - 6; सिक्किम - 1; तमिलनाडु - 6; उत्तर प्रदेश - 14; उत्तरांचल - 2; पश्चिम बंगाल - 2 और पांडिचेरी - 1

त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2023. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) केरल सरकार से तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार के लिए इस संबंध में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

विचारण हेतु अतिरिक्त न्यायालयों का खोला जाना

2024. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने विचाराधीन कैदियों के मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1734 अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने के लिए 502.90 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ सरकार ने राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को 'फास्ट ट्रैक' अदालतें संस्थापित करने का परामर्श दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि अप्रैल, 2001 तक विभिन्न राज्यों में 459 'फास्ट ट्रैक' अदालतें स्थापित की जा चुकी थीं और शेष स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में थीं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक प्रत्येक राज्य में कितनी 'फास्ट ट्रैक' अदालतें स्थापित की गई है; और

(ङ) विचाराधीन कैदियों के मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए राज्यों में और अधिक 'फास्ट ट्रैक' अदालतें स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ विचारणाधीन कैदियों के मामलों के शीघ्र विचारणों के लिए उनके अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से त्वरित निपटान न्यायालयों के नाम से ज्ञात अतिरिक्त न्यायालय आरंभ की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक देश में 862 त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित/अधिसूचित किए गए हैं। संलग्न विवरण के अनुसार इसमें से 542 न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ङ) केंद्रीय सरकार आवधिक रूप से 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों में यथापरिकल्पित और अधिक त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने से संबंधित विषय पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से बातचीत करती रही है।

विवरण

देश में विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	कार्य कर रहे न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	15
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ़	11
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	–
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू-कश्मीर	40
11.	झारखंड	–
12.	कर्नाटक	8
13.	केरल	1
14.	मध्य प्रदेश	64
15.	महाराष्ट्र	94
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	–
18.	मिजोरम	–
19.	नागालैंड	–
20.	उड़ीसा	17
21.	पंजाब	–
22.	राजस्थान	40
23.	सिक्किम	–
24.	तमिलनाडु	–
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तरांचल	30
27.	उत्तर प्रदेश	150
28.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	542

लेखन सामग्री की खरीद

2025. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा प्रतियोगी मूल्य पर लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की खरीद के जरिये अपने खर्च में और कमी लाने हेतु एक अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) में बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइटें और सी.एफ. लाइटें इत्यादि सामग्री आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित ठेका-मूल्य से भी कम दर पर उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या जोनल कार्यालय को इस सामग्री की खरीद उक्त संस्थाओं से करने के लिए कहा जाने विषयक कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सामग्री किस दर पर खरीदी जाती है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) लेखन सामग्री और अन्य मदों की खरीद क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर की जाती है और इस संबंध में अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) सामान्य सेवा बल्बों, ट्यूब लाइटों आदि जैसी मदों की खरीद सामान्यत: डीजीएस एंड डी दर संविदा पर

की जाती है। सरकारी नियमों के अनुसार डीजीएस एंड डी दर संविदा पर उपलब्ध मदों की खरीद दर संविदा पर की जानी अपेक्षित होती है। दर संविदा पर मूल्य कभी कभार एनसीसीएफ/केन्द्रीय भंडारों की दरों से विशिष्टियों, निरीक्षण, सुपुर्दगी और भुगतान खंडों आदि जैसे विभिन्न कारणों से भिन्न हो सकती है। बहरहाल, रेलें एनसीसीएफ और केन्द्रीय भंडारों से कम कीमत की वस्तुओं की खरीद करने के लिए अधिकृत हैं।

(घ) ट्यूब लाइटों और जीएलएम संविदा बल्बों की खरीद निम्नलिखित दर प्रति यूनिट (वर्ष 2001 के लिए) डीजीएस एंड डी दर संविदा के माध्यम से की जाती है:-

(1) ट्यूब लाइट 40 वाट - 34.11 रुपए + बिक्री कर

(2) ट्यूब लाइट 36 वाट - 32.81 रुपए + बिक्री कर

(3) जी एल एस बल्ब 60 वाट - 7.10 रुपए + बिक्री कर

(4) जी एल एस लैम्प 100 वाट- 7.31 रुपए + बिक्री कर

सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार इन मदों की खरीद आपरेटिंग डीजीएस एंड डी दर संविदा पर की जानी होती है। डीजीएस एंड डी दर संविदा पर खरीदी गई मदों का निरीक्षण सुपुर्दगी से पूर्व निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाता है।

आई.आर.सी.एफ. में आयातित सवारी डिब्बों का विनिर्माण

2026. श्री सुरेश कुरूप :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आर.सी.एफ. तथा अन्य भारतीय फैक्टरियां आयातित रेल सवारी डिब्बों का स्वदेश में विनिर्माण करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशों से सवारी डिब्बे आयात करने का निर्णय लिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सवारी डिब्बा कारखाना और भारत के अन्य सवारी डिब्बे कारखाने अब तक 1950 के दशक में आयातित प्रौद्योगिकी के अनुसार सवारी डिब्बों का निर्माण करते रहे हैं। यद्यपि इस प्रौद्योगिकी में उत्तरोत्तर सुधार किया गया है जिसके फलस्वरूप गति में तीव्रता और बेहतर संचलन आया है किन्तु यह सीमित अवस्था में पहुंच गई है। प्रौद्योगिकी में छलांग लगानी जरूरी थी जिससे कि गाड़ी की गति में वृद्धि हो सके और बेहतर संरक्षा निष्पादन के साथ-साथ गाड़ियां लंबी दूरी तय कर सके। अत: भारत में नवीनतम प्रौद्योगिकी से सवारी डिब्बों को बनाने के लिए जर्मनी की मैसर्स एल्सटॉम एल.एच.बी. के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक समझौता किया गया है। फर्म ने इस प्रौद्योगिकी के 24 सवारी डिब्बे भी सप्लाई किए हैं। इस नए डिजाइन के सवारी डिब्बों का निर्माण रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला में पहले ही शुरू हो चुका है।

(ख) जी नहीं। विश्व के किसी देश से सवारी डिब्बों का और आयात करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महाराष्ट्र में मुम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2027. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर मुम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को नए सिरे से तैयार करना

2028. श्री अरूण कुमार : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को नए सिरे से तैयार करने और भारतीय प्रतियोगिता आयोग की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस नए आयोग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त आयोग कब तक अपना कार्यकरण आरम्भ कर लेगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) सरकार ने प्रतिस्पर्द्धा विधेयक, 2001 को लोक सभा में 6.8.2001 को पुरस्थापित कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 को हटाए जाने का प्रावधान है तथा भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सी.सी.आई.) के माध्यम से अधिनिर्णयकारी राहत मशीनरी स्थापित करने के लिए भी प्रावधान है जो एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। सी.सी.आई. का एक अध्यक्ष होगा तथा दो या दो से अधिक सदस्य होंगे तथा अधिक से अधिक दस अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित होंगे।

सी.सी.आई. को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी।

* 'सीज एंड डेजिस्ट' आदेश जारी करना;
* प्रत्येक मामले में ऐसी अन्तरिम राहत मंजूर करना जो आवश्यक होगी;
* प्रतिपूर्ति राशि देना;
* दोषी पर जुर्माना लगाना;
* बड़े उपक्रम के विभाजन का आदेश देना;
* अविलयन के आदेश की शक्ति;
* फालतू शिकायतों के लिए कीमत के आदेश की शक्ति।

अन्य में, सी.सी.आई. को वकालत, जांच और अभियोजन की शक्ति भी प्राप्त होंगी।

एन.एफ.डी.सी. द्वारा फिल्मों को उपशीर्षक दिया जाना

2029. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) ने चेन्नई में फिल्मों, वृत्तचित्रों और धारावाहिकों के वीडियो संस्करण में उपशीर्षक देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माता एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से इन्हें विभिन्न देशों में बेच सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा-क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अक्तूबर, 2001 से फिल्मों और वृत्तचित्रों के वीडियो रूप में उपशीर्षक देने की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विदेशी अधिकार प्राप्त करके फिल्मों का विपणन करता है जिसके लिए यह कमीशन वसूल करता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम दूरदर्शन और अन्य उपग्रहों चैनलों पर प्रसारण के लिए रायल्टी आधार पर भारतीय फिल्मों के अधिकार भी क्रय करता है।

वर्ग 'क' की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2030. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह 'क') की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% है (अनुसूचित जातियां - 8.41 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां - 2.27 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') की सेवाओं में यह केवल 13.20 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां - 9.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां - 3.52 प्रतिशत) है जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो इनके मंत्रालय के सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों, सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्तशासी संगठनों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') और इनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 - स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंटरनेट पर उच्च न्यायालयों की कार्यवाही

2031. श्री मंजय लाल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उच्च न्यायालयों में विचार किए मामले की कार्यवाहियों तथा अन्य दिन प्रतिदिन की सूचना को इंटरनेट पर देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह सूचना कब तक इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सूचना केंद्र से उपलब्ध जानकारी के अनुसार नए सृजित तीन उच्च न्यायालयों के सिवाए, 18 उच्च न्यायालय निकनेट/इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इन उच्च न्यायालयों की मुकदमा सूचियां इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा मुकदमा लड़ने वालों और अधिवक्ताओं के लिए मामले की स्थिति की जानकारी भी इंटरनेट पर या पूछताछ/सहायता केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है।

रेल सुरक्षा बल और सरकारी रेल पुलिस के बीच समन्वय

2032. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रेल सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) और सरकारी रेल पुलिस (जी.आर.पी.) के बीच समन्वय की देखरेख के लिए एक केन्द्रक अभिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बलों द्वारा असहयोग की अपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पोस्ट, मंडल और क्षेत्रीय रेल स्तरों पर रा.रे.पु. और रे.सु.ब. के बीच समुचित समन्वय बनाये रखने के लिए अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं। अनुदेशों के कार्यान्वयन की बोर्ड स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अतः यह कहना सही नहीं है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है।

बंगाल बेसिन में तेल और गैस के भंडार

2033. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बंगाल बेसिन में तेल और गैस के एक विशाल भंडार होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी गैर-सरकारी एजेंसी को इनका दोहन करने के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) बंगाल बेसिन में अभी तेल और गैस के किसी भंडार का पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग) नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति (एन.ई.एल.पी.) के प्रथम दौर के अंतर्गत, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) - ओ.ए.ओ. गाजप्राम के परिसंघ तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड - निको रिसोर्सिस लिमिटेड के परिसंघ के साथ अप्रैल 2000 में उत्तर-पूर्व तटीय अपतट में क्रमशः एन.ई.सी.-ओ.एस.एन.-97/1 और एन.ई.सी.-ओ.एस.एन.-97/2 नामक दो अन्वेषण ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, एन.ई.एल.पी. के द्वितीय दौर में, बंगाल बेसिन में दो अन्वेषण ब्लाकों, एक अभितट में डब्ल्यूबी-ओएनएन-2000/1 तथा दूसरा अपतट में डब्ल्यूबी-ओएसएन-2000/1 के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) तथा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) के परिसंघ के साथ जुलाई, 2001 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद स्पर्धाओं का विपणन

2034. श्री सुरेश कुरूप : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान दूरदर्शन को खेलकूद विपणन संघ के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं के विपणन में 140.88 करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2000-01 के दौरान उक्त हानि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि खेल-कूद विपणन संघ 1999-2000 में प्रचलन में नहीं था। इससे आगे सूचित किया है कि दूरदर्शन को वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान कोई हानि नहीं हुई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदारबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4503/2001]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमिनियम) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 703(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध आहार) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 705(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लागत लेखा अभिलेख (विनिर्मितियां) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) लागत लेखा अभिलेख (खुली औषधियां) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 707(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) लागत लेखा अभिलेख (सीमेन्ट) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) लागत लेखा अभिलेख (साइकल) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) लागत लेखा अभिलेख (कक्ष वातानुकूलक) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 713(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सेल बैटरी से भिन्न बैटरी) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) लागत लेखा अभिलेख (विद्युत लैम्प) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) लागत लेखा अभिलेख (विद्युत पंखे) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) लागत लेखा अभिलेख (विद्युत मोटर्स) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 717 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) लागत लेखा अभिलेख (मोटरयान) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 718(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) लागत लेखा अभिलेख (चीनी) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 719(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) लागत लेखा अभिलेख (जूट का माल) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) लागत लेखा अभिलेख (कागज) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 722(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) लागत लेखा अभिलेख (रेयन) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) लागत लेखा अभिलेख (रंजक) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) लागत लेखा अभिलेख (सोडा क्षार) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 725(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) लागत लेखा अभिलेख (नायलोन) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 726(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) लागत लेखा अभिलेख (पालिएस्टर) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) लागत लेखा अभिलेख (सूती वस्त्र) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताइस) लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सेल बैटरी) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) लागत लेखा अभिलेख (सल्फ्यूरिक अम्ल) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) लागत लेखा अभिलेख (इस्पात ट्यूब और पाइप) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) लागत लेखा अभिलेख (विद्युत केबल और विद्युत चालक) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) लागत लेखा अभिलेख (वेयरिंग) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) लागत लेखा अभिलेख (रासायनिक उद्योग) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 735(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) लागत लेखा अभिलेख (इस्पात संयंत्र) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 736(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) लागत लेखा अभिलेख (कीटनाशी) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) लागत लेखा अभिलेख (उर्वरक) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) लागत लेखा अभिलेख (साबुन और अपमार्जक) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 739(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) लागत लेखा अभिलेख (प्रसाधन और प्रसाधन सामग्री) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) लागत लेखा अभिलेख (जूतादि) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) लागत लेखा अभिलेख (शेविंग सिस्टम) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतालीस) लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक गैसेज) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बयालीस) लागत लेखा अभिलेख (खनन तथा धातुकर्म) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 744(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेंतालीस) लागत लेखा अभिलेख (इलैक्ट्रानिक उत्पाद) संशोधन नियम, 2001 जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4504/2001]

(2) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 946(अ) जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 2001 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में

नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4505/2001]

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत 30वां वार्षिक प्रतिवेदन जो 1 जनवरी, 2000 से 31 दिसम्बर, 2000 तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4506/2001]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विलायक, रैफिनेट, और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2001 जो 21 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 856(अ) के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4507/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4508/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

याचिका समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01 $^1/_2$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 21 अगस्त, 2001 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 3 दिसम्बर, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयकों की पुरःस्थापना, विचार और पारित करना :-

    (*i*) वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

(ii) वर्ष 1998-99 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें

(iii) वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

(iv) वर्ष 1998-99 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)

3. वर्ष 2001-2002 के लिए मणिपुर बजट पर सामान्य चर्चा।

4. वर्ष 2001-2002 के लिए अनुदानों की मांगें (मणिपुर) पर चर्चा और मतदान।

5. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(i) बहु राज्यीय सहकारी सोसायटी विधेयक, 2000

(ii) राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2001

(iii) राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक, 2001

6. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात इन अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना:-

(i) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2001

(ii) पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001

7. माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति के लिए सदन का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प:

(i) 1991 का सी.ए. संदर्भ सं. 2 में निजी सचिवों (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों के विलय किए गए ग्रेड क और ख) को विशेष वेतन प्रदान करना।

(ii) 1992 के सी.ए. संदर्भ सं. 11 में आशुलिपिक ग्रेड "घ" के ग्रेड के वेतनमान में वृद्धि करना।

(iii) 1981 के सी.ए. संदर्भ सं. 6 में समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन करना।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) मुम्बई में स्थित माटूंग और परेल रेलवे वर्कशाप तथा महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के अंतर्गत कुर्डबाड़ी में स्थित रेलवे वर्कशाप का जीर्णोद्धार किए जाने से संबंधित विषय।

(2) कुर्डवाडी रेलवे स्टेशन पर रेलवे बुकिंग की स्थापना किए जाने, वहां पर गुड्ज शटल ट्रेन रुकने के परिणामस्वरूप यात्रियों को जो असुविधा होती है, उसको दूर किए जाने के लिए नए प्लेटफार्म की स्थापना किए जाने और वहां से गुजरने वाली विशेषकर चेन्नई मेल में स्लीपर क्लास में बर्थों का कोटा बढ़ाए जाने से संबंधित विषय।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ा जाए—

1. भारत के संपूर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु जैसे उन्हें आवास, विद्युत, पथ, पीने का पानी, पक्की गली निर्माण, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा आदि कर्ज देने के लिए प्राथमिकता तय कर क्रमबद्ध विशेष अभियान चलाया जाए जिससे पांच वर्षों में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष अभियान प्रारम्भ किया जाए।

2. संपूर्ण भारत के किसानों की माली हालत को देखते हुए एक एकड़ तक के कृषकों के ऋण 10,000 रुपए तक माफ किया जाए और उन्हें निशुल्क ट्यूबवैल विद्युत सहित सिंचाई हेतु राशि दी जाए जिससे उनकी हालत सुधर सके।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

(एक) पाम ऑयल पर आयात शुल्क कम किया जाना और इससे देश के नारियल उत्पादक किसानों पर पड़ रहे प्रतिकूल असर।

(दो) रबर के मूल्यों में भारी गिरावट।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए–

1. भारत सरकार की एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा चिन्हित 100 सर्वाधिक पिछड़े जिलों के चहुंमुखी विकास हेतु कार्य योजना के संबंध में।

2. देश के अनुसूचित जाति/जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के हित में अन्य दो विवादास्पद ओ.एम. को संविधान संशोधनों से हटाने के संबंध में।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:–

(एक) माइका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वर्ष 1994 में माइन्स एण्ड मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन के साथ विलय कर दोनों को एक डिवीजन बना दिया गया। कर्मचारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण 1987 से नहीं किया गया है। माइका डीविजन के कर्मचारियों का वेतनमान एम.एम.टी.सी. के कर्मचारियों के वेतनमान समतुल्य होने चाहिए।

(दो) बेरोजगारी दिन-दुनी और रात-चौगुनी बढ़ रही है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं–

1. वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा घोषित किए गए अभयारण्यों की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले गांवों जिनमें विशेषकर अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं वहां के लोग बहुत परेशान हैं। 1980 के पूर्व से कब्जे होने के बाद भी उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी रोज उन्हें परेशान करते हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु चर्चा की आवश्यकता।

2. देश, विशेषकर मध्य प्रदेश में बिजली संकट के कारण किसानों को बिजली नहीं मिलने के कारण, खेतों में पलेवा नहीं कर पा रहे हैं जिससे हजारों हैक्टेयर जमीन बिना बोई पड़े रहने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस गंभीर समस्या पर चर्चा की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए:–

(एक) हज यात्रियों को और सेवाएं उपलब्ध कराने, और उड़ानें शुरू करने, उड़ानों का समय सुनिश्चित करने, वित्तीय सहायता बढ़ाने और अधिक यात्रियों के हज की पवित्र यात्रा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को एक रैंक-एक पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा। सरकार को एक रैंक एक पेंशन योजना को शीघ्र लागू करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित लोकहित के विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ना चाहता हूं–

1. करीब एक वर्ष से बंद पड़े बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'ए' प्लांट को प्रतिमाह साढ़े तीन करोड़ रुपए की हानि से बचाने एवं बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में प्रस्तावित सुपर थर्मल पावर स्टेशन के कार्य को शीघ्र चालू कराने की महती आवश्यकता।

2. रेलवे लेखाकर्मियों सहित केन्द्रीय लेखाकर्मियों का वेतनमान पंचम वेतन आयोग की घोषणा के अनुरूप "माननीय मंत्रियों के समूह" के समक्ष वर्षों से लंबित मामले का निपटारा शीघ्र करने की महती आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:–

(एक) गत माह महाराष्ट्र के मालेगांव में सांप्रदायिक दंगा हुआ था जिसमें तेरह लोग मारे गए थे। दोषी लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(दो) भोपाल गैस त्रासदी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों इससे प्रभावित हुए थे, के एक दशक बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को आज तक समुचित मुआवजा नहीं मिला। उनमें बहुत से लोग उस मुआवजे से वंचित हैं जिसका उन्हें आश्वासन दिया गया था।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

(एक) मेरे संसदीय क्षेत्र के सेलम जिले में अट्टुर और थलाईवसल विधान सभा क्षेत्रों में नमक्कल जिले के मोहनुर से थलाईवसल तक नमक्कल, रासीपुरम थामंगलम होते हुए व्यापक जल योजना के लिए पर्याप्त धन आवंटन करने की आवश्यकता।

(दो) मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल्ली-हिल्स से नमक्कल शहर को जोड़ने वाले एवुमा पट्टी पंचायत-यूनियन के मुथुका में एक पुल के निर्माण के लिए और अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.11 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 8 - श्री यशवंत सिन्हा।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): *महोदय, मैं वर्ष* 2001-2002 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदान मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए संख्या** एल.टी. 4509/2001]

अपराह्न 12.12 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

अमरीकी हेलीकॉप्टर द्वारा 26 नवम्बर, 2001 को चेन्नई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया जाना

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 8(क) - श्री जार्ज फर्नान्डीज।

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, जैसाकि वायुसेना ने सूचित किया कि 26 नवंबर, 2001 को 0255 बजे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित चेन्नई हवाई अड्डे के सिविल रेडार ने चेन्नई के उत्तर में लगभग 123 कि.मी. की दूरी पर एक अज्ञात वायुयान को उड़ते हुए देखा ...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : कल आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और आज आप सुन नहीं रहे हैं ।

...(व्यवधान)

(इस समय, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यह वायुयान अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र के ऊपर 5000-6000 फुट की ऊंचाई पर लगभग 125 से 140 कि.मी. प्रति घंटे की गति से उड़ान भर रहा था।

चेन्नई के नौसेना प्राधिकारियों ने यू.एस.एस. पोत जॉन यंग को निर्धारित कार्यक्रमानुसार 26 नवंबर, 2001 को 0800 बजे चेन्नई पहुंचने की अनुमति प्रदान की थी। चेन्नई स्थित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के रेडार पर एक अज्ञात हेलिकॉप्टर का पता लगने के बारे में उनसे सूचना मिलने पर नौसेना प्राधिकारियों ने यह पुष्टि करने के लिए यू एस एस जॉन यंग से तत्काल संपर्क किया कि क्या उक्त हेलिकाप्टर ने उसी पोत से उड़ान भरी थी। यू.एस.एस. जॉन यंग ने इसकी पुष्टि हो जाने पर, भारतीय नौसेना ने पोत को निर्देश दिया कि वह हेलिकाप्टर को तत्काल अपने पोत पर वापस बुला ले, हालांकि इससे भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं हुआ था। यह हेलिकाप्टर अंततः यू.एस.एस. जॉन यंग पोत पर उस समय उतरा जब यह पोत चेन्नई तट से लगभग 60 कि.मी. की दूरी पर था।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि प्रादेशिक समुद्र और राष्ट्रीय हवाई-क्षेत्र हमारे तट से 12 समुद्री मील या 22 कि.मी. तक फैला हुआ है और इस सीमा से परे फैला समुद्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है जिसमें पोत बिना किसी प्रतिबंध के आ-जा सकते हैं।

वायुसेना, नौसेना या सिविल प्राधिकारियों या भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे यह लगता हो कि अमरीकी नौसैनिक पोत से उड़ान भरने वाले हेलिकॉप्टर ने 26 नवंबर, 2001 को भारतीय हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन किया हो।

कुछ समाचार-पत्रों की यह रिपोर्ट है कि इस हेलीकॉप्टर ने कुछ देर के लिए कल्पक्कम परमाणु संस्थापनाओं के ऊपर से उड़ान भरी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कल्पक्कम परमाणु संस्थापनाओं के ऊपर से ऐसी कोई उड़ान नहीं भरी गई।

मैं सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सरकार के पास अमरीका सहित कतिपय मित्र देशों से 'आपरेशन एड्यूरिंग फ्रीडम' के संबंध में सहायता दिए जाने के लिए विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जो अनुरोध विमानों की ऊपर से उड़ान भरने और ईंधन भरने तथा नौसैनिक पोतों द्वारा पत्तन की जरूरतों के मामले में हमारी मौजूदा नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है। ये दिशा-निर्देश युद्धक संक्रियाओं में भारत की भागीदारी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित अभियान को छोड़कर विदेशी झंडे तले संचालित भारतीय सैन्य यूनिटों या किसी विदेशी सैन्य यूनिट के लिए भारतीय भूमि पर अड्डा बनाने के प्रावधान को खारिज करते हैं।

इसी संदर्भ के मद्देनजर, अमरीकी पोत जॉन यंग को चेन्नई व्यापारिक पत्तन पर खड़ा करने की अनुमति दी गई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब 'शून्यकाल' शुरू होता है।

श्री चन्द्र विजय सिंह।

...(*व्यवधान*)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): अभी उस दिन श्री सोमनाथ चटर्जी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मुलायम सिंह यादव रात्रि भोज के लिए चले गए थे और आज वे दोपहर के भोजन के लिए निकल जाएंगे। ...(*व्यवधान*)

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): महोदय, मुरादाबाद में बिना चौकीदार वाले रेल फाटक पर हुई दुर्घटना में 15 लोग मारे गए हैं। इस रेल फाटक पर लगभग प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। महोदय, आप कृपया सुनिश्चित करें कि इस रेल फाटक पर चौकीदार तैनात हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है? क्या रेल विभाग इस प्रकार से राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में योगदान दे रहा है? उन्हें अनेक स्थानों पर स्थित ऐसे चौकीदार रहित रेल फाटकों की जगह जनसंख्या नियंत्रण के लिए इससे कुछ कम वीभत्स उपायों के बारे में सोचना चाहिए।

अपराह्न 12.17 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कथित अत्याचारों के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अभी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जो छठवीं रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है, उसमें वर्ष 2000 में अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचारों की संख्या 23,742 है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर पिछले वर्ष सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। यह संख्या 6599 है। आप जानते हैं कि अपराधों को कम करके लिखा जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। यह बहुत गंभीर मामला है।

एक सम्पूर्ण ग्राम विकास केन्द्र के नाम से एन.जी.ओ. है, उस एन.जी.ओ. ने 2020 दलित परिवारों से बात की, 11,658 लोगों से मुलाकात की, अनुसूचित जाति की 31 उपजातियों और 12 जिलों में सम्पर्क करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है, वह यह है कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 96 प्रतिशत शिकायतें तो लिखी ही नहीं जाती। उत्तर प्रदेश में अत्याचार इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ही वहां तो अपराधियों से मिलकर बनी है। मैं समझता हूं कि अपराधियों के लिए जितना अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में है, जितना अनुकूल माहौल उत्तर प्रदेश में है, उतना कभी नहीं रहा। वह इसलिए है, क्योंकि ये उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार की जो मनोवृत्ति होती है, सरकार का जो आचरण होता है, सरकार की जो शक्ल होती है, उससे समाज में गतिविधियां प्रभावित होती हैं। मेरा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि वहां जो लोग सरकार में बैठे हैं, उनका आचरण स्वयं संदिग्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो घटनाएं घटी हैं, उनमें 24 अगस्त को नवाबगंज पुलिस ने माया गौतम नाम की एक दलित महिला की थाने में पिटाई की, वह महिला कल्याणपुर गांव की रहने वाली है, उसको थाने में पीटकर बन्द कर दिया गया। अभी कल-परसों मेरठ जिले के थाना दौराला के अन्दर मटोर गांव में रहने वाला प्रभुदयाल, अनुसूचित जाति का उप-प्रधान था, उसकी हत्या कर दी और भूसे में रखकर उसको आग लगा दी। शाहजहांपुर जिले के कांट थाने के पिपरौला गांव में 35 वर्षीय दलित महिला के साथ

[श्री रामजीलाल सुमन]

सामूहिक बलात्कार हुआ और मेरे बगल में लगा हुआ क्षेत्र है, प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ये वहां के सांसद हैं, वहां फिरोजाबाद जिले के नारकी थाने के अन्तर्गत रतौली गांव है, वहां 14 अक्टूबर की रात को एक दलित बीरपाल को पुलिस लाई, उसको चार हजार रुपये में छोड़ने की बात हुई। बाद में थानाध्यक्ष पहुंचे, उसकी विधवा मां, उसकी पत्नी शीला और तीन अन्य लोगों को बेवजह संगीन धाराओं में जेल भेज दिया। यह बहुत गंभीर मामला है।

उत्तर प्रदेश की सरकार दलित विरोधी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट सदन में कभी डिसकस नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का मामला बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां जो सरकार बनी है, वह अपराधियों से सांठ-गांठ करके बनी है।

अपराह्न 12.19 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। जिस तरह से वहां की सरकार चल रही है, उसमें न तो अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और न ही पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति एवम् जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, यह कोई समाजवादी पार्टी या रामजी लाल सुमन की रिपोर्ट नहीं है। यह अनुसूचित जाति से सम्बन्धित मामला है और अनुसूचित जाति एवम् जनजाति आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया है। उसमें बाकायदा प्रमाण सहित बताया गया है। आयोग में इस बात को स्वीकार किया गया है कि वहां अपराध के मामले दर्ज नहीं होते, बावजूद इसके लगभग 25,000 केस ऐसे हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हुए हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री इकबाल से सरकार चलाते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा है। वहां सरकार की मानसिकता आपराधिक तत्वों को शह देने की है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां की सरकार में एक दर्जन मंत्री अपराधी हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की उनके सामने हिम्मत नहीं है कि कुछ कह सकें। पूरे प्रदेश में अराजकता है। आज लखनऊ अपराधियों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। वहां सत्ता की शह इन लोगों को है इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं।

सभापति जी, दिक्कत यह पैदा हो गई है कि अधिकारी भी मंत्रियों को खुश करने में लगे हुए हैं। सरकार का इतना आतंक हो गया है कि वह बाकायदा इस वर्ग की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। हमारी आपसे अपील है कि यहां से एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर वहां भेजी जाए। उसको हम कम से कम आठ-दस प्रमाण ऐसे देंगे, जिससे पता चलेगा कि कैसे वहां की सरकार अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, बलात्कार, जबर्दस्ती, हत्या और आगजनी कर रही है। जब से वहां की सरकार सत्ता में आई है, तब से पूरा अनुसूचित जाति वर्ग आतंकित हो गया है।

सभापति महोदय : मुलायम जी, आपको पता है कि शून्य काल है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम चाहते हैं कि वहां पर एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर भेजी जाए, जो देखे कि इस वर्ग के लोगों पर क्या-क्या अत्याचार हो रहे हैं।

सभापति महोदय : अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं श्री वी.एस. शिव कुमार को बुला रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वी.एस. शिव कुमार के अलावा और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : रामजी लाल सुमन जी, आपने अपनी बात कह दी है। वह रिकार्ड में आ गई है, फिर क्यों आप बोल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको अपनी बात कहने के लिए काफी समय दिया गया है। अब आप स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आठवले जी, आप भी बैठ जाएं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सभापति जी, संसद में जो भी विषय उठाये जाते हैं, सरकार उसकी गंभीरता से कॉगनीजेंस लेती है और उस पर कार्रवाई करने की बात भी करती है लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि कल यहां एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया गया था लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस विषय को फिर सुना नहीं गया। मेरा निवेदन इतना है कि कम से कम विपक्ष हमारे पक्ष को भी तो सुनने का काम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करे। जो भी विषय उठाये जाते हैं, ...*(व्यवधान)* वैसे तो यह विषय राज्य का विषय है। ...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि यह राज्य का विषेय है लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर अत्याचार देश के किसी भी हिस्से में अगर किये जाते हैं तो उस पर सरकार पूरा ध्यान देगी और उस पर कार्रवाई करेगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने कहा है और उन्होंने सूचना ग्रहण कर ली है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, नियमावली के अनुसार ...*(व्यवधान)* ऐसे मामले में इस सदन में बहस होती है। यह व्यवस्था का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी.एस. शिवकुमार : महोदय, मैं इस महीने की 9 तारीख को हुए भूस्खलन के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : चेयर सरकार को कम्पैल नहीं कर सकती। मुलायम सिंह जी, आप तो पुराने नेता हैं। सरकार ने सूचना ग्रहण कर ली है।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, यह दलितों के हितों के संरक्षण का मामला है। ...*(व्यवधान)* शून्यकाल में जो मामले उठाये जाते हैं, ...*(व्यवधान)* कल यह मामला राज्य सभा में उठा था। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मामला है। यह राज्य का मामला है, सरकार यह नहीं कह सकती, यह गलत है। ...*(व्यवधान)* दलितों के हितों की रक्षा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामजीलाल सुमन जी, आप काफी देर से बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन से कोई बात तो सुनिए। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने साफ-साफ कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में नोट कर लिया है और आपके विषय की सूचना ग्रहण कर ली है। शून्यकाल में इससे ज्यादा आप और क्या एक्सपैक्ट कर सकते हैं? शून्यकाल में सरकार के सामने शुरू से विषय नहीं रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : यह राज्य का मामला है, ऐसा वह कैसे कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं कह सकते। आप इस पर व्यवस्था दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर कहीं भी किसी भी तरह का अगर अत्याचार होता है तो सरकार उस पर पूरा ध्यान देती है। ...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन यह है कि यहां बहुत से विषय उठाये जाते हैं और विभिन्न राज्यों के उठाये जाते हैं और जब बिहार का विषय उठता है तो कहा जाता है कि न उठाया जाये परंतु हमारा कन्सर्न सबके साथ एक बराबर है चाहे वहां पर हमारी सरकार है या नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम विपक्ष भी तो हमारी बात सुनने का कार्य करे और वॉक आउट न करे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर बहस होगी या नहीं होगी? ...*(व्यवधान)* यह राज्य का विषय कैसे हो सकता है? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने यह व्यवस्था मांगी है कि अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी महिला के साथ जो अत्याचार होते हैं तो कभी केन्द्र सरकार यह नहीं कह सकती कि यह राज्य का मामला है। ये परम्पराएं हैं जो खत्म हो रही हैं। ...*(व्यवधान)* या तो आप इसे कार्यवाही से निकालिए या मंत्री जी इस शब्द को वापस लें। ...*(व्यवधान)* सरकार यह नहीं कह सकती कि यह राज्य का विषय है। ...*(व्यवधान)* यह परम्परा गलत होगी। यह व्यवस्था का सवाल है, आप व्यवस्था दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शून्यकाल में आमतौर पर सरकार के सामने पहले से विषय नहीं रहते हैं। जो विषय लिस्टेड हैं, जैसे

[सभापति महोदय]

आपने अभी उठाया और आपकी पूरी बात तो सरकार ने दर्ज की है और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट कहा है कि ऐसे मामले, एस.सी. एस.टी. पर अत्याचार या इससे संबंधित जो भी ऐसे मामले होते हैं, उस पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : राज्य सरकार का मामला है, उन्होंने यह कहा है। *...(व्यवधान)* इस पर आप व्यवस्था दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : दलितों के हितों का संरक्षण करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आगे चलकर श्री गंगवार जी ने स्पष्ट रूप से दूसरी बार जवाब दिया है और उन्होंने आपकी बात पर रैस्पांड किया है।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): आप इनसे स्पष्टीकरण मांगिए। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : ऐसी कोई बात है, तो आप कार्यवाही से निकालिए। यह आपका काम है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन में यह परम्परा रही है, यदि कोई अहम मामले होते हैं, वे आसन की अनुमति से उठाये जाते हैं अब इस मामले को खत्म किया जाए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इनकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वी.एस. शिवकुमार : सभापति महोदय, मैं इस महीने की 9 तारीख की रात को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अम्बूरी, त्रिवेन्द्रम में हुए भूस्खलन संबंधी महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं जिसमें 14 बच्चों सहित 38 व्यक्ति मारे गए थे और **60 मकान पूरी तरह ढह गए थे।**

केरल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और उनकी सम्पत्ति का इतना नुकसान हुआ है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आकलन के अनुसार तीन करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र से बड़ी संख्या में परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था और अब इन परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया है।

इसलिए, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि प्रधान मंत्री राहत कोष से अधिक से अधिक राहत स्वीकृत की जाए ताकि नए मकानों का निर्माण हो सके और पीड़ित लोगों का सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास किया जा सके। मुझे अनुकूल कार्यवाही की आशा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सारे विकास के कार्य ठप्प हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री का नाम "घोषणा नाथ सिंह" हो गया है। वे घोषणा पर घोषणा करते चले जा रहे हैं। जो भी केन्द्रीय सरकार का पैसा जाता है, उससे तनख्वाहें बांटी जा रही हैं और विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। पूरे सदन को मालूम है, सभी संसद सदस्यों को मालूम है, पूरे देश को मालूम है, प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिए बार-बार कहा गया है कि संसद सदस्यों की राय लेकर उनको सड़क दी जाएगी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों से राय नहीं ली गई और भेदभाव हो रहा है। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना में प्रत्येक ब्लाक में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपया जाता है। वहां पर जितने भी काम हो रहे हैं वे सारे कागजों पर हो रहे हैं। मैं गारन्टी के साथ कह रहा हूं, केन्द्र का पैसा है, *...(व्यवधान)* *......* हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि संसद सदस्यों की जो राशि सड़क योजना में ली जाएगी *...(व्यवधान)* अपने क्षेत्र के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। इसलिए निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में रिसपांड करें। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है*.......* यह बात आप प्रोसीडिंग्स से निकाल दीजिए, अन्यथा इसकी जांच करा दीजिए। दोनों में से एक काम कर दीजिए। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी, तो प्रोसीडिंग्स से निकाल दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में, विशेषत: मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया में गंगा और पदमा नदियों के दोनों ओर भूमि और बसावट के क्षेत्रों में क्षरण सदा आने वाली एक समस्या है। भारत सरकार के मंत्रियों सहित सभी ने यह कहा है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। अत: केंद्र सरकार को इसका निदान करना चाहिए। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस समस्या के समाधान के लिए एक निदेश दिया था। जनहित याचिका की सुनवाई के बाद 21 सितम्बर, 1999 को निर्णय दिया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच एक बैठक आयोजित की जाए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में उन्होंने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार अल्पावधि उपाय के तहत 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरण के माध्यम से सात योजनाएं चलाएगी। अनुपालन के समय निधियों की उपलब्धता का प्रश्न नहीं था। इस घटना के दो वर्ष बाद, भारत सरकार का 130 करोड़ रुपये में से केवल 6 करोड़ रुपये का ही काम हो पाया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेश का यथाशीघ्र पालन करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, नहीं तो ऐसे ही समय खत्म हो जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, मैंने आपकी ही पार्टी के श्री रघुराज सिंह शाक्य का नाम पुकार दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): सभापति महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : जी हां, आपका नोटिस है। आपका नम्बर आ रहा है, आपको बुलाएंगे। कृपया अभी आप बैठ जाइए। हम नम्बर से बुला रहे हैं, आपका नम्बर आ रहा है, आप ऐसे ही क्यों खड़े हो जाते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, मैंने आपकी ही पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य का नाम पुकार दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राम प्रसाद जी, आप बैठ जाइए, नहीं तो इस तरह से अन्य माननीय सदस्य भी खड़े हो जाएंगे।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा में बलरई रेलवे स्टेशन पर लूप लाईन बना दी गई है, इस कारण से वहां जो क्रासिंग बना हुआ था वह बीच में आ गया है। वहां एक-एक दिन व आठ-आठ घंटे तक माल गाड़ी खड़ी रहती है, जब कि लाईन के उस पार दो-दो इंटर कालेज और ब्रह्माणी जैसे तीर्थ स्थान हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग जाते हैं और कालेज में छात्र पढ़ने जाते हैं। वहां माल गाड़ी खड़े रहने की वजह से उन्हें ट्रेन के नीचे से निकलना पड़ता है, इससे वहां बड़ा हादसा भी हो सकता है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि क्रासिंग को पूर्व की दिशा में आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे वहां गाड़ी खड़े रहने की समस्या का निदान हो सके। बच्चों के स्कूल में आने-जाने की समस्या का निदान हो सके और कोई बड़ा हादसा टल सके।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, तीन दिसम्बर से पूरे देश में सात लाख से अधिक कामगार तीन दिन के लिए हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने इस संबंध में पूर्व सूचना दी है। भारतीय मजदूर संघ से लेकर सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन तक सभी श्रमिक संघ इस संबंध में एक साथ हैं। सात लाख कामगार हड़ताल पर रहेंगे। उनकी मांग है कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने संबंधी विधेयक को वापिस लिया जाए। यह विधेयक गत वर्ष राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने इस पर विचार किया था और पांच संसद सदस्यों ने इस पर विगत टिप्पण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

उन्होंने यह भी मांग की है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड स्थित तीन सहायक कम्पनियों – ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड — को एक कम्पनी में तब्दील किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति जी, गृह राज्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि वे हमें सुनेंगे लेकिन वह बाहर जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, आपका नाम जब पुकारा जाए, तब अपनी बात कहिएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कामगारों की संख्या तीन लाख से अधिक है। ये तीनों सहायक कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। श्रमिक संघों की मांग है कि सातों सहायक कम्पनियों को मिलाकर एक कम्पनी बना दी जाए ताकि पश्चिम बंगाल और झारखंड स्थित ये तीन सहायक कम्पनियां बी.आई.एफ.आर. के शिकंजे से बाहर आ सकें। यदि इन सबको मिलाकर एक कम्पनी बना दी जाए तो यह कोयला कम्पनी अर्थक्षम बन जाएगी।

एक अन्य प्रमुख मांग उस राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के संबंध में है, जिस पर एक वर्ष पहले हस्ताक्षर किए गए थे और उसे अनुमोदित किया गया था। उस समझौते की अवधि भी पूरी हो गई है परन्तु कामगारों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : आप मुद्दे पर आइए।

श्री बसुदेव आचार्य : कामगारों को बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए और नया वेतन संशोधन समझौता करने के लिए एक संयुक्त कोयला सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया मुख्य मुद्दे की बात कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यदि सोमवार से हड़ताल होती है तो देश का समूचा उद्योग इसका शिकार बनेगा। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखा है और मैं चाहता हूं कि माननीय कोयला मंत्री इसका उत्तर दें और स्थिति स्पष्ट करें। मेरी मांग है कि सरकार सात लाख कामगारों की प्रमुख मांगों पर विचार करे और कामगारों द्वारा जिस हड़ताल की सूचना दी गई है, उसे टाले। कोयला मंत्री को देश के सात लाख कोयला कामगारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): माननीय सभापति जी, विश्व के घटनाक्रम ने हमें इस बात पर मजबूर कर दिया है कि देश की कोई वैकल्पिक राजधानी होनी चाहिए। आज विश्व के राजनैतिक वातावरण को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से नागपुर जैसा उत्तम स्थान हिन्दुस्तान में शायद ही दो। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि नागपुर देश के केन्द्र में है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है और वहां राजधानी के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वे उपलब्ध हैं। नागपुर देश के 100 शहरों से जुड़ा हुआ है और देश के किसी भी शहर से वहां पर डेढ़ घंटे में जाया जा सकता है। सन 1962 के चीन के आक्रमण के बाद माननीय पंडित नेहरू जी ने नागपुर और उसके आस-पास के क्षेत्र में रक्षा उत्पादन इकाइयां लगाई थीं। आज विश्व की स्थिति को देखते हुए इसे राजधानी के रूप में विकसित किया जाए।

नागपुर की विकास संभावना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान हवाई अड्डे को मल्टी मॉडल इंटरनैशनल पैसेंजर एंड कारगो हब के रूप में विकसित किया जाए। ...*(व्यवधान)* मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में जाफना एअरपोर्ट का जो हाल हुआ है वैसा ही हिन्दुस्तान में न हो, इस बात का आप ध्यान रखें। दिल्ली और मुम्बई खतरे में हैं इसलिए नागपुर को वैकल्पिक राजधानी बना कर वहां मल्टी मॉडल इंटरनैशनल पैसेंजर एण्ड कारगो हब बनाया जाए। इस पर सरकार अवश्य ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : महोदय, मैं भी स्वयं को इनके साथ संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं भी इसमें एसोसिएट करता हूं।

सभापति महोदय : आपने भी एसोसिएट कर लिया है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान गुजरात की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात में भूकम्प आने के बाद वहां की छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। इससे वहां के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है और वे उधर-उधर भटक रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि गुजरात में जो छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, इसके लिए एक विशेष योजना घोषित की जाए ताकि बेरोजगार नवयुवक रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज बनाया जाए।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): सभापति महोदय, मुल्क के महान संविधान ने देश के अक्लियतों को विशेष अधिकार दिए हैं लेकिन इससे बड़ी दुखद बात और कोई नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, शिव सेना और बजरंग दल के तमाम लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ा कर अक्लियतों के अधिकारों का हनन किया। वह अपनी एक उंगली पर खून लगा कर अपने को शहीद मानते हैं।

मैं आपके नोटिस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं जिस का संबंध तमाम अक्लियतों से है। पहले देश में स्टेन्स फैमिली की हत्या हुई, गिरिजाघरों में आग लगा दी। उसमें कौन लोग शामिल थे, वह किस पार्टी के लोग थे, यह सारी दुनिया जाती है।

कुछ रोज पहले भाजपा के सीनियर लीडर श्री विजय कुमार मल्होत्रा और खुराना साहब ने यहां एक मुद्दा उठाया कि गुरु तेगबहादुर साहब कलगीधर जिनका नाम तिलक जंजू राखा प्रभु ताका कीनो बढ़ो कलू में साका, जिन की शहादत बहुत बड़ी है, उनके बारे में जो टिप्पणी की गई मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि सबसे पहले दिल्ली की विधान सभा में 28 सितम्बर, 2001 को कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्री रविन्द्र सिंह लवली ने यह मुद्दा उठाया था। वह मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि—

[अनुवाद]

> "यह सभा यह सिफारिश भी करती है कि एन.सी.ई.आर.टी. की ग्यारहवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक 'मध्यकालीन भारत' में सिख शीर्षक (पृष्ठ 328) के अन्तर्गत समुचित संशोधन किया जाए और श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपत्तिजनक अंशों को हटा दिया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन के बारे में नोटिस दिया है। आप दो विषय एक साथ नहीं उठा सकते हैं। जिस सबजैक्ट का नोटिस दिया है, उसी पर बोलिए।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): मैं उसी बात पर आ रहा हूं। यह सबजैक्ट एक्सप्लॉयट इन बैड लाइट में प्रोजैक्ट किया जा रहा है। सारा सदन इस बात से सहमत है। आज से तीन रोज पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखों की प्रतिनिधि जमात है जिसमें सहजधारी भी वोटर हैं, उसके अमृतसर में चुनाव हुए, और बी.जे.पी. तथा शिरोमणि अकाली दल के लोगों ने सीधे दखलंदाजी करके जिस प्रकार से आल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट की धज्जियां उड़ाई, उस समय वहां शिव सेना, बजरंग दल, आर.एस.एस., बी.जे.पी. के लोग उपस्थित थे। इस प्रकार यह बी.जे.पी. सरकार की सिक्खों के धार्मिक मामलात में दखलंदाजी है।

सभापति जी, जो 25-25 साल तक प्रधान रहे, उन लोगों की पगड़ियां अकाली दल के लोगों द्वारा उतार दी गई। पुलिस ने गोल्डन टैम्पल, अमृतसर के अंदर बी.जे.पी. तथा अकाली दल के कहने से चुनाव में दखलंदाजी की। मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि सरकार सिक्खों के धार्मिक मामलात में दखलंदाजी न करे। केन्द्र और पंजाब की सरकारें सिक्खों के धार्मिक मामलों का एक्सप्लायटेशन कर रही हैं। ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। इन लोगों की बगल में छुरी, मुंह में राम-राम की पालिसी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री लक्ष्मण सेठ को बुलाया है, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभापति महोदय, वर्ष 2000 में तत्कालीन रेल मंत्री ने आजाद एक्सप्रेस नामक से शालीमार से हल्दिया के बीच एक इंटर-सिटी एक्सप्रेस शुरू की थी। यह रेलगाड़ी 1 अक्तूबर, 2001 से पर्याप्त यात्री न मिल पाने का कारण बताकर बंद कर दी गई है। इसका कोई कारण नहीं है। यह इंटर-सिटी एक्सप्रेस तेजी से उभर रहे औद्योगिक केंद्र हल्दिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलाई गई थी। यही नहीं बल्कि पिछले बजट में माननीय रेल मंत्री ने 1 जुलाई, 2001 से हल्दिया और आसनसोल के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने की घोषणा की थी। इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है।

महोदय, शालीमार स्टेशन पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। इस स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू की गई थी इसीलिए यह गाड़ी व्यावहारिक नहीं बन पाई। अनुरोध है कि शालीमार से हल्दिया की बजाय इंटर-सिटी एक्सप्रेस को हावड़ा से हल्दिया के बीच चलाया जाए।

अत: माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि आजाद एक्सप्रेस, जिसे रद्द कर दिया गया था, को चलाया जाए और इसे हावड़ा से हल्दिया के बीच चलाया जाए और पिछले बजट में घोषित की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लक्ष्मण सेठ]

गई हल्दिया से आसनसोल के बीच चलाए जाने वाली नई गाड़ी को भी चलाया जाए। यह इस स्थान के लोगों की लम्बे समय से लम्बित मांग है।

अपराह्न 12.54 बजे

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव की न्यायिक हिरासत में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, कल इस सदन में राजद के अध्यक्ष श्री लालू यादव की सिक्यूरिटी से संबंधित मामला डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने उठाया था। मैं आज इस मामले को फिर से उठा रही हूं। कल सरकार ने आश्वासन दिया था कि श्री लालू यादव की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जायेगी लेकिन यहां सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है जबकि वहां श्री लालू प्रसाद जी को दी गई सुरक्षा हटा दी गई है जोकि सैंट्रल से दी गई थी। सी.आर.पी.एफ. के जवान हटा दिये गये हैं और खाली झारखंड राज्य के लाठी लिये हुये लोग रख दिये गये हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद राजद के अध्यक्ष श्री लालू यादव को यह किस प्रकार की सुरक्षा दी जा रही है। कल स्टार प्लस पर दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया गया कि कैसे उनके सिर से पीछे से इंगित करके उन पर आक्रमण कर उनकी जान ली जा सकती है। हमें डर है कि क्रिमिनल लोग उनकी जान न ले लें। ऐसी हालत में यह सरकार लापरवाही दिखा रही है। यदि किसी तरह की कोई घटना हो गई, उसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसी विषय पर डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का नोटिस भी है, मैं उन्हें भी एसोसिएट करता हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): कल ही हमने सवाल उठाया था जिस पर सरकार ने कहा था कि हम देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन वहां जो सी.आर.पी.एफ. की सुरक्षा दी गई थी, उसे वापिस ले लिया गया है और लाठीधारी पुलिस को खड़ा किया गया है, जब कि वहां एम.सी.सी. उग्रवादियों का बोलबाला है और वहां अपराधी लोग रह रहे हैं। उनके पास ए.के.-47 जैसे हथियार हैं, लाठीधारी पुलिस उनके सामने कैसे टिकेगी। इसलिए मैं इसमें संदेह जाहिर करता हूं कि उनकी हत्या का षड्यंत्र हैं। ...*(व्यवधान)* राजनीतिक मामलों में उन्हें पछाड़ा नहीं जा सकता है इसलिए चाहते हैं सुरक्षा कम करके उनकी हत्या करा दी जाए। ...*(व्यवधान)* इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह इस पर वक्तव्य दे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी ने नोटिस दिया था।

डा. संजय पासवान (नवादा): अभी कल डी.जी. पुलिस, होम सैक्रेटरी आदि उनसे मिलने के लिए झारखंड की जेल में गये थे, वे सब किस अधिकार से गये थे, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): सभापति जी, यह अत्यंत गंभीर मामला है। पिछले दो दिनों में बिहार की मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने कुछ वक्तव्य दिये हैं और उसमें उन्होंने गम्भीर आरोप लगाये हैं। कल उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी और आज उनका पत्र भी आया है। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि सरकार तनाव की स्थिति को गंभीर क्यों करना चाहती है। वहां एक तनाव पैदा हुआ, कल यहां पर भी चर्चा हुई, लेकिन निरन्तर कोई न कोई कदम ऐसा उठाया जा रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद के खिलाफ किसी बदले की भावना से काम किया जा रहा है। यह अत्यंत लज्जाजनक बात है। मैं समझता हूं केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कहना कि लालू प्रसाद को छः महीने तक जेल में रखेंगे, यह सरकार का काम नहीं हैं, यह अदालत का काम है। ऐसा लगता है सरकार अदालत के ऊपर भी कुछ ऐसी नीयत रखती है कि लालू प्रसाद को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जायेगा। ऐसे समय में अगर उनकी पार्टी के सदस्यों को यह लगता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना होगी तो यह बड़ी भयंकर बात होगी। इससे सारा बिहार और झारखंड जलने लगेगा। मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति को बचाने के लिए केन्द्र सरकार को यह देखना चाहिए कि उन्हें उचित सुरक्षा मिले। जो सुविधाएं किसी अंडर ट्रायल को मिलनी चाहिए, ये सुविधाएं लालू प्रसाद को मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद कोई अपराधी नहीं है। उनके ऊपर आरोप लगा है और आरोपित व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए, यदि वे सुविधाएँ भी उन्हें नहीं मिलती हैं तो इससे बुरी बात और कोई नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, श्री लालू प्रसाद को रांची से 25-30 किलोमीटर दूर रखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसी जगह खुले में रखा गया है जहां से

वह दिखाई दे रहे हैं। आप साफ देख रहे हैं कि स्टार टी.वी. न्यूज पर और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में उन्हें दिखाया जा रहा है कि वह बैठे हुए हैं। चाहे उनकी सुरक्षा भले ही की जा रही हो लेकिन आजकल जिस तरह से आधुनिक हथियार हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम यह नहीं कहते कि सरकार करायेगी, लेकिन और भी कोई रंजिशन कुछ भी कर सकता है और उन्हें सीधा-सीधा निशाना मारा जा सकता है। यह क्या औचित्य है कि उन्हें रांची से 25-30 किलोमीटर दूर जेल में रखा गया है। अगर जेल में रखना था तो रांची में जेल है, आप वहां सारी स्पेशल सुविधाएं दे सकते हैं। हम और आप बहुत जेल काट चुके हैं। लेकिन यह क्या वजह है कि उन्हें 25-30 किलोमीटर दूर रखा जाए। इससे तनाव बढ़ेगा। माननीय चंद्रशेखर जी ने कहा यह सच्चाई है कि जितने गांव के इलाके हैं, रांची से दूर रखेंगे, जनता के बीच जायेंगे, उतना ही तनाव बढ़ेगा। इसलिए तनाव रोकने के लिए आप सीधे-सीधे रांची में स्वच्छ जगह कहीं रखिये और उन्हें स्पेशल क्लास की सुविधाएं दीजिए। यह मेरी सरकार से अपील है और इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सभापति महोदय, किसी राजकीय व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई केस चल रहा है तो कम से कम यह देखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को जो संरक्षण दिया जाता है, वह उन्हें दिया जाए, केवल वह एक राजकीय व्यक्ति है, उसे नजरअंदाज करने से न सरकार की गरिमा बढ़ती है और न किसी इंस्टीट्यूशन की गरिमा बढ़ती है। यहां बार-बार कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरना है और यह कहने के बावजूद भी जो कदम उठाने चाहिए, अगर वे कदम नहीं उठाये गये और भगवान ऐसा न करे, लेकिन अगर बदकिस्मती से अगर ऐसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसलिए यह जरूरी है कि जो हमारा सर्वोच्च सदन है इसमें माननीय चंद्रशेखर जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी जैसे सदस्यों और हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया है और उनकी पार्टी की तरह से भी कहा गया है कि हमें लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है, इसके बावजूद अगर कोई दम नहीं उठाये गये तो इससे ज्यादा गलत बात कोई दूसरी नहीं होगी।

अपराह्न 1.00 बजे

हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि इतना कहने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए, संसद के लिए, देश के लिए और बिहार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम जोर देकर कहते हैं कि जो भी करना जरूरी है उनको सुरक्षा देने के लिए, वह सरकार को तुरंत करना चाहिए और सरकार को इस सदन को सूचित करना भी जरूरी है कि उनके बारे में क्या किया गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह। आपने जो सूचना दी है उसी पर बोलें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जसवंत जी, आपको चेयर की अनुमति नहीं है। आप स्वयं ही खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। आप बैठ जाइए। श्री प्रभुनाथ सिंह।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, लालू जी की सुरक्षा से संबंधित चर्चा कल भी यहां सदन में हुई थी और पहले भी चर्चा हुई है।

सभापति महोदय : आपका विषय दूसरा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हमारा इसी से संबंधित विषय है जिस पर मुलायम सिंह जी और चंद्रशेखर जी बोले हैं।

हम कहना चाहते हैं कि कोई भी काम राजनैतिक भेदभाव से नहीं होना चाहिए। हम परम आदरणीय चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह जी की बातों से पूर्णत: सहमति व्यक्त करते हुए एक बात कहना चाहते हैं कि हालांकि हमने अखबारों में पढ़ा है, इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं हमें नहीं पता, कि जहां उनको रखा गया है, वहां चारों ओर से कांटेदार तारों से घेरा गया है और 20 लाठी पार्टी की पुलिस, 20 झारखंड की पुलिस और 20 सी.आर.पी. के जवान लगाए गए हैं। लेकिन जिस ढंग से रखा गया है, निश्चित तौर पर लालू यादव जी की जान पर अगर कोई चाहे तो खतरा पैदा कर सकता है, इसमें दो मत नहीं हैं। इसलिए जेल की चारदीवारें इतनी ऊंची बनाई जाती हैं ताकि उसमें रहने वाले बंदी सुरक्षित रह सकें। मुलायम सिंह जी ने कहा है कि इतना दूर रखना कहीं से मुनासिब नहीं है, अगर सरकार की कोई बदनीयती हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा है कि उतना दूर नहीं रखकर रांची में ही उनको जेल में रखना चाहिए और जेल में सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। हम कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर झारखंड सरकार से बात करे और उन्हें जेल में लाए जिसमें वह सुरक्षित रहें। इसमें कोई गड़बड़ झारखंड सरकार करती है तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि झारखंड सरकार किसी न किसी राजनैतिक कारण से करती है। इसलिए उन्हें जेल में लाना चाहिए जिससे वे पूर्णत: सुरक्षित रहें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप अपनी बात कह चुके हैं। अब मंत्री जी की बात सुनें। श्री प्रमोद महाजन।

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सभापति जी, कारावास में किसी भी बंदी को सुरक्षित रखना चाहिए और अगर बंदी लालू प्रसाद जी जैसा राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष हो, एक प्रांत का मुख्य मंत्री रह चुका हो, सांसद रह चुका हो, विधायक रह चुका हो तो स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को ठीक करनी चाहिए और इसलिए सदन में लालू प्रसाद जी की सुरक्षा पर, जब वह जेल में हैं और वहां से बाहर हैं, तब भी. लेकिन अभी हम केवल वहां की बात कर रहे हैं जहां वे कारावास में हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं जरूर गृह मंत्रालय से कहूंगा कि वह यह बात झारखंड सरकार से आग्रहपूर्वक कहे। ...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर सभापति जी, मेरा अनुरोध है कि राजस्थान में और विशेषकर जयपुर शहर में प्राइवेट और सरकारी भूमि पर कई कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं। प्राइवेट बस्ती वालों को कोई अनुदान नहीं मिल रही है, लेकिन सरकारी भूमि पर जो कच्ची बस्तियां बसी हैं, और योजना के अनुसार सरकार जिनको बसाना चाहती है, उन योजना अनुसार वाली बस्तियों को जहां सीधी सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, पार्क हो, स्कूल हो और कम्युनिटी सेन्टर हो, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार की ओर से योजना अनुसार बस्तियों को रकम दी जाती है।

सभापति महोदय, वह रकम बहुत ही कम है और आजकल महंगाई जिस गति से बढ़ रही है, उसको देखते केन्द्र सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि बहुत कम है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि ऐसी कच्ची कालोनियां, जिन्हें राज्य सरकार बसाना चाहती है, उनके विकास हेतु भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाए ताकि अच्छे ढंग से वे कालोनियां बस सकें। धन्यवाद।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.08 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा मद संख्या नौ और दस पर एक साथ विचार करेगी।

अपराह्न 2.09 बजे

कम्पनी संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प– *वापस लिया गया* और कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, विपक्ष के सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाए हैं अर्थात् पहले तो यह विधेयक क्यों लाया गया और अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी जबकि संसद का सत्र अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने वाला था। महोदय, बाजार का रुख दुर्बल रहा है।

11 सितम्बर के आतंकवादी हमले के पूर्व भी पूंजी बाजार में गिरावट आ रही थी। 11 सितम्बर के बाद 5 कम्पनियों जिनका रिकार्ड काफी अच्छा है, और जो कम्पनियां अच्छा कार्य कर रही हैं, के शेयर-मूल्य ऐसे निचले स्तर पर आ गए हैं कि उन्हें चिन्ता होने लगी। वे इस बात के लिए एक आम बैठक बुला सकते थे और बैठक में संकल्प पारित करा सकते थे। लेकिन इन सब कामों में समय लगता है। स्वाभाविक रूप से कम्पनियों में यह चिन्ता फैली हुई है क्योंकि उनके पास ऐसा अच्छा एन.ए.वी. था, उनके पास इतना अच्छा प्रबंधन था, फिर भी गिरावट इतनी अधिक है। इसी कारण से यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और यह कम्पनी (तीसरा संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि एक अन्य मुद्दा जिसका उल्लेख यहां किया गया है कि यह विधेयक निवेशक अनुकूल नहीं है; और

छोटे निवेशक बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह इस प्रकार से ठीक उल्टा है कि यह विधेयक छोटे निवेशक को यह विकल्प प्रदान करता है कि शेयरों की कीमतों में गिरावट इतनी ज्यादा है तो कम्पनी इसे पुनः खरीदने के लिए तैयार है। हम यह कहें कि फिलिप्स अथवा एच.एल.एल. जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, के शेयर इतने गिर गए हैं कि निवेशक चिन्तित हो जाता है और उन्हें बेचना चाहता है, जो इसे अधिक कम मूल्य का बना देता है, तो ये कम्पनियां आ सकती हैं। यदि इन कम्पनियों के शेयरों में गिरावट आ रही है और निवेशक का विश्वास कम्पनी में घट रहा है तो यही समय है कि यह विधेयक लाया जाए ताकि कम्पनी निवेशक को यह कहकर विश्वास दे सके कि कम्पनी इन्हें किसी निर्धारित दर पर खरीदने के लिए तैयार है और इससे शेयरों के मूल्य पूर्व स्थित में आ जाएंगे। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने और इस विधेयक को लाने का यही मुख्य कारण है।

जो कुछ वास्तव में हो रहा है वह यह है कि कम्पनी की प्लवमान पूंजी होती है। कम्पनी द्वारा पुनः खरीद द्वारा इसमें कमी की जा सकती है। जब वे यह महसूस करते हैं कि शेयर मूल्य पुनः बढ़ गए हैं तो वे शेयर पुनः जारी कर सकते हैं। इस विधेयक को लाने का यही कारण है।

मैं आपको एक अन्य उदाहरण देता हूं। इसके दो तरीके हैं कि निवेशक पूंजी बाजार में शेयर खरीदने से किस प्रकार लाभान्वित होता है। पहला तो यह है कि शेयरों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, उसे बोनस और लाभांश मिलता है। माइक्रोसोफ्ट जैसी कुछ कम्पनियां हैं जो बोनस अथवा लाभांश कभी नहीं देती। किन्तु कई बार शेयर मूल्य निर्गत मूल्य से कई गुणा अधिक बढ़ जाते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य कम्पनियों में निवेशकों का विश्वास फिर से लौटाना है। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है और इसी कारण शेयर बाजार की स्थिति ठीक हुई है।

इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि बाजार के उतार-चढ़ाव का पता लगाया जा सके। इसीलिए शेयर मूल्यों, मूल्य सूचकांक, संवेदी सूचकांक, शेयर संख्या और शेयर बेचने में गिरावट आने के बाद भी इसमें सुधार की व्यवस्था करती है और अब इसमें सुधार हो रहा है। यह वास्तव में वह स्थिति है जो अमेरिका में 11 सितम्बर के आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुई है। यहां तक कि अमेरिका में भी न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज, नैस्डेक में तरलता बनी रहे और कारोबार में कोई भारी फेरबदल न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए वहां काफी निवेश किया जाता है।

यह एक ऐसा विधेयक है कि कारोबार में उतार-चढ़ाव के पुनः वापस लाने और निवेशकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए लाया गया है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह वस्तुतः चल रही कार्रवाई का ही एक भाग है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 को आधुनिक बनाने हेतु कुछ समय से चल रही है जो कई प्रकार से पुरानी और अप्रचलित हो गयी है और आज की स्थिति की वास्तविकताओं को पूरा नहीं कर रहा है।

मैं समझता हूं कि मेरे कुछ मित्रों को बहुराष्ट्रीय निगमों में अनावश्यक रूप से एक प्रकार का डर दिखाई दे रहा है। उनकी प्रवृत्ति भूत देखने की लगती है जिसका अस्तित्व नहीं है। जिस ढंग से मैं अधिनियम के उपबंधों को देखता हूं, वह यह है कि इसमें बहुराष्ट्रीय और देशी निवेशकों के बीच कोई भेद नहीं है। जैसा कि मैं इसे समझता हूं कि मूल रूप से कम्पनी अधिनियम, 1956 में अपने शेयर रखने वाली कम्पनी का प्रावधान नहीं है। लेकिन यह कार्य तत्कालीन कम्पनी अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान के आधार पर है जिसमें अपने शेयर रखने वाली कम्पनी का प्रावधान नहीं है। लेकिन बाद में इस स्थिति में परिवर्तन होने पर अंग्रेजी कम्पनी कानून में परिवर्तन किया गया और हमारा कम्पनी कानून काफी लम्बे समय से पीछे चल रहा था। मैं समझता हूं दो वर्ष पूर्व कम्पनी को अपने शेयरों पर नियंत्रण रखने के लिए हितकारी प्रयास किया गया। मैं कम्पनी को अपने शेयर पुनः खरीदने की अनुमति देने की व्यवस्था और सिद्धांत का कट्टर समर्थक रहा हूं। वस्तुतः मैंने चार-पांच वर्ष पूर्व ''दि इकॉनामिक टाइम्स'' में लेख लिखे थे। अब, वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में कोई कोरम नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. नीतिश सेनगुप्ता : जब शुरू हुआ था तब कोरम था। एक बार शुरू हो गया तो ठीक है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब वाद-विवाद शुरू हुआ था तब कोरम था।

श्री राशिद अलवी : महोदय, अब कोई कोरम नहीं है। और जब कोई कोरम नहीं है तो आप सभा की कार्यवाही कैसे जारी रख सकते हैं?

सभापति महोदय : घंटी बजा रहे हैं अब कोरम है। माननीय सदस्य डा. नीतिश सेनगुप्ता अपनी बात जारी रख सकते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, मेरे इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करने के दो या तीन बड़े कारण हैं।

सर्वप्रथम, हमारी सम्पूर्ण प्रणाली में साधारण शेयर होल्डर की आम दुर्दशा क्या रही है? सामान्यतया, वे ही कम्पनी प्रबंधक, अच्छे प्रबंधक होते हैं जिनके पास नियंत्रण क्षमता होती है, वे अच्छा कार्य करते हैं लेकिन ऐसे भी बेईमान लोग हैं जो शेयर होल्डरों का शोषण करते हैं। शेयर होल्डरों को जो कुछ मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिलता। वे कम्पनी को नष्ट कर देते हैं, वे कम्पनी का जितना दोहन कर सकते हैं उतना करते हैं और सामान्य शेयर धारकों को उनके शेयरों से वंचित करते हैं। अब इस विधेयक में शेयर होल्डरों को अपने शेयर कम्पनी प्रबंधन को बेचने का अवसर दिया गया है। और उस सीमा तक मैं नहीं समझता कि यह कहना ठीक होगा कि यह निवेशक अनुकूल नहीं है। वस्तुत: मैं यह बात दृढ़ता से कहता हूं कि यह विधेयक निवेशक अनुकूल है।

सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और चल रहे विनियमन से कम्पनियों के प्रबंधकों को छापा मारने वालों और बेईमान आपरेटरों से भय महसूस कर रहे हैं। जो बाजार से शेयरों को हटाने और कम्पनियों से मौजूदा प्रबंधन के विस्थापन का प्रयास कर रहे हैं। अत: कम्पनियों के वैध प्रबंधन स्वभावत: शेयर होल्डिंग आधार को मजबूत बनाने के लिए अपने अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे छापा मारने वालों और दखलंदाजी करने वालों को पराजित कर सकें। इलिए यह बहुत हितकर व्यवस्था है जिससे इन कम्पनियों के प्रबंधन छापा मारने वालों को पराजित कर सकें और कम्पनियों पर अपना प्रभुत्व जमा सकें।

तीसरी बात यह है कि हम विधेयक पुर:स्थापित करने के बाद परिणाम देख सकते हैं। वास्तव में शेयर बाजार की स्थिति में सुधार हो रहा है। तब से हमारे शेयर बाजार बहुत अच्छा काम कर रहे थे और मैं यह बात दृढ़ता से कह सकता हूं कि राष्ट्र विरोधी तहलका षडयंत्र से अर्थव्यवस्था की पूर्ण गिरावट की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं नहीं जानता कि इस तहलका की योजना किसने बनाई, लेकिन जिन लोगों ने यह राष्ट्रविरोधी कार्य इस सीमा तक किया कि उस समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान धूमिल स्थिति की शुरूआत हुई। उस सीमा तक पिछले कुछ सप्ताह में यदि आप इसमें सुधार के कुछ उत्साहवर्धक चिह्न देखें तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लाने से कुछ कार्य होगा। अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह हमारे कम्पनी कानून को आधुनिक बनाने का प्रयास है। इस अध्यादेश से यह समय सीमा बदल गई है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि विचार यह है कि जहां प्रमुख ब्लॉक पुन: खरीदा जा रहा है तो वहां शेयर होल्डरों को यह जानने का अधिकार होगा और उस सीमा तक दस प्रतिशत से अधिक की खरीदारी हो सकेगी और इस सबके लिए सामान्यतया शेयर होल्डरों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अन्यथा कम्पनी प्रबंधन और निदेशक मंडल शेयर खरीदने का निर्णय ले सकते हैं और शेयर होल्डरों को पेशकश कर सकते हैं और कुछ शेयर पुन: खरीद सकते हैं। उन्हें इसे स्वीकृत कराने के लिए आम बैठक बुलाने के लिए सभी साज-सामान की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि यह दस प्रतिशत से अधिक है तब निश्चित रूप से शेयर होल्डरों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

संक्षेप में, मैं कम्पनी कानून को आधुनिक बनाने, संसार के अन्य विकसित देशों के कम्पनी कानून की तर्ज पर अपना कम्पनी कानून लाने, प्रबंधनों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने जहां वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जहां भी वे कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं, अपनी स्थिति मजबूत करते हैं और जहां भी आम शेयर होल्डर उन शेयरों को बेचने के इच्छुक होंगे, के प्रयास का पुरजोर समर्थन करता हूं। ऐसा इसलिए है कि इससे उन्हें अच्छे मूल्य मिलेंगे। अंत में इससे आम शेयर होल्डरों का अवसर मिलेगा जिनकी आवाज अब तक किसी ने नहीं सुनी है कि वे अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं और अपना मुनाफा दर्ज कराएं और फिर यदि आवश्यक हो तो कम्पनी छोड़ दें। अत: मैं विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, कम्पनियों की शिकायतें दूर करने और समय की बचत करने के लिए यह बिल माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। जिसके लिए माननीय मंत्री जी और सरकार धन्यवाद की पात्र है।

महोदय, कम्पनीज, 1956 और अन्य जो कानून हैं, अन्तरराष्ट्रीय आधार पर यह जरूरी हो गया था कि जो कम्पनियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं या जिन कम्पनियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, उन सब कम्पनियों के बारे में विचार करने के लिए यह बिल सरकार के द्वारा लाया गया है।

जस्टिस वी. बालकृष्ण रेड्डी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उन्होंने जो कम्पनियां कानूनन दिवालियापन या बंद होने के कगार

पर थीं, उस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। उन्हीं सुझावों के आधार पर सिका, 1985, रिवाइवल ऑफ डेट टू बैंक, सिक्योरिटी कांट्रेक्ट एक्ट, 1956 - इन सब सिफारिशों के आधार पर विचार करते हुए सरकार यह बिल हमारे सामने लाई है। मुझे उसी आधार पर निवेदन करना है, जिस रिकोमेंडेशंस के आधार पर यह बिल सदन में लाया गया है। किसी कम्पनी का रिवाइवल करना हो या रिहेबिलिटेशन किसी एक कम्पनी का करना हो, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सेवाओं और उन्हें पेमेंट ऑफ वेजेज का क्या होना चाहिए, उनकी रक्षा करने के लिए यह बिल लाया गया है। उसकी जो सिफारिशें होंगी उस पर ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जो इन सब बिन्दुओं पर विचार करेगा। उसकी जो सिफारिशें होंगी उस पर ट्रिब्यूनल की सिफारिशें लागू होंगी और लागू होने पर उसने यदि कोई प्रपोज़ल नहीं दिया। यदि कम्पनी बंद होने वाली है, तो भी इसकी जो सिफारिशें होंगी वे उस कम्पनी पर लागू होंगी, पहली बात इसमें यह कही गई है।

दूसरी बात यह कही गई है कि इसकी दस ब्रांचें होंगी। जो कम्पनी बंद होने वाली है, वे इस संबंध में विचार करेंगी और इसके बाद निर्णय लेंगी। पहले ज्यादा समय लगता था, कम्पनी को कई वर्ष लग जाते थे कि कब बंद होगी, बंद होगी या नहीं होगी, रिवाइबल होगा या नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कई वर्ष बीत जाने से वहां के कर्मचारियों को कष्ट और तकलीफ होती थी, इसलिए आज जो बिल लाए हैं निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं। इन्होंने जो फंड बनाया है, उसके आधार पर उन कर्मचारियों का पेमेंट होगा, उस उस फंड के आधार पर, यही कहा गया कि कम्पनी जीवित करनी हो, कम्पनी को किसी प्रकार से नुकसान न हो, उन्हें सुविधा देने के नाते यह बिल लाया गया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन कर रहा हूं और माननीय मंत्री जी तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद दे रहा हूं

[हिन्दी]

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, अभी जो विधेयक आया है इसका नाम तीसरा कम्पनी अमेंडमेंट बिल है। पहले एक बड़ा अमेंडमेंट आया था, जो पास हो गया। कानून मंत्री जी, दूसरा संशोधन बिल कहां हैं, जिससे पता चले कि किसी राज्य में कार्पोरेट कम्पनी वाली लॉबी या उसका कितना बोलबाला है, उसकी कितनी चलती है। ये धडाधड़ कानून ला रहे हैं। जनता मरे, गरीब पिसे, इसकी इन्हें कोई चिन्ता नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं कि इसका दूसरा अमेंडमेंट कहां हैं, यह तीसरा है, पहला तो पास हो गया।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): पहला अमैंडमैंट पास नहीं हुआ।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: पहला पास नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ और ये तीसरा आर्डीनेस ले आए। इसे ये किस समय लाए 23 या 24 अक्तूबर को आर्डीनेंस लागू किया, 29 तारीख के पहले ही केबिनेट ने विचार कर लिया कि हम सदन को आहूत कर रहे हैं, सदन आहूत हो रहा है। 10-20 दिन भी प्रतीक्षा नहीं कर सके। इतने जबरदस्त कार्पोरेट लॉबी का दबाव है। आप लोग इतने दबने वाले हैं। कानून मंत्री जी इसका जवाब दें।

महोदय, इसका जो विषय है, उसमें जाना जाता है कि हमारा देश घोटाले और शेयर आदि में भ्रष्टाचार में कितना डूबा हुआ है- स्टाक एक्सचेंज, हेराफेरी, कोई जेल में है, कस्टम, एक्साइज, वी.पी. वर्मा आदि-आदि। महोदय, शेयर भी बाई बैक कर लेंगे। उसे लिब्रलाइज कर रहे हैं। पहले बड़ी सभा से प्रावधान था और अब यह छोटी सभा से हो जाए, इसे कानून मंत्री लाए हैं।

किसी कीमत पर शेयर बाई-बैक होगा, इसको मंत्री जी स्पष्ट करें और सदन को बताएं कि शेयरों के बाई-बैक में गड़बड़ी तो नहीं होगी। कानून मंत्री जी तो बड़ी-बड़ी वाणिज्यक संस्थाओं की वकालत करते हैं और जो आर्डिनेंस आया है उसमें यही है कि बाई-बैक है और बाजार के कारोबार में इनके सारे मंत्री कान खोलकर बैठ गये हैं और मंत्रिमंडल को बाजार बना दिया गया है लेकिन जनता को कोई पूछने वाला नहीं है, गांव के किसान को कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसान सबको खिलाता है, उत्पादन करता है उसका इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस घोटाला और धनपशुओं का बोलबाला है। ये बड़ी-बड़ी वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए अध्यादेश जल्दी लाए हैं। मेरा कहना यह है कि इससे भारी खतरा देश को होने वाला है, इसलिए मैंने जो प्रश्न उठाए हैं उनको मंत्री स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : महोदय, इस सभा के कई सदस्यों ने इस विधेयक से संबंधित वाद-विवाद में भाग लिया, जैसाकि माननीय सदस्य श्री नीतिश सेनगुप्ता ने उल्लेख किया, मूलत: कंपनी कानून के अंतर्गत, संकल्पना यह थी कि कंपनी की हमेशा एक अलग पहचान थी और किसी भी कंपनी के लिए उसके स्वरूपवश अपने शेयरों को खरीदना निषिद्ध था। पूरे विश्व में यह संकल्पना बदल गई। भारत में भी वर्ष 1999 में कार्पोरेट कानून के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हमने अपने कंपनी अधिनियम को संशोधित किया। हमने एक प्रावधान बनाया कि कंपनी दिए गए वर्ष में - उस समय यह अवधि दो वर्ष थी — अपने 25 प्रतिशत शेयर पुनः खरीद सकेगी। यह प्रावधान पहले से ही कंपनी अधिनियम में मौजूद है। इसे इस महान सभा की स्वीकृति भी मिल गई है।

[श्री अरुण जेटली]

कंपनियों को अपने शेयर पुन: खरीदने या पुन: खरीदने की अनुमति देने के पीछे तर्क यह है कि ऐसी कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनके पास बहुत बड़ी राशि जमा है, लेकिन जहां तक कि कंपनी के साधारण शेयरधारकों का संबंध है, यह जमाराशि किसी लाभ में परिणत नहीं होती। जब बाजार में मंदी होती है, तो विशेष रूप से लघुनिवेशकों, साधारण शेयरधारकों, उस व्यक्ति ने जिसने अपनी मूल्यवान राशि लगाई है, उस समय शेयर का बाजार मूल्य शेयर के खाता मूल्य की तुलना में कम होता है। बाजार को कुछ जमा राशियों के हस्तांतरण के क्रम में पहला लाभ यही है कि बाजार को लिक्विडिटी मिलती है। जमा पूंजी से बाजार में शेयर खरीदने और बेचने की सक्रियता में तेजी आती है। इस सक्रियता से बाजार को मदद मिलती है।

दूसरा लाभ यह है कि जब कंपनी अपनी जमा पूंजी का उपयोग अपने शेयर को पुन: खरीदने में करती है तो कंपनी के शेयरों की मांग बढ़ जाती है। शेयर खरीदे जा रहे हैं और पुनर्खरीद से शेयरों का मूल्य बढ़ने लगता है। मूल्य वृद्धि से दोनों श्रेणियों के शेयरधारकों को मदद मिलती है। इससे उन शेयरधारकों को मदद मिलती है जिन्होंने निवेश के उद्देश्य से शेयर खरीदे थे और जो उन्हें बेचना चाहते हैं। नहीं तो, उन्हें बहुत ही कम मूल्य पर बेचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मूल्य चढ़ता है, साधारण छोटे शेयरधारक जो अब निवेशक हैं, उन्हें अच्छा मूल्य मिलता है और जो उन्हें आगे के लिए बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उनके शेयरों का मूल्य भी बढ़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ जमाराशि साधारण शेयरधारकों के धन में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियां अपने धन की हिस्सेदारी अपने शेयरधारकों के साथ कर रही है। इसलिए, इस प्रावधान से, जहां तक कंपनी का संबंध है, सभी श्रेणी के शेयरधारक एकसमान रूप से लाभान्वित होंगे। इससे निवेश का वातावरण बनाने और उसमें सुधार करने में भी मदद मिलती है। इसे पूंजी बाजार को बढ़ावा मिलता है और जहां तक मूल्यों का संबंध है तो स्टॉक मूल्य भी बढ़ जाता है।

कई प्रश्न उठाए गए हैं। इस चरण में मैं इसका अवश्य उल्लेख करूंगा कि विश्व के कुछ भागों में वैकल्पिक प्रणाली का प्रयोग किया गया, जहां पुन: खरीदे गए शेयरों को नष्ट नहीं किया जाता। उन्हें खजाने में रख दिया जाता है। उचित समय पर, कंपनी जब चाहती है तो उन शेयरों को पुन: जारी करती है। हमारे पास इस तरह का प्रावधान नहीं है। हमारा प्रावधान यह है कि उपलब्ध समय के बाद, यदि कंपनी को बाजार में और सक्रियता लाने के क्रम में बाजार से और पूंजी की आवश्यकता पड़ता है, तो इस कानून में उल्लिखित निर्धारित अवधि के बाद कंपनी स्वयं अपने शेयरों को खरीदना शुरू कर देती है।

कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जिनका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। इससे साधारण शेयरधारक या लघु निवेशक कैसे लाभान्वित होता है? सभी कम्पनियों में सभी मामलों में जहां कंपनियां पुन: खरीद करती रही हैं वहां शेयरों की मांग बढ़ जाती है, और सामान्य वाणिज्यिक-आर्थिक सिद्धांत पर शेयर का मूल्य बढ़ जाता है, इससे शेयरधारकों को लाभ होता है। इससे शेयर बाजार में तेजी आती है। कुल मिलाकर स्टॉक का मूल्य बढ़ जाता है। इससे सभी श्रेणियों के शेयरधारकों को लाभ मिलता है। एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या होता है। क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होने लगेगा? हम लोग इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भूत न देखें। यह विधेयक सिर्फ घरेलू भारतीय कम्पनियों के लिए है। हम उन कंपनियों के शेयर मूल्य को विनियमित नहीं कर रहे हैं जो भारत के बाहर पंजीकृत हैं। हम उन्हें पुन: खरीदने की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं। उनका विनियमन उन्हीं देशों के नियमों द्वारा होगा जहां वे पंजीकृत हुई हैं।

हालांकि, एक प्रश्न यह उठा था कि यदि उनकी भारत में सहायक कंपनियां हैं तो फिर क्या होगा? ठीक है, यदि भारत में उनकी सहायक कंपनी है, जिसमें उनका शेयर 51 प्रतिशत है, तो कंपनी के शेयर 51 प्रतिशत शेयर वाली सहायक कंपनी से सम्बद्ध होंगे और उसमें कुछ लघु निवेशक हो सकते हैं। यदि ऐसी कंपनी जिसकी पहले से ही 51 प्रतिशत शेयरधारिता है, शेयर की पुनर्खरीद करती भी है तो पुनर्खरीद से लघु निवेशक स्वत: लाभ में रहेंगे।

मैंने कुछ टिप्पणियां आदि भी पढ़ी हैं। क्या स्टाक एक्सचेन्जों को सूचित किया जाएगा? इस संबंध में मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा। एक बार जब कोई कंपनी अपने शेयरों की पुनर्खरीद करती है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास ''डिस्क्लोजर'' (खुलासा) संबंधी स्पष्ट मानदंड हैं। खुलासा संबंधी स्पष्ट मानदंडों के अंतर्गत बोर्ड के ऐसे सभी निर्णयों या कंपनी के प्रबंधन, जिसका कंपनी की प्रतिभूतियों पर या इसके मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो, को स्टाक एक्सचेन्जों को सूचित करने की आवश्यकता होती है। जहां तक ''सेबी'' का संबंध है, इसके लिए मार्गनिर्देश पहले से ही लागू हैं। इस संबंध में सेबी के विनियमन सामान्य रूप से संसद द्वारा लिए गए निर्णयों की तर्ज पर ही होते हैं और इस चरण में एक अध्यादेश की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हम स्टाक बाजार में तेजी लाना चाहते थे; हम स्टाक बाजार में सक्रियता चाहते थे, हम चाहते थे कि स्टाक बाजार में लिक्विडिटी आए। पुनरुद्धार की इस पूरी प्रक्रिया में, कई कारणों में से यह एक है। बाजार में लिक्विडिटी लाने के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। इससे यह भी पता चलता है कि मैं नहीं कह रहा हूं, यही एकमात्र कारण है कि ऐसे क्यों हुआ है। उद्योग द्वारा

उठाए गए कई कारकों या कदमों में से यह एक है, कुछ कार्पोरेट परिणाम अच्छे रहे हैं और सरकार द्वारा कुछ अन्य कदम उठाए गए हैं। अतः पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए इस कदम से स्वयं कुछ पुनरुद्धार हुआ है और स्टाक बाजार में उछाल आया और उस उछाल से अर्थव्यवस्था और शेयरधारकों, दोनों को ही लाभ होता है।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू ने यह प्रश्न किया कि जो बाकी कम्पनी लॉज अमेंडमैंट्स हैं, उनका क्या हुआ? हम इस वर्ष कम्पनीज एक्ट का पहला संशोधन लाए थे। उसका संबंध इनसॉलवैंसी कानून के साथ था। जो कम्पनियां इनसॉलवैंट हो जाती हैं, जो दूसरे लोगों को पैसा देना है, उनका भुगतान नहीं करती, कुछ कम्पनियां बी.आई.एफ.आर. में चली जाती हैं और बी.आई.एफ.आर. उन कम्पनियों को रिवाइव नहीं कर पा रहा है, समय बहुत अधिक लग रहा है, वहां कर्मचारियों की भी दुर्दशा है इसलिए इनसॉलवैंसी कानून के तहत कम्पनीज एक्ट में सबसे पहला संशोधन इंट्रोड्यूस किया था। उसके तहत इन कम्पनियों के रिवाइवल का जो प्रोसैस है, उसके अन्तर्गत उनका भविष्य शीघ्र तय हो पाए। वह इस सदन में इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास है। उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो सदन को कंसिडर करने का अवसर मिलेगा।

दूसरा जो कम्पनीज एक्ट में संशोधन लाए थे, उसमें एक नया चैप्टर प्रोडयूसर कम्पनी के संबंध में जोड़ना चाहते थे कि कोआपरेटिव्स को कुछ ऑप्शन दी जाए कि जो प्रोडयूसर कम्पनी बनाना चाहते हैं, जिनका आधार कोआपरेटिव रहेगा लेकिन जिन का ढांचा कम्पनी के मुताबिक होगा। कुछ कोआपरेटिव्स की यह मांग थी कि कुछ उनको वॉलयंटरी ऑप्शन दी जाए। वह भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने है। इसलिए यह तीसरा बिल है। इस बिल से छोटे निवेशकों को लाभ मिलने वाला है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल का समर्थन करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): मैं मंत्री महोदय को सिर्फ यह याद दिलाना चाहाता हूं कि यह सरकार गलत उदाहरण रखने जा रही है। वे हमेशा संसद की उपेक्षा कर रहे हैं और इसे महत्व नहीं दे रहे हैं। यह संशोधित अध्यादेश 23 अक्तूबर, 2001 को लागू किया गया था। संसद का सत्र 19 नवम्बर, 2001 से शुरू होना था। अध्यादेश जारी करने में सरकार की तरफ से इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई? यदि आप कुछ और दिन इंतजार कर लेते तो कोई हानि नहीं होती। आपने संसद को दरकिनार करते हुए और उसकी उपेक्षा करते हुए अध्यादेश जारी किया। यह प्रवृत्ति बढ़ी है और दिनोंदिन इसमें तेजी आ रही है। आप अध्यादेश तभी जारी कर रहे हैं जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है या उसका समय नजदीक आने वाला होता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस प्रवृत्ति का त्याग करें। संसद की उपेक्षा न करें और संसद का महत्व कम न करें। खैर, मैं जोर या दबाव नहीं डाल रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, क्या आप संकल्प वापस ले सकते हैं?

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं। मैं अपने संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कंपनी अधनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1 – *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,–

"कंपनी (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2001" के स्थान पर "कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2001" प्रतिस्थापित किया जाए।(1)

(श्री अरुण जेटली)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.43 बजे

आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश निरसन विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश, 1941 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश, 1941 को भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 1941 को प्रख्यापित किया गया था ताकि कतिपय आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रावधान किया जा सके। उक्त अध्यादेश को दिनांक 10 दिसम्बर, 1941 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। यह अध्यादेश स्थायी है क्योंकि इसे उस अवधि के दौरान प्रख्यापित किया गया था जब, ऐसे अध्यादेशों के लिए भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 72 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा, जो इसे जारी करने की तिथि से छह महीने थी, को छोड़ दिया गया था। इसी चूक के कारण यह वर्ष 1941 से जारी है।

इसके पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1968 में और 1981 में आवश्यक सेवा (बनाए रखने) अधिनियम बनाया। उनकी समय-सीमा समाप्त होने के कारण ये अधिनियम व्यपगत हो गए। इन अधिनियमों ने आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश, 1941 का निरसन नहीं किया और इसीलिए यह अध्यादेश अब भी संविधा पुस्तिका में शामिल है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 मई, 1998 को गठित श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा संबधी आयोग ने आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश, 1941 सहित केन्द्रीय कानूनों/अध्यादेशों का निरसन करने की सिफारिश की थी।

इसी पृष्ठभूमि में, आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश, 1941 का निरसन करने का प्रस्ताव है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सम्माननीय सभा में यथा पुरःस्थापित आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश निरसन विधेयक, 2001 पर विचार करने और उसे पारित करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश, 1941 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ, मैं सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा क्योंकि यह विधेयक वर्ष 1941 में जारी किये गये अध्यादेश का निरसन कर रहा है। उस समय, सरकार ने, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ा था और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वाधीनता आंदोलन का भी सामना करना पड़ा था, अध्यादेश को जारी किया था। महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी 'असहयोग आंदोलन' और 'भारत छोड़ो' आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय, ब्रिटिश सरकार असहयोग आन्दोलन को रोकना चाहती थी। वे इस अध्यादेश के माध्यम से लोगों को धमकाना भी चाहते थे।

स्मरण कराने के लिए, मैं उस समय दी गयी उनकी परिभाषा को यहां पढ़ रहा हूं:

" 'रोजगार' में किसी भी प्रकार का रोजगार, चाहे उसका पारिश्रमिक दिया जाता हो अथवा नहीं दिया जाता हो, शामिल है।"

यह उन लोगों के लिए भी था जिन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता था, अर्थात् जिन्हें रोजगार मिला हुआ था। उस समय, यदि वे काम बंद करना चाहते तो उन्हें एक वर्ष के लिए दंडित किया जाता था। इसी प्रकार सरकार का एकमात्र उद्देश्य उस समय यही था। धारा (तीन) में दी गयी परिभाषा के अनुसार, इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, लोगों में अनुशासन अथवा युद्ध के कुशल संचालन अथवा सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखना है। उनका लक्ष्य था – अपनी सरकार को बचाना और युद्ध एवं युद्धोत्तर समय में अपने साम्राज्यवादी रवैये को बनाये रखना। इसी प्रकार, वे यह कहना चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति के रोजगार को समाप्त करना अथवा ऐसे प्रतिष्ठान को बंद करना, जिसमें ऐसा व्यक्ति लगा हुआ है, से उसका रोजगार छिन जाता था। यहां तक कि कोई व्यक्ति अपना रोजगार जारी नहीं रख सकता। उस समय यही प्रतिषेध किया गया था। वर्ष 1968 में संपूर्ण भारत में आंदोलन हुआ। आवश्यक सेवाएं, विशेष रूप से रेलवे और डाक व तार और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों ने भी हड़ताल की थी। इसीलिए, उन्होंने यह आवश्यक सेवा (बनाए रखने) अध्यादेश जारी किया। वर्ष 1968 में यह अधिनियम बना और दो वर्षों तक जारी रहा। इसी प्रकार, वर्ष 1980 में भी यही बात हुई। वर्ष 1981 का आवश्यक सेवा (बनाए रखे) अधिनियम नौ वर्षों तक जारी रहा।

अब, मैं सरकार को वर्तमान स्थिति के संबंध में बताना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारी क्षुब्ध हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी उत्तेजित हैं। रेल विभाग के कर्मचारी उत्तेजित हैं। उन्हें यह लगता है कि उनकी शिकायतों का समाधान उचित समय पर और भली-भांति नहीं किया जाता है। यदि वे हड़ताल करेंगे तो सरकार पुन: एक अन्य ऐसा अध्यादेश जारी कर देगी।

मैं इस समय कर्मचारियों की भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहूंगा। अब, गैर-सरकारी क्षेत्र का उदय हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। दूरभाष विभाग-बी.एस.एन.एल. अथवा वी.एस.एन.एल. में बैठा हुआ व्यक्ति 10,000 रुपये वेतन ले रहा हो। यदि वह एयरटेल अथवा एस्सार में जाये तो उसे 20,000 रुपये वेतन मिलेगा। वहां पर बहुत-सी परिलब्धियां हैं। वे बहुत से लाभ प्रदान कर रहे हैं। आवास नि:शुल्क दिया जाता है। परिवहन सुविधा नि:शुल्क दी जाती है। वहां पर इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। स्वाभाविक रूप से, सरकारी कर्मचारी भी इन सुविधाओं को प्राप्त करना चाहेंगे। जब मैं एक-जैसा कार्य कर रहा हूं, तो मुझे गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों जैसा वेतन क्यों नहीं मिलता? इसीलिए, सरकार को स्थिति समझनी चाहिए। इस प्रकार के अध्यादेश अथवा अधिनियम को भविष्य में लाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और शिकायतों का तत्काल समाधान करना चाहिए।

विभाग बनाकर, उचित सुलहों, उचित सोच-विचार और सभा में विचार-विमर्श करके इनकी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

अत: मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के अधिनियमों और अध्यादेशों को लाने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन मैं यह सुझाव दूंगा कि यही वह समय है जब सरकार की ओर से एक स्पष्ट नीति बनायी जाए और कर्मचारियों से कहा जाए कि उनकी शिकायतों का उचित प्रकार से समाधान किया जायेगा। उन्हें हड़ताल का अंतिम उपाय अपनाने की आवश्यकता नहीं और उन्होंने सारे देश को ठप्प कर दिया है। मैं तमिलनाडु का उदाहरण दे सकता हूं। दीपावली के दिनों में, परिवहन के सभी कर्मचारी हड़ताल पर थे। लोगों को बहुत परेशानी हुई। लोग पीड़ित हैं, कर्मचारी पीड़ित हैं, श्रमिक पीड़ित हैं और सरकार पीड़ित है। मैं जानना चाहूगा, क्यों? हम लोगों द्वारा जिन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है, उनके साथ उचित, विचार-विमर्श होना चाहिए। वे हमारे नागरिक हैं। हमें उनके साथ चर्चा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनकी समस्या का उचित समाधान प्रस्तुत किया जाए, तो फिर कोई हड़ताल नहीं होगी। इस तरह का कोई अध्यादेश नहीं होगा।

इसीलिए, यह समझबूझ के लिए उचित समय है। सरकार को वर्ष 1968 अथवा 1981 में इस उद्देश्य के लिए लाए गए इन अध्यादेशों से उभरी स्थिति से निपटने और समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

इसीलिए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को जागना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की देखभाल की जाए। सरकारी क्षेत्र के उद्यम बहुत पीड़ित हैं। उनके कर्मचारियों के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है। सरकार यह कह रही है कि वह एन.टी.सी. मिलों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ला रही है और वह उनके लिए तैयार भी कर ली गयी है। लेकिन जब हम वहां जाते हैं और पता करते हैं तो वे कहते हैं कि धन नहीं है, पैसा नहीं है और वो इसे नहीं दे सकते। इसी प्रकार, प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र मे, यही बात है।

इसीलिए, मैं यह अनुभव करता हूं कि सरकार को एक स्पष्ट विचार बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किस प्रकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने जा रही है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उन्होंने बहुत से सुझाव दिये और ऐसे अध्यादेशों को प्रख्यापित करते समय कतिपय सावधानियां बरतने का भी सुझाव दिया ताकि कोई भी अध्यादेश व्यपगत न हो।

उन्होंने विभिन्न कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालकर बहुत अच्छा कार्य किया। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा और उचित समय पर हम माननीय सदस्य के सभी सुझावों का उपयोग करेंगे।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, संभावनाएं बहुत कम हैं। वर्ष 1941 में इस अध्यादेश के प्रख्यापन के समय भारत सरकार अधिनियम, 1938 की धारा 72 के अंतर्गत जो समय-सीमा निर्धारित की गयी थी उसे छोड़ दिया गया। इसी चूक के कारण वह अब तक जारी रहा, अन्यथा यह व्यपगत हो चुका होता। यद्यपि, अन्य अध्यादेश व्यपगत हो गए, यह नहीं हो सका ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): इसमें क्या अड़चनें हैं?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : इसमें कोई अड़चन नहीं है।

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने दें। आप उनके उत्तर के पश्चात् स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : वह इसे जारी रखने की आज्ञा कैसे दे सकते हैं? वह स्वत: ही व्यपगत हो गया है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : छ: महीने से तो ऐसा नहीं था और उस समय इसे छोड़ दिया गया था। इस सरकार ने यह नहीं किया, वर्ष 1941 में प्रावधान छोड़ दिया गया था और इसी कारण ऐसा होना जारी है। इसी प्रकार बहुत से अधिनियमन हैं। श्री पी.सी. जैन ने सिफारिश की है और अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी। यह संविदा पुस्तिका से निकाल देने योग्य है, इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक सेवा (बनाये रखने) अध्यादेश, 1941 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.55 बजे

विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1998 को इस महान सदन ने 17.12.1998 को ही पारित कर दिया था, किन्तु इस विधेयक को राज्य सभा में विचारार्थ भेजे जाने से पहले ही 12वीं लोक सभा भंग हो गई और इस प्रकार यह विधेयक व्यपगत हो गया।

इस महान सदन के सूचनार्थ यह भी याद रहे कि हाल के कुछ दिनों में देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर पंजाब, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में, बम विस्फोट की घटनाएं बढ़ी हैं और इस प्रकार काफी जान माल की क्षति हुई है। ऐसी घटनाओं की निरंतर पुनरावृत्ति से देश के सुरक्षा माहौल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इससे कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। जांच-पड़ताल से पता चला है कि आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी तत्व अपनी जघन्य गतिविधियों को अंजाम देने में आर.डी.एक्स. (अनुसंधान विकास विस्फोटक) पेट्न (पेन्टा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट) और इसी तरह के अन्य अत्याधुनिक विस्फोटक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। विस्फोटकों के इस अत्याधुनिक रूप का सामान्य स्थिति में पता लगाना कठिन है और यह परम्परागत विस्फोटकों से कहीं अधिक जानलेवा और विनाशकारी होते हैं।

चूंकि वर्तमान विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत परम्परागत विस्फोटकों से किए जाने वाले अपराधों और अत्याधुनिक जानलेवा विस्फोटकों से किए जाने वाले अपराधों में कोई अंतर विभेद नहीं किया गया है. इसलिए इसके प्रावधानों की गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा कराई गई ताकि आर.डी.एक्स. और पेट्न जैसे अत्याधुनिक विस्फोटकों का प्रयोग कर विस्फोट को अंजाम देने के संदर्भ में सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जा सके।

विधेयक 23.12.1999 को राज्य सभा में पुनः पुर:स्थापित किया गया और 8.2.2000 को गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की थी जिन पर विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परामर्श से विचार-विमर्श किया गया और इन सबके बाद ही सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया। समिति की इन सिफारिशों के आधार पर विधेयक में कतिपय संशोधन भी किए गए। संशोधन में जो मुख्य बातें कही गई हैं; वे इस प्रकार हैं:-

(एक) विधेयक के संशोधन वाले खंड 2(ख) में केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी कर विशेष श्रेणी के नए 'विस्फोटक' पदार्थों को शामिल कर सकेगी।

(दो) अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के शब्दों को फिर से परिभाषित करना जिससे आर.डी.एक्स, पेंट्न और इसी तरह के अन्य विस्फोटक या इनसे चलित हथियारों से किए गए अपराधों और रिमोट कंट्रोल से कराए गए विस्फोट की स्थिति में अधिनियम की इन धाराओं के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित सजा को बढ़ाकर कम-से-कम मृत्युदंड या आजीवन कारावास के कठोर दंड का प्रावधान किया जा सके; और

(तीन) विधेयक में एक नए खंड को जोड़ा जाना जिससे कि अभियोजन की स्वीकृति का अधिकार केन्द्र सरकार की बजाय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेटों को दिए जाने का प्रावधान हो।

माननीय सदस्यों को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस विधेयक पर अब चर्चा हो चुकी है और 20.11.2001 को राज्य सभा द्वारा इसे पारित किया जा चुका है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सभा द्वारा यथा पारित विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए और इसे इस महान सदन द्वारा भी पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> ''कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।''

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदय, 'विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001' शीर्षक से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और इसे राज्य सभा में पहले ही पारित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में फैले आतंकवादी संगठनों द्वारा किसी भी हद तक जाकर विस्फोट करने की वर्तमान प्रवृत्ति से निपटने के लिए कठोर-से-कठोर कानून बनाना है।

अपराह्न 3.00 बजे

यह अपराध जगत की पराकाष्ठा है कि भारत में करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का नित्य नुकसान हो रहा है और हजारों निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। विस्फोट के मामले में निपुणता हासिल किए बिना आतंकवादी संगठनों को पहचान पाना कठिन है। यह उनके प्रयोजन के जोरदार प्रचार-प्रसार का सुविधाजनक हथियार बन गया है जिससे कि आम जनता का ध्यान आसानी से आकर्षित किया जा सके।

महोदय, इस विधायी दस्तावेज में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 2, 3, 4 और 5 के बदले नई धाराएं बनाए जाने की मांग की गई है। 1908 के इस विधेयक की उत्पत्ति बंगाल में तब हुई थी जब बंगाल विभाजन के बाद वहां भारी राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी। इस विधेयक में सात धाराएं हैं। यह बंगाल में ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक आंदोलन को कमजोर करने की ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की साजिश थी। न केवल राष्ट्र की सीमा के पास, बल्कि पूरे विश्व क्षितिज पर छाए आतंकवाद के इस

[श्री अधीर चौधरी]

वीभत्स रूप का सफाया करने के लिए कठोर-से-कठोर उपाय किए जाने की जरूरत है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। फिर भी, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका अपरिहार्य रूप से स्पष्टीकरण जरूरी है।

पहली बात तो यह कि यह विधेयक अपने आप में आशंकाओं से रहित नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधेयक में लापरवाही और सतहीपन साफ झलकते हैं। एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण आज के समय की मांग है क्योंकि आतंकवाद के पर न केवल भारत के लोगों तक निकल रहे हैं बल्कि इसका अनुभव समस्त विश्व में भी किया जा रहा है। यहां तो केवल दंड विधान को कठोर बनाने के लिए मूल अधिनियम की धारा 2-5 के प्रावधानों में संशोधन की मांग की गई है। यहां आर.डी.एक्स. और मंत्री द्वारा पहले बताई गई कई अन्य सामग्रियों जैसे संबद्ध पदार्थों की प्राण-घातकता के मद्देनजर विस्फोटक पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है।

अपराह्न 3.04 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

किन्तु, इस विधेयक में कई जगहों पर विसंगतियां हैं। यहां मैं एक चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक दंड का सवाल है, तो खंड 3 के अंतर्गत किसी को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, किन्तु उसी जगह जब कोई खंड 4 के अन्तर्गत दोषी पाया जाता है, तो उसे केवल आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा।

यह एक ही परिणाम के लिए दो अलग-अलग तरह के पुरस्कार के समान है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि 'आजीवन कारावास' और 'आजीवन कारावास की कठोर सजा' में क्या सूक्ष्म भेद है? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के खंड 5 में कहा गया है "कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाएगा या जानबूझकर अपने पास रखेगा या अपने नियंत्रणाधीन रखेगा जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या अपने पास या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है जब तक कि वह यह दर्शित नहीं कर देता है कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया या अपने पास रखा या अपने नियंत्रणाधीन रखा है............ से दंडनीय होगा।" यहां यह समझा जाता है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभियुक्तों पर अनिवार्य रूप से डाला जा रहा है। आप 'युक्तियुक्त संदेह' को परिभाषित कैसे करेंगे? इस विधेयक में 'युक्तियुक्त संदेह' को परिभाषित करने का मानदंड क्या होगा? इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

विधेयक में धारा 7 में संशोधन किए जाने की मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि अभियोजन स्वीकृति का अधिकार अब जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाए। अब तक यह अधिकार केन्द्र सरकार के हाथ में था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या जिला मैजिस्ट्रेट का कार्यालय इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए काफी है? यहां आपने उच्च सुघट्यता और निम्न वाष्पोत्सर्जन वाले विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थों के बारे में कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों के निपटारे के लिए कोई विशेष अदालत गठित की जा रही है।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि गत दस वर्षों के दौरान विस्फोट की कितनी घटनाएं घटी हैं और अब तक कितनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है? मैं जानना चाहता हूं कि आप उन लोगों से निपटने के लिए किसी विशेष श्रेणी के सशस्त्र बल को तैनात करने जा रहे है जिनके पास से आर.डी.एक्स. जैसी शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री बरामद हुई हैं।

स्थायी समिति में इस मामले के उस पहलू को भी उठाया गया है जो अपराधी मानसिकता से संबंधित है।

हम जानते हैं कि भारत बारूद के ढेर पर बैठा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पूरा देश ही आतंकवादी संगठनों से भरा पड़ा है। विस्फोट नित्य दिन की घटना बन गया है। वर्ष 1985 में निर्दोष यात्रियों के उस दु:खद अन्त को आज भी हम नहीं भुला सकते जब कनिष्क एयरक्राफ्ट को उड़ान के दौरान विस्फोट से उड़ा दिया गया था। हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी के विस्फोट में टुकड़े-टुकड़े हो गये थे। बम्बई में विस्फोट ने सैकड़ों लोगों की जानें लीं। हाल के दिनों में जम्मू और कश्मीर विधान सभा पर फिदायीन बम हमले हुए हैं। इसमें भी कई निर्दोष जानें गईं। ये तो ऐसे मामलों के बस उदाहरण मात्र है।

पूरी दुनिया ने विश्व व्यापार केन्द्र के टावर और पेंटागन पर यात्री विमानों से हुए हमले के आतंक को देखा है। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि किसी यात्री विमान का दहशद फैलाने वाले फिक्स्ड-विंग प्रक्षेपास्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है।

केवल 19 आतंकवादियों ने महाआतंक का यह खेल खेला था। हमने इसे अपने टेलीविजन के स्क्रीन पर देखा जहां दिखाया गया था - 'यूएसए अंडर अटैक'।

क्या हम इन स्थितियों से निपटने को तैयार हैं? कार बम, ट्रक बम और आत्मघाती बमों से हम सब परिचित हैं।

किन्तु आज विश्व के क्षितिज पर यह आतंक जैव-आतंकवाद, रासायनिक आतंकवाद और रेडियो धार्मिता आतंकवाद के रूप में उभर रहा है।

महोदय, आज मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि आतंकवादी संगठनों अर्थात् अल कायदा के आयुधागार में एक गुब्बारा बम भी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये सब ऐसे विस्फोटक हैं जिनसे हम अभी तक अंजान थे। मैं इस सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हमें कुछ निरोधात्मक उपाय करने चाहिएं क्योंकि प्रभावकारी निरोधात्मक उपाय किए बिना हम इस आतंकवाद को नहीं मिटा सकते।

महोदय, सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह विस्फोटक सामग्री इस देश में कैसे लाई जाती है और क्या आतंकवादी संगठन इन सामग्रियों को स्वदेश में ही खरीदते हैं अथवा इनकी पूर्ति किसी दूसरे देश द्वारा की जा रही है।

महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कश्मीर से पूर्वोत्तर तक हमारे आतंकवादी संगठनों को दुश्मन देशों द्वारा सहायता दी जा रही है और भड़काया जा रहा है। अत: हमें ऐसे सशस्त्र बलों का गठन करना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है हमारी सीमा-चौकियां और हमारे सीमा सुरक्षा बल कर्मी अपने उपकरणों और मशीनों से ऐसी विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं हैं। अत: इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए हमें विशेष श्रेणी के सशस्त्र कर्मियों की आवश्यकता है।

महोदय, कभी-कभी समाचार पत्रों में यह भी आ रहा है कि हमारे आयुध कारखानों में कुछ चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। इसलिए, हम आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से घिरे हुए हैं। इसलिए गुपचुप चलने वाली इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना पड़ेगा और इस संबंध में और कड़े कानूनों की आवश्यकता है।

महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विदेशी विमान सेवाओं ने विस्फोटकों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों का प्रयोग किया जा रहा है। विमान सेवा विस्फोटक सामग्रियों को ले जाने के लिए एक जरिया है।

अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि, मैं पुन: सरकार से अनुरोध करता हूं कि पोटो के बारे में कुछ न कहें। मैं जानता हूं कि इसे लागू करना सरकार का लक्ष्य है। परन्तु पोटो पूरी तरह अपने इस रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमने निषेधाधिकार का प्रयोग करने का निर्णय किया है।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक (मथुरापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं विस्फोटक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2001 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक पर तब बोला था जब 1999 में यह सभा के सामने आया था।

अब, मैं अपना भाषण मुख्यतया अपने संशोधनों, जिसे मैं सभा-पटल पर रख रहा हूं तक सीमित रखूंगा।

पहले, इस विधेयक में धारा 2 के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इसका प्रारूप बहुत लापरवाही से तैयार किया गया है। किसी विस्फोटक पदार्थ को एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या यह कोई परिभाषा हैं?

महोदय, मुझे पता है कि आप गणित में प्रोफेसर हैं। विस्फोटक पदार्थ सिर्फ विस्फोटक पदार्थ है। क्या यह कोई परिभाषा है? उपकरण, मशीन अथवा औजार क्या इसे विस्फोटक पदार्थ कहा जा सकता है? इसका प्रारूप बहुत लापरवाही से तैयार किया गया है।

किसी विस्फोटक पदार्थ को कानून में परिभाषित किया जाना चाहिए। यह बिना किसी संदिग्धता के बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यह इस प्रकार होना चाहिए।

दो प्रकार के विस्फोटक पदार्थ होते हैं। एक पारम्परिक और दूसरा अपारम्परिक अर्थात् नाभिकीय विस्फोटक। मेरे निवेदन के अनुसार, पारम्परिक अर्थ में विस्फोटक पदार्थ को ठोस, गैस अथवा तरल सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है उपकरण के रूप में नहीं। यह ऐसी सामग्री है जो प्रयोग की जाती है तो बहुत तीव्र स्व-पोषित एक्सोथर्मिक अपघटन के द्वारा भारी ऊष्मा और दबाव छोड़ेगी। यही विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा है। परन्तु विधेयक में यह एक उपकरण है, यह एक मशीन है। ये सब विस्फोटक पदार्थ हैं जैसा कि यहां परिभाषित किया गया है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। यह बहुत कमजोर परिभाषा है।

अपारम्परिक विस्फोटकों के संबंध में पिछली बार भी मैंने अपारम्परिक विस्फोटकों, अर्थात् नाभिकीय विस्फोटकों को इस विधेयक में शामिल करने की प्रार्थना की थी। आप जानते हैं और प्रत्येक नाभिकीय वैज्ञानिक जानता है कि कोई कम संकटपूर्ण पुंज (सब-क्रिटीकल मास) भी हानिकारक हो सकता है। किसी नाभिकीय बम और किसी परमाणु बम के लिए (क्रिटीकल मास) यूरेनियम-

[प्रो. आर.आर. प्रमाणिक]

235 के 2 किलोग्राम से 100 किलोग्राम होता है और प्लूटोनियम के लिए कम मात्रा होती है। अब सब-क्रिटिकल मास को उपयुक्त दबाव और उपयुक्त विन्यास द्वारा संकटपूर्ण पुंज (क्रिटिकल मास) बनाया जा सकता है। जैसाकि अब यह संभव है कि लघु परमाणु बम अब एक वास्तविकता है। इसे 'डी.ए.टी.' परमाणु बम अथवा (ट्रैश-कैन) परमाणु बम कहा जाता है। ट्रेस कैन परमाणु बम का अलग तंत्र होता है। मैं इसकी बाद में व्याख्या करूंगा। अब, यदि कुछ किलोग्राम यानी एक किलोग्राम अथवा दो किलोग्राम यूरेनियम-235 की कम मात्रा के कम संकटपूर्ण पुंज का विस्फोट होता है तो यह कम संकटपूर्ण परमाणु बम होता है जो कि 320 मी. टन 'टी.एन.टी.' के बराबर है। यह इस संसद भवन को पूर्णतया ध्वस्त कर सकता है। इसलिए, कम-संकटपूर्ण परमाणु बम एक वास्तविकता है। लघु परमाणु बम एक वास्तविकता है। ''ट्रैस-कैन'' परमाणु बम एक वास्तविकता है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। यह सूटकेस बम की भांति है। आप समाचार-पत्रों में देख सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन के पास ऐसे 125 परमाणु बम हैं। उन्हें एक सूटकेस में ले जाया जा सकता है जिसका कहीं भी विस्फोट किया जा सकता है।

ट्रैश-कैन परमाणु बम एक बहुत खतरनाक बम होता है। कुछ नाभिकीय अपशिष्ट या तो प्लूटोनियम या यूरेनियम-235 विश्व में काला-बाजार में बेचा जा रहा है जो कि पूर्व सोवियत संघ, कजाकिस्तान से आ रहे हैं। उसे खरीदा जा सकता है। इन आतंकवादियों के पास यूरेनियम-235 और प्लूटोनियम का नाभिकीय अपशिष्ट है। एक किलोग्राम या दो किलोग्राम के ट्रैश-कैन बम की पारम्परिक बम के भीतर रखा जा सकता है। यदि ऐसा विस्फोट दिल्ली में होता है तो रेडियो-धर्मी सामग्री हवा में आ जायेगी। तत्काल सैकड़ों लोग मर जायेंगे और हजारों लोगों को बाद में केंसर हो जायेगा और सम्पूर्ण हवा तथा पानी रेडियो-धर्मी रूप से प्रदूषित हो जायेगा तथा पूरी आबादी को हटाना पड़ेगा। यह ट्रैस कैन बम का खतरा है। यह स्विट्जरलैंड में सी.ई.आर.एन. संस्था के वैज्ञानिकों की राय है। यह वहां के सर्वोच्च नाभिकीय वैज्ञानिकों की राय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अपारम्परिक नाभिकीय युक्ति को भी इस विधेयक में सम्मिलित करें।

महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं 22 सितम्बर, 2001 के 'दि स्टेट्समैन' ट्रैश-कैन बम 'कैन फाल इंटू दि हैंड्स ऑफ टेररिस्ट्स' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार को पढ़ूंगा। यह छोटा सा है। इसमें कहा गया है:

> ''शीर्ष नाभिकीय वैज्ञानिक इसे 'ट्रैश-कैन' बम कह रहे हैं। बम, जो कि वास्तव में हल्का और तैयार नाभिकीय उपकरण है, अगले कुछ वर्षों में आतंकवादियों के हाथों में पड़ सकता है।

सी.ई.आर.एन. के प्रमुख वैज्ञानिकों अथवा यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च और दि कमिसरेट् एल एनर्जी एटोमिक जो कि इस समय भारत में हैं, ने निकट भविष्य में भारी मात्रा में यूरेनियम आतंकवादियों के हाथों में पड़ने और फिर निशानों, आमतौर पर बड़े शहरों पर रेडियोधर्मिता की बौछार की निश्चित संभावना की बात कही है। सी.ई.ए. के एक अधिकारी ने कहा है कि कोई पारम्परिक बम नहीं होगा। आतंकवादियों के हाथ कुछ नाभिकीय अपशिष्ट अथवा यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम, जो साधारण बमों को नाभिकीय हथियार बनाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं, लग जाते हैं और वे इससे बम बना लेते हैं।''

''जब तबाही के लिए किसी बड़े शहर के मध्य रखे हुए बम का विस्फोट होता है तो यह बड़े क्षेत्र में रेडियोधर्मी सामग्री की बौछार करता है। इसका तात्पर्य एक पारम्परिक अग्नि-पुंज, जैसा कि हिरोशिमा या नागासाकी में देखा गया था और सैंकड़ों-हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, नहीं होगा। परन्तु निश्चित रूप से कई सौ लोग तत्काल मर जाएंगे और हजारों लोगों पर रेडियोधर्मिता का असर पड़ेगा जिससे भविष्य में कैंसर और अन्य अन्तस्थ बीमारियां होंगी। आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। सी.ई.आर.एन. के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री जुर्गुन शूक्राफ्ट ने कहा कि क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। क्षेत्र दूषित हो जायेगा और वर्षों तक उपयोग के लायक नहीं रहेगा। कोई क्षेत्र कितना दूषित हो सकता है, यह प्रयोग किए गए ईंधन की मात्रा तथा गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। उदाहरणार्थ, प्लूटोनियम की आमतौर पर यूरेनियम से लम्बी 'हाफ-लाइफ' होती है। यूरेनियम के मामले में भी यह देखना होगा की क्या यह हथियारों के स्तर का यूरेनियम है अथवा ''डीपलीटेड'' है अथवा इन दोनों के मध्य कुछ हैं। उन्होंने माना कि ईंधन चाहे कुछ भी हो विस्फोट से भारी आतंक फैलेगा। उन्होंने कहा कि तुर्की में अधिकारियों को लोग काला-बाजार में हथियारों में प्रयुक्त होने वाले एक कि.ग्रा. यूरेनियम 235 की बिक्री का प्रयास करते हुए मिले। उन्होंने कहा कि एक कि.ग्रा. यू-235 बहुत बड़े क्षेत्र को कई वर्षों के लिए दूषित करने के लिए काफी होगा। उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकांश पदार्थों की रूस और अन्य गणराज्यों, कि जो किसी समय सोवियत संघ के हिस्से थे, से तस्करी की जा रही हैं मध्य एशियाई गणराज्यों में भी पुराने नाभिकीय ऊर्जा केन्द्र हैं और किसी समय क़जाकिस्तान के पास नाभिकीय हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा था। तथापि, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के लिए नाभिकीय हथियार प्राप्त करना अथवा उनका निर्माण करना बहुत कठिन हो सकता है परन्तु वे 'ट्रैस कैन' बम बनाने में पूरी तरह समर्थ हैं।''

इसलिए' ''ट्रैस कैन'' बम एक वास्तविकता है और इसे विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं बहुत से विस्फोटकों जो भविष्य में संभावित हैं, के बारे में खण्ड 2, उप-खण्ड की बात करूंगा। हममें से बहुतों को ज्ञात होगा कि आर.डी.एक्स. का आविष्कार 1899 में किया गया था परन्तु इसका विस्फोटक के रूप में प्रयोग 1920 में किया गया था। इस प्रकार इसे विस्फोटक के रूप में प्रयोग करने में 20 वर्ष लगे थे। अत: ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भविष्य में बन सकती हैं इसलिए इस खण्ड में उन पदार्थों को शामिल करने के लिए उपबन्ध होना चाहिए जो कि भविष्य में बन सकते हैं। मेरा संशोधन धारा 2, उप-खण्ड (ख) से संबंधित है जिसमें रिमोट कंट्रोल उपकरणों द्वारा किए जाने वाल विस्फोटों और ऐसे अन्य पदार्थों का जिक्र किया गया है, में अपने संशोधन दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसका 'कोई अन्य पदार्थ' के रूप में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इसे विशेष रूप से उल्लिखित किए जाने की आवश्यकता है कि ''कौन से पदार्थ''। मैं इस संबंध में अपने संशोधन दूंगा कि यह कहा जाना चाहिए कि कोई अन्य पदार्थ जो भविष्य में बन सकता है उसे विस्फोटक पदार्थों की विशेष श्रेणी में शामिल किया जाए। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। यह समुचित रूप से विशेषित किया जाना चाहिए कि उस पदार्थ को बाद में विस्फोटक पदार्थों की विशेष श्रेणी के रूप में शामिल किया जायेगा। आप विस्फोटक पदार्थों की सूची में शामिल किए जाने वाले पदार्थ को 'कोई अन्य पदार्थ' नहीं कह सकते।

माननीय सभापति महोदय, कठोर आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की भारी सजा देने के बारे में उल्लेख किया गया है।

विकसित देश मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इसे इस विधेयक में पुर:स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार यहां ''जानते हुए और जानबूझकर'' शब्द का प्रयोग करे। मंत्री महोदय, किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उसके द्वारा ऐसा कृत्य अवैधानिक रूप से तथा वैमनस्यतावश किए जाने के अतिरिक्त जानबूझकर किया गया होना चाहिए। मैं एक आम आदमी हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेरी जेब में इस प्रकार का एक किलोग्राम पदार्थ रख देता है और मुझे पता नहीं है कि इसे लेकर चलना गैर-कानूनी है तो विधेयक के उपबन्धों के अंतर्गत क्या होगा कि मुझे फांसी दे दी जाएगी। आप केवल इस पदार्थ का रखने या से ही मृत्यु दंड का प्रावधान कर रहे हैं।

इसी तरह का मामला कोलकाता उच्च न्यायालय में ब्रिटिश शासन के दौरान आया था, उस समय, आशुतोष मुखर्जी वकील ने इस आधार पर इस मामले की वकालत की कि अभियुक्त ने इसे 'जानबूझकर और इच्छापूर्वक' नहीं किया। यह बहुत सार्थक है। किसी चीज को अवैध रूप से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जाना काफी नहीं होना चाहिए। आप किसी पर आरोप लगाते है और उसे फांसी देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको शत प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए कि वही उस अपराध का अपराधी है। हमारे कानून में सन्देह लाभ की अवधारणा है। भारतीय कानून के अनुसार आप किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी नहीं दे सकते है। इसलिए ''जानबूझकर और इच्छापूर्वक'' शब्दों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मात्र अवैध रूप से और दुर्भावनापूर्ण रूप से सही नहीं है।

देखिए, धारा 3(क) और (ख) का मसौदा कैसे लापरवाही से तैयार किया गया है। 3(क) के अनुसार कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धतया और विद्वेषतया–

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, वह चाहे, क्षति किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुत: हुई हो अथवा नहीं, आजीवन कारावास आदि से दंडित किया जाएगा। 3 (ख) के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्धतया और विद्वेषतया–

किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ इस प्रकार द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, वह, चाहे क्षति किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुत: हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडित किया जाएगा। इसलिए यदि आप किसी आदमी को कट्टे से मारते हैं तो आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा, यदि आप किसी आदमी को पिस्तौल से मारते है तो आपको फांसी होगी। क्या इसका तात्पर्य ऐसा हो सकता है? इसका मसौदा इस तरह से तैयार किया गया है। एक ही परिणाम के लिए सजा अलग-अलग है, एक अपराध विस्फोटक पदार्थ से किया जाता है और दूसरा विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ से किया जाता है। इसका परिणाम एक ही है लेकिन सजा अलग-अलग, यह कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति को तलवार से या पिस्तौल से मारने की सजा एक ही होनी चाहिए, और तो और यहां कोई मरना नहीं चाहता है। चाहे किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को क्षति पहुंची हो या नहीं लेकिन दोषी को यह सजा मिलेगी।

[प्रो. आर.आ. प्रमाणिक]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मृत्यु दण्ड दिए जाने की शुरूआत न की जाए। यह मेरी तात्कालिक प्रार्थना है। इंग्लैड ने बहुत पहले एक धूम्रपान-विरोधी कानून था जिसके अन्तर्गत धूम्रपान के लिए मौत की सजा दी जाती थी, एक व्यक्ति को धूम्रपान के कारण फांसी दे दी गई जबकि वह नहीं जानता था कि इसके लिए मृत्यु दंड मिलेगा। इस मुद्दे पर ब्रिटिश लोग उत्तेजित हो गए। बाद में ब्रिटेन से मृत्यु दंड सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। एक समय जब कई विकसित देश मृत्यु दंड को समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप विस्फोटक पदार्थ रखने पर मृत्यु दंड का प्रावधान करने की बात कर रहे है! मैं मंत्रीजी से विधेयक से मृत्यु दंड संबंधी भाग को हटाने का अनुरोध करता हूं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था 'केवल ईश्वर ही जीवन ले सकता है क्योंकि केवल ईश्वर ही जीवन दे सकता है।'

इसलिए, ईश्वर ही जान ले सकता है क्योंकि वही इसे देता है। हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। जीवन बेश कीमती है, यदि यह विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो कई निर्दोष लोगों को फांसी हो सकती है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मृत्यु दंड की प्रथा को आरम्भ न किया जाए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में और सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। साधारण विस्फोटक रखने के लिए वह आजीवन कारावास और उच्च विस्फोटक पदार्थों के लिए वे सख्त सजा दे सकते है लेकिन मृत्यु दंड नहीं। कृपया, इसे न दिया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका भाषण जारी रहेगा। अब हम प्राइवेट मैम्बर्स रिजोल्यूशन लेंगे।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पाण्डिचेरी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 28 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 28 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय की समीक्षा – *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुनील खां द्वारा पेश किए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय की समीक्षा संबधी संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करने से पूर्व, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि सभा द्वारा इस चर्चा के लिए आवंटित दो घंटों में से एक घंटे 57 मिनट का समय समाप्त हो गया है। अब सभा को इस संकल्प पर आगे चर्चा करने के लिए समय बढ़ाना है।

क्या सभा यह चाहती है कि इस संकल्प के लिए समय को आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

यदि सभा की अनुमति हो तो समय को आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): हमें और भी टाइम चाहिए।

सभापति महोदय : यह उसी समय देखा जाएगा।

[अनुवाद]

अब, श्री मणिशंकर अय्यर।

श्री मणिशंकर अय्यर : सभापति महोदय, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण चर्चा जो दोहा सम्मेलन से पहले और दोहा मंत्रिस्तरीय

बैठक के बाद आरम्भ है, इसलिए यह हम पर निर्भर है कि दोहा में कृषि और उद्योग के विषय पर जो हुआ उस पर विचार किया जाए।

तथापि, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी ने सभा पटल पर इसका विस्तृत विवरण रखा है और मैं यह कहने का साहस करूंगा कि इस सभा को इस वक्तव्य की सम्पूर्णता पर विचार करना होगा। इसलिए, यहां श्री मारन के इस वक्तव्य जिस पर सभा अन्य अवसर पर वाद-विवाद हेतु विचार करेगी, पर वाद-विवाद आरम्भ करने के प्रयास के बिना, मैं अपने आप को इस वक्तव्य से उठने वाली टिप्पणी तक ही सीमित रखूंगा और जब कभी सभा द्वारा इसे समग्र रूप से चर्चा के लिए लिया जाएगा तब इस वक्तव्य पर बोलने के लिए मैं अपना अधिकार आरक्षित रखना चाहूंगा। वह वाक्य इस प्रकार है कि कृषि के संबंध में भारत की मूल चिन्ता की पर्याप्त रूप से घोषणा पत्र में सुरक्षा की गई है।

मुझे लगता है कि यह खतरनाक आत्म संतुष्टि है। यह सत्य है कि हमारी कुछ चिंताओं का निवारण किया है, यह सत्य है कि कृषि के संबंध में हमारी चिंताओं के बारे में हम कुछ सीमा तक आगे बढ़े हैं। लेकिन खुलकर कहा जाए तो जिन हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा की गई है उससे लगता है कि इससे भारतीय कृषि और भारतीय किसान और खेत मजदूरों के सामने आ रही समस्याओं की पहचान में पर्याप्त कमी प्रतिबिम्बित ही होती है।

मैं श्री मारन की व्यापारिक प्रश्नों तक सीमित पहल को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। इस पहल में कृषि से संबंधित आर्थिक अनिवार्यताओं की पूर्णता निहित नहीं है। श्री मारन ने बजाय श्री नीतीश कुमार कृषि के संबंध में हमारी अधिकतर समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मुझे आशा थी कि इस संबंध में श्री मारन ने श्री नीतिश की भावनाओं पर विचार किया होता तो दोहा में कृषि के संबंध में जो कुछ हुआ उस पर सन्तुष्टिजनक अभिव्यक्ति नहीं करते।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): श्री नीतीश कुमार ने इसका मसौदा तैयार किया था।

श्री मणिशंकर अय्यर : इसलिए, इसका तात्पर्य हुआ कि आप उन्हें भारतीय घरेलू कृषि को बर्बाद करने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं बल्कि कृषि संबंधी हमारे व्यापार को बर्बाद करने की अनुमति दे रहे हैं। श्री मारन, जिन पर मैं श्री नीतीश कुमार की तुलना में अधिक विश्वास करता हूं, से अपनी जिम्मेदारी गम्भीरता से निभाने का अनुरोध करता हूं और यह सुनिश्चित करने ...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): अब वे रेलवे मंत्रालय में चले गए हैं।

श्री मुरासोली मारन : मेरा मतलब कृषि मंत्रालय से है। जो भी कृषि मंत्रालय का प्रभारी था, हमने उसके हस्ताक्षर लिए और तब मसौदे को जिनेवा भेजा।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि जैसा कि श्री मारन ने अपने उद्घाटन भाषण में आरम्भ में कहा था कि कृषि के संबंध में भारतीय पक्ष को कृषि मंत्रालय की पूरी स्वीकृति थी और वह उसमें पूर्णतः शामिल था, मैं श्री मारन द्वारा दोहा वार्ता के समापन के समय दिए गए उस वक्तव्य का जिक्र कर रहा हूं जहां उन्होंने इस सभा में वह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि "हमारे सभी हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा की गई है"। मैं नहीं समझता कि उनकी पर्याप्त रूप से सुरक्षा की गई है। उनकी सुरक्षा दोहा से पहले अधिक की गई थी लेकिन इसमें अभी भी गहन चिंताएं हैं और मैं समझता हूं कि इसका संबंध उन चिंताओं से है जिनका जिक्र भी सुनील खां का संकल्प करता है।

इस सरकार के लिए पहली और महत्वपूर्ण बात वह है जिसे सभा और देश ने बहुत पहले मान्यता दे दी थी कि सुधारों के पहले दशक की तुलना में कृषि में भारत की उपलब्धि समाजवाद के अंतिम दशक, अस्सी के दशक में कहीं बेहतर थी। आर्थिक सुधारों के पहले पांच वर्षों में आठवें दशक में और नौवें दशक के पूर्वार्द्ध की हमारी उपलब्धियों में कुछ सीमा तक समानता थी। परन्तु तभी से ऐसी गंभीर गिरावट आ रही है और मेरा विचार है कि जो सरकार हमारे किसानों, खेत मजदूरों के प्रति उत्तरदायी है, को कृषि क्षेत्र के निष्पादन में उदारीकरण से पूर्व के दशकों की तुलना में उदारीकरण के दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तीव्र गिरावट को देखा है, उसे इसका अवश्य संज्ञान लेना चाहिए। मैं इसके विस्तार में जाने की इच्छा नहीं रखता हूं क्योंकि इसके लिए यह उचित मंच नहीं है। परन्तु मैं बस इस बिन्दु पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि आप श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किए गये बजट से ठीक पहले प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो आप पाएंगे कि जूट और मेस्था जहां नब्बे के दशक में 0.2 प्रतिशत अथवा 0.3 प्रतिशत की वृद्धि-दर अस्सी के दशक की वृद्धि दर से सीमान्त रुप से ज्यादा थी तथा कपास, जहां नब्बे के दशक की वृद्धि दर अस्सी के दशक की वृद्धि दर से कमोबेश एकसमान थी, के अलावा किसी भी अन्य उत्पाद के मामले में, चाहे वह गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, वानिकी फसल और सबसे ज्यादा तिलहन के मामलों में नब्बे के दशक में उत्पादन निष्पादन अस्सी के दशक से काफी नीचे रहा है। निश्चय

[श्री मणिशंकर अय्यर]

ही, इसके कई कारण हैं परन्तु एक रास्ता, जिसके माध्यम से हम अपने किसानों को अल्प-उत्पादकता, अल्प-आय एवं अल्प रोजगार के जाल से निकलने में समर्थ बना सकते हैं जिसमें वे नब्बे के दशक में फंसे थे, कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित पर्याप्त सुरक्षोपाय के साथ निर्यात क्षेत्र में हमें तेजी से अत्यधिक निष्पादन को प्राप्त करना है।

दुर्भाग्यवश, महोदय, हम यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने मराकस्स समझौता होने के बाद से ही पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यापार क्षेत्र में इस प्रकार से निष्पादन किया है। उदाहरणार्थ, शुल्क वृद्धि को ही लें। जब भी आवश्यक होता है, आप विशेषकर अपने शुल्कों को सीमित सीमा तक बढ़ाए जाने में नम्यता लाने हेतु शुल्क को तय करते हैं। फिर भी, खाद्य तेल के क्षेत्र में, जो भारत के निर्धन तथा किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि तिलहन मुख्यत: वर्षा वाली स्थितियों में उपजता है न कि सिंचित स्थितियों में। जहां 1980 के दशक में, विस्मयकारी एवं चमत्कारिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जब भारत 90 के अर्ध दशक में उस समय कच्चे तेल के बाद खाद्य तेलों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया था जब हम खाद्य तेल के निवल निर्यातक बन गये थे। तब से आज तक पूरा बदलाव हो चुका है। तिलहन किसानों के साथ-साथ तिलहन पिराई उद्योग को इस बड़े बदलाव से नुकसान हुआ है। जब ये सब चीजें हो रही थी, तो खाद्य तेल के आयात में इतनी जबर्दस्त वृद्धि हुई कि सरकार को भारतीय तिलहन किसानों एवं भारतीय तिलहन उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए खाद्य तेल आयात के शुल्कों में पहले ही बढ़ोत्तरी करनी चाहिए थी। यह ऐसा कर पाने में पूरी तरह असफल रही है। यह बहुत ही धीमा है। उन्होंने सोयाबीन तेल के अलावा सभी चीजों पर 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। यह वह कदम है जिसे तीन या चार वर्ष पहले आसानी से उठाया जा सकता था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप हमारे तिलहन किसानों और इससे संबंधित उद्योगों पर भी बड़ा ही गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अपराह्न 3.42 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

मैं इस संबंध में योजना आयोग के पूर्व सदस्य सी.एच. हनुमंता राव के एक लेख की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें वह कहते हैं:

> **"300 प्रतिशत के उच्च शुल्क नियंत्रण के बावजूद, यह बाजार आसूचना की विफलता, सजगता की कमी तथा आयात शुल्कों को बढ़ाने की तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर पाने में अक्षमता के कारण है कि हमारे यहां खाद्य तेल के आयात में भारी बढ़ोत्तरी हुई है।"**

इस संबंध में वे दोनों ही 2000 के चांद तथा 2001 के अशोक गुलाटी के लेखों को उद्धृत करते हैं।

फिर हमें उपलब्ध अन्य प्रकार के सुरक्षोपायों का भी अपर्याप्त प्रयोग किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की समस्त छत्रछाया में किए गए द्विपक्षीय समझौते के लिए द्विपक्षीय कूटनीति में निम्नस्तरीय कूटनीति एवं भारतीय हितों को काफी हद तक न समझने और बाहरी दबाव के आगे घुटने टेकने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए गए समझौते सहित कई द्विपक्षीय समझौतों में भारतीय हितों को समुचित रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है तथा आवश्यक समंजन करने हेतु अनुज्ञेय कुल समय के लिए बिना अनुपालन की तिथि को आगे नहीं रखा जा रहा है।

फिर, सरकार उन राज सहायताओं को खत्म करने के बजाय हमारी राज सहायताओं को खत्म करती रही है जो कि उन विकसित देशों में दी जाती है जो बाहर से आक्रमण हेतु हमारे बाजार को खोले जाने के दौरान हमें बाजार तलाशने से रोक रहे हैं।

अंतत:, विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों द्वारा हमारे ऊपर डाले गए दबावों पर हमारी कूटनीति के द्वारा किया गया प्रहार अपर्याप्त रहा है। यह बहुत दु:खदायी नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री का दोहा से सिर्फ एक सप्ताह पूर्व व्हाइट हाऊस में स्वागत किया जाना चाहिये था और जनता की पूर्ण जानकारी के लिए उन्होंने एक भी ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठाया है जो श्री मारन ने विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन के आरंभ में उठाया था? क्या हमें अपने हितों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? जब स्वयं भारत सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अलग-थलग रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से वायदा किया था तो संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनधि दोहा में श्री मुरासोली मारन को अलग-थलग रखने के लिए विकासशील देशों के हमारे सभी मित्रों पर हर प्रकार के संभावित दबाव डाल रहा था। क्या इसी तरह विदेश नीति में विदेशी आर्थिक नीति के साथ सहयोगिता करती जाती है?

महोदय, व्यापार के क्षेत्र में यह अनिवार्य है कि दो-तीन वर्षों से कृषि संबंधी संशोधित समझौते से पहले, इस संबंध में हमारी गहरी चिंताओं के बारे में विश्व का ध्यान आकर्षित करने, विकासशील देशों का ध्यान आकर्षित करने, विकसित देशों का ध्यान आकर्षित

करने तथा विशेष रुप से संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री के समर्थन से न केवल श्री मारन द्वारा बल्कि श्री जसवंत सिंह द्वारा भी बड़ा ही संकेन्द्रित एवं लक्षित आक्रमण किया गया है।

इस प्रकार, उदाहरणार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस मान्यता को दर्शा सके कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है अथवा देश के कुल रोजगार संरचना में कृषि का योगदान कितना है। भारत में हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत कृषि से आता है तथा हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत कृषि कार्यों में लगा हुआ है। इसकी तुलना विकसित विश्व से कैसे की जा सकती है ? विश्व बैंक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट के अनुसार, जहां भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत कृषि से आता है वहीं जर्मनी में उनके सकल घरेलू उत्पाद का केवल एक प्रतिशत कृषि से आता है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस में यह मात्र दो प्रतिशत है। रोजगार के संबंध में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त है, वहीं जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में जनसंख्या का केवल 3 प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है; संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या का केवल चार प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है तथा फ्रांस में जनसंख्या का केवल छः प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है। जब सकल घरेलू उत्पाद का केवल दो या तीन प्रतिशत कृषि से आता है तथा जनसंख्या का मात्र दो से छः प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है तो विकसित देशों में कृषि को दी जाने वाली पर्याप्त राज सहायता को देखिये।

अशोक गुलाटी के अनुमानों उत्पादक सहायता अनुमानों, पी.एस.इ. के अनुसार यूरोपीय संघ में कृषि को दी जाने वाली सहायता 44 प्रतिशत है, जापान में यह 61 प्रतिशत है, कोरिया गणराज्य में यह 65 प्रतिशत है, नार्वे में यह 66 प्रतिशत है, तथा स्विट्जरलैंड में यह 70 प्रतिशत है। भारत में यह कितनी है? उत्पाद विशिष्ट राज सहायता के लिए यह ऋणात्मक 38.5 प्रतिशत और गैर-उत्पाद विशिष्ट राज सहायता हेतु यह 7.5 प्रतिशत है।

इस प्रकार, यहां हमारे सामने बड़ी विलक्षण स्थिति है कि विश्व बैंक के आग्रह पर भारत के वित्त मंत्री वृहत्-आर्थिक संतुलन को प्राप्त करने के एक माध्यम के रूप में इस सभा में राजसहायता को घटाने के बारे में कहते रहे हैं और न तो श्री जसवंत सिंह और न ही भारत के प्रधानमंत्री इन विकसित देशों में जाते है और कहते हैं कि वे गुनाहगार है, हम केवल उनकी नकल मात्र कर रहे हैं तथा इसलिए हमें भारतीय किसानों के संरक्षण हेतु अपेक्षित स्तर तक राजसहायता में वृद्धि करने का अधिकार होना चाहिए, और साथ ही साथ यह परम आवश्यक है कि सभी विकसित देश व्यापार को व्यापक रूप से विरुपित करने वाली उस हास्यास्पद राजसहायता को कम करें, जो वे अपने देश में दे रहे हैं।

फिर भी, ऐसा नहीं किया जा रहा है। जो कुछ हम सुनाते हैं वह सिर्फ श्री मुरासोली मारन की धीमी आवाज है। उनकी शेष सरकार भी उनका समर्थन नहीं करती है। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार, जब वे दोहा में थे तो उनकी सरकार ने उनपर थप्पड़ भी चलाया था। यदि डी.एम.के. की सरकार दिल्ली में होती तो उनका उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन कैसा होता - यह कम रहा होता यदि एन.डी.ए. की सरकार दिल्ली में सत्तासीन होती। मुझे श्री मारन के लिए अफसोस है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मणिशंकर जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इसका स्टैण्डर्ड टाइम 4.05 बजे खत्म हो जायेगा। अभी एक माननीय सदस्य को बोलना है और माननीय मंत्री जी को इसका उत्तर भी देना होगा। यदि आप संक्षेप में बोलकर खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं कोशिश करता हूं, लेकिन आपके यहां पधारने के पहले रघुवंश प्रसाद जी ने हमसे कहा था कि आधा घंटा खत्म होने पर यदि सदन चाहे तो इसमें और विलम्ब किया जा सकता है और हम एक घंटे तक तो जा सकते हैं। मैं आपकी आज्ञा मानता हूं कि जितने संक्षेप में मैं कह सकता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

कुल कृषि संबंधी राज सहायता के संबंध में स्थिति पर विचार कीजिए। कुल भारतीय कृषि उत्पादन 90 बिलियन डालर का है। परन्तु, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैं उनके कुल उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं-कृषि के लिए राज सहायता 128 बिलियन डालर की है, जो कि भारत के कुल कृषि उत्पादन के कुल मूल्य से ज्यादा है।

और पूरे के पूरे विकसित देशों में 325 बिलियन डालर की कुल राजसहायता दी गई। हमारे कृषक या खाद्य प्रसंस्करणकर्ता इन विकसित देशों को कैसे निर्यात करें? फिर भी, ये वही विकसित देश हैं जो हमें यह व्याख्यान देते रहते हैं कि हमें 1817 में लिखे गये डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांतों से उत्पन्न होने

[श्री मणिशंकर अय्यर]

वाले व्यापार उदारीकरण से कैसे लाभ होने वाला है। यदि उद्योग एवं सेवाओं में व्यापार उदारीकरण से विकासशील देशों को इतना बड़ा लाभ मिलने वाला है तो निश्चित रूप से इसी से कृषि में व्यापार उदारीकरण, जो मौलिक रूप से विकसित देशों का प्रश्न है, अपनी राजसहायता और शुल्कों में कमी करनी चाहिएं और विकसित देशों के लिए लाभप्रद होनी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से, जब श्री मारन एक आर्थिक मंच में दोहा में यह तकनीकी तर्क देते हैं तो साऊथ ब्लॉक से उन्हें किसी प्रकार का राजनैतिक समर्थन नहीं जा रहा है। फिर जब आप यह विचार करते हैं कि जब विदेश नीति एवं विदेश आर्थिक नीति के बीच सहक्रिया थी, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और फिर यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नहीं होता तो समूह-77 कैसे हो सकता था? बस यह विचार कीजिए कि हम तृतीय विश्व को राजनीतिक रूप में लाये तथा इससे हम आर्थिक प्रयोजनों के लिए तृतीय विश्व का समूहीकरण करने में सक्षम हो सके। ये आर्थिक उद्देश्य गैट के भाग-4 में प्रतिबिंबित हुए थे। जब हमने संस्थापक सदस्य के रूप में 1948 में गैट पर हस्ताक्षर किए थे तो विकासशील देशों के पक्ष में विशिष्ट था विभेदक उपायों का कोई प्रावधान नहीं था परन्तु यह भारत ही था जिसने श्री एल.के. झा एवं श्री के.बी. लाल जैसे महान नौकरशाहों के नेतृत्व में आगे कदम बढ़ाये। यह वह समय था जब श्री टी.टी. कृष्णामाचारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। हमने गैट के भाग-4 में दिए गए विशिष्ट एवं विभेदक उपायों को वैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु विकसित देशों पर दबाव डालने में नेतृत्व किया। श्री मारन, जो कि एक असहाय व्यक्ति हैं जो अपनी सरकार के समर्थन के बगैर लड़ाई लड़ रहे हैं, बस यह हासिल करने में समर्थ हो पाये हैं कि वे नेकनीयती से यह कहें कि वे विशिष्ट एवं विभेदक उपायों के पक्ष में हैं परन्तु इसको वैधानिक मान्यता देने के पक्ष में नहीं हैं। उससे भी बुरा यह है कि मुख्यत: विकसित देशों द्वारा सभी प्रकार की छूटों की मांग की जाती है यदि कुछ विकासशील देश ऐसा ही कर रहे है। वे कृषि में व्यापार उदारीकरण से छूट का अनुरोध कर रहे हैं जिन्हें नील-हरित बक्से कहते हैं।

जब शुल्क की बात आती है तो आप सोचते हैं कि हम अपने आप को सोयाबीन तेल के अलावा मूंगफली तेल जैसे खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत नियंत्रणकारी शुल्क लगाकार अत्यधिक संरक्षित कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मूंगफली के लिए शुल्क कितना है? यह 174 प्रतिशत है। विश्व के सर्वाधिक धनी देश में मूंगफली के लिए शुल्क 174 प्रतिशत है और हम इसे उचित एवं न्याय संगत ठहराते हैं। गेहूं के संबंध में, हमारे पास इसका विपुल भंडार पड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ में शुल्क 168 प्रतिशत है तथा चावल उत्पादक एवं चावल खपत करने वाले जापान में गेहूं पर यह 353 प्रतिशत है। और हम यह कह रहे हैं कि हमें व्यापार को उदार बनाना होगा और शुल्क को कम करना होगा। कनाडा में मक्खन पर 360 प्रतिशत शुल्क है। और यहां भारत में दुग्ध उत्पाद बिना शुल्क के आ रहे हैं। हमारे लिए कोई बचाव नहीं है। इसलिए, इस बात को मान्यता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार 'रिकार्डो' के तुलनात्मक अनुकूलता के सिद्धांत के आधार पर होना है तो डेविड रिकार्डो की पुस्तक में दी गई तुलनात्मक अनुकूलता की परिभाषा, जिसे 1817 में "राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सिद्धांत" कहा गया था, में राजसहायता या करों का कोई उल्लेख नहीं था। तुलनात्मक अनुकूलता की उनकी समझ में करों या राजसहायता का कोई स्थान नहीं था। श्री मारन को जिसे वास्तविक वातावरण में काम करना है उसमें करों और राजसहायता के अलावा और कुछ नहीं है जिसे विशेषत: विकसित देशों में देखा जा सकता है।

हम इन नीले, हरे, रंग-बिरंगे बक्सों की बहुलता से इतनी ही प्रगति कर पाए हैं कि जब अपनी जन स्वास्थ्य प्रणाली को कुछ अमरीकी विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विखंडित करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है तो विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। ई.एस.सी.ए.पी. (डा. केप) ने 1995 में यह आकलन किया था कि विकासशील देशों को वस्त्र उद्योग सहित पूर्ण उदारीकरण होने पर कल्याणकारी लाभ अकेले कृषि क्षेत्र के भूमंडलीकरण से होने वाले कल्याणकारी लाभ से ढाई गुना तक हो सकता है। तथापि, औद्योगिक या कृषि क्षेत्र में हमारे हितों के अनुकूल कोई प्रगति नजर नहीं आती। टाल-मटोल के अलावा हम कोई ऐसी वास्तविक वचनबद्धता हासिल नहीं कर पाए हैं जिससे भारतीय किसान को भारतीय बाजार में रक्षा की जा सके या विश्व बाजार में उसके हितों को प्रोत्साहित किया जा सके। इन परिस्थितियों में श्री मुरासोली मारन का यह कहना कि कृषि के क्षेत्र में भारत की प्रमुख चिन्ताओं का समुचित निवारण कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के वास्तविक हितों को परिलक्षित करता है। मुझे आशय है कि आज वह हमें उसी अंदाज में आश्वस्त करेंगे जिस अंदाज में उन्होंने दोहा में शुरूआत में ही अपनी आवाज उठाई थी क्योंकि न तो विदेश मंत्री उपस्थित हैं, न प्रधानमंत्री और विपक्ष में उनके तमाम समर्थक बैठे हुए हैं। दोहा सम्मेलन के समापन पर तो हमने उनकी दबी हुई आवाज ही सुनी थी। कुत्ते की तरह भौंकने का कोई अर्थ नहीं होता जो चौकीदार के आते ही दुमदबा ले और भाग खड़ा हो। हम आशा करते हैं कि श्री मुरासोली मारन की दोहा में कही गई बातें विकासशील देशों की ओर से बाघ की दहाड़ साबित हो न कि लिबरेशन टाइगर्स की

क्योंकि उन्होंने यह दर्शाया है कि भारत के हित में खड़े होने का साहस मात्र उन्हीं में है और वह अपने साथियों की तरह अमरीका के समक्ष झुकने वाले नहीं है। इसलिए, श्री मुरासोली मारन से मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा का उत्तर देते समय वह भारत के किसान और खेत मजदूरों के हित की बात करें।

महोदय, मुझे खेद है कि मुझे श्री सुनील खान के उद्योग से संबंधित प्रस्ताव के दूसरे भाग को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। आपकी अनुमति से मैं अपने भाषण में एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं ताकि मेरा भाषण पूर्ण हो सके। वैध पाटनरोधी उपाय किए जाने और काउंटरवेलिंग शुल्क लगाए जाने में धीमी गति से कार्रवाई होने के कारण छोटे और मझोले उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। महोदय, हमें आशा है कि नई पाटन-रोधी व्यवस्था के माध्यम से आपकी ओर से हम त्वरित कार्रवाई देख पाएंगे। केवल आपसे ही में त्वरित कार्रवाई की आशा है। सिन्हा जी या जसवंत जी की सरकार से हमें कोई आशा नहीं है क्योंकि उन्हें तो व्हाइट हाउस से आदेश लेने होते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आपको आदेश भारत की जनता से प्राप्त होते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, श्री सुनील खां जी ने बड़ा जनहित वाला संकल्प प्रस्तुत किया है और यह देश के हित में है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करे, उसे मान ले तो देश का कल्याण होगा। अभी देश भर में हर जगह बहस चल रही है और डब्ल्यूटीओ का कु-प्रभाव बढ़ा है जिससे सभी लोग चिंतित हैं, खासकर किसान और गरीब आदमी बहुत चिंतित है। 'गैट' जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पहले हुआ था, फिर डंकन प्रस्ताव आया उससे देश भर में हंगामा हुआ और फिर मंत्री जार्ज फर्नांडीज और डा. मुरली मनोहर जोशी, इन दोनों ने डंका पीटकर डंकन के खिलाफ किया और चुप्पी साधे हैं और छटपटा रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

दोहा में हुई कान्फ्रेंस के बारे में विद्वान सदस्य, मणिशंकर अय्यर जी, ने अपनी बात कही है। दोहा पर तो अलग बहस होगी। वैसे माननीय मंत्री जी ने दोहा जाने से पहले विपक्षी सदस्यों से परामर्श किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के हित में खतरा अभी भी है। वहां प्रस्ताव में एग्रीकल्चर जोड़ दिया, एक्सैस बाजार को जोड़ दिया। उसके बाद ट्रिपन, ट्रिम्स और गैट आदि पांच खण्ड जोड़ दिए, जिसका बड़ा भारी दुष्प्रभाव और कुप्रभाव हो रहा है। महोदय इस विषय पर घन्टों बहस हो सकती है, क्योंकि यह जनहित का विषय है। यह ठीक है कि सदन की राय से दो घन्टे का समय निश्चित किया है।

सभापति महोदय : इस संकल्प पर चर्चा का समय 16.05 बजे तक है। यदि माननीय सदस्यों की सहमति हो, तो आधे घन्टे का समय और बढ़ा दिया जाए, ताकि रघुवंश प्रसाद जी अपनी बात कह सकें और माननीय मंत्री जी उत्तर दे सकें तथा साथ ही श्री सुनील खां जी को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। इसलिए इस संकल्प पर चर्चा का समय आधे घन्टे और बढ़ा दिया जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह संकल्प जनहित में है और प्रासंगिक है। वहां मात्रात्मक प्रतिबंध कर दिया। पहली खेप में 714 और दूसरी खेप में 715, कुल 1429 सामानों की लिखा-पढ़ी हो गई है और दस्तखत हो गए। अब माल बाहर से आएगा और कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें कोई रोक-टोक की गुंजाइश नहीं है। जब डंकल का प्रस्ताव आया था, तो छोटे-छोटे जो विकसित देश थे, उनके बाजार में सामान सैटुरेटेड हो गया और अब कोई खरीददार नहीं है, इसलिए हिन्दुस्तान में बाजार की खोज कर रहे हैं। सौ करोड़ वाला देश मात्रात्मक प्रतिबंध हटा, तो धड़ाधड़ बाहर से सामान आएगा। फर्ज कीजिए, किसी मुल्क की आबादी एक करोड़ की है और टी.वी. उत्पादन करने वाले देश एक करोड़ का उत्पादन करते हैं, तो हर घर में एक टी.वी. हो जाएगा। उसके बाद फिर कारखाना बन्द करना पड़ेगा। फिर हिन्दुस्तान के बाजार की तरफ बढ़ो, फिर मंत्री महोदय को जाकर कहना चाहिए कि जनरल एग्रीमेंट में सर्विस का आदान-प्रदान होना चाहिए। इसके भी केवल आधुनिक सेवाओं में आदान-प्रदान नहीं होना चाहिए। आने-जाने के लिए पासपोर्ट को फ्री कर दीजिए। हम लोग तैयार है, हमारे लोग मेहनत करके अपना काम करेंगे। चूंकि, हिन्दुस्तान आधुनिक सेवाओं में पीछे हैं, अन्य विकासशील देश पीछे हैं, आधुनिक सेवाओं में विकसित मुल्क के लोग आयेंगे यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हमारे यहां के वकील, यहां के डाक्टर और मजदूर बाहर नहीं जा सकेंगे। वे यहीं रह जायेंगे और उनके होशियार लोग यहां चले आयेंगे। जब इसके इम्पलीकेशन पर विचार होगा, तो भविष्य अंधकारमय नजर आता है।

आज तेल-उत्पादक किसान मर रहा है। अब उस पर मात्रात्मक प्रतिबंध खत्म हो गया। अय्यर साहब हिसाब जोड़ कर बता रहे थे कि विकसित मुल्कों में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करोड़ों-अरबों की सब्सिडी दी जाती है, किसानों की मदद की जाती है। सब्सिडी के द्वारा मदद पाया हुआ किसान जो उत्पादन करेगा, उससे एक्सपोर्ट की भी सब्सिडी धड़ाधड़ यहां आएगी।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

महोदय, अब सुना गया है कि मुर्गी की टांग में ज्यादा स्वाद है। हिन्दुस्तान के लोग कहते हैं कि मुर्गी की टांग बड़ी स्वादिष्ट होती है, लेकिन अमेरिका में लोग इसे नहीं खाते। वे कहते हैं कि इसमें फैट है। इसे वे नहीं खाते और जो पांच-दस वर्षों से फ्रिज में ठंडे में रखा हुआ है। अब वे उसे वहां फेंके - वे कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान भेज देंगे। अगर वे हिन्दुस्तान में भेजेंगे तो यहां के मुर्गी पालक किसान क्या करेंगे। उसे वहां से सस्ता भेजा जाएगा क्योंकि उनके यहां तो बेकार पड़ा हुआ है लेकिन यहां के लोगों को वही स्वादिष्ट लगता है। वे अगर यहां भेजेंगे तो वह हिन्दुस्तान के बाजार में बिक जाएगा और यहां की मुर्गी को कोई नहीं पूछेगा, जब कि यहां की मुर्गी का स्वाद सबसे अच्छा होता है। अंडे को भी सब लोग बढ़िया मानते हैं, लेकिन जब सस्ता पदार्थ हिन्दुस्तान में आ जाएगा तो यहां के किसान मर जाएंगे। इनका मात्रात्मक प्रतिबंध खत्म हो गया, जिसे ये रोक नहीं पाए हैं। ये दस्तखत कर चुके हैं। माननीय मारन साहब कहते हैं कि यह असेंशियल है, अनिवार्य है - खराबी यही है और इससे बचने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन इनकी खराबी से हिन्दुस्तान कैसे बचेगा - यह चिन्ता का विषय है। इसी में सारी तरकीब और बुद्धि, डिप्लोमेसी लगनी चाहिए। सब विकासशील मुल्क एक जुट हों। इसमें गहन छानबीन और मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो हिन्दुस्तान और किसानों का भविष्य खतरे में है।

अब हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क हो गया है और अमेरिका को भी हम लोगों ने पिछाड़ दिया। अब वे 78 मिलियन टन से बढ़कर 79-80 मिलियन टन उत्पादन पर पहुंचे हैं। अमेरिका पीछे छूट गया है। पिछले साल हम उनकी बराबर पर आए थे। अब यहां दूध वाला पाउडर, दूध से बना दही और अन्य पदार्थ, सब आने की छूट हो गई। इन लोगों ने दस्तखत कर दिए। हमारे यहां अभी तक अनुसंधान चल रहे हैं। दूध दो-तीन रोज में खराब होने लगता है और वहां से पॉश्चुराइज्ड मिल्क वे भेजेंगे, जो तीन महीने तक खराब नहीं होगा। वहां से पाउडर का बनाया हुआ, प्लास्टिक पैकेट में भरा हुआ दूध आ रहा है। हमने बाजार में सेब देखा, उस पर वाशिंगटन लिखा हुआ था। *...(व्यवधान)* मैंने अपने एक जानकार आदमी से पूछा कि क्या वाशिंगटन में सेब नहीं होता, जो इस पर वाशिंगटन लिख दिया है। *...(व्यवधान)* हिन्दुस्तान से बाहर से सेब आ रहा है। आटा, सत्तू, नमक, हल्दी आदि बाहर से आएगी। सब के लिए दस्तखत हो गया, सब आइटम्स को कृपा कर पढ़ा जाए। *...(व्यवधान)* अब चीन और डब्ल्यूटीओ में दस्तखत किया है। *...(व्यवधान)* आप दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में जाकर देखें। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की पूजा होती है। यहां गणेश की मूर्ति का दाम 500 रुपए है और चीनी लोग जो मूर्ति बना कर भेज रहे हैं, उसका दाम 85 रुपए है। चीनी लोगों ने वहां गणेश जी की मूर्ति बना कर भेज दी।

बिजली की लड़ियां या झालर जो दीवाली पर घरों में टांगते हैं या जो बिजली के फानूनस होते हैं भारत में बने फानूस या झालर की कीमत 2000 रुपया है और चीन में बनी की कीमत केवल 500 रुपया है। इस तरह से यहां के छोटे-छोटे उद्योग मर रहे हैं। इसी तरह से गांव में किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उसकी लागत बढ़ रही है और खेत में लगने वाली चीजों का, बिजली का, सिंचाई का खर्च बढ़ रहा है सब्सिडी घट रही है। प्लांट पैस्टीसाइट्स की कीमतें बढ़ रही हैं। यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार के पास उनकी रक्षा का उपाय नहीं है। अगर वह कहती है कि डब्ल्यूटीओ के कारण किसान की हालत खराब नहीं हुई है तो वह बताए कि किस के कारण आज किसान भूखमरी के कगार पर पहुंचा है। नीतीश कुमार जी आ गये हैं। डंकल पर कितना खिलाफ भाषण कर रहे थे। आज भारत के किसान, मजदूर सब परेशान हैं। डब्ल्यूटीओ की मीटिंग जो दोहा में हुई वहां ये हस्ताक्षर करके आये हैं। अब पता नहीं दुबारा कब मीटिंग होगी। लेकिन जब भी मीटिंग हो तो सरकार इस संकल्प के साथ वहां जाए या हमारे प्रतिनिधि वहां जाएं कि हम दुनिया में 100 करोड़ भारतवासी हैं और दुनिया के 16 प्रतिशत लोग हैं और डब्ल्यूटीओ की जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी बातें हैं उनको ध्वम्त करने की आज जरूरत है। जो कानून गरीबों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए खराब हैं उनको तोड़ने की जरूरत है।

भारत में आज मानसिक गरीबी भी काम कर रही है। डब्ल्यूटीओ को करारा जवाब देना चाहिए था। डब्ल्यूटीओ से अगर भारत हट जाएगा तो क्या डब्ल्यूटीओ चल पाएगा, नही चल पाएगा। हम दुनिया के 16 प्रतिशत लोग हैं और हमारे यहां सारा सामान पैदा होता है। इसलिए यह जो क्वान्टेटिव रिस्ट्रिक्शन के विड्राल से सरकार में कमजोरी आ गयी है उस कमजोरी को दूर किया जाए। दस-बीस प्रतिशत आयात शुल्क लगता है लेकिन यहां तो हर तरह का सामान आ रहा है। सरकार बताए कि कितना आयात शुल्क सब पर लगा है। हमारे यहां के किसान और छोटे धंधा करने वाले लोगों का व्यापार आज सुरक्षित नहीं है। सदन को चिंता है। इसलिए सरकार मजबूती से खड़ी होकर आगे दस्तखत करने से पहले इन सब चीजों को देखे। हमें डब्ल्यूटीओ के दुष्प्रभाव से हिंदुस्तान को बचाना होगा। नहीं तो हम उनकी चाल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसीलिए मैं सरकार को सावधान कर रहा हूं। जो बहस आगे हो उसमें सभी विकासशील देशों को मिलकर विकसित देशों से अपने हितों के लिए लड़ना होगा। ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति जी, अभी-अभी हम लोग जर्मनी में एक कांफ्रेस में थे और आज सवेरे ही लौटे हैं। माननीय मणिशंकर अय्यर जी भी उस कांफ्रेस में थे। उस कांफ्रेंस में और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने दोहा कांफ्रेस में भाग लिया - मार्टिन कोर थे, फ्रांस के मिस्टर लाम्बी थे और इस विषय पर भी वहां चर्चा हुई, काफी चर्चा हुई और ऐसी जगह चर्चा हुई जो तटस्थ स्थल है। कुछ लोग उसके साथ थे, कुछ उसके खिलाफ थे। मणिशंकर जी ने जो बात कही मैं उससे ज्यादातर सहमत हूं लेकिन जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला, उससे इस समय सहमत बिल्कुल नहीं हूं। निष्कर्ष केवल एक है कि अगर उतनी रीढ़ की हड्डी हम गैट एग्रीमैंट के समय दिखाते जितनी रीढ़ की हड्डी मुरासोली मारन जी ने इस कांफ्रेंस में दिखायी है तो अच्छा होता। जिस ने भी बात की, उसने हिन्दुस्तान की सराहना की। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सराहना की और इनका नाम बार-बार आया इसलिए मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि जितना हम लोग चाहते थे सम्भवत: उतना नहीं हुआ लेकिन इसमें देखने की जरूरत है कि इसकी क्या वजह है? वजह केवल एक है कि व्यवस्था इस तरह की इस समय है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की आवाज पूरे तौर पर वहां सुनाई नहीं पड़ रही थी। हमें यहां तक बताया गया कि आखिर में चेयरमैन खड़े होकर कहते हैं कि भारत के कहने पर मैं इस बात से सहमत हूं कि कोई नया एजेंडा बिना आम सहमति के बनाया न जाए। यह तटस्थ लोगों ने बताया, मार्टिन खोर ने बताया। वह चीज यहां उसमें नहीं डाली गई। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए इसका निष्कर्ष यह है कि हमें व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा और तरीके निकालने होंगे। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट लूंगा। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम दिशा भ्रम में जा रहे हैं और केवल सरकार की आलोचना में जा रहे हैं। हमें यह चीज याद रखनी है कि सिंगापुर में हमने कहा कि हमें व्यवस्था में बदलाव लाना है। जो हमारे खिलाफ थे, जो तटस्थ थे, एक स्वर से सब ने बताया और उस कांफ्रेंस के दौरान मुरासोली मारन जी की प्रशंसा की। मैं यह बात बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल में इससे मणिशंकर जी भी सहमत होंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अखबारों में आया है कि प्रधान मंत्री जी दबाव डाल रहे थे कड़ाई से न करिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : जितना इन्होंने कहा है उतना आज तक किसी ने नहीं कहा। इतना ही मुझे कहना था।

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री सुनील खां का आभारी हूं और इस विषय पर योगदान करने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देता हूं।

परन्तु आज माननीय सदस्य और मेरे भाई थीरू मणिशंकर अय्यर और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा चलाई गई बहस कृषि और विश्व व्यापार संगठन पर केन्द्रित हो गई है, इसलिए मैं इसी पर पहले बात करता हूं।

दोहा घोषणा में भारत और विकासशील देशों को राहत पहुंचाने वाला कोई पैराग्राफ है तो वह कृषि के संबंध में ही है क्योंकि उरूग्वे दौर के बाद 1995 से ए.ओ.ए. (कृषि समझौता) प्रभावी हो गया है। इस प्रकार, इसको प्रभावी हुए सात वर्ष हो गए हैं परन्तु अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आए हैं। आपको ज्ञात है कि उरुग्वे दौर समझौते पर कांग्रेस सरकार ने हस्ताक्षर किए थे और इसका श्रेय उन्हें जाता है। हमने नेकनीयती से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने आशा की थी कि कृषि के उदारीकरण से हमारे कृषि क्षेत्र की अन्तरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच हो जाएगी और हम अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता कर पाएंगे।

माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर ने सही कहा था कि यूरोपीय संघ और अन्य ओ.ई.सी.डी. देश इतनी विशाल राजसहायता देते हैं कि हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, वे सही हैं। उदाहरण के लिए, मैं इसे दूसरी तरह से आपके समक्ष रखता हू। ओ.ई.सी.डी. देशों द्वारा दी जाने वाली राजसहायता सभी अफ्रीकी देशों के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। यही कारण है कि अन्तरराष्ट्रीय कीमतें इतनी कम हैं और हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो फिर हमें दोहा में क्या मिला?

वर्ष 2000 से कृषि समझौते के अनुसार बातचीत की जा रही है। यह सब और अधिक उदारीकरण के लिए है। परन्तु यूरोपीय लोग और अन्य निहित स्वार्थी लोग कह रहे हैं कि हमें बातचीत जारी रखना चाहिए। यह खुली बहस है। इसके पूरा होने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। इसलिए, सभी विकासशील देश और केरन्स ग्रुप भी आपस में लड़ रहे थे। हमें समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। इसीलिए जो कुछ हमने दोहा में प्राप्त किया है वह एक पैराग्राफ था जो अनुच्छेद बीस अर्थात् जिसमें और अधिक उदारीकरण की बात है। हमने यही हासिल किया है। अब यह

[श्री मुरासोली मारन]

कहा जा रहा है कि वे अपनी कृषि संबंधी राजसहायता कम करेंगे और इसे चरणबद्ध ढंग से समाप्त करेंगे। इसलिए यह सभी विकासशील देशों के लिए एक महान उपलब्धि है; और साथ ही हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। हमारे हित क्या हैं? खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास हमारे हित हैं। मैं इस बात को अति प्रसन्नता के साथ कहता हूं कि खाद्य सुरक्षा विश्व व्यापार संगठन के शब्दकोष में पहली बार आया है। यह सभी भारतीय किसानों की सफलता है लेकिन जैसाकि श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि साथ ही हमें अपनी कृषि में सुधार करना होगा। अपनी उत्पादकता को बढ़ाना होगा और हमें इन अवसरों का लाभ उठाना होगा क्योंकि यह दोहा घोषणा वर्ष 2005 से प्रभावी होगी। इसलिए पांच वर्ष की इस अन्तराल के दौरान हमें सख्ती से वार्ता करनी होगी और अपने कृषकों को प्रतिष्ठा दिलानी होगी। मैं माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि हम सब औद्योगिक प्रशुल्क और इसमें कमी करने के बारे में न कि इस प्रशुल्क के बारे में चिन्ता कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर भी चिन्तित रहे हैं। माननीय श्री प्रणव मुखर्जी यह कहते रहे हैं "भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है।"

यह सच है। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि यदि व्यापार का एक प्रतिशत अन्य क्षेत्रों से कृषि क्षेत्र में हो तो कृषि क्षेत्र में लगभग 8500 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यापार होगा और इसका अर्थ है कि अगले पांच वर्षों में लगभग बीस बिलियन डालर अर्थात् साठ हजार करोड़ रुपए से अधिक गैर कृषि क्षेत्र से कृषि क्षेत्र में अंतरित हो जाएंगे बशर्ते कि हम अपनी कृषि का अन्तरराष्ट्रीयकरण करें, बशर्ते कि हम अन्तरराष्ट्रीय बाजार के साथ जुड़ जाएं। इसलिए चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह करार 1954 से अस्तित्व में आया था। वर्ष 1995 में भी जब श्री प्रणव मुखर्जी ने भारत की ओर से इसमें भाग लिया था तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और आज भी यह आश्वासन प्रासंगिक है क्योंकि कुछ नहीं हुआ है। इसलिए वे हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को छेड़ नहीं सकते, वे हमसे राजसहायता कम करने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए हमारे सीमान्त किसानों का ध्यान रखा जाएगा। अब भी हमने एक मोटा अनुमान लगाया है कि हम अपनी राजसहायता में 42000 करोड़ रु. की वृद्धि कर सकते हैं बशर्ते कि सरकार के पास धन हो। यह एक अलग तरीका है। इसलिए विश्व व्यापार संघ बीच नहीं आता और न आएगा। प्रश्न यह है कि राजस्व कैसे एकत्र किया जाए। अतः मैं कहूंगा कि कृषि में समस्याएं होती हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के कारण नहीं लेकिन विश्व संगठन के बावजूद, मैं यही बताना चाहता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने लोगों के आवाजाही के बारे में कहा है। मैं उनसे सहमत हूं अर्थात् सेवाओं की समीक्षा के लिए अनिवार्य बातचीत है जो जिनेवा में चल रही है। हमने लोगों की "आवाजाही" पर जोर दिया है। सेवा प्रदायकों को मुक्त रूप से आना जाना चाहिए। सेवाओं के बारे में बातचीत चल रही है। मुझे कुछ समय पहले 'दि गार्जियन' में प्रकाशित सम्पादकीय की याद आ रही है - सेम का डिब्बा अथवा कीड़ों से भरा एक डिब्बा सारे संसार में आ जा सकता है लेकिन एक व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। वर्तमान स्थिति यह है। हमें इसमें परिवर्तन करना है और सर्विसेज मोड-4 हमारे पक्ष में है। इसलिए हमें इस विषय में भलीभांति बातचीत करनी है और हम बातचीत करेंगे।

माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि मुझे या हमें इसमें निरुद्देश्य बातचीत नहीं करना चाहिए। मैं तो उनसे कहूंगा कि हम कुछ करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे या हमें कागजी शेर नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हम सजीव चीते और सजीव बंगाली चीते हैं और देश और राष्ट्र के हित के लिए लड़ेंगे।

पुनः मात्रात्मक प्रतिबंध की ओर आते हुए मैं समझता हूं कि इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि हमें इन्हें क्यों हटाना है। यदि बकाया भुगतान की कोई समस्या नहीं हो तो हमें इन्हें हटाना है। इस सरकार ने यह कार्य नहीं किया। वर्ष 1947 में गैट में हम इस व्यवस्था पर सहमत हो गए थे। संभवतः उन्होंने सोचा था कि बकाया भुगतान की स्थिति सदैव सुविधाजनक नहीं रह सकती। इसलिए डा. मनमोहन सिंह और उनके द्वारा किए गए सुधारों का धन्यवाद। वर्ष 1991 से बकाया भुगतान की हमारी स्थिति में बढ़ोत्तरी हो रही है और 1995 के बाद हमारे पास बकाया भुगतान का सुविधाजनक स्तर है। इस विषय में जो हुआ वह यह था कि स्विट्जरलैंड और जापान जैसे अन्य देशों ने अत्यधिक जोर देना शुरू कर दिया था। आपकी स्थिति अत्यधिक सुविधाजनक है। आप मात्रात्मक प्रतिबंध क्यों नहीं हटाते? हमने बातचीत की। द्विपक्षीय बातचीत हुई। मैं समझता हूं कि तीसरे पक्षकार के रूप में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूरोपीय कमीशन और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर हमने 1997 में यह विचार-विमर्श शुरू किया था। इस दौरान वे हमारे मात्रात्मक प्रतिबंधों को छह वर्षों अर्थात् वर्ष 1997 से लेकर 2003 तक चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए कदाचित सहमत हो गए हैं।

हुआ यह कि अमेरिका विवाद निपटान निकाय में गया। वे सहमत नहीं हुए। हमने उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने कुछ असम्भव और अपमानजनक शर्तें रखी। इसलिए हम अपना मामला विवाद निपटान निकाय में ले गए। हम हार गए। फिर हमने अपील की। यह मामला अपीलीय निकाय में गया। हम फिर हार गए। इसके बाद अगला कदम विवाचक के पास जाना अथवा उचित समय निर्धारित करने के लिए अमेरिका के साथ पुनः द्विपक्षीय बातचीत करना था। यदि आप विवाचक के पास जाते हैं तो इसमें सत्रह महीने लगते। इसलिए हमने अमेरिका के साथ बातचीत की और इसमें सत्रह महीने से अधिक समय अर्थात् अठारह महीने लगे। इसलिए यह एक फायदा हुआ।

हम स्वायत्तरूप से स्वयं ही अब मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं हटा रहे हैं बल्कि यह कांग्रेस के समय से ही है। उदाहरणार्थ एक अप्रैल 1996 की स्थिति के अनुसार टैरिफ लाइनों की कुल संख्या 10,202 है। एक अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार मुक्त की गई टैरिफ लाइनों की संख्या 6161 है। वर्ष 1996-97 के दौरान आयात हेतु मुक्त की गई टैरिफ लाइनों की संख्या 988 थी। वर्ष 1997-98 में यह संख्या 391 थी; वर्ष 1998-99 में यह संख्या 894 थी, वर्ष 1999-2000 में यह संख्या 714 थी; वर्ष 2000-01 में यह संख्या 715 थी। इसलिए हमने सारे मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं। मैं समझता हूं कि यह पाप नहीं है। वस्तुतः हमें तो प्रसन्नता होगी।

विश्व में चार देश ही मात्रात्मक प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनसे तुलना करते रहना ठीक नहीं है। वे कौन से देश हैं? वे देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, ट्यूनिशिया और श्रीलंका हैं। विश्व में ये देश ही बकाया भुगतान के कारणों से मात्रात्मक प्रतिबंधों पर अमल कर रहे हैं। आज भी वे इसे चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर रहे हैं। अतः हम उनसे तुलना करते रहना नहीं चाहते। इसलिए हमने सोच समझकर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए हैं। यही नहीं बल्कि आप यह भी पूछ सकते हैं कि यदि आप इन पर अमल करते हैं तो क्या होगा। ऐसा इसलिए है कि विवाद निपटारा निकाय और अपीलीय निकाय ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं। यही नहीं कोई हमारी बकाया भुगतान की स्थिति को देख रहा है। कौन देख रहा है? यह विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन में बकाया भुगतान समिति नामक एक समिति होती है। वे देख रहे हैं। तब समिति को पता कैसे चलेगा। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष सूचना दे रहा है। यही नहीं हमारा एक खुला समाज है। हमारी आर्थिक समीक्षाएं और बजट विश्व भर में पढ़ा जाता है। हम वहां अपनी बकाया भुगतान की स्थिति को देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह राशि 45 बिलियन डालर की धनराशि को पार कर गई है लेकिन हमें रक्षोपाय मिल गए हैं।

जैसा कि श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है हमें टैरिफ दरों का अंशांकन करना है। उन्होंने कहा वे कृषि में टैरिफ कम नहीं कर रहे हैं। जापान में टैरिफ का स्तर अधिक है। महोदय मैं उनकी गलती ठीक करना चाहता हूं। अकेले जापान में ही चावल की अनेक किस्मों के लिए टैरिफ सौ प्रतिशत अथवा दो सौ प्रतिशत नहीं है। यह 500 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच है।

यह और अधिक है; इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः वे इसे कम करने पर सहमत हो गए हैं। हमें उसके लिए बातचीत करनी है।

अब भी हम टैरिफ का अंशांकन करते रहे हैं और टैरिफ में वृद्धि करते रहे हैं। दुग्ध पाउडर के लिए हमने टैरिफ में शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। कुक्कुट मांस और चिकन लैग्स के लिए टैरिफ 35 प्रतिशत से बढ़ाकर सौ प्रतिशत कर दिया गया है। हमने गेहूं पर टैरिफ शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया है। भूसी चढ़े चावल (मुंजी) और टुकड़ा चावल के मामले में टैरिफ शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर अस्सी प्रतिशत कर दिया है। अर्ध परिष्कृत और पूर्ण परिष्कृत चावल के लिए टैरिफ शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत कर दिया गया है। बाजरा, ज्वार, मक्का के लिए टैरिफ शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया गया है। सुपारी के मामले में टैरिफ पैंतीस प्रतिशत से बढ़ाकर सौ प्रतिशत कर दिया गया है; जबकि सेब के मामले में टैरिफ पैंतीस प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया गया है।

चाय के मामले में ड्यूटी 15 प्रतिशत थी। हमने इसमें शुरू में पैंतीस प्रतिशत वृद्धि की और फिर इसे सत्तर प्रतिशत कर दिया। कॉफी के लिए हमने शुरू में ड्यूटी पन्द्रह प्रतिशत से बढ़ाकर पैंतीस प्रतिशत कर दी और फिर यह ड्यूटी सत्तर प्रतिशत कर दी। चीनी के मामले में टैरिफ 27.5 प्रतिशत से बढ़ाकर साठ प्रतिशत कर दिया गया है। गेहूं के लिए टैरिफ शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया गया है। नारियल, जिसमें सुखाया हुआ नारियल शामिल है, के लिए टैरिफ पैंतीस प्रतिशत से बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत कर दिया गया है; कोपरा के लिए टैरिफ पैंतीस प्रतिशत से बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत कर दिया गया है। पुरानी कारों के लिए टैरिफ पैतीस प्रतिशत से बढ़ाकर 105 प्रतिशत कर दिया गया है। कच्चे पाम आयल के लिए टैरिफ पच्चीस प्रतिशत से बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत कर दिया गया है, रिफाइन्ड पॉम आयल के लिए टैरिफ पैंसठ प्रतिशत से बढ़ाकर पचासी प्रतिशत कर दिया गया है। सोयाबीन तेल को छोड़कर अन्य कच्चे वनस्पति तेलों के लिए टैरिफ पैंतीस प्रतिशत से बढ़ाकर पिचहत्तर प्रतिशत कर दिया गया है। यह प्रक्रिया जारी है। ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): क्या आप टैरिफ में निर्धारित दर से अधिक वृद्धि कर सकते हैं।

श्री मुरासोली मारन : निर्धारित दर से आगे जाने के लिए हमें अन्य देशों से बातचीत करनी होगी लेकिन हम इसमें निर्धारित दर तक तो वृद्धि कर लें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, क्या आपको और समय चाहिए?

श्री मुरासोली मारन : मैं अभी अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। हमने एक ''वार रूम'' नामक समिति गठित की है। वे लगनपूर्वक प्रतिमाह देख रहे हैं। वे सूचना प्राप्त कर रहे हैं। अन्तर-मंत्रालय समिति तीन सौ संवेदनशील मदों को देख रही है। इसलिए यदि आयात स्तर बढ़ता है तो हम कार्रवाई करेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा गैट तेल आयात का स्तर नकारात्मक है। इसलिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं हैं।

मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उसके बाद भी एक विधेयक सभा के समक्ष है। यदि ऐसा आवेश है तो हम अस्थाई रूप से मात्रात्मक प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह प्रावधान विधेयक में है। यह विधेयक पहले ही सभा के समक्ष है। जब रिपोर्ट दी जाएगी तो इसकी जांच की जाएगी। अत: मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के कारण कोई नुकसान नहीं होगा।

मैं विशेषकर कृषि के बारे में कहूंगा कि जिनके पास तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक रोजगार के अवसर हैं, जैसाकि श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा, वे अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए, हमारे देश में, जहां सत्तर प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हुए हैं, हमें उनके हितों की रक्षा करनी है। मैं कहूंगा कि यह सरकार ही नहीं बल्कि कोई भी सरकार नहीं बचेगी यदि वे कृषि के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। मैं एक बार पुन: आपको विश्वास दिलाता हूं कि कृषि के हितों की रक्षा करना किसी भी सरकार का कर्तव्य है अन्यथा बेचैनी और विद्रोह हो जाएगा। अत: मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो हम रचनात्मक और संवदेनशील उपाय करेंगे और टैरिफ पुन: निर्धारित करने के उपाय भी करेंगे। जिनेवा में बातचीत चल रही है। वे टैरिफ में कमी करने के लिए सहमत हो गए हैं। हमें अपनी कृषि को आधुनिक बनाना है। हमें अन्तरराष्ट्रीय उपायों के साथ इस पर विचार करना है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस संकल्प पर बढ़ा हुआ समय समाप्त हो रहा है। मैं सदन की अनुमति से इस संकल्प पर पन्द्रह मिनट का समय और बढ़ाता हूं ताकि मंत्री जी अपना उत्तर दे सकें और आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : इसीलिए मैंने यह आश्वासन दिया है। साधारणतया सभा में यह परम्परा है कि मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के आधार पर ऐसे संकल्प वापिस ले लिए जाते हैं। माननीय सदस्य ने अपनी बात रख दी है; सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई बातों को नोट कर लिया गया है। मुझे विशेष रूप से अपने भाई श्री मणिशंकर अय्यर को उनके द्विअर्थक बात कहने के लिए उनका धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य, श्री सुनील खां से संकल्प वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): पामोलीन आयल के लिए मलेशिया हमारे ऊपर आयात शुल्क कम करने के लिए जोर दे रहा है। यद्यपि हमने इसमें पचासी प्रतिशत तक वृद्धि की है लेकिन इसमें पुन: कमी की गई है।

श्री मुरासोली मारन : हमने शोधन क्षमता प्राप्त कर ली है।

श्री मणिशंकर अय्यर : समस्या यह है कि श्री मुरासोली मारन का जंग का कक्ष ओसामा बिन लादेन की गुफा की तरह है। ऐसा उन्होंने जंग हारने के बाद किया है।

अब खाद्य तेलों के क्षेत्र में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं चूंकि आप इतने अनिच्छुक रहे हैं कि आप सोयाबीन के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों के लिए तीन सौ प्रतिशत तक जा सकते हैं। सोयाबीन के तेल के मामले में आप पैंतालीस प्रतिशत तक जा सकते है और बराबर शुल्कों का ध्यान रख सकते हैं। और अन्य शुल्कों के लिए आपने क्या किया है; माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है वह मलेशिया से क्वातरोजी को वापिस लाने का प्रयास है और बदले में आप वहां से इतना अधिक पामोलीन तेल का आयात करने के लिए सहमत हो गए हैं। राजनैतिक कारणों से यह तो कुप्रबंधित विदेश व्यापार नीति की स्थिति है जिसके विरुद्ध आपको खेद होना चाहिए।

श्री मुरासोली मारन : आपकी बातें नोट कर ली गई हैं। लेकिन हमने कच्चे रिफाइंड तेल पर कुछ शुल्क कम कर दिया है।

ऐसा इसलिए है कि हमने भारत में शोधक क्षमता प्राप्त कर ली है। सम्भवत: यही इसका कारण हो सकता है।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सभापति महोदय, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल तालियां बजा रहे हैं कि श्री मुरासोली मारन ने युद्ध जीत लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम माननीय मंत्री द्वारा प्रतिरोध की मुद्रा अपनाए जाने की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वह अपने प्रयासों में क्यों सफल नहीं हुए?

महोदय, दोहा घोषणा से विकसित पूंजीवादी देशों के लिए स्पष्ट रूप से लाभ हुआ है। भारतीय विचार यह था कि नई वार्ता और नए मुद्दे उठाने के पूर्व विश्व व्यापार संगठन को यह जांच करनी चाहिए कि यूरुग्वे वार्ता के नियमों और नीतियों को साफ-साफ क्रियान्वित किया गया है या नहीं। उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया।

विकसित देश, अमेरिका और यूरोपीय देश पहली यूरुग्वे वार्ता की घोषणाओं का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनका अनुपालन कर रहे हैं। इसलिए, हमने 1,429 मदों पर से प्रतिबंध हटा लिया। इसके परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र विनाश के कगार पर है, क्योंकि 75 से 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। फिर, भी आपने कृषि क्षेत्र को दबा दिया है।

महोदय, केरल से आए मेरे एक मित्र ने कुछ मदों का उल्लेख किया है। क्या आप जानते हैं कि नारियल की कीमत में प्रति नारियल 4 रु. की गिरावट आई है? केरल में और भारत के अन्य भागों में काजू की कीमत का क्या होगा? रबड़ का क्या होगा? चाय उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। धान का क्या होगा? उत्पादन लागत बढ़ रही है। आपने उर्वरकों पर 15 प्रतिशत तक की राजसहायता हटा ली है जबकि अन्य क्षेत्रों में, मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर ने यूरोपीय देशों द्वारा प्रदान किए जा रहे राजसहायता के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। इसलिए, यदि उन्होंने राजसहायता दी और हमने राजसहायता प्रदान नहीं की तो क्या होगा?

महोदय, मैंने पहले ही एक घरेलू उत्पाद, उदाहरणस्वरूप 'मूरी' का विस्तार से कहा है। यद्यपि मुम्बई में इसे 'मूरी' कहा जाता है जिसे 'चुरमुरा' भी कहा जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की उन गरीब विधवा महिलाओं का क्या होगा जो "मूरी" तैयार करती हैं। कोयला के मालभाड़े में 2 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ गयी है। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों का क्या होगा? खाद्य उत्पादन के मामले में वे और अधिक राजसहायता दे रहे हैं, वे "मूरी" को चमचमाते बंद पैकेट में पेश करेंगे। "अंकल चिप्स" की तरह ही सब लोग चमचमाते बंद पैकेट खरीदेंगे। क्या गरीब माताएं उस बाजार में अमेरिकियों के साथ प्रतियोगिता करने में समर्थ हो सकेंगी? वे प्रतियोगिता करने में समर्थ नहीं होंगी।

अत: हमारे कृषि क्षेत्र का यही भविष्य है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन कृषि के मामले में आप इन वार्ताओं में विफल रहे हैं।

महोदय, आप दोहा में दिए गए अपने वक्तव्यों के अनुच्छेद 20, 22 और 23 को देखें। मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ समय लगेगा।

आप लघु उद्योग क्षेत्र को ही लें, कर्नाटक में लघु उद्योग क्षेत्र की 50 प्रतिशत इकाइयां बंद हो गई हैं और अगले वर्ष यह आंकड़ा 75 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। आप सिले-सिलाए वस्त्रों को ही लें। आप जितना चाहें उतना उत्पाद अमेरिका नहीं भेज सकते। लेकिन आपने यहां प्रतिबंध हटा लिया। इसलिए, सभी तरह के वस्त्र देश में आएंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में उत्पादित होने वाले वस्त्रों का क्या होगा? असंगठित क्षेत्र में दो लाख 50 हजार लोग सिलाई और कढ़ाई आदि में लगे हैं। सिले-सिलाएं वस्त्रों पर 16 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क बढ़ जाने के कारण वे अब खस्ते हालत में हैं। सभी सामान विदेशों से आ रहे हैं। मैंने प्रस्ताव पेश करते समय हुई चर्चा में कृषि क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में पहले ही बोल दिया। लेकिन आपने उनका उत्तर नहीं दिया।

विकासशील देश एक रहें इसका आपने भरसक प्रयास किया। यह अच्छी बात है। हमें एक होकर लड़ना होगा। लेकिन पहले युरुग्वे वार्त्ताओं में लिए गए निर्णयों का क्या हुआ? वे इनका क्रियान्वयन क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि पहले चक्र की वार्ता के निर्णयों को अमेरिका और अन्य देश क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं? आप दूसरे चक्र की वार्ता के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन वे लिखित दस्तावेजों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। यहां, आप क्रियान्वित कर रहे हैं और प्रतिबंध भी उठा लिया है। कृपया इस बात को स्पष्ट करें। ऐसा क्यों है कि पहले चक्र में लिए गए निर्णयों को विकसित देश क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं? आप इतने इच्छुक क्यों हैं? आपने कहा कि वर्ष 2005 लक्ष्य होगा। इसका मतलब कि अगले चक्र की वार्ता उस वर्ष में होनी है। लेकिन आपने इस समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को स्पष्ट करें।

औषधि के मामले में हम जानते हैं कि ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) के अंतर्गत आपने थोड़ा प्रतिरोध जताया है। एड्स जैसे रोगों के लिए जीवन रक्षक दवाएं महंगी हैं। आपने

[श्री सुनील खां]

अपने आई.डी.पी.एल. जो हमारा अपना घरेलू फर्मास्यूटीकल उत्पादक इकाई है, को पहले ही बंद कर दिया है। आपने इसे बंद कर दिया। सभी दवाएं विदेश से महंगी दर पर आएंगी। आप इस बात को स्पष्ट करें। हमारे रोगी कैसे बचेंगे? ये लघु उद्योग क्षेत्र की शर्तें हैं।

आपने बजट में सीमा शुल्क पहले ही 2000 करोड़ रुपये घटा दिया है और 3,200 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क लगा दिया है। यदि हमारी घरेलू इकाईयां बंद हो जाती हैं, तो आपको 3,200 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क कौन देगा? कृपया इन सब बातों को स्पष्ट करें।

सभापति महोदय : श्री सुनील खां, माननीय मंत्री ने पहले ही सभा को आश्वस्त किया है कि हम भारतीय हितों का ध्यान रखेंगे।

श्री सुनील खां : महोदय, वे हमेशा सभा को आश्वस्त करते हैं। लेकिन लोग संकट में हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने पहले ही आपसे अपना प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया है। क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं?

श्री सुनील खां : नहीं, महोदय, मैं वापस नहीं ले रहा हूं। मैं आम जनता के साथ हूं। भारत के 100 करोड़ लोगों के साथ हूं। मैं इन 100 करोड़ लोगों के विरुद्ध नहीं हूं।

सभापति महोदय : इसलिए, आप अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेने जा रहे हैं। तब, मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री मुरासोली मारन : सभपाति महोदय, आमतौर पर परंपरा यह है कि माननीय सदस्य वापस ले लेते हैं।

सभापति महोदय : आपके तरफ से मैंने उन्हें कहा है। आप भी उनसे अनुरोध करें।

श्री मुरासोली मारन : मैं माननीय सदस्य से इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं समझता हूं यह अच्छा है।

श्री सुनील खां : महोदय, मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री सुनील खां, माननीय मंत्री ने भी इन सब चीजों को देखने के लिए आश्वस्त किया है।

श्री सुनील खां : नहीं महोदय, मैं वापस नहीं ले रहा हूं। मुझे क्यों वापस लेना चाहिए? लघु उद्योग क्षेत्र की इन सभी इकाइयों को बंद कर दिया गया है। कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। एच.एस.सी.एल. में कर्मचारियों का 25 महीने का वेतन देय है। मैं अपना प्रस्ताव कैसे वापस ले सकता हूं?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "चूंकि 1 अप्रैल, 2001 से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बंद हो जाएंगे और अत्यधिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, अतः यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह अपने निर्णय की समीक्षा करे और औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए व्यापार तथा टैरिफ संबंधी सामान्य करार (गैट) की शर्तों के बारे में पुनः बातचीत शुरू करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.45 बजे

(दो) जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में विधान बनाना

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 17 पर विचार करेगी। इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): मैं प्रस्ताव करती हूं:

> "देश में अबाध जनसंख्या विस्फोट, जिसके कारण विकास संबंधी सभी कार्य निष्फल हो गए हैं, समाज में असमानताएं उत्पन्न हो गई हैं और इसके परिणामस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता पैदा हो गई है, और जिसे बिना किसी राजनीतिक अथवा साम्प्रदायिक विचार के एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लिया जाना चाहिए, को देखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह-

(एक) संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1992, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि छोटा परिवार मानदंड

का उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए निर्हर होगा, शीघ्र पारित किया जाए; और

(दो) ऐसे व्यक्तियों, जिनके तीन से अधिक जीवित बच्चे हों, को सरकारी सेवाओं में पद धारण करने अथवा उनकी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने तथा ऐसे व्यक्तियों को सरकार की किसी कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले फायदों से वंचित करने हेतु उपयुक्त विधान लाए।''

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं देश के लिए अति महत्वपूर्ण अपने संकल्प के संदर्भ में अपने विचार दे रही हूं। मेरे संकल्प में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के संबंध में कठोर नियम बनाना और उनका पालन के संबंध में कुछ बातें हैं। सम्पूर्ण देश की स्थिति को देखते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधन, मनुष्य के बेहतर जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और इस खतरे की घंटी भारतवर्ष में तभी बज गई थी जब हम पचास वर्ष में 35 करोड़ से 100 करोड़ हो गये और उसके अनुपात में मानव के जीवन को जीने के लिए जो बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, उस अनुपात में उनकी वृद्धि नहीं हुई। इस स्थिति में हम कल्पना करते हैं कि हमारा देश चहुंमुखी विकास करे, शहरों और गांवों के गरीब लोग एक अच्छा जीवन जियें और जीवन को बेहतर ढंग से जीने की जो कल्पना हमारे मन में हैं और जो हर इंसान सोचता है, उस पर कुठाराघात होता जा रहा है। 1992 में देश व राज्यों की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी अलग-अलग नीतियां बनाई लेकिन उन नीतियों पर अमल नहीं करने की वजह से आज हम और हमारा देश एक ऐसी स्थिति की तरफ जा रहा है जिसके परिणाम बड़े भयानक होंगे। हमारा पड़ौसी देश चीन जो कि संसार में सबसे अधिक आबादी वाला देश था, उसने अपनी आबादी पर नियंत्रण करके अपनी विकास की दर जिस तरह से हासिल की है और जिस तरह से बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधायें अपने देशवासियों को उपलब्ध करा दी हैं, मैं उनका अनुकरण करने की बात नहीं कहूंगी। हमारा देश तो स्वयं काफी ज्ञानवाद और इतना सक्षम है कि यदि हम अपने ज्ञान की तरफ और प्राचीन इतिहास की तरफ देखें तो निःसंदेह हमारा देश काफी विकास कर सकता है। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है:

''जन्यो कब रावर घणा, सीता गौरी मात,
जायो एक शकुन्तला भरत सरीखो लाल।''

हमारे यहां परम्परा रही है कि दो या एक संतान पैदा हुई और उसने संसार को अपना करिश्मा दिखाया और अपने नाम को अमर करके इस देश की धरती को नाम देकर चलाया। उनसे प्रेरणा लेकर आज हमारे देश के नागरिक को उन जैसा बनना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पचास वर्ष के अन्तराल में जनसंख्या में जिस तीव्रता से वृद्धि हुई है और सरकारों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं कहूंगी कि पिछले पांच दशक में भारत का विकास असंतुलित ढंग से किया गया, शहरों को अधिक विकसित किया गया, गांवों में विकास की उपेक्षा की गई जिसका परिणाम है कि मैं यह कह दूं कि:

''मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार,
ज्यों का त्यों ही खड़ा हुआ है मरघट का संसार।''

गांवों में झुग्गी-झोंपड़ियों में, कच्चे मकानों में रहते हुए निरक्षर स्त्री पुरुष अस्वस्थ बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ देश के विकास की जो गति है, उसे अपने हाथ में थामकर रोके खड़े हैं।

साथ ही हमें यह भी चिन्ता करनी चाहिए कि उन झुग्गी-झोंपड़ियों का विस्तार दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ना चाहिए। पिछले पांच दशकों में भले ही राजनीतिक कारण रहे हों, सामाजिक कारण रहे हों या किसी भी प्रकार की मान्यतायें या किसी भी प्रकार के दकियानूसी आडम्बर रहे हों, जिनकी वजह से हम कठोर कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जन्म दर को और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। जो मानव इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं, उनके लिए हमें जन्मदर को संतुलित करना होगा। मृत्यु दर पर तो हम काफी काबू पा लिया है, लेकिन इसके साथ-साथ जन्मदर और जन्मदर के प्रभाव जिन घटकों से हुए हैं, जिन कारणों से हुए हैं, उनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

महोदय सोलहवीं सदी में आततायियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारी माता-बहनों पर कुदृष्टि डाली। जिसका परिणाम यह हुआ कि छोटी उम्र में शादियां होने लगीं। देश आजाद होने के बाद छोटी उम्र में शादी करने पर जिस तरह से रोक लगनी चाहिए थी, वह नहीं लग पाई। जिसका परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि हुई। अल्पायु में विवाह होने से स्वस्थ स्त्री स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। छोटी उम्र में विवाह होने से, प्रजनन दर तो काफी तेज होती है, बच्चे अस्वस्थ होंगे, अधिक होंगे। इस बात पर कभी भी विचार नहीं किया गया कि अल्पायु में शादियां करने पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

महोदय, मैं राजस्थान प्रान्त से आती हूं। मुझे इस बात को कहने में शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि

[श्रीमती जसकौर मीणा]

प्रान्त बीमारु प्रान्त हैं। इन बीमारु प्रान्तों को दिखाकर हम युनिसैफ से विदेशी धन लेना चाहते हैं। विदेशी धन लेकर केवल मात्र उनके स्वास्थ्य की रक्षा करे या उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करे, यह उचित नहीं है। हमें उनको बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब जनसंख्या पर कठोर कानून बनायें और लागू करें। इसमें सबसे बड़ी रोक शायद राजनीतिक है। मैं धर्म को लेकर बात नहीं कहना चाहती हूं। लेकिन ऐसे सम्प्रदाय हैं, धार्मिक मान्यतायें हैं, जिन मान्यताओं को लेकर एक पुरुष पांच-पांच शादियां करते हैं और 50-50 बच्चे पैदा करते हैं। इसके साथ ही यह भी स्थिति बना दी है कि वे विधान सभाओं के लिए क्षेत्र बनाने लगे हैं और लोक सभा के लिए भी बनाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सौहार्दपूर्ण स्थिति पर कुठाराघात होता है। यह स्थिति भावनात्मक नहीं है। 1992 की जनसंख्या नीति में एक उपबन्ध था, जिसमें छोटी उम्र में शादियां नहीं होगी। हमने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से 73वां और 74वां संशोधन पारित करके उसको नियंत्रित किया है। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी उनकी संतानों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए। यदि उनकी संतान अधिक है, तो प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यदि संतान अधिक पैदा होती है, तो उनको उम्मीदवार के अयोग्य करार देना चाहिए। इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा और स्थानीय निकायों द्वारा इस कानून को लागू करवाना चाहिए।

विधायिका और संसद में भी इसे लागू किया जाए। इसके लिए मैं सोचती हूं कि जब भारतीय मूल के हमारे हृदय में भारत-माता का भाव है, उस भारत माता के भाव में दैवी की काफी ताकत होती थी, लेकिन आज हम दैवी की ताकत को भूल कर देवता की ताकत को ज्यादा मान रहे हैं। मेरा संकेत है कि हमारे परिवार पुत्र प्राप्ति के लिए बेटियों की लाईन लगाते रहते हैं लेकिन इन बेटियों की लाईन के आगे, बेटियों की परवरिश, उनका स्वास्थ्य, बेहतर जीवन की कल्पना हमारी नहीं रहती है। हम यह सोचते हैं कि हमारे पुत्र पैदा हो, तभी हमारा पिंडदान और अंतिम कर्म पूरा होगा। इस तरह की परम्परा और परम्परागत दकियानूसी जो रिवाज़ हैं, वह भी हमारे यहां बाधक हैं।

इसके लिए मैं सोचती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय को या नीति का क्रियान्वयन करवाने वाले जो भी घटक हैं - चाहे राज्य सरकारें हों या स्वयं सेवी संस्थाएं हों, उसका कठोरता से पालन करने के लिए यह धन व्यय किया जाए और उसका अधिक से अधिक भावनात्मक प्रचार और प्रसार किया जाए कि पुत्र के बिना भी मुक्ति हो सकती है। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार निरक्षरता है। इसके चलते हुए हम ग्रामीण समुदाय को समझा नहीं पाते। इस सदन में बैठे हुए जो माननीय सांसद चुन कर आए हैं - 10-20-30 लाख की आबादी पर। हमारा खुद का भी आदर्श उन्हें सबक दे सकता है। हम सोचते हैं कि यदि 11-11, 12-12 की संतान हमारे पीछे चले, काफिला का काफिला चले तो वे हमारी बात को नहीं सुनेंगे - निज प्रशासन, फिर अनुशासन वाली कहावत यदि हम लागू करेंगे तो निःसंदेह उसका भी असर पड़ेगा। मैं सोचती हूं कि इस बारे में माननीय सभा अवश्य सोचेगी कि हम भारतवर्ष के नागरिक, जो भारत सोने की चिड़िया था, जिसमें 33 करोड़ की आबादी थी, जिन्हें हम बोलते थे कि यहां 33 करोड़ दैवी-देवताओं का निवास है, उनके निवास का केवल एक ही प्रमाण था कि हमारी वृत्ति देवत्व थी, राक्षसी नहीं थी। आज उनके बाद हम जो पैदा हुए, क्या हम में वह वृत्ति है? यदि नहीं है तो उसका दोष भी जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा सहायक होता है।

सभापति जी, चिकित्सा और विज्ञान की उन्नति हुई। उस क्षेत्र में हमने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन चिकित्सा और विज्ञान की उपलब्धियों को मानव और उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर ढंग से लागू करें तो मैं सोचती हूं कि हमारी जो आने वाली संतान है, वे उस पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य की चिन्ता कर सकेंगे। पारम्परिक परिवारों की रूढ़ियां हमें अपने बहनों और माताओं के मन से निकालनी होंगी। उनके मन और मानस पर यह छाया हुआ है कि पुत्र जरूर होना चाहिए। कई प्रांत ऐसे हैं, मेरा राजस्थान प्रांत भी ऐसा है, मैं आदिवासी समाज की महिला हूं, मेरा समाज भी ऐसा है कि उसमें भी यदि पुत्र नहीं है तो महिला को और बेटी को उसकी सम्पत्ति का वारिस नहीं रहने दिया जाता। इसके लिए कायदे और कानून भी ताक पर रख दिए जाते हैं। हमारे यहां सामाजिक कानून लागू होता है - पंच चौपाल पर बैठ कर उसे सम्पत्ति एवं अधिकार तथा सुविधा से उसे वंचित कर देते हैं। इसलिए महिलाओं को भी ऐसे कानून की सुरक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे कानून का सुरक्षात्मक जामा पहनना पड़ेगा, जिसकी वजह से वे जनसंख्या नियंत्रण में आगे आकर पहल करे और अपनी एक या दो बेटी के बाद भी वे जनसंख्या नियंत्रण में देश की मदद कर सके।

महोदय, पिछले पांच दशकों में किसी भी सरकार ने या पार्टियों की सरकारों ने अपराध किया, जिसकी वजह से आज करोड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज प्रति 30 सैकिंड में एक बच्चा पैदा होता है। मैं मंत्री जी से कहूंगी कि अब मौका है, आज भारत की अपनी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी सरकार है, जिसके प्रति देश को विश्वास है। इस समय यदि कोई कठोर कदम भी उठाया जाएगा तो शायद हमारे प्रति कोई अंगुली नहीं उठाएगा। आज गांवों के लोग भी जानते है कि यदि

देश की आबादी नियंत्रित होगी तो सड़कें, अस्पताल और स्कूल भी होंगे और बेहतर जीवन जीने की सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं गांवों के अंदर भी यह उदाहरण देती हूं कि एक बाप के दस बेटे हैं और दस बीघा जमीन है, उसने बहुत बड़ा अपराध किया कि अपने हर बेटे को एक बीघे का मालिक बनाया जबकि वह खुद 10 बीघे का मालिक था। जब उनके पांच-पांच बेटे हो जाएंगे तो गांव में मकान बनाने के लिए भी उनको जगह नहीं मिलेगी और दर-दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। क्या हम अपनी आंखों के आगे ही अपने बच्चों को भूखमरी और गरीबी के दलदल में डालना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम अपने देश की सच्चे दिल से और ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं तो यह जो जनसंख्या नीति 1992 बनाई गयी है सरकार उसको कठोरता से लागू करे और सभी राज्य सरकारों को पाबंद करे या इस तरह का कोई कानून बने जिससे राज्य सरकारें पाबंद हों और जब राज्य सरकारें ईमानदारी से पाबंद होकर जनसंख्या नियंत्रण की ओर आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा।

जिस तरह से आज जन्म-दर और मृत्यु-दर पर हम चर्चा करते हैं और कई संगोष्ठियां स्वयंसेवी संस्थाएं आकर करती हैं, और जिस तरह से स्वयं सेवी संस्थाएं धन प्राप्त करने के लिए हमारे देश की गलत तस्वीर गलत ढंग से दर्शा रही हैं, और मात्र उनके भाव एक ही होते हैं। अगर हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करके देश की आबादी पर नियंत्रण किया तो नि:संदेह एक ऐसे भारत का निर्माण करने में सक्षम होंगे जिससे भारत आने वाले दशक में विकास की ओर जाएगा और विश्व में एक ताकत बनते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकेगा।

सभापति जी, जो भी माननीय सदस्य इस चर्चा में मेरे इस प्रस्ताव के पक्ष में चर्चा करेंगे क्योंकि विपक्ष तो इसका बनता ही नहीं है क्योंकि कौन ऐसा चाहता है कि 25 हाथ खाने वाले हों और एक-दो हाथ कमाने वाले हों। ऐसा विचार केवल कुछ ही समुदायों में आज भी घर करे हुए है कि हमें अपने परिवार की जनसंख्या बढ़ानी है, गुणवत्ता वृद्धि की ओर उनका ध्यान और लक्ष्य नहीं है। गुणवत्ता का यह लक्ष्य उसी का होगा जिसके मन में देश के प्रति आदर और प्रेम होगा। हमें इस तरह की बातों और राजनीति से ऊपर उठ करके और उसमें किसी भी तरह से साम्प्रदायिक भावनाओं को न जोड़ते हुए, भारत के प्रत्येक नागरिक पर जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लागू करने की दिशा में अग्रसर होना होगा ताकि देश गरीबी भूखमरी की ओर न बढ़कर दो सौ करोड़ हाथों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े।

मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि आप इस विषय पर एक अच्छी वर्कशॉप, सभी दलों की बुलाएं जिससे सभी मिलकर जल्द से जल्द इस नीति पर कोई अच्छा फैसला लेकर इसे लागू करने में सहयोगी बनें। अन्यथा सरकारों का बजट इस पर इतना कम पड़ चुका है कि गांव के अंदर पहुंचते-पहुंचते यह धन लोगों के पास केवल पाई भर ही पहुंचता है।

आज सांसद कोष दिया हुआ है और उस सांसद कोष की बात मैं कहूं तो मैं कहूंगी कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के स्कूल में कमरे नहीं हैं। वहां पर 500-700 की आबादी में राज्य सरकार दुहाई देती है कि डेढ़ सौ की आबादी पर एक स्कूल खोल दिया। लेकिन वहां पर हमारे दो सौ बच्चों के ऊपर एक स्कूल और एक अध्यापक होता है। जब एक मां भी अपने बच्चों का सही नाम लेकर आवाज नहीं लगा सकती, वह भी उनको छोटा, बड़ा कहकर पुकारती है तो दो सौ बच्चों को कैसे पुकार कर अध्यापक हाजिरी लगा सकता है। यह असंतुलन आज हमारे देश में विकास का है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या निश्चित कर रखी है कि उनमें 150 महिलाओं को ज्ञान और प्रचार-प्रसार का मौका मिलेगा। लेकिन एक आंगनवाड़ी केन्द्र में एक हजार परिवार होते हैं और एक हजार परिवारों के पीछे क्या दो हजार महिलाएं नहीं होंगी। आज गांव में शहरों की तरह एक घर में मां-बाप और बहू-बेटे ही नहीं रहते हैं। लेकिन गांव में एक परिवार में पूरा कुटुम्ब रहता है। तीन पुरुष मजदूरी करने जाते हैं और महिलाएं तीन पुरुषों की कमाई से सारे परिवार का पालन-पोषण करती हैं तो बड़ा दु:ख होता है। हमारी सरकार ने अन्न की योजना, अंत्योदय योजना, जवाहर रोजगार योजना और अनेकों प्रकार की योजनाएं खोल रखी हैं लेकिन सुरसा की भांति बढ़ती आबादी उन सब को निगल रही है, उन सब को खा रही है। ऐसी स्थिति में चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो किसी भी कार्य से जुड़ा कोई भी इन्सान क्यों न हो, बढ़ती आबादी ने उसके विकास और सुख-चैन को निगल रखा है।

मेरे कई सहयोगी सांसद भाई बहनों ने प्रस्ताव दिए थे लेकिन किस्मत से मेरा प्रस्ताव आया है। जनसंख्या नियंत्रण पर विचार किया जाए और उसके उपायों को सुनिश्चित किया जाए। मैंने इस प्रस्ताव में दो बिन्दु लिए हैं। हम पहले अपने ऊपर नियंत्रण करें। पंचायती राज संस्थाओं और स्वायत्त संस्थाओं में जिस तरह इस पर नियंत्रण किया है उसी तरह विधायिका, संसद और सरकारी नौकरियों में प्रवेश देते समय संतान की सीमा को बांधें जिससे इस नियंत्रण का एक क्रम चालू हो, एक कदम की शुरुआत हो। राजस्थान सरकार ने नीति बहुत अच्छी बनायी थी और वह नीति 1994 में

[श्रीमती जसकौर मीणा]

बनायी। स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस पर काफी विचार किया लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया। बच्चों की संख्या बढ़ गई तो राजीव गांधी पाठशाला खोल दीं और वहां आठवीं पास तथा नीम, हकीम को लगा दिया।

सभापति महोदय : मैं आपको नहीं रोकूंगा। यदि आप अपने संकल्प पर अन्य माननीय सदस्यों का समर्थन चाहती हैं तो मैं समझता हूं कि संक्षेप में अपनी बात कहिए ताकि समर्थन प्राप्त हो सके।

श्रीमती जस कौर मीणा : यह अति महत्वपूर्ण संकल्प है। मैं यहां उपस्थित सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहती हूं कि वह इस संकल्प के ऊपर अपने विचार अवश्य दें ताकि देश के विकास की ओर एक बड़ा और उचित कदम उठाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती जसकौर मीणा ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय करने के लिए विधान के संबंध में अभी-अभी एक संकल्प प्रस्तुत किया है। महोदय, हम सभी को इस बात की जानकारी है कि जनसंख्या वृद्धि न केवल भारत के लिए बल्कि तीसरी दुनिया के देशों के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन रही है। महोदय, यदि हमारी जनसंख्या नीति गलत बनी तो कुछ भी सही होने के आसार नहीं होंगे।

अब, हम जनसांख्यिकीय परिवर्तन की स्थिति में हैं। यदि हम संपूर्ण विश्व की जनसंख्या पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि अकेले दस देशों विश्व की जनसंख्या वृद्धि का 60 प्रतिशत हैं। जबकि पहले 15 प्रतिशत में चीन और 21 प्रतिशत में भारत है।

महोदय, अधिक विकसित क्षेत्र के लगभग सभी देशों में, प्रजनन स्तर मृत्यु दर से कहीं कम है। तथापि विकासशील विश्व में प्रजनन स्तर अधिक विकसित क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए, उपसहारा क्षेत्र में कुल प्रजनन दर अधिक है। जिसकी प्रति महिला शिशु जन्म दर औसतन 6 है। अधिकांश विकासशील देशों में प्रजनन दर में कमी आ रही है। चीन और भारत जैसे कुछ देशों में इसमें तेजी से कमी आई है। तथापि, विश्व की जनसंख्या में 98 प्रतिशत वृद्धि विकासशील देशों में होती है।

महोदय, मैं उन देशों का उल्लेख करना चाहता हूं जो जनसंख्यावार शीर्ष स्तर पर हैं। 1998 में, यह अनुमान लगाया गया था कि चीन में जनसंख्या 1256 मिनलयन और भारत में 982 मिलियन है। लेकिन अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या 1529 मिलियन और चीन की 1478 मिलियन जनसंख्या हो जाएगी। अब, हम जनसंख्या के मामले में चीन से आगे होने जा रहे हैं।

इस संकल्प का आशय कुछ ऐसे कठोर उपाय करने का है जो मान्य नहीं हैं क्योंकि हम पहले ही 1994 में कैरो में जनसंख्या और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जारी कर दी हैं जिससे परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण जारी रखने तथा प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाते समय नागरिकों की सहमति और स्वैच्छिक तथा बताई गई पसंद के प्रति सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि होती है। इसलिए संकल्प का सार केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति के विपरीत है।

हम जबरदस्ती की अपेक्षा सहमति में विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या में पूर्वानुमानित वृद्धि 1997 में 14.8 मिलियन, 2000 में 14 मिलियन, 2002 में 11 मिलियन, और 2010 में 11.75 मिलियन बताई गई है। इसका मतलब यह है कि हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार, हमारे देश की जनसंख्या स्थिर होने जा रही है। इसके लिए कुल प्रजनन दर में पर्याप्त रूप से कमी लानी होगी।

यदि हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं तो हमारे समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां इसके सर्वाधिक शिकार होंगे। क्योंकि 1998-99 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया है कि अनुसूचित जातियों की कुल प्रजनन दर 3.15 अनुसूचित जनजातियों की 3, अन्य पिछड़े वर्गों की 2.55 और सम्पूर्ण अशिक्षित महिलाओं की 3.47 थी, इसके विपरीत सुसम्बन्ध और दशकों से अधिक शिक्षित महिलाओं में यह दर 1.99 है। इसलिए, यदि हम इन पिछड़े वर्गों को सुधारात्मक और कल्याणकारी उपायों से वंचित रखते हैं तो भारत में सर्वाधिक पीड़ित वे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ही होंगी जिनके लिए, हम यहां प्रतिदिन बहस कर रहे हैं। परसों ही हमने इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और भलाई के लिए सर्वसम्मति से संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किया था।

और तो और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने यह नोट किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में शिशु मृत्यु दर अन्य जातियों की 62 की तुलना में क्रमशः 83, 84 और 76 है। इसी तरह पांच वर्ष से कम

आयु को शिशु मृत्यु दर अन्य जातियों की 82 की तुलना में अनुसूचित जातियों में 119, अनुसूचित जनजातियों में 126 और अन्य पिछड़े वर्गों में 103 है।

इसलिए, यदि हम उनकी निरक्षरता और स्वास्थ्य परिचर्या तक उनकी पहुंच न होने के कारण अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सजा दें तो यह हमारे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि हम देश भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में रहते हैं। इसमें चीन क्या कर सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी चीन की नीति का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि चीन एक प्रजातांत्रिक देश नहीं है। वहां प्रजातंत्र नहीं है और भारत के लोगों को जो बोलने की स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता चीन के लोगों को नहीं है। इसलिए, मैं समझता हूं कि श्रीमती मीणा ने आम लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि वह गलत कर रही है। उन्होंने राजस्थान के बारे में उल्लेख किया है जबकि उन्होंने अभी-अभी कुछ अन्य राज्यों को भी उद्धृत किया है। आप जानते हैं कि कुछ राज्य सरकारें पहले ही अपनी संबंधित राज्य नीतियां लागू कर चुकी है जहां वे जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कठोर उपाय करने का सहारा ले रही हैं। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के पश्चात् इस संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया है। तो फिर क्या हमें इन संशोधनों का लाभ उठाने की आम लोगों को अनुमति देनी चाहिए अथवा लाभ न उठाने का निर्णय लेना चाहिये क्योंकि यदि हम भारत के उन आम लोगों के अधिकारों जो उन्हें मिल रहे हैं, को छीन लेते हैं तो निश्चित रुप से वे 73वां और 74वां संविधान संशोधन को लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे।

महोदय, भारत में केरल आदर्श है। वास्तव में हमारे जनसंख्या विस्फोट का मूल निरक्षरता में है और स्वास्थ्य देखभाल ठीक से न करने से है क्योंकि अब हमारे 35 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है और उनमें से 37 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। इस सामाजिक बुराई को मिटाए बिना हम जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सख्त उपाय नहीं कर सकते हैं। महोदय, 11 मई 2000 एक ऐसा दिन है जिसे भारतीय इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि इसी दिन हमें एक बिलियन की लक्ष्मण रेखा पार की थी। यह दूसरा विस्फोट है क्योंकि इस सामाजिक व्यवस्था में पहला विस्फोट पोखरण में किया गया था। दूसरा विस्फोट 11 मई, 2000 को हुआ था और इसे जनसंख्या विस्फोट कहते है। हमने इस विस्फोट को भी हासिल कर लिया है। लेकिन मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि हमें अपने समाज के पिछड़ेपन, अपने समाज की निरक्षरता और अपने समाज की स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच न होने के संबंध में अपने समाज की वास्तविकता का अहसास कराना होगा। ढांचागत समायोजनों, वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे बुरी तरह से प्रभावित है। इसलिए, शिशु मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। तो फिर हमें कोई संकल्प पारित करने से पहले अपने समाज के संपूर्ण ढांचे को ध्यान में रखना होगा। मैं माननीय सदस्यों से इस संकल्प का समर्थन न करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक में जोर जबरदस्ती वाली नीतियां अंतर्निहित है। हमें मनमर्जी से कार्य करने वाली नीतियों पर चलना चाहिए न कि जोर जबरदस्ती वाली नीतियों पर क्योंकि जोर जबरदस्ती वाली नीतियां हमारी मदद नहीं करेंगी जबकि मनमर्जी से कार्य करने वाली नीतियां उद्देश्य को हासिल करने में हमारी मदद करेगी।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, मैं श्रीमती मीणा द्वारा सभा में इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा करता हूं। इस संकल्प में, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ हद तक जनसंख्या विस्फोट पर कतिपय कठोर तरीकों को अपनाकर नियंत्रण किया जा सकता है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं अंग्रेजी में एक कहावत है कि "पूरे देश की बजाय कोई अपना ही एक दुख झेल ले तो बेहतर है।" कुछ लोग जो हठधर्मी हैं, और जो इस प्रतीक्षारत विनाश को नहीं देखते हैं को इसी रास्ते पर चलाया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या तेजी से न बढ़े। महोदय, आप मेरे से सहमत होंगे कि किसी भी सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनका समग्र आर्थिक विकास होना चाहिए और फिर उसके बाद उनका सामाजिक विकास होना चाहिये। जब तक कि हम जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण नहीं लगाते तब तक हम लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधार सकते हैं? सांख्यिकीविद कहते हैं कि 1951 में मृत्यु दर या प्रजनन दर 6 थी। 1997 में, 3.3 तक नीचे आ गई। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि 2010 तक मृत्यु दर 2 से नीचे हो। जब तक मृत्यु दर 2 से नीचे नहीं आ जाता तो तब तक हमें इस देश में जनसंख्या विस्फोट को रोकना असम्भव होगा। जनसंख्या दर फिर बढ़ रही है। आज हमने टेलीविजन पर देखा है कि इस देश की जनसंख्या आज 103 करोड़ है। श्रीमती मीणा ने यह उल्लेख किया है कि जब यहां जनसंख्या विस्फोट और निरक्षरता में वृद्धि होती है तो गरीबी बढ़ती है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो न कोई घर होगा और न कोई भोजन। बाइबल की एक कहावत है कि "रामजी की चिड़िया और रामजी का खाना।" लेकिन वह उनके घोंसले में दाना नहीं फेंकता है। चिड़ियों के घोंसलों के लिए तथा मनुष्यों के लिए फेंकने के वास्ते भोजन कहां से आएगा? जब तक हम जनसंख्या की इस

[श्री अनादि साहू]

वृद्धि दर को सख्ती से नहीं रोकते है, जब तक हम इसे जोर जबरदस्ती से नहीं रोकते हैं, जैसाकि उन्होंने उल्लेख किया है, तब तक ऐसा करना बहुत कठिन होगा।

मैं आपका ध्यान नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक वर्ष इस देश की जनसंख्या में एक करोड़ और पचास लाख बच्चे और जुड़ जाते हैं। एक करोड़ और पचास लाख बच्चे इस देश में जुड़ते जा रहे है, लेकिन स्कूल जाने वाले उन बच्चों की संख्या कितनी है जो इस देश से जुड़ते जा रहे है? इस बात का उल्लेख हुआ है कि 1997-98 में 45 लाख बच्चे स्कूल जाते थे, चाहे उनका नामांकन किया गया था या नहीं, यह अव्यावहारिक है। लेकिन उनका नामांकन किया जाना था। नौवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2002 के अंत तक स्कूलों में कुल दो करोड़ पचास लाख बच्चों को नामांकित किया जाएगा। मैं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरे राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में 95 प्रतिशत बालिकाएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली श्रेणी है। अन्य स्थानों पर भी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों का अनुपात भी अधिक होना चाहिए। लेकिन नौवीं योजना में दो करोड़ और पचास लाख बच्चे नामांकित किए जाएंगे। दसवीं योजना में यह अनुमान 300 लाख है अर्थात् तीन करोड़ बच्चे नामांकित किए जाएंगे। उस किसी भी सरकार के पास इतनी बुनियादी सुविधाएं और धन कहां हैं जो इन बच्चों की उचित ढंग से देखभाल करना चाहती है?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शिक्षित हो, साक्षर हों, उन्हें सम्यक रूप से कपड़े मिलें उचित आवास मिले, सरकार के पास धन कहां हैं? इसलिए, गरीबी, निरक्षरता, भूख और निराशा एक के बाद एक आएंगी। इसलिए, जब हम उचित खाना देने, आवास देने शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के बारे में सोचेंगे तो न केवल बच्चों के बारे में ही सोचेंगे बल्कि व्यस्क लोगों के बारे में भी सोचेंगे। सारी प्रजनन दर को ही नीचे लाना होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इन सभी बातों पर विचार किया गया है। जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर विचार किया गया था तो उन्होंने जोर जबरदस्ती पर बहुत कम विचार किया। मैं केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि मूल प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए। मूल प्रजनन और स्वास्थ्य उपायों को कैसे ध्यान में रखा जाए जैसे अनेक अन्य बातें हैं।

मेरी रुचि यह देखने में है कि समय-समय पर बनाए गए विधानों में कौन-कौन से कठोर उपाय निर्दिष्ट किये गये हैं।

सबसे पहले, मुझे बालिका शिशु के संबंध में बात करने दें। श्रीमती मीना ने बालिका शिशु के संबंध में बात की है। यहां इस तरह की भावना है कि बालिका शिशु की परिवार के लिए आवश्यकता नहीं है। लड़के के लिए, मां-बाप एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे और चार बच्चों तक के लिए चले जाते हैं। मैंने एक परिवार में पांच से छः लड़कियां तक देखी हैं जो आशा से एक लड़का पैदा होने का इन्तजार करता रहता है। मैं यहां प्रत्येक सदस्य को यह बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने इस बारे में बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया था। उन्होंने बालिका शिशु को पर्याप्त महत्व दिया है। यजुर्वेद में, एक बहुत सुंदर सूक्ति है। यथा-

अहं राष्ट्री संगमनी वशुनां
चिकुतुषी प्रथमां यज्ञायानाम्

वह कहती है "मैं राज्य हूं।" इस वाग्देवी सूक्त से ही दुर्गा सप्तशती का आगमन हुआ है। वह कहती है "मैं राज्य हूं।" राजनीतिक विज्ञान में कोई इस शब्दावली को पढ़ेगा: लिटेट सेस्ट मोई (मैं राज्य हूं)। लुईस तेरह ने कहा: "मैं राज्य हूं।" नहीं। यह तो हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पहले माताओं के संबंध में कह दिया था। अहं राष्ट्री (मैं राज्य हूं।) संगमणि वंशुनां (मैं सभी वस्तुओं की समन्वयकर्त्ता हूं।) चिकुतुषी (मैं न्यायधीश हूं) प्रथमम् यज्ञीयानाम् (जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो मुझे अवश्य बुलाएं। अन्यथा वह विफल हो जाएगा) हम यह तर्क देते आये हैं। शंकराचार्य ने अपने 'देवी अपराध क्षमापन स्तोतम' में बहुत सुन्दरता से कहा है:

भूतेषो भजति जगदीशैक पदवी
भवानी त्वत्त पाणिग्रहण
परिपाटी फलम् इदम्

इसका अनुवाद है: "हे शिव! आपको जगदीश कहा जाता है क्योंकि आपने पार्वती से विवाह किया है।" हमने इस उच्च धरातल पर महिलाओं को रखा है। कतिपय ऐतिहासिक विशेषताओं के कारण अथवा बाद के समय में इस देश में आए लोगों के कतिपय पैशाचिक कार्यों के कारण हमने अपनी स्त्रियों के साथ अपमानपूर्ण तरीके से व्यवहार किया। इसीलिए, प्रसव पूर्व निदान-कार्य चल रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। इसलिए, मैंने यह कहा कि बालिका शिशु को उचित स्थान मिले और जनसंख्या विस्फोट न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय ठोस उपाय नितान्त आवश्यक हैं।

आप इस बात से अवगत होंगे कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 बनाया गया है। इसे दृढ़ता से कार्यान्वित किया

जाना चाहिए ताकि चिकित्सापूर्व निदान द्वारा कोई बालिका शिशु इस धरती पर आने से वंचित न रह जाए।

दूसरी बात, जो नितान्त महत्वपूर्ण है, निःसन्देह, गर्भ के चिकित्सीय समापन से संबंधित है। इसकी नितान्त आवश्यकता है। कभी-कभी गर्भ के चिकित्सीय समापन रोधी कार्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण में यह बात कही गयी है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली स्त्रियों की 12 प्रतिशत मौतों का कारण असुरक्षित गर्भपात है। हम उचित तरीके से गर्भ के चिकित्सीय समापन के तरीके क्यों नहीं अपनाते? यह भी आशय है कि गर्भ के उचित समापन का तरीका सुनिश्चित किया जाए।

बिन-ब्याही माताएं भी हो सकती हैं। आजकल अविवाहित माताओं के होने पर प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध होना भी नहीं चाहिएं क्योंकि समय बदल रहा है : सामाजिक लोकाचार बदल रहा है; दृष्टिकोण बदल रहे हैं; अभिवृत्तियां बदल रही हैं। गर्भ को अलग तरीके से समाप्त करने के लिए परेशानी में क्यों पड़ें? यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मां कठिन परिस्थिति में न मरे। अतः अब गर्भधारण के साथ बगैर कोई प्रतिबन्ध जोड़े गर्भ के चिकित्सीय समापन के संबंध में बेहतर तरीके से सोचना हमारे लिए नितान्त आवश्यक है। जून, 1999 तक, 120 लाख गर्भ समापन हुए। जनसंख्या विस्फोट की समस्या के प्रति अपने दृष्टिकोण में नये और मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बाल-विवाह अवरोध अधिनियम को भी उचित ढंग से लागू किया जाना है। उन्होंने संविधान, उनासीवां (संशोधन) विधेयक और तीन मौजूदा बच्चों से ज्यादा बच्चों पर प्रतिबन्ध लगाने और पदों से हटाने के लिए अनुकूल कानून बनाने की बात कही है। तीन जीवित बच्चे क्यों, दो बच्चे क्यों नहीं? निःसन्देह, ठोस उपायों के माध्यम से हमें यह संख्या कम करनी है।

उन्होंने हल्के ढंग से एक समान सिविल संहिता की बात कही थी। कोई क्यों, केवल धर्म के कारण दो, तीन अथवा चार पत्नियां रखे? इस पर रोक क्यों नहीं लगायी जाती? ऐसी चीजों पर नियंत्रण करके ही जनसंख्या वृद्धि न हो, सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा। एक बार जनसंख्या वृद्धि न हो तो निरक्षरता भी कम हो जायेगी। गरीबी भी कम होगी। बेरोजगारी का प्रतिशत कम होगा। जनसंख्या का अधिकांश अर्थात् 25 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार हैं। मैं संगठित क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हमें नहीं पता कि कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है। अतः हमें सबसे पहले यह देखना है कि कुछ ठोस उपाय किए जाएं। वह बहुत अच्छा संकल्प लेकर आई हैं। सभापति महोदय, मेरी ओर देख रहे हैं इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे अब अपनी बात समाप्त करनी चाहिए और श्रीमती जसकौर मीणा द्वारा लाये गये संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे इस संकल्प का विरोध करने का कोई कारण नजर नहीं आता। जब हम जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में सोचते हैं, हमें कुछ कठोर वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा। आज के समाचार-पत्र में, एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी ने यह मूल्यांकन किया है कि संयुक्त राज्य अमरीका में सबसे अधिक सेक्स होता है जबकि भारत प्रजनन के मामले में आगे है। हमारे देश में विश्व की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है और हम परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण की बात करते रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर उपाय भी आरंभ किए गए हैं। लेकिन अब हमारी स्थिति क्या है? इसी मुख्य मुद्दे पर चर्चा की जानी है।

मैं केरल राज्य से आता हूं, वह राज्य जिसने परिवार नियोजन को सख्ती से लागू किया है। इस वर्ष, केरल में, सरकार ने क्रमबद्ध रूप से लगभग एक हजार विद्यालयों को बंद करने का निर्णय किया है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, एक विद्यालय में, दस बालकों को पढ़ाने के लिए 12 शिक्षक हैं। इसका कारण विद्यालय बच्चों की अनुपलब्धता है। राज्य योजना बोर्ड का लगभग एक हजार विद्यालयों को बंद करने के निर्णय का आधार केवल यही नहीं है। यह तो केवल एक कारण है। सरकारी विद्यालयों के लॉनों में अथवा पड़ोस में विद्यालय आरंभ करना अन्य कई कारणों में से एक हो सकता है।

लेकिन सबसे बड़ा कारण पहली कक्षा के विद्यार्थियों की अनुपलब्धता है। अधिकांश विद्यालंयों के लिए यह बहुत कठिन कार्य है। पहली कक्षा के विद्यार्थियों का अभाव रहेगा। आप जानते हैं कि हमारे केरल राज्य ने शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली है। इसीलिए, निजी विद्यालय चलाने वाले लोगों के लिए पहली कक्षा के विद्यार्थियों की अनुपलब्धता बड़ा कारण है। जून माह में, विद्यार्थियों को खोजा जाता है। वे प्रत्येक परिवार में जाते हैं और ढूंढते हैं कि कहीं कोई लड़का तो नहीं। चार साल की उम्र वाले बच्चे को वे प्रवेश दे देंगे क्योंकि विद्यालयों को जारी रखना है। केरल में आज हमारा अनुभव यह है। आप सुनेंगे कि थोड़ी-सी अवधि में लगभग 1000 विद्यालियों को विद्यार्थियों के अभाव में बंद कर दिया जायेगा। इस संकल्प को लाने वाले कृपया मेरी बात को सुनें। आज हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

हमारे पास पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं हैं। प्रत्येक परिवार में, आपको एक अथवा दो बच्चे मिलेंगे। हमें यह अनिवार्य कर देना

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

चाहिए अथवा संविधान में यह प्रावधान करना चाहिए कि एम.एल.ए., एम.पी. और पंचायतों के सदस्यों के केवल दो अथवा एक बच्चा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बिना ही, लोगों ने स्वयं स्वेच्छापूर्वक परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर दिया है। हमारा यह अनुभव केवल केरल का ही नहीं है अपितु तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ सीमा तक आंध्र प्रदेश का भी है। उन्होंने कम अथवा अधिक परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया है। लेकिन बिहार राज्य में क्या हालात हैं? प्रत्येक परिवार में कम-से-कम एक दर्जन अथवा डेढ़ दर्जन बच्चे होते हैं। जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री के एक दर्जन से भी अधिक बच्चे हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब हम निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2025 में करने के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने इस बात पर भी चर्चा की थी। यदि जनसंख्या के आधार पर लोक सभा अथवा राज्य विधान विधानमंडलों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता तो इनकी संख्या बहुत कम हो गयी होती इसीलिए हमें इसका समर्थन भी करना पड़ा था। केरल को ही हानि नहीं होगी बल्कि दक्षिणी राज्यों को भी हानि होगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के कारण वे दंडित तो नहीं किये जाने चाहिए। इसीलिए हमने संविधान में यह सशोधन किया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2025 में किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह विनम्र वचन दिया था कि वह उत्तरी राज्यों की जनसंख्या समस्या की जांच करेंगे और परिवार नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू किया जायेगा। लेकिन वह ऐसा कैसे करेंगे? मैं इस बारे में नहीं जानता। इसीलिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए समन्वित प्रयास होने चाहिए। भारत में जनसंख्या नियंत्रण असमान है। इसका आरंभ आवश्यक रूप से उत्तर से होना चाहिए। उत्तरी राज्यों के अधिकारियों को इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। मात्र भाषण देने से चिल्लाने से अथवा भावुकता दिखाना ही पर्याप्त नहीं है। इसे वास्तविकता के रूप में लेना चाहिए। लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि जब तक हम जनसंख्या कम नहीं करेंगे तो 21वीं शदी में हमारा स्थान कुछ नहीं होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर चुके लोगों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को कठोरता से कार्यान्वित करने वाले दक्षिणी राज्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए, मैं भारत सरकार से कठोर कदम उठाने का आग्रह करूंगा। उन्होंने महाराष्ट्र में इसे लागू किया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भी ऐसा किया है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों ने भी इसे कार्यान्वित किया है। लेकिन उत्तर के राज्यों को परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से लागू करने में क्या कठिनाई है? वे यह कार्य नहीं कर रहे हैं। इस अवस्था में, हमें विस्फोट का सामना करना होगा।

अल्पावधि में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। चीनी लोग, कुछ सीमा तक अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं। लोकतंत्र में, हम हमेशा इस बात की डींग मारते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई समन्वित प्रयास नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी हासिल न कर सकेंगे।

पिछले सत्र के दौरान भारत सरकार ने जनसंख्या नीति यहां प्रस्तुत की। लेकिन इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है? हम यह कार्य जन और शिक्षा और नेतृत्व करने वाले लोगों के माध्यम से कर सकते हैं। मैं एक राजनेता हूं, मैं पचास वर्ष से राजनीति के क्षेत्र में हूं। मेरा प्राथमिक लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण है। लोगों को शिक्षित करने, उन्हें यह समझाने के लिए कि जब तक आपका परिवार छोटा न होगा तब तक आपकी आय परिवार चलाने के लिए पर्याप्त न होगी, हम प्रत्येक संभव कार्य कर रहे है।

सबसे निचले स्तर, अर्थात् गांवों में हम प्रत्येक परिवार को यही शिक्षा देते आ रहे हैं। हमें वहां जाना चाहिए और लोगों को यह बताना चाहिए कि आपके केवल एक अथवा दो बच्चे होने चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं एक उदाहरण बनना चाहिए। यदि श्री लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति वहां जायें और लोगों को जनसंख्या नियंत्रण की शिक्षा दें तो वे प्रभावित नहीं होंगे। वे केवल तभी प्रभावित होंगे जब आप उदाहरण प्रस्तुत करें। इसीलिए मैं उत्तर भारत के सभी नेताओं से यह निवेदन करूंगा कि उनका परिवार दो बच्चों वाला एक छोटा परिवार हो। तब आप वहां जाकर उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। वे आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात समझेंगे।

जनसंख्या विस्फोट के अन्य कारण गरीबी और बेरोजगारी हैं। इसीलिए, हमें इस पर रोक लगाने के लिए मानदंड अवश्य खोजने चाहिए। बेरोजगार लोगों को स्वयं को व्यस्त रखने के अन्य उपाय नहीं मिलते बल्कि वे सेक्स के संबंध में सोचते रहते हैं, परिणामस्वरूप बच्चे उत्पन्न होते हैं और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है। यदि आप वस्तुतः व्यस्त हैं, यदि आप वस्तुतः रोजगार हैं, तो आपको सन्तानोत्पत्ति के लिए कम समय मिलेगा और परिवार में बच्चों की संख्या काफी कम हो जायेगी। लेकिन यदि लोग बेरोजगार हों और उनके पास कोई काम न हो तो वे किसी आनंद के बारे में सोचेंगे जिससे परिवार बड़े ही बनेंगे। इसीलिए, इतने अधिक कारणों में बेरोजगारी और गरीबी भी शामिल हैं।

परिवार नियोजन कार्यान्वित करने के लिए एक समन्वित केन्द्रीय एजेन्सी अवश्य होनी चाहिए और मात्र कहने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने प्रयास गंभीरतापूर्वक करने होंगे। हम सभी यह वचन लें कि हम अपनी जनसंख्या को अवश्य कम करेंगे। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि यदि आप गंभीरतापूर्वक एक चुनौती के साथ यह काम करें तो परिवार नियोजन को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः वचनबद्धता होनी चाहिए। हममें कोई वचनबद्धता नहीं है। इसलिए समर्पित लोगों को आगे आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस जनसंख्या विस्फोट को रोका जाये और राष्ट्र को इससे बचाया जाये।

हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन परेशानी यह है कि हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जायेंगे। इसीलिए, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक होने चाहिएं। जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां अन्य विद्यालयों से शिक्षकों को भेजा जा सकता है। बेरोजगार और बेकार बैठे हजारों शिक्षकों को कुछ काम मिलना चाहिए और उनके द्वारा विद्यार्थियों को उचित ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक प्रबंध भी करने होंगे।

इसीलिए, मैं इस संकल्प को लाने वाली सदस्य और उत्तर भारत के अपने सभी मित्रों से यह आग्रह करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्यों में परिवार नियोजन को कठोरता से कार्यान्वित किया जाए। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए हमें संयुक्त और समन्वित होकर कार्य करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय जसकौर मीणा जी लाई हैं, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करने के लिए उपस्थित हूं। नेताओं से ही आखिरकार लोग प्रेरणा लेते हैं और सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी अविवाहित हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और माननीय मंत्री जी को आज से ही सौगन्ध खा लेनी चाहिए और यदि उन्हें मंत्री बने रहना है तो उनको परिवार नियोजन लागू करना पड़ेगा तथा संसद सदस्यों पर भी यह कानून लागू होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संक्षेप में बोलें। अभी और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जनसंख्या नियंत्रण पर हमें पाबंदी लानी चाहिए। भारत की जनसंख्या जो एक अरब के लगभग हो चुकी है और जैसा कि हम 'आज तक' में देखते हैं कि हर तीस सैकेंड के बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। संसाधन बहुत ही कम हैं और कंट्रोल होना बहुत ही आवश्यक है। हम दिल्ली में देखते हैं या आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी देखते होंगे कि मनुष्य से मनुष्य भिड़कर चल रहा है, टक्कर खाकर चल रहा है, यह स्थिति है। शहरों में प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि गांवों और शहरों में असंतुलन बढ़ रहा है, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि पानी की टंकी छोटी हो गई लेकिन मैं उनको कहता हूं कि पानी की टंकी छोटी नहीं हुई बल्कि जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए पानी की टंकी छोटी लग रही है।

भूमि का बंटवारा हो रहा है। भूमि का बंटवारा होने के कारण ठीक पकार से सिंचाई नहीं हो रही है। 1973-74 के समय के नियम बने हुए हैं लेकिन ये नियम पंचायतों पर लागू हुए। राजस्थान की सरकारों ने भी पंचायतों पर नियम लागू किये हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विधान सभा के सदस्यों और संसद सदस्यों पर यह कानून लागू नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उन पर भी यह नियम लागू होना चाहिए।

इसके अलावा में एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शादी नहीं की है, उनको प्रोत्साहन दिया जाये। अब अटल जी के बारे में तो मैं क्या निवेदन करूंगा, लेकिन हमारे कैलाश नाथ मेघवाल जी हैं, जो टोंक से जीतकर आये हैं और हमारी गिरिजा व्यास जी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उन्हें अधिक स्वास्थ्य और सुख-सुविधायें मुहैया कराई जानी चाहिए क्योंकि पचास वर्ष से इस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

सरकार के ध्यान न देने के कारण यह समस्या विकराल होती चली गई है। चाहे सांसद हो, चाहे केन्द्रीय मंत्री हों और चाहे राज्य के मंत्री हों, सभी चिन्ता करते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और इस पर नियंत्रण करना चाहिए। माननीय भैरोसिंह शेखावत जी, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, वे जहां कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या में नियंत्रण लागू करने में गांव में हालत खराब है। मुझे यह बात कहने के लिए क्षमा करेंगे, गांवों में जनसंख्या इसलिए भी बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां पर मनोरंजन के साधन नहीं है, थिएटर नहीं है। टीवी पर भी अच्छा कार्यक्रम प्रसारित नहीं होते हैं। यदि ऐसा हो, तो आदमी स्त्री के साथ मनोरंजन कम करेंगे और जनसंख्या में भी वृद्धि नहीं होगी। इसके साथ ही रात को दस बजे के बाद टीवी

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

पर जो कार्यक्रम पेश किए जाते हैं, उन पर भी रोक लगाने की जरूरत है। उन कार्यक्रमों में कामुकता अधिक होती है। इसलिए रात्रि के कार्यक्रमों पर ध्यान दिए जाना बहुत ही जरूरी है। टीवी एक प्रकार से आज टीबी की बीमारी हो गया है। छोटे बच्चे उन कार्यक्रमों को देखकर ऐसे शब्दों के अर्थ मां-बाप से पूछते हैं, तो मां-बाप उनके अर्थ क्या बतायेंगे। आखिरकार, टीवी पर गन्दे कार्यक्रम प्रसारित होंगे, तो जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ती है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था थी कि छोटे बच्चों की शादियां नहीं होगी। राजस्थान में एक त्यौहार होता है, जिसका नाम है, आखातीज ...*(व्यवधान)* इस एक्ट में व्यवस्था है कि छोटे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, लेकिन तीन साल का दुल्हा और दो साल की दुल्हन, ऐसे बच्चों पर उनके मां-बाप उनके सिर पर हाथ रख कर शादियां करवाते हैं। ये शादियां उनके मां-बाप की नहीं होती हैं। इस कानून को भली प्रकार से लागू करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है और शारदा एक्ट का उल्लंघन करने वाले को कठोर सजा देने का प्रावधान किया है, लेकिन वह सब निरर्थक है। सरकार को चाहिए, ऐसे लोगों को सरकारी अस्पतालों में सुविधायें नहीं मिलेंगी, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही इस कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को एम.पी., एम.एल.ए. के चुनाव से वंचित किया जाएगा। ऐसा करने पर ही, मैं समझता हूं, जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है।

महोदय. मुझे क्षमा करेंगे, लालू प्रसाद जी की नौ संतान है। उनके शिष्य सदन में नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे - मैं समझता हूं कि उनको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। हम देश में सिविल कोड की बात कहते हैं। लेकिन आज मुसलमान चार-चार शादियां करते हैं और एक साल में चार बच्चे पैदा करते हैं। इस प्रकार बारह सालों में कितने बच्चे पैदा हो जायेंगे, इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुत्र के लालच में लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती है। लड़कियां भी आखिरकार लड़कों के समान ही हैं। कुल को चलाने के लिए पुत्र जरूरी है और वैतरणी पार करने के लिए भी लड़का जरूरी है। लड़की कपाल क्रिया नहीं कर सकती है, लड़का कपाल क्रिया कर सकता है। सम्पत्ति में लड़कियों को समान अधिकार दिए गए हैं। लड़कियां अभिशाप नहीं है। लड़कियां बाप के नाम को रोशन करती हैं। लड़का कपूत हो सकता है, लेकिन लड़कियां नहीं हो सकती हैं।

अंत में मुझे निवेदन करना है कि 21 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश, जब यहां 33 करोड़ की आबादी थी, प्रत्येक व्यक्ति को देवता माना जाता था, उस देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। इस संबंध में बहन जी ने जो संकल्प रखा है कि गांव का सरपंच आकर हमारे सब निर्णय करता है, इसलिए इस पर हम निश्चित रूप से विचार करें। भारत की जिस तरह जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है - चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, बीजेपी या कांग्रेस का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो, ऐसे में सब का एक ही धर्म है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करे और नियंत्रण करके सरकार अपनी ओर से इस बिल को लाए। जसकौर मीणा जी की ओर से लाएं या न लाएं। सरकार अपनी ओर से बिल लाकर इस संबंध में कठोरता के साथ पालन करे। यह बिल राजस्थान के अन्य प्रदेश के जो लोग हैं, विधान सभा के सदस्य हैं उन पर भी लागू हो तथा संसद पर भी लागू हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, जसकौर मीणा जी सरकारी पार्टी की सदस्य हैं और यहां लिखा है गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य। मुझे लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। इसमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिखा है। जसकौर मीणा जी ने जो प्रस्ताव रखा है अगर पापुलेशन कंट्रोल करने में हम सफल नहीं होते तो हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इन समस्याओं का सामना हम नहीं कर सकते हैं। 1930 में हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी, मगर आज सौ करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो गई है। अभी हमारे भार्गव साहब ने बताया कि तीन सैकिंड में एक बच्चा पैदा होता है, जिसका मतलब है कि हर साल एक करोड़ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उन्हें सुविधाएं देने के लिए हमारे पास उतने पैसा नहीं है, सरकार चाहते हुए भी उतनी व्यवस्था नहीं कर पाती है।

जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने जिस तरह एक्सपेरीमेंट किया है - एक फैमिली में तीन बच्चे, इस तरह का कानून न बनाते हुए, एक बच्चा एक फैमिली में होना चाहिए, इस तरह का कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, कानून बनने के पहले जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी अधिकारों से अलग रखना ठीक नहीं होगा। अगर अभी हम कानून बनाते हैं तो उस कानून को अमल में लाने के लिए सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों के लिए कानून लगाना ठीक बात नहीं है, इसके लिए जो भी प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत से लेकर, अन्य कहीं से भी जो चुन कर आता है, खाली चुन कर आता है, ऐसा नहीं, बल्कि जो इलैक्शन के लिए खड़ा होता है उनके लिए भी कानून लगाने की आवश्यकता है। अगर एक आदमी चुन कर आता है और दस

आदमी हार जाते हैं, चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति पर इस कानून का प्रभाव होना चाहिए। इसी तरह क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक सरकारी अधिकारियों को भी इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ये काम हम सब लोगों को करना है। मैरिज के लिए लड़कियों का ऐज 21 वर्ष होना चाहिए और लड़कों का 25 वर्ष होना चाहिए। उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए, अगर इस तरह का कानून बन जाता है तो फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा हो सकता है। इंदिरा जी के जमाने में फैमिली प्लानिंग का काम हुआ था, जब इमर्जेंसी लगाई गई थी। कानून बना कर हमें पापुलेशन कम करने का प्रयत्न करना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

अन्य किसी रीति से जनसंख्या कम होने वाली नहीं है। जनसंख्या को बढ़ाना बस यही हमारा काम है, इसलिए ही तो दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन दुनिया में जनसंख्या को कम करना ही अब यही हमारा काम होगा। इसलिए भारत का सारी दुनिया में नाम होगा। हमें इसी तरह से जनसंख्या को कम करने की ओर काम करना होगा, जिसकी आज सख्त आवश्यकता है।

''अगर अटल जी की सरकार गरीबों को नहीं देगी रोटी, कपड़ा और मकान, तो आने वाले चुनावों में बंद हो जाएगी तुम्हारी दुकान।'' इसलिए जनसंख्या को कम करने का काम सभी का काम है। आपकी पार्टी को अपना मैनिफैस्टो बदलना होगा और राम-मंदिर की बात न करके जनसंख्या को कंट्रोल में करने की बात करनी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि समाज का उत्थान करने की दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और अगर ऐसा काम करेंगे तो जनसंख्या कम होगी। लेकिन एक बात है कि जनसंख्या कम होगी तो वोट डालने वाले नहीं रहेंगे। आपका यह जो प्रस्ताव है इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आप अपनी सरकार को बताइये कि ऐसा कानून जल्द से जल्द वह लाए। धन्यवाद।

सायं 6.01 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार 3 दिसम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 दिसम्बर, 2001/12 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.20.9/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।